35वीं वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

हवाओं का रुख
हम बदल नहीं सकते
परन्तु अपने पाल
को अनुकूलित कर सकते हैं

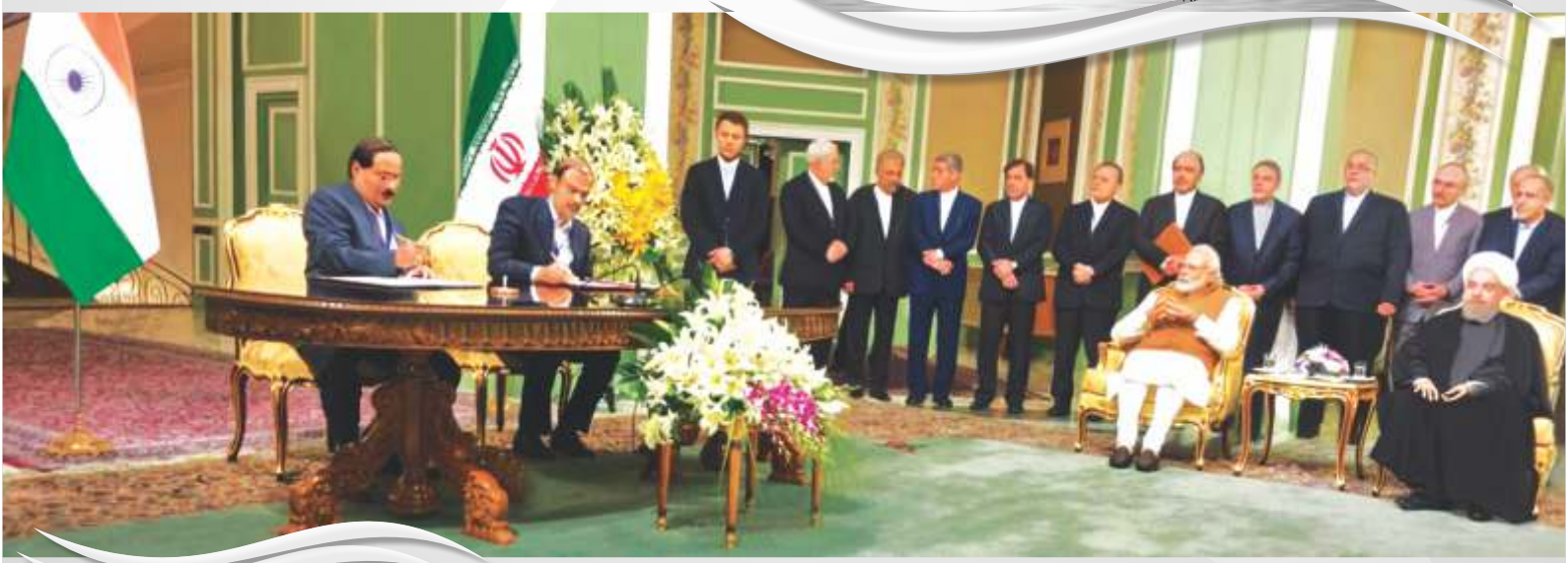

ईरान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

एक नवरत्न लोक उद्यम

लक्ष्य

वर्ष पर एक नजर

विवरण	इकाई	2015-16
भौतिक		
बॉक्साइट	मे.ट.	63,40,142
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	19,53,000
एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,72,183
विद्युत (निवल)	मि.यू.	5,841
पवन ऊर्जा	मि.यू.	156
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	3,247
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	7,157
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	1,103
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	731
प्रति शेयर आय	₹	2.84
प्रति शेयर बही मूल्य	₹	50.08
लाभांश	₹ प्रति शेयर	2.00

विषय सूची

वर्ष पर एक नजर	1
निदेशकों की रिपोर्ट	9
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	21
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	24
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	38
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट	57
कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	61
वार्षिक प्रतिफल का सार	86
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	92
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (स्व-सक्षम)	103
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकीकृत)	142
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर - भौतिक एवं वित्तीय	179
कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र	182

पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन : 0674-2301989-99, फैक्स : 0674-2300677
ई-मेल: investorservice@nalcoindia.co.in
वेबसाइट : www.nalcoindia.com

35 वीं वार्षिक साधारण बैठक
शुक्रवार, 30 सितंबर, 2016 को सुबह 11.00 बजे
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013.

निदेशक मंडल

डॉ. तपन कुमार चान्द

डॉ. तपन कुमार चान्द दिनांक 27.07.2015 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी से जुड़े। इन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से इतिहास एवं जन प्रशासन में स्नातकोत्तर किया है। इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री एवं कोलकाता विश्वविद्यालय से डीएसडब्ल्यू (समाज कल्याण में डिप्लोमा) भी की है। उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन एवं राष्ट्र निर्माण में इनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए उत्कल विश्वविद्यालय का उच्चतम सम्मान **''डी. लिट.''** प्रदान किया गया है। इन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स द्वारा 'रवि जे मत्थई नेशनल फेलो अवॉर्ड' का उच्चतम प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अपने छात्र जीवन में असाधारण विद्यार्थी एवं स्वर्ण पदक विजेता के रूप में परिचित इन्होंने स्लोवेनिया एण्ड क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइजेस में प्रशिक्षण लिया है। एक व्यावसायिक के रूप में अपने असाधारण कार्य-प्रदर्शन के लिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू अवॉर्ड भी प्राप्त किया है।

डॉ. चान्द धातु क्षेत्र के अत्यंत सक्षम एवं अनुभवी पेशेवर व्यक्ति हैं जिनके पास खनन एवं धातु क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें से 8 वर्षों का अनुभव इन्हें कोयला एवं इस्पात क्षेत्र में निदेशक के रूप में मामलों के संचालन से अर्जित है। इस्पात क्षेत्र में, एक नवरत्न इस्पात केन्द्रीय लोक उपक्रम, विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के परिचालन का विशिष्ट अनुभव है, जहाँ इन्होंने निदेशक के रूप में जुड़ने पर केवल दो वर्षों के अंदर ₹ 10,000 करोड़ की इस कंपनी को ₹ 14,000 करोड़ से अधिक का कारोबार करनेवाली कंपनी का दर्जा प्रदान किया।

इनके नेतृत्व में, बॉक्साइट एवं कोयला खदानों के अधिग्रहण के साथ नालको अगले 50 वर्षों के लिए संपूर्ण कच्चे माल एवं ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। नालको में अध्यक्ष के रूप में जुड़ने के साथ ही, इन्होंने प्रचलित उत्पादन नियंत्रण एवं हस्तक्षेप के विरुद्ध बाजार की मंद स्थिति को पूरा करने के लिए मूल्य कटौती के साथ सर्वाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता की निगमित रणनीति सहित एक नया बिजनेस मॉडल अपनाया है। इससे नालको को निरंतर लाभ हासिल करने में सफलता मिली, जबकि विश्व भर की लगभग 70% एल्यूमिनियम कंपनियाँ नकद हानि उठा रही हैं। वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार लागत कटौती पर केंद्रित होने के कारण, नालको ने विश्व में एल्यूमिना के सबसे न्यूनतम लागत उत्पादक की स्थिति को हासिल किया है।

इन्हें भारतीय एल्यूमिनियम संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये नेशनल माइन्स एण्ड मिनरल्स काउंसिल ऑफ एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एएसएसओसीएचएएस) के अध्यक्ष हैं। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) - ओड़िशा चेप्टर के भी उपाध्यक्ष है। वर्तमान में, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) की अलौह धातु समिति के राष्ट्रीय सदस्य हैं।

डॉ. चान्द ने 'एल्यूमिनियम - दि स्ट्रैटिजिक मेटल' के शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है जिसे इंजीनियर, उद्यमकर्ताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं कॉर्पोरेट जगत से अच्छी स्वीकृति मिली है।

श्री एन. आर. महान्ति

श्री एन.आर. महान्ति दिनांक 01.02.2012 से कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) हैं। इन्होंने दिनांक 01.05.2015 से 26.07.2015 तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था।

श्री महान्ति ने वर्ष 1980 में एनआईटी, राउरकेला से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.एससी. इंजी. (ऑनर्स) में स्नातक किया एवं इन्हें सम्बलपुर विश्वविद्यालय का ''सर्वश्रेष्ठ स्नातक'' निर्णीत किया गया था। एल एण्ड टी एवं बालको में कार्य करने के बाद ये दिसंबर, 1986 में नालको से जुड़े एवं निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) बनने से पहले महाप्रबंधक (ओ एण्ड एम) और महाप्रबंधक (प्रद्रावक) आदि के रूप में विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए। नालको के व्यवसाय विकास विभाग में कार्य करते समय, इन्होंने नालको की नई परिकल्पित एवं लक्षित योजना को तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रद्रावक में अपने कार्यकाल के दौरान, नालको प्रद्रावक ने 100% क्षमता उपयोगिता हासिल की एवं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2011 के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

श्री महान्ति की प्रेरणा से नालको ने गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा. की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना एवं जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा. की द्वितीय पवन ऊर्जा परियोजना के आरंभ के साथ ''हरित ऊर्जा'' की ओर बढ़ते हुए पहली बार ओड़िशा राज्य के बाहर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया। इनके नेतृत्व में, निगमित कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट एवं भुवनेश्वर के टाउनशिप में 100 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट चालू किए गये। 50 मे.वा. क्षमता एवं 50.4 मे.वा. क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में निर्माणाधीन हैं। प्रद्रावक संयंत्र में निस्सारी पानी से फ्लोराइड के निष्कासन हेतु नैनो आधारित एम्रियान टेक्नोलॉजी के सफल प्रदर्शनी आजमाइश के बाद, प्रद्रावक संयंत्र में एक डिफ्लोराइडेशन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं वर्तमान एल्यूमिना रिफाइनरी में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष की 5वीं स्ट्रीम के लिए प्रोसेस/ईपीसीएम परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए कार्य प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। म.प्र. में 20 मे.वा. सौरशक्ति परियोजना, भारत के उपयुक्त स्थानों में 50 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र एवं 50 मे.वा. सौरशक्ति संयंत्र के लिए निविदा प्रक्रिया जोर-शोर से प्रगति पर है। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, नालको को हाल ही में, अंगुल जिले में 200 मिलियन टन के उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक एवं पोट्टांगी, कोरापुट जिले में 75 मिलियन टन के बॉक्साइट खान आबंटित किए गए, जिससे कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। आईआरईएल के साथ संयुक्त उद्यम में टाइटैनियम स्लैग संयंत्र के अलावा, 'प्रद्रावक संयंत्र के लिए ईरान के साथ एमओयू (ज्ञापन पत्र) पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप, इस पर तेजी से कार्य-प्रक्रिया की जा रही है। अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए रियो टिन्टो एल्कैन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया एवं प्रद्रावक में बिजली की खपत कम करने के लिए एपी2एक्सएन परियोजना को प्रथम परियोजना के रूप मे लिया गया है। लाल मिट्टी से लोहे के संचय को पृथक करने एवं बेयर लिकर से गैलियम को निकालने के लिए चालिएको के साथ एवं बेयर लिकर से गैलियम को निकालने/लाल मिट्टी से रेयर अर्थ तत्वों को निकालने जैसी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए बीएआरसी के साथ भी अनुबंध किए गए। बॉक्साइट से देशी एल्यूमिना निष्कर्षण प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एनएफटीडीसी एवं जेएनएआरडीडीसी के साथ भी नालको ने हाथ मिलाया है। अन्य अग्रणी सार्वजनिक/निजी अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थान जैसे कि आईआईटी, आईआईमे. टन, एनआईटी आदि के साथ नालको सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। भुवनेश्वर में 18 एकड़ के क्षेत्र में नालको का आसन्न रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एल्यूमिनियम क्षेत्र में इस प्रकार की पहली स्थापना बनने के पथ पर है।

ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स के आजीवन सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के सहयोगी सदस्य एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के सदस्य है। ये जेएनएआरडीडीसी की रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

श्री के.सी. सामल

श्री के.सी. सामल (58 वर्ष), (डीआईएनः 03618709) दिनांक 03.01.2014 से कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। भारतीय लागत लेखापाल संस्था के फेलो सदस्य, श्री सामल के पास निगमित लेखे, लेखा परीक्षा, कोषागार एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन, निवेशक संबंध, बजट प्रक्रिया एवं नियंत्रण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अभिज्ञता के साथ बहुविध वित्त एवं लेखा कार्यप्रणाली में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने वित्त, पूंजी पुर्नसंरचना, परियोजना वित्त, विदेशी ऋण प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन में बड़े स्तर पर कम्प्यूटरीकरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इन दिनों ये कंपनी की निगमित आयोजना एवं रणनीतिक प्रबंधन गतिविधियों की भी अगुवाई कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में, कंपनी की निगमित योजना पर पुनः चर्चा प्रगति पर है ताकि वृद्धि प्रवृत्त एक दीर्घ मियादी व्यावसायिक मॉडल का गठन हो सके। कतिपय महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में इन्होंने फैकल्टी/गेस्ट स्पीकर के रूप में दौरा किया है।

सुश्री सोमा मंडल

सुश्री सोमा मंडल दिनांक 11.03.2014 से कंपनी की निदेशक (वाणिज्य) है।

इन्होंने वर्ष 1984 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। नालको में एक ग्रैजुएट इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में कैरियर की शुरुआत करते हुए, ये प्रौद्योगिकी कोष्ठ के अंश के रूप में कई परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों में जुड़ी रही थी।

इनके पास एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम के विपणन में समृद्ध अनुभव है एवं उद्योग की वैश्विक एवं देशी परिस्थितियों की काफी गहरी समझ सम्बंध है। विभिन्न उद्योग मंचों में अपने योगदान के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की ये एक प्रतिष्ठित नारी व्यक्तित्व हैं। देशी एवं विदेशी बाजार में नालको के लिए विभिन्न उत्पादों की विपणन रणनीतियों की अभिकल्पना में ये प्रेरणा की स्रोत रही हैं एवं कंपनी के विभिन्न नए उत्पादों को पेश करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभायी है। इनके मार्गदर्शन में, विपणन एवं सामग्री प्रबंधन कार्यप्रणालियों में कई पद्धतिवार सुधार पहलों को कार्यान्वित किया गया है।

श्री वी बालसुब्रमण्यम्

श्री वी. बालसुब्रमण्यम् दिनांक 01.01.2015 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में कंपनी से जुड़े।

01.12.1960 को जन्मे, श्री वी. बालसुब्रमण्यम् ने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक. की शिक्षा पूरी की एवं वर्ष 1984 में एक ग्रेजुएट इंजीनियर प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में नालको से जुड़े। नालको के साथ तीन दशकों के अपने लम्बे सेवाकाल के दौरान इन्होंने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकार से लेकर इसके समावेशन तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नालको के दोनों उत्पादन समूहों में परियोजना निष्पादन से संयंत्र परिचालन कार्य द्वारा अर्जित अपने विशाल व्यावसायिक अनुभव के बल पर, श्री बालसुब्रमण्यम् ने निदेशक (उत्पादन) बनने से पहले संगठन में कई महत्वपूर्ण एवं जटिल पदों का कार्यभार संभाला है।

श्री बालसुब्रमण्यम् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स (आईआईएम) के आजीवन सदस्य, फेडरेशन इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) के प्रबंधन कमिटी सदस्य एवं कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के ओड़िशा चैप्टर में ऊर्जा पैनल के भी सदस्य हैं।

श्री बसंत कुमार ठाकुर

श्री बसंत कुमार ठाकुर दिनांक 04.07.2016 से कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

दिनांक 19.12.1959 को जन्मे, श्री बसंत कुमार ठाकुर ने पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में डिग्री पाने के साथ सामाजिक कार्य में डिप्लोमा किया है। वर्ष 1981 मे सेल (SAIL) में केरियर शुरू करने वाले श्री ठाकुर नालको में निदेशक (मानव संसाधन) बनने से पहले दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, सालेम स्टील प्लांट, राँची में अनुसंधान एवं विकास सेंटर और नई दिल्ली में निगमित कार्यालय समेत विभिन्न इकाइयों को अपनी सेवाएँ दी हैं। श्री ठाकुर के पास नियुक्ति, पुनर्बहाली, मतभेद निपटान, प्रबंधन परिवर्तन, श्रम संबंध एवं हितकारी प्रशासन समेत मानव संसाधन में व्यापक व्यावसायिक अनुभव है। निगमित संचार में इनके पास चार वर्षों का अनुभव है। सेल में, इन्होंने वरिष्ठ प्रबंधन की सहयोगिता में बड़े स्तर पर एक संगठनीय रणनीतिक योजना का परिचालन किया ताकि संगठन के लक्ष्यों को समर्थन मिल सके एवं इसमें और वृद्धि लाई जा सके। सेल में तीन दशकों के अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान इन्होंने मानव संसाधन प्रणाली, नीतियों एवं कार्य-प्रक्रिया विकास में नवीनता लाते हुए एवं सभी मानव संसाधन कार्यों में शिक्षण, परामर्श, आयोजना, निर्देश एवं प्रबंधन मुहैया कराते हुए मानव संसाधन विभाग के पुनःनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री ठाकुर एनआईपीएम के आजीवन सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

श्री आर श्रीधरन

श्री आर श्रीधरन को दिनांक 30.08.2013 से बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्तमान में, ये खान मंत्रालय में विशेष सचिव हैं।

श्री एन बी धल

श्री एन बी धल को दिनांक 23.12.2015 को बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

इन्होंने आरईसी, राउरकेला (एनआईटी) से वर्ष 1990 में बी.एससी (मिकैनिकल इंजीनियरिंग) डिग्री पूरी की और फिर वर्ष 1992 में आईआईटी, दिल्ली से एम टेक डिग्री पाई। इन्होंने पास सायराक्यूज यूनिवर्सिटी, न्यू यार्क, यूएसए से लोक प्रशासन (एमपीए/ईएमपीए) में मास्टर डिग्री की हैं। 1993 बैच (ओड़िशा संवर्ग) के ये एक आई ए एस अधिकारी हैं। वर्तमान में, ये भारत सरकार, खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं।

ये हिन्दुस्तान कापॅर लिमिटेड में भी बोर्ड के निदेशक हैं।

श्री दीपंकर महंत

श्री दीपंकर महंत दिनांक 21.11.2015 से बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

12 दिसंबर, 1965 को जन्मे, श्री दीपंकर महंत ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एमबीए पूरी की और लघु स्तर के उद्योगों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से इन्होंने मेसर्स कन्सॉर्ट मार्केटिंग के नाम से उद्यम की शुरुआत की। तदुपरांत, भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न क्षमताओं में गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े एवं अपनी सेवा दी। उच्च मान की परामर्श संबंधी सेवा प्रदान करने एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कार्यान्वयन के उद्देश्य से जुड़ी कंपनी इकोनॉमिक एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोलाबोरेटिव (इंडिया) प्रा. लि. के प्रवर्तक निदेशक थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई) की नैदानिक अध्ययन एवं हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की व्यवहार्यता अध्ययन एवं भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन जैसी परियोजनाओं में ये सह-परामर्शदाता भी रहे थे। इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एक स्वैच्छिक संगठन विवेकानंद केंद्र की भी सेवा की है और तत्पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक प्रलेखन एवं अनुसंधान पर एक विशिष्ट परियोजना, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (वीकेआईसी) के रिसर्च काउंसिल के सहयोगी निदेशक थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएपीएआरटी (एनईजेड) को भी इन्होंने सेवा दी थी।

वर्तमान में, ये सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुदायों से जुड़े हुए हैं।

श्री एस शंकररमण

श्री एस. शंकररमण दिनांक 21.11.2015 से बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

19 मई, 1962 को जन्मे श्री एस. शंकररमण भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। श्री शंकररमण पेशियों के दुर्विकास से प्रभावित रहे हैं एवं 12 वर्ष की उम्र से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में, ये विकलांग एवं जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई से जुड़े एक संस्थान अमर सेवा संगम के सम्मानार्थ सचिव हैं। विभिन्न निगमित क्षेत्रों को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हुए इन्होंने वर्ष 1985 में अपने कैरियर की शुरुआत की। वर्ष 1990 में ये अमर सेवा संगम से जुड़े। अपने क्षेत्र में पुनर्वासन एवं विकास केंद्र के रूप में ''अपंग व्यक्तियों के लिए स्थल'' की स्थापना करते हुए एवं गाँव में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समाज के साथ अपंग व्यक्तियों को जोड़ने के उद्देश्य से स्व-सहायी पहलों के मॉडल विकसित करते हुए अपंग व्यक्तियों को सशक्त बनाना इनका लक्ष्य रहा है।

निदेशक मंडल

अपंग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए वे एक चैम्पियन हैं एवं उनका मानना है कि अपंगता कोई रोधक या बाध्यता नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे पुनर्वासन एवं समर्थता के सही मेल से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आधुनिकतम बुनियादी सुविधाओं एवं हर उम्र वर्ग एवं अपंगता की हर श्रेणी में उच्च दर्जे के पुनर्वासन कार्यक्रम की सुविधा से इन्होंने अपनी प्रेरणा से अमर सेवा संगम का विकास करके एक छोटी सी शुरुआत की जिसे आज अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन क्षेत्र में सक्षम नेतृत्व के मौजूदा दर्जे तक पहुँचाया है। जन समुदायों को सम्मिलित करते हुए अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए नवीन मॉडल को विकसित करने में मार्गदर्शक रहे हैं एवं इनके पास एक अति विशिष्ट गाँव आधारित पुनर्वासन उपक्रम है जिसे देश के सबसे बेहतर मॉडल में से एक होने की स्वीकृति मिली है। वे एनजीओ क्षेत्र के व्यावसायिकीकरण में विश्वास करते हैं एवं अमर सेवा संगम के सभी कार्यों को प्रणालियों एवं पद्धतियों से कम्प्यूटरीकृत किया है। ये विभिन्न मैराथन में हिस्सा लेते हैं, खास करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में इसकी शुरुआत से ही हिस्सा ले रहे हैं एवं ऐसी गतिविधियों में अपंग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कदम उठाया है। देश भर के विभिन्न मंचों में अपंगता के अधिकारों पर इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए गांधी ग्राम ट्रस्ट एवं अमेरिकन ट्रस्ट समेत कई गैर-लाभकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं बोर्ड सदस्य रहे हैं। अपने नवाचार प्रयास के लिए इन्हें अशोक फेलोशिप प्रदान किया गया एवं दो अवसरों पर अध्यक्षीय पुरस्कार समेत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों को भी इन्होंने प्राप्त किया है।

श्री प्रभात केशरी नायक

श्री प्रभात केशरी नायक को दिनांक 21.11.2015 को बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था।

इनका जन्म 16 अगस्त, 1960 को हुआ। श्री पर्वत केशरी नायक वर्ष 1987 से सनदी लेखापाल के पेशे में है। इनके पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट (आईसीएआई) में डिप्लोमा एवं लॉ की डिग्री है। मेसर्स पी.के. नायक एण्ड कं., सनदी लेखापाल में ये एक वरिष्ठ भागीदार हैं एवं अपनी दक्षता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और लेखा व्यवसाय में अपने विनम्र दृष्टिकोण और बेहतरीन सेवाओं के लिए पसंद किए जाते हैं। 28 वर्षों के अपने बेदाग पेशे में, इन्होंने अपने सभी कार्यों और दायित्वों में अपनी व्यावसायिक दक्षता और विशेषज्ञता की मोहर लगाई है। एडम स्मिथ इंटरनैशनल, यूके की ओर से ओड़िशा में पीएसयू की पुनः संरचना के लिए इन्होंने एक परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवा दी। व्यावसायिक हित के मद्देनजर इन्होंने कई राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन में हिस्सा लिया है।

प्रोफेसर दामोदर आचार्य

प्रोफेसर दामोदर आचार्य दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड से जुड़े थे।

2 अप्रैल, 1949 को जन्मे प्रो. दामोदर आचार्य के पास एनआईटी, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आईआईटी, खड़गपुर से मास्टर एवं पीएचडी डिग्री है। ये वर्ष 1976 में इसी संस्था में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैकल्टी में शामिल हुए। इन्होंने संस्था की सभी जिम्मेदारियों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे विभाग के प्रधान, अध्यक्ष जेईई, डीन (प्रायोजित रिसर्च एवं इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंसी), कार्यपालक निदेशक एसटीईपी, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष या निदेशक के रूप में। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के रूप में, इन्होंने एक सुदृढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडुकेशन प्रणाली की बुनियाद रखी, जिसका अनुकरण अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। इन्होंने आईआईटी, भुवनेश्वर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं इसके प्रथम मेन्टर डायरेक्टर (परामर्शी निदेशक) थे।

प्रो. आचार्य वर्तमान में आरसीएफ लिमिटेड के बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के भी सदस्य हैं। इडको एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी हैं एवं एसओए विश्वविद्यालय के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

श्री महेश्वर साहू

श्री महेश्वर साहू दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड से जुड़े थे।

श्री महेश्वर साहू ने एनआईटी, राउरकेला से वर्ष 1977 में इलेक्ट्रिकल में बी.एससी. (इंजी) की है एवं वर्ष 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एम.एससी. की। सन् 1980 में भारतीय प्रशासन सेवा (आईएएस) से जुड़े। वर्ष 2014 में अपर मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के रूप में सेवा निवृत्त होने से पूर्व तीन दशकों से भी अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में इन्होंने भारत सरकार एवं गुजरात सरकार की सेवा की है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से उद्योग में एवं 10 वर्षों से भी अधिक समय से पीएसयू प्रबंधन की सक्रिय सेवा से जुड़े रहे हैं। युनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्षों से अधिक समय के लिए कार्य किया। गुजरात की विभिन्न सक्रिय गतिविधियों के आयोजन में प्रेरणा के स्रोत रहे थे।

कई सीपीएसई में इन्होंने निदेशक के रूप में सेवा दी है। कई राज्य पीएसयू में अध्यक्ष/निदेशक भी थे। रणनीतिक प्रबंधन, लोक प्रशासन, निगमित अभिशासन आदि इनके विशिष्ट क्षेत्रों में आते थे। श्री साहू वर्तमान में 6 से भी अधिक कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री एस.के. राय
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री एस.के. दास
कार्यपालक निदेशक
(परियोजना एवं तकनीकी)

श्री आर.के. मिश्रा
कार्यपालक निदेशक
(खान एवं परिशोधक)

श्री गौतम भट्टाचार्य
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एस.डी.साहू
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री एस. आचार्य
कार्यपालक निदेशक
(प्रद्रावक एवं विद्युत)

श्री ए.एस. अहलुवालिया
कार्यपालक निदेशक
(निगम मामले)

श्री के.एन. रवीन्द्र
कार्यपालक निदेशक-कंपनी सचिव

शीर्ष प्रबंधन

बाएं से दाएं: श्री वी बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन), श्री बी.के.ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन), श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त), डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री एन.आर.महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी), सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य) और श्री के.एन. रवीन्द्र,कार्यपालक निदेशक-कंपनी सचिव

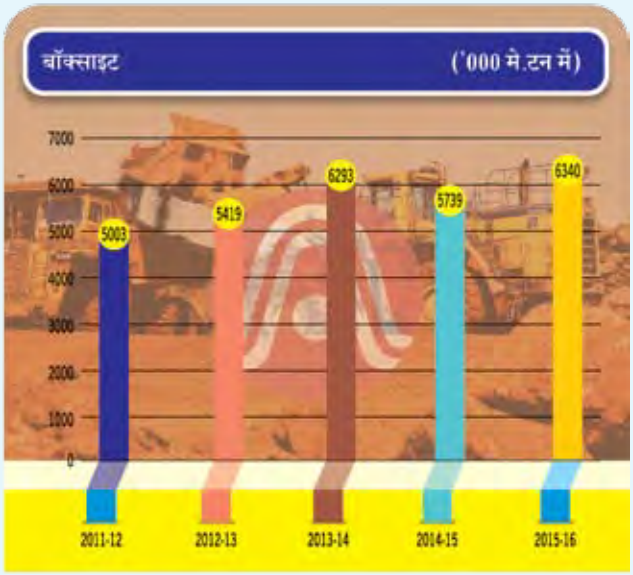
बॉक्साइट
('000 मे.टन में)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5003
5419
6293
5739
6340
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

एल्यूमिना हाइड्रेट
('000 मे.टन में)
2000
1500
1000
500
0
1687
1802
1925
1851
1953
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

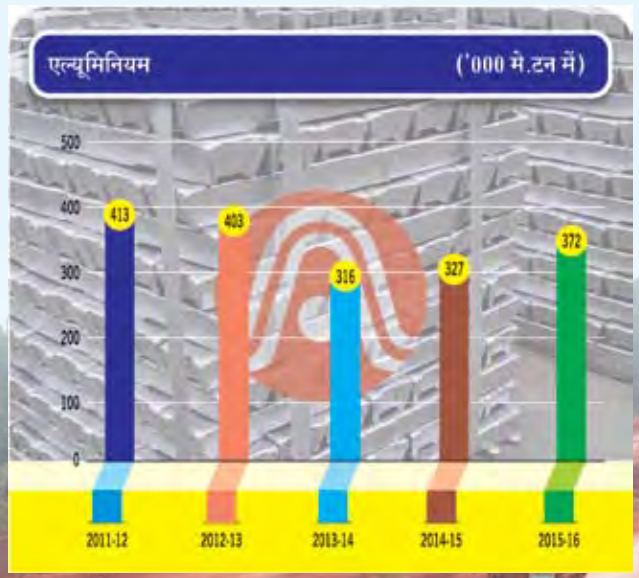
एल्यूमिनियम
('000 मे.टन में)
500
400
300
200
100
0
413
403
316
327
372
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

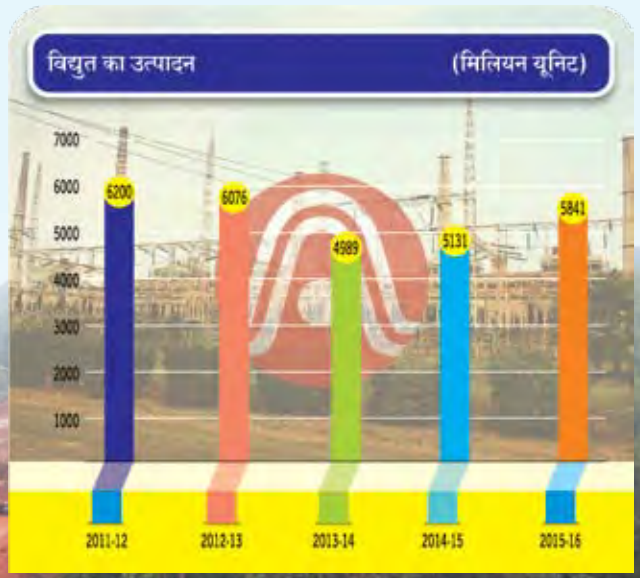
विद्युत का उत्पादन
(मिलियन यूनिट)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
6200
6076
4989
5131
5841
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाजार की मंद परिस्थितियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जो नीचे विस्तार से वर्णित हैं:

कार्य-निष्पादन के मुख्य अंश

भौतिक कार्य निष्पादन

- खान ने पिछले वर्ष के दौरान हासिल 57.42 लाख टन की तुलना में 63.4 लाख मे.टन का सर्वोच्च बॉक्साइट परिवहन हासिल करते हुए 10% की वृद्धि दर्ज की।
- एल्यूमिना रिफाइनरी ने पिछले वर्ष की 18.51 लाख मे.टन की तुलना में 19.53 लाख मे.टन का सर्वोच्च एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन हासिल करते हुए 6% की वृद्धि दर्ज की।
- एल्यूमिना रिफाइनरी में स्टीम जेनरेशन प्लांट (SGP) ने विगत वर्ष के 433 एमयू के पिछले कीर्तिमान से आगे बढ़ते हुए 438 मिलियन यूनिट (एमयू) के रूप में अब तक का सर्वोच्च बिजली उत्पादन हासिल किया।
- एल्यूमिनियम स्मेल्टर ने पिछले वर्ष की 3.27 लाख मे.टन की तुलना में कास्ट मेटल (धलवाँ धातु) के उत्पादन में 3.72 लाख मे.टन हासिल करते हुए 14% वृद्धि दर्ज की। स्मेल्टर ने विगत वर्ष के पिछले श्रेष्ठ कीर्तिमान 96,070 मे.टन को पार करते हुए 1.01 लाख मे.टन के साथ वायर रॉड में अब तक का सर्वोच्च उत्पादन हासिल किया। टी इनगॉट ने वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले श्रेष्ठ कीर्तिमान 39,803 मे.टन को पार करते हुए 48,636 मे.टन के साथ अब तक का सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त किया है।
- सीपीपी ने पिछले वर्ष की 5,131 मिलियन यूनिट की तुलना में 5,841 मिलियन यूनिट का 'शुद्ध बिजली उत्पादन' हासिल किया।
- पवन ऊर्जा (विण्ड पावर) का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादित 171 मि.यू. की तुलना में वर्ष के दौरान 156 मि.यू. था। ऊर्जा शून्यीकरण में प्रतिबंधों के कारण उत्पादन में कमी आई थी। इसी प्रकार, सौर्य ऊर्जा का उत्पादन पिछले वर्ष के 0.17 मि.यू. की तुलना में वर्ष के दौरान 0.19 मि.यू. था।

विक्रय निष्पादन

केमिकल (रसायन)

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान हासिल 12,24,643 मे.टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में कुल 12,19,926 मे.टन की रसायन बिक्री की। इसमें वर्ष 2015-16 के दौरान 11,74,224 मे.टन का कैल्सिनेड एल्यूमिना निर्यात शामिल है जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान 11,84,595 मे.टन का निर्यात किया गया था।

मेटल (धातु)

मेटल की कुल बिक्री वर्ष 2014-15 के दौरान 3,26,079 मे.टन की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान 3,72,424 मे.टन रहा। धातु की कुल बिक्री में, घरेलू बिक्री 2,77,753 मे.टन एवं निर्यात द्वारा बिक्री 94,671 मे.टन थी। घरेलू बिक्री में 1,01,444 मे.टन के वायर रॉड की बिक्री शामिल है जो कि वर्ष 2014-15 में हासिल पिछले श्रेष्ठ कीर्तिमान 96,070 मे.टन से आगे बढ़ते हुए वायर रॉड में अब तक की सर्वोच्च बिक्री दर्ज की।

2,77,753 मे.टन कुल घरेलू धातु विक्रय में, 1,87,081 मे.टन की बिक्री अनुगुल में

डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, नालको द्वारा रचित पुस्तक 'एल्यूमिनियम : दि स्ट्रैटिजिक मेटल' की प्रशंसा करते हुए भारत के माननीय प्रधानमन्त्री

प्रद्रावक संयंत्र से हुई थी एवं 90,672 मे.टन की बिक्री ग्यारह स्टॉकयार्ड यथा कोलकाता, बड्डी, जयपुर, फरीदाबाद, भिवंडी, सिल्वासा, बैंगलोर, चेन्नई, वाइजैग, वडोडरा और दिल्ली से प्रभावित हुई थी।

निर्यात आदेश हमारे पंजीकृत ग्राहकों के लिए ई-निविदा प्रणाली के जरिये बुक किए गए थे। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, ताईवान, बांग्लादेश, थाईलैण्ड, बहरीन, चीन, मिश्र, ईरान, इण्डोनेशिया, यू ए ई आदि समेत विभिन्न विदेशी गंतव्यों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एल्यूमिनियम मेटल और निस्तप्त एल्यूमिना को निर्यात किया।

प्रत्याशित ग्राहक पूछताछ के तत्पर प्रत्युत्तर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल/पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों के पंजीकरण हेतु वैश्विक आमंत्रण के लिए सूचनाओं के समयावधि प्रकाशन एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनार/प्रदर्शनियों के दौरान नए ग्राहको के साथ परस्पर वार्तालाप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की बिक्री हेतु नए ग्राहकों को रजिस्टर करने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। अतएव, कंपनी के उत्पादों के निर्यात के लिए ग्राहक आधार को बढ़ाने एवं नए विदेशी गंतव्यों की तलाश के प्रयास सतत जारी है।

वित्तीय निष्पादन

आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि बाजार की अत्यंत मंदी परिस्थितियों के बावजूद आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1322 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 731 करोड़ का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

वित्तीय परिणाम के सार		
विवरण	**2015-16**	**2014-15**
परिचालन से राजस्व (निवल)	6,816	7,383
अन्य आय	537	672
कुल आय	7,353	8,055
खपत सामग्री की लागत	1,104	1,031
विद्युत एवं ईंधन	1,865	1,802
कर्मचारी हित व्यय	1,361	1,378
अन्य व्यय	1,549	1,465
मूल्यह्रास एवं परिशोधक व्यय	424	414
कुल व्यय	6,303	6,090
असाधारण मदों से पूर्व लाभ	1,050	1,965
जोड़े.: आसाधारण मदें (आय)	53	148
कर पूर्व लाभ	1,103	2,113
कर व्यय	372	791
कर पश्चात लाभ	731	1,322

लाभांश एवं विनियोजन

आपके बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 0.75 प्रति शेयर के लाभांश (₹ 5 प्रति ईक्विटी शेयर पर 15%) और साथ ही मार्च 2016 में पहले से ही प्रदत्त ₹ 1.25

प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (₹ 5 प्रति ईक्विटी शेयर पर 25%) प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल लाभांश पिछले वर्ष के ₹ 451.02 करोड़ की तुलना में ₹ 515.45 करोड़ रहा है। वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन के उपरांत अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

साधारण आरक्षित निधि में किसी भी राशि के अंतरण का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। विनियोग के बाद लाभ एवं हानि खाता में ₹ 114.50 करोड़ की शेष राशि लाभ एवं हानि खाता में रखे रहने का प्रस्ताव दिया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश डीपीई अनुदेशों के अनुसार घोषित किया गया था।

एमओयू (समझौता ज्ञापन) निष्पादन

वित्तीय निष्पादन एवं निर्देशित अन्य मानदंडों की उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार के साथ आपकी कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) के अनुसार संभवतः ''उत्कृष्ट'' दर्जा दिया जाएगा।

कच्चे माल का प्रतिभूतीकरण

- साउथ ब्लॉक एवं सेन्ट्रल और नार्थ माइनिंग (खनन) लीज दोनों ही राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 तक बढ़ा दिए गए थे जो कि विस्तारण शर्ताधीन परिचालित की जा रही थी एवं बॉक्साइट के निर्दिष्ट ग्रेड पर आईबीएम अनुदेश वर्ष के दौरान कार्यान्वित हुआ था।
- पोट्टांगी बॉक्साइट खान में लगभग 80 मिलियन टन रिजर्व एवं उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोयला ब्लॉक में लगभग 200 मिलियन टन कोयला रिजर्व के आवंटन के कारण आपकी कंपनी खनन परिसंपत्तियों का बेहतर प्रतिभूतीकरण हासिल कर सकती है।

नई पहल

व्यापार विकास

- राजस्थान और महाराष्ट्र में क्रमशः 50 मे.वा. एवं 50.4 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जनवरी, 2016 में ऑडर दिये गए हैं।
- गुजरात के दहेज में 100 मे.वा. के कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कास्टिक सोड़ा प्लांट की स्थापना के लिए दिनांक 04.12.2015 को जीएसीएल के साथ एक जेवी (संयुक्त उद्यम) कंपनी का गठन किया गया था।
- कंपनी ने मध्य प्रदेश में 20 मे.वा. का सौर ऊर्जा प्लांट एवं भारत के उपर्युक्त स्थानों में प्रत्येक 50 मे.वा. के सौर एवं पवन ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने की योजना बनायी है।
- कंपनी ने व्यावसायिक सहयोग एवं सहकार्यता के लिए ईरान की राज्य स्वामित्व वाली कंपनी इरानियन माइन्स एण्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एण्ड रेनोवेशन ऑर्गनाईजेशन (IMIDRO) के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) दिनांक 23.05.2016 को हस्ताक्षर किया है।

अनुसंधान एवं विकास

- एल्यूमिनियम पेशिनी (रियो रिंटो अल्कान) के साथ जुलाई 2015 में अनुसंधान एवं विकास परिचालन अनुबंध किया गया था एवं पॉट में बिजली की खपत को कम

नई दिल्ली में खनिज एवं धातु उद्योग संघ की माननीय खान मंत्रालय से मुलाकात

करने के लिए प्रथम परियोजना के तौर पर एपी2एक्सएन प्रौद्योगिकी को विकसित करने की पहल की गई।

- रेड मड (लाल मिट्टी) से लौह संचय को पृथक करने एवं बेएर लिकर से गैलियम के निष्कर्षण हेतु चालाइको, चीन के साथ दिसंबर, 2015 के साथ एक अनुसंधान एवं विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था।
- बेएर लिकर से गैलियम को प्राप्त करने, रेड मड एवं आपसी रूचि के अन्य क्षेत्रों से दुर्लभ मिट्टी (रेयर अर्थ) के निष्कर्षण के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई के साथ दिनांक 10.05.2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।

- मेसर्स ईसाव्यास टेक्नोलॉजी प्रा.लि., हैदराबाद की सहयोगिता में स्मेल्टर प्लांट, अंगुल में एक नैनो आधारित डिफ्लुओराइडेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है।
- रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान, एक पेटेन्ट प्राप्त किया गया है एवं 1 पेटेन्ट दायर किया गया है। अभी तक आपकी कंपनी ने 27 पेटेन्ट दायर किया है, 9 पेटेन्ट मंजूर हुए हैं एवं 5 अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाएँ वाणिज्यीकृत हुई हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

अजा/अजजा आरक्षण पर राष्ट्रपति के अनुदेश

विभिन्न संवर्गों के आरक्षण एवं रियारतों के मसले में कंपनी ने राष्ट्रपति के अनुदेशों एवं अन्य सरकारी अनुदेशों और सांविधिक प्रावधानों का नियमनिष्ठा के साथ पालन किया है।

31.03.2016 को यथा - कंपनी ने 7100 कर्मचारियों (प्रशिक्षुओं समेत) में से, 1162 (16.37%) अजा, 1286 (18.11%) अजजा, 783 (11.03%) अपिव एवं 83 (1.17%) विसक्षम व्यक्ति थे। संगठन में महिला कर्मचारियों की कुल सं. 355 है। कंपनी का हर तीसरा कर्मचारी अजा या अजजा संवर्ग का है।

औद्योगिक संबंध

इस वर्ष कंपनी की उत्कृष्ट औद्योगिक संबंध की स्थितियाँ जारी रही जिससे रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने में मदद मिली हैं। वर्ष के दौरान कार्य संस्कृति एवं अनुशासन में काफी सुधार आया। निचले स्तर से सर्वोच्च स्तर तक भागीदारीमूलक प्रबंधन की नीति, कंपनी की प्रमुख औद्योगिक संबंधी नीति बनी रही है।

एसए 8000:2008

समुचित कार्य स्थल के सृजन एवं इसे बनाए रखने हेतु आपकी कंपनी ने एसए 8000:2008 मानको के कार्यान्वयन को जारी रखा है। इसके अलावा, कंपनी एसए मानक को 2008 संस्करण से 2014 (नए) संस्करण में उन्नयन करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

निगमित कार्यालय समेत सभी ईकाइयों को उक्त तारीख तक के अनुसार एसए 8000 स्टैंडर्ड से पुनः प्रमाणीकृत किया गया है एवं नियत तिथि को प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया जाएगा।

मानव संसाधन लेखा परीक्षा

एचआर (मानव संसाधन) नीतियों, प्रणालियों एवं कार्य प्रक्रियाओं के विषय में मानव संसाधन विभाग की कार्यकारिता एवं कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु, आपकी कंपनी ने प्रथम चरण में निगमित कार्यालय में एचआर लेखा परीक्षा का संचालन किया एवं अन्य इकाइयों में भी संचालन किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कंपनीज अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार ₹ 26.24 करोड़ के आवंटन के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 27.17 करोड़ इस पर व्यय किया है।

जिला प्रशासन के प्रस्ताव, सीधे कंपनी द्वारा या नालको फाउंडेशन के जरिये निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदरूनी आकलन एवं पणधारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सीएसआर परियोजनाएँ निर्दिष्ट की गई हैं।

शिक्षा, दक्षता विकास, स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल प्रदान, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय उपायों एवं ग्रामीण विकास जैसी परियोजनाओं पर बल दिया गया है।

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान उठाए गए कतिपय उल्लेखनीय पहल ये हैं:

- आदिवासी बहुल क्षेत्रों से 655 बच्चों की शिक्षा के लिए प्रायोजन को जारी रखना।
- वोकहार्ट फाउंडेशन के जरिए खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में 4 मोबाइल मेडिकल वैन एवं लायन्स क्लब के जरिए प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में 3 मोबाइल मेडिकल वैन और विशेष रूप से ओपीडी प्रयोजन के लिए एक वैन के परिचालन को जारी रखना।
- बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत निर्धन और प्रतिभान छात्राओं के अध्ययन को जारी रखने के लिए, कक्षा-VIII से कक्षा-X की 82 छात्राओं (खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी से 50 एवं प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अंगुल से 32) को

ओड़िशा के माननीय मुख्यमन्त्री नालको की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए

''नालको र अलियाली झिअ'' (नालको की लाडली) योजना के अंतर्गत उनके वस्त्र एवं अध्ययन सामग्री के व्यय के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया था।

- पुरी में नवकलेवर 2015 के दौरान 10 लाख पेय जल पाउच एवं 250 अदद अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई।
- स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े एवं इसकी सफलता के लिए पूर्ण कार्यबद्ध हैं।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने निर्धारित समय सीमा में 202 एमएचआरडी आंवटित विद्यालयों में 354 शौचालयों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। एमएचआरडी आवंटित 354 शौचालयों के अनावा, नालको ने ओड़िशा के दामनजोडी एवं अंगुल और आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम के निकटवर्ती ग्रामीण विद्यालयों में 79 और शौचालयों का भी निर्माण किया है।

अनुरूप सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट **परिशिष्ट-I** में संलग्न की गई है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 15 अगस्त, 2016 को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में, आपकी कंपनी ने निगमित कार्यालय एवं इकाई कार्यालयों में अंशदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

संसदीय समितियों का दौरा

रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित संसदीय समितियों ने आपकी कंपनी का दौरा किया:

- 7 से 10 जून, 2015 के बीच अजा/अजजा के कल्याण पर संसदीय समिति।
- 25 अक्तूबर, 2015 को सब-ऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन, राज्य सभा पर समिति।
- 20 जनवरी, 2016 को कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति ने कोलकाता का दौरा किया।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुरूप प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-V में संलग्न की जाती है।

इस रिपोर्ट में यो भी सम्मिलित है:

(क) आगामी व्यावसायिक विकास के लिए की गई विभिन्न पहल।

(ख) जोखिम प्रबंधन पहलुओं का विवरण, वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के विषय में विवरण।

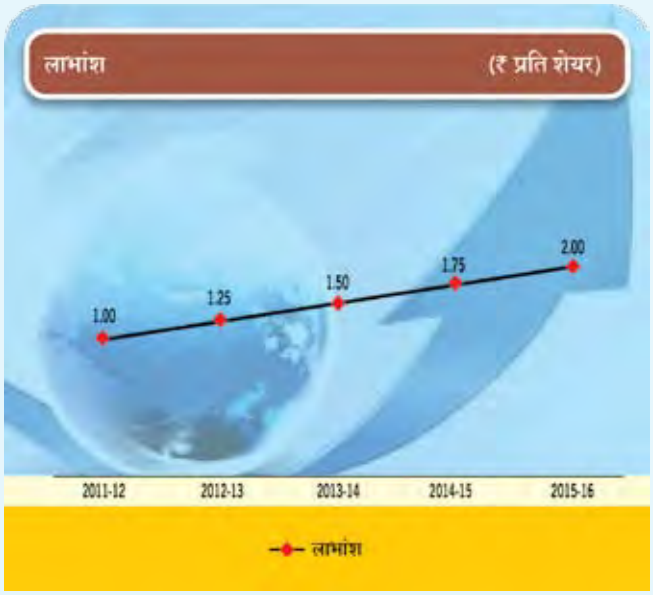

(ग) आपकी कंपनी की विभिन्न इकाईयों में पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गई विभिन्न पहल।

कम्पूटरीकरण से जुड़ी गतिविधियाँ

आपकी कंपनी ने अपनी दैनिक कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकासों का यथा उपयुक्त उपयोग करते हुए इसका फायदा लेने के प्रयासों को जारी रखा है। इस दिशा में, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:

अपने सभी आँकड़ों और अनुप्रयोगों यथा प्रोक्योरमेंट, सामान सूची प्रबंधन, वित्त एवं लेखांकन, विपणन एवं विक्रय और मानव संसाधन प्रबंधन को एसएसी प्लेटफॉर्म पर केंद्रीकृत करने के उपरांत, कंपनी ने शेष अनुपयोगों को मुख्यतया पारंपरिक परिवेश में कर्मचारी व्यवस्था में केंद्रीकृत किया गया है। इससे पूरे उद्यम में, समरूप व्यावसायिक तर्क सुनिश्चित हो पाया है। इसके अलावा, निर्णय समर्थन यंत्र के रूप में विश्लेषण पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।

डिजिटल (अंकीय) कागजात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु तैयारी कदम के रूप में विभिन्न विभिन्न कार्यालयों एवं इकाइयों में कागजातों एवं अभिलेखों का अंकीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है।

आईटी के पृष्ठाधारित नेटवर्क में 10 जीबीपीएस आधार के विशाल स्तर तक एवं 1 जीबीपीएस एक्सेस टेक्नोलॉजी एवं एडवान्सड राउटिंग, सिक्यूस्टिरिंग एवं क्रीइंग टेक्नोलॉजी के साथ भारी परिवर्तन लाया गया है। जिससे पूरे नेटवर्क में सुरक्षता एवं तीव्रता आ पाई है। कंप्यूटर आनुषंगिक सुविधाओं जिनका जीवनकाल खत्म होने पर है, उनको बदलने का कार्य प्रक्रियाधीन है, ताकि इन्हें नवीन एवं मापनीय टेक्नोलॉजी से बदला जा सके। स्वामित्व वाले आधार के स्थान पर मानक आधार के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है एवं सर्वरों में वास्तवीकरण के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि वास्तवीकृत सर्वर व्यवस्था के लचीलेपन का उत्तोलन किया जा सके। सभी अनुप्रयोगों और सर्वरों में आपदा बहाली व्याप्ति को विस्तारित किया जा रहा है। कार्यकारिता में उच्चतर लचीचापन लाने हेतु वायरलेस कनेक्टिविटी का विस्तृत कवरेज प्रदान करने लिए योजनाएँ सक्रिय हैं।

कंपनी ने एक कन्सल्टेट को नियुक्त करते हुए अपने आईटी ढांचे एवं पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाये है, ताकि आईटी पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन एवं उचित आईटी सुरक्षा नीति के प्रस्तुतीकरण एवं एक कारगर सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा बन सके जो आईएसओ 27001 प्रमाणन दिला सके। कंपनी के साथ डिजिटल माध्यम से लेनदेन करने वालों के लिए यह आश्वासन का आधार होगा।

हमारी वर्तमान गतिविधियों में, दस्तावेजो के स्टोरेज के लिए डिजिटल कार्यालय एवं पुनः प्रापणयोग्य और साथ ही स्वचालित कार्य प्रवाह, संगठन के लोगों एवं जनसाधारण के लिए एक सामाजिक प्लेटफॉर्म की स्थापना का मार्ग-मानचित्र का सृजन शामिल है। ज्ञान प्रबंधन भी एक प्रमुख कार्यक्षेत्र होगा। ई-अभिशासन प्रक्रिया में कर्मचारियों को संगठन के अंदर की सेवाएँ एवं सार्वजनिक लोगों के लिए नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। बिक्रेताओं के लिए बिल पर निगाह रखने की सुविधाएँ एवं ग्राहकों के लिए सामग्री जाँच सेवाएँ प्रदान करना भी प्रक्रिया में हैं।

संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

बिजनेस एक्सेलेंस (व्यवसाय उत्कर्षता) पहल

यूरोपियन फॉउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) के बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल 2013 के अनुरूप बिजनेस एक्सीलेंस (बीई) संगठन में प्रारंभ किया गया एवं निगमित कार्यालय में अनुमोदित एप्रोच प्लान के आधार पर एल्यूमिना रिफाइनरी में जुलाई, 2015 से इसके कार्यान्वयन प्रक्रिया चालू की गई।

सीआईआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र आकलनकर्ताओं द्वारा इसका सफल आकलन 14 एवं 15 अक्तूबर, 15 को किया गया। बाहरी आकलनकर्ताओं की सिफारिशों एवं अवॉर्ड कमिटी की समीक्षा के आधार पर एल्यूमिना रिफाइनरी को 'परिचालन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रोसेस इंडस्ट्री श्रेणी में अग्रेता के रूप में बीई स्टार सम्मान' का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली मानकों अर्थात आईएसओ 9001, आईएसओ 14000 एवं ओएचएसएएस 180001 के लिए सभी इकाइयों एवं कार्यालयों में पुनःप्रमाणन लेखा परीक्षाएँ एवं समायावधि सर्वेक्षण लेखापरीक्षाएँ सफलतापूर्वक संचालित की गई थी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त तीन प्रबंधन प्रणालियों में सम्मिलित सभी इकाई एवं कार्यालय वैध प्रमाणन की स्थिति के साथ कार्य परिचालन कर रहे हैं।

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान, परफॉर्म, अचीव एवं टारगेट (पीएटी) के दायरे में शामिल सभी तीनों इकाई अर्थात् सीपीपी, स्मेल्टर एवं एल्यूमिना रिफाइनरी आईएसओ 50001 के लिए निर्धारित पुनः प्रमाणन एवं समयावधि सर्वेक्षण लेखा परीक्षाओं में सफल रही। इस प्रक्रिया में, ग्र.वि.सं. आईएसओ 50001 से पुनः प्रमाणीकृत हुई है। इसके फलस्वरूप, दिनांक 31.03.2016 की तिथि के अनुसार सभी तीनों इकाइयाँ वैध आईएसओ 50001 प्रमाणपत्र के साथ कार्य परिचालन कर रही है।

परफॉर्म (प्रदर्शन), अचीव (हासिल) एवं टारगेट (लक्ष्य) (पीएटी) चक्र-I

वर्ष के दौरान, निर्दिष्ट ग्राहकों (डीसी) अर्थात् प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल एवं खान एवं परिशोधन संकुल ने निर्धारित लक्ष्य हासिल किया है। एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स ने 5.199 टीओई/टी की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) के मुकाबले 5.109 टीओई/टी का प्रसामान्यीकरण घटक हासिल किया। खान एवं परिशोधन संकुल ने 0.307 टीओई/टी के एसईसी लक्ष्य के मुकाबले 0.306 टीओई/टी का प्रसामान्यीकरण घटक हासिल किया।

गुणवत्ता मण्डल एवं काइजेन्स

गुणवत्ता एवं काइजेन्स को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना में सुधार लाने की कार्य प्रक्रिया वर्ष के दौरान की गई, जिससे गुणवत्ता मण्डल एवं काइजेन कार्यों में निम्नानुसार उन्नति परिलक्षित हुई:

i. संगठन की विभिन्न इकाइयों से वर्ष के दौरान 38 गुणवत्ता मण्डल ने कुल 50 गु.म. परियोजनाएँ पूरी की।

अनुगुल, ओड़िशा में नालको के प्रद्रावक का आकाशीय दृश्य

ii. नालको की विभिन्न इकाइयों से 14 गुणवत्ता मण्डल को चेन्नई में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित नेशनल क्वालिटी सर्कल कॉन्वेन्शन मनोनीत किया गया। पाँच गुणवत्ता मण्डलों को सर्वोच्च कैटेगरी अर्थात् ''पार एक्सीलेंस'' में रखा गया था।

iii. इसी क्रम में 22 एवं 23 अप्रैल, 2015 को भुवनेश्वर में बीसवीं बार नालको द्वारा अखिल ओड़िशा क्वालिटी सर्कल कॉन्वेन्शन का आयोजन किया गया था।

iv. वर्ष के दौरान 145 काइजेन पूर्ण किए गए थे।

5एस कार्यान्वयन

कार्य स्थल प्रबंधन प्रणाली अर्थात् व्यापक रूप से स्वीकृत 5एस सिस्टम एल्यूमिना रिफाइनरी, खान, प्रद्रावक एवं ग्र.वि.सं. में चालू की गई थी, ताकि कुछ मॉडल क्षेत्र विकसित किए जा सके। स्मेल्टर एवं एल्यूमिना रिफाइनरी ने उनके लिए निर्दिष्ट मॉडल क्षेत्र में 1एस और 2एस चरणों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, जबकि परामर्शदाताओं द्वारा आयोजित गुणवत्ता सहायता सत्रों के जरिए सीपीपी और खान ने 1एस एवं 2एस शुरू की है।

राजभाषा नीति का कार्यान्यवन

आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के प्रचार एवं कार्यान्यवन में अपने प्रयासों को जारी रखा है। वर्ष के दौरान विभिन्न पहल की गईः

- हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी दिवस का पालन निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में किया गया। इन अवसरों पर हिंदी भाषी कर्मचारियों एवं हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए पृथक रूप से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- अनुगुल और भुवनेश्वर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।
- उप निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्व क्षेत्र, राजभाषा विभाग, भारत सरकार की संकाय सहायता से प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में नवंबर 2015 के दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें 38 कर्मचारियों और अधिकारियों ने, न.रा.का.स., अनुगुल के सदस्य कार्यालयों से हिस्सा लिया था।
- निगमित कार्यालय, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल एवं खान एवं परिशोधन संकुल में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का चलाया गया एवं हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखनेवाले कर्मचारियों को भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया गया एवं परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन एवं नकद पुरस्कार नियमानुसार प्रदान किए गए।
- कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com को द्विभाषी बनाया गया है एवं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. ढेंकानाल, प्रसार भारती, दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर, ओरियंटल इन्श्योरेंस कं. लि., कटक एवं बीएसएनएल, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में ''कम्प्यूटर और मोबाइल फोन में हिंदी में यूनिकोड और नवीन तकनीकी सुविधाएँ'' विषय पर कंपनी द्वारा संकाय सहायता प्रदान की गई।

खेलकूद

आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके व्यक्तियों को उत्कल दिवस समारोह के अवसर पर अभिनंदन करते हुए उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के अलावा, इस क्षेत्र में खेलकूद प्रचार के अपने प्रयासों को जारी रखा है।

खेलकूद के प्रचार स्वरूप, आपकी कंपनी ने नालको कप स्टेट हॉकी चैम्पियनशिप एवं नालको कप स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का प्रायोजन किया।

देशभक्ति से सराबोर

आपकी कंपनी ने डबलिन में आयोजित वाको वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए एवं ब्लाइंड वुमन्स क्रिकेट टूर्नामेंट आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया।

आपकी कंपनी ने 'आई फॉर इंडिया' नारा के साथ 24 जनवरी, 2016 को जनता मैदान से कलिंग स्टेडियम तक 5 कि.मी. की इंडिया मिनी मैराथन का आयोजन किया। यह आयोजन काफी सफल रहा था, 16 हजार से अधिक प्रतिभागियों एवं 100 संगठनों और संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया। आज की तारीख में इसे देश में आयोजित मिनी मैराथन में से एक वृहत्तम माना जाता है।

सतर्कता

आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं परिचालन तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कार्य-प्रणालियों में प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर आपकी कंपनी ने ई-निविदा प्रणाली, ई-भुगतान, ई-नीलामी आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को कार्यान्वित किया हैं। विभाग की रोकथाम प्रकृति की सतर्कता गतिविधियों जैसे कि अकस्मात पड़ताल, नमूनों की जाँच, नियमित निरीक्षण, सीटीई जैसे व्यापक परीक्षणों आदि पर ज्यादा महत्व दिया गया है एवं कमियों के बारे में प्रबंधन को बताया गया है ताकि इनमें सुधार लाया जा सके। कंपनी में स्थापित सतर्कता कार्यप्रणाली निम्नवर्णित अनुसार है:

- नालको के पास सुप्रतिष्ठित सतर्कता संगठन है जिसके प्रधान यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा की गई है। सीवीओ के सहयोग के लिए अन्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ के परामर्श एवं अनुरूपता में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुने जाते हैं। नालको ने तीन स्थानों अर्थात निगमित कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं खान एवं परिशोधन, दामनजोड़ी में सतर्कता विभागों की स्थापना की है।
- सतर्कता की प्रकृति साधारण रूप से रोकथाम, दण्डात्मक, पर्यवेक्षण एवं जाँच सदृश्य हैं।

  सतर्कता विभाग की कार्यप्रणालियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है;
  - जाँच-पड़लात से जुड़ी शिकायतें
  - संवेदनशील क्षेत्रों में अकस्मात जाँच
  - संविदा/क्रय/विक्रय फाइल एवं आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अध्ययन जो कि सतर्कता मामलों के लिए सूचना पाने का एक अच्छा स्रोत है।
  - कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाने से संबंधित राय
  - सीवीसी परिपत्र/अनुदेशों का प्रचार
  - विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति प्रदान करना जैसे कि पासपोर्ट, पदोन्नति, पदत्याग/सेवानिवृति/ऐच्छिक सेवा निवृत्ति, अवॉर्ड प्राप्ति, विदेशी जिम्मेदारी, बोर्ड स्तर पर अधिकारियों की प्रति नियुक्ति एवं नियुक्ति आदि पर एनओसी।
  - संपत्ति रिटर्न की जाँच-परख
  - संवेदनशील पदों में अधिकारियों के क्रमावर्तन पर राय
  - सतर्कता विषयों एवं अनुशासनिक कार्य-प्रक्रियाओं पर अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को सलाह-मशविरा
  - सीबीआई आदि के साथ संपर्क

स्वच्छ भारत अभियान

  - इंटिग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन
  - रोकथाम संबंधी सतर्कता कार्यप्रणाली के अंश के तौर पर कर्मचारियों एवं साधारण जनता में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

- सीवीओ के कार्यक्षेत्र में शामिल है:
  - सीएमडी के साथ संरचित समीक्षा बैठकों के आयोजन के अलावा सीवीसी एवं सीबीआई के साथ बेहतर संपर्क व्यवस्था
  - विभिन्न रिर्टन/रिपोर्ट मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई के पास जमा करना
  - आई.पी. (इंटिग्रिटी पैक्ट) के लिए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स (आईईएम) के चयन में सीवीसी को सहयोग
  - विभिन्न भ्रष्टाचार रोधी नीतियों/उपायों को तैयार करने/अद्यतन करने में प्रबंधन को सहयोग देना।

व्हिशल ब्लोअर नीति

व्हिशल ब्लोअर पॉलिसी का उद्देश्य है कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो प्रबंधकीय कार्मिक के कार्य के विरुद्ध एक दायित्वशील एवं सुरति सचेतक का कार्य करें। कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के विषय में कर्मचारी हित की सुरक्षा करता है। नालको एक सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण यह भारत सरकार द्वारा गठित व्हिशल ब्लोअर नीति द्वारा संचालित है।

व्हिशल ब्लॅअर पॉलिसी का विवरण नालको वेबसाइट पर उपलब्ध है।

धोखेधड़ी की सूचना देना

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षकों द्वारा धोखेधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति (फ्रॉड प्रिवेंशन पॉलिसी) है इसे वेबसाइट www.nalcoindia.com पर रखा गया है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता एवं दायित्वशीलता के प्रचार के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप आपकी कंपनी में एक उपयुक्त कार्यप्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपकी कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए अपने निगमित कार्यालय, ईकाइयों एवं शाखा कार्यालयों में सीपीआईओ/एपीआईओ/अपीलेट प्राधिकारियों को नामित किया है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण एवं सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आपकी कंपनी के ईक्विटी शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनके पूरे देश में ट्रेडिंग केंद्र है, में सूचीबद्धता जारी है। इन स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 के लिए सूचीकरण शुल्क समय पर चुकाया गया था। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षित निर्धारित समय के अंदर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों के साथ नए सूचीकरण अनुबंधों पर निष्पादन किया है जो 01.12.2015 से प्रभावी हुए हैं।

शेयरों की पुनःखरीद

आप जानते हैं कि निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों ने अनुमोदन के अधीन ₹5/- प्रत्येक के 64,43,09,628 ईक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की सिफारिश की थी जो कि कंपनी के पेड-अप ईक्विटी शेयर पूंजी में ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 25% को प्रतिपादित करता है। कंपनी के शेयरधारकों ने दिनांक 14.07.2016 को पोस्टल बैलट के जरिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करते हुए इसे अनुमोदित किया था। ₹ 2834.96 करोड़ के एकीकृत मूल्य के लिए ₹ 44/- प्रति शेयर के मूल्य पर

पुनः खरीद प्रस्ताव, 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष जो कि बोर्ड के निर्णय पर 25.05.2016 की तारीख को नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण होने के कारण कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार पूर्ण पेडअप शेयर पूंजी एवं स्वतंत्र आरक्षित निधि के एकीकरण के 25% से अधिक नहीं होगा। सेबी ने कुछ अवलोकन के साथ मसौदा प्रस्ताव पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) के लिए दिनांक 22.08.2016 को अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। इसकी पूरी कार्य-प्रक्रिया सितंबर, 2016 के अंत तक पूरी कर दी जाएगी।

शेयरधारकों को सेवाएँ

कंपनी के पास निजी शेयर रजिस्ट्री है। आपकी कंपनी ने मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया है एवं इसी अनुसार, कंपनी के निजी शेयर रजिस्ट्री कार्यपरिचालन दिनांक 08.02.2016 कोआरटीए के पास स्थानांतरित कर दिए गए।

डिपॉजिटरियों के पास वार्षिक अभिरक्षक/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान

वर्ष 2015-16 के लिए, वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क एवं अभिरक्षक शुल्क/जारीकर्ता शुल्क मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपांजिटरी लि. एवं मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. दोनों को समय पर भुगतान कर दिया गया है।

लाभांश का भुगतान

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(च) की अनुरूपता में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अभिशासन के तहत कंपनी द्वारा लिए गए विभिन्न पहलों से वर्ष 2015-16 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट **परिशिष्ट-II** में संलग्न किया जाता है जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

संधारणीय विकास पर रिपोर्ट

वैश्विक रिपोर्टिंग पहल के नवीनतम अनुदेशों अर्थात, जीआरआई जी4 ढांचे के अनुसार संधारणीय पहलुओं एवं अंतिम एमओयू मूल्यांकन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए संधारणीय विकास रिपोर्ट का चौथा संस्करण तैयार किया गया था। इसे जीआरआई एम्सटर्डम द्वारा आकलित किया गया था एवं जीआरआई जी4 विषय सूची सूचकांक अभिप्रमाणन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनीज अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण की अर्हताओं के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-IV** में संलग्न किया गया है।

निदेशकों का दायित्वशील विवरण

आपके निदेशक कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) एवं 134(5) के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखे तैयार करते समय, भौतिक विचलनों के विषय में उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों का प्रयोग किया गया;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं नियमित रूप से लागू किया है और निर्णय एवं आकलन किए हैं कि ये यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की कार्यस्थिति एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं; और

ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, कंपनी द्वारा पालन किए जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए हैं और ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

च) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली अभिकल्पित की है एवं ये कार्य-प्रमाली पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से संचालित थी।

निगमित अभिशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34 एवं

वडोदरा में जीएसीएल - नालको अल्कलीज केमिकल्स के पंजीकृत कार्यालय का शुभारंभ

डीपीई अनुदेशों के अनुरूप निगमित अभिशासन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है एवं इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-V** में संलग्न की जाती है।

कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने निगम अभिशासन पर एक प्रमाणत्र जारी किया है, जो निगम अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

संबंधित पक्ष के साथ संविदाएँ एवं व्यवस्थाएँ

संबंधित पक्ष के लेनेदेन पर रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशकों ने वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 53 में सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें तीसरे पक्ष का प्रकटीकरण किया गया है।

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान दूरत्व आधार पर तीसरे पक्ष के साथ की गई संविदाओं का विवरण फॉर्म एओसी-2 में वर्णित है, जो कि इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-VI** में संलग्न किया गया है।

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को नियुक्त किया है:

- डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (27.07.2015 से प्रभावी)
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य)
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
- श्री बसंत कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) 04.07.2016 से प्रभावी
- श्री के.एन. रवीन्द्र, कार्यपालक निदेशक - कंपनी सचिव
- श्री अंशुमान दास , भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक - 30.04.2015 तक
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन) (30.06.2016 तक)

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वीधीनता की घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की ओर से कंपनी को एक घोषणा प्राप्त हुई है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) के अधीन निर्धारित अनुसार स्वाधीनता के मानदंडों को वे पूरा करते हैं।

निदेशक-मण्डल की बैठकें

वर्ष के दौरान नौ बोर्ड बैठकें आयोजित हुई। विवरण के लिए कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के निगमित अभिशासन (**परिशिष्ट-V**) में दी गई रिपोर्ट देखें।

बोर्ड की विभिन्न उप-समितियाँ

बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों, लेखा परीक्षा कमिटी, उनके गठन, संदर्भ शर्तें, आयोजित बैठकों के विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न) के सार

कंपनी के वार्षिक प्रतिफल के सार निर्धारित फॉर्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट VII** में संलग्न किया गया है।

सामान्य

आपके निदेशकों ने व्यक्त किया है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं हुआ था:

- अधिनियम के चैप्टर V के अंतर्गत सम्मिलित जमा राशि के बारे में विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या अन्यथा अन्तरीय अधिकारों के साथ ईक्विटी शेयरों को जारी किया जाना।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों, उद्यम ईक्विटी शेयर एवं ईएसओएस जारी किया जाना।
- कंपनी के न तो सीएमडी और न ही पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त होता है।
- नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं हुए जिससे भविष्य में चालू प्रतिष्ठान की स्थिति एवं कंपनी के भावी कार्य-परिचालन पर प्रभाव पड़े।

आपके निदेशकगण ये भी व्यक्त करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के विषय में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से निगमित मामले मंत्रालय द्वारा सरकारी कंपनियों के लिए विमुक्त हैं।

- धारा 134(3)(ड) एवं धारा 178(2), (3) एवं (4) के अनुसार योग्यता, विशेषता, स्वाधीनता आदि के निर्धारण हेतु मानदंड समेत निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति।
- कंपनीज (लेखा) नियमों के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(त) के अनुसार बोर्ड इसकी समितियों एवं व्यक्तिगण निदेशकों के कार्यनिष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तौर-तरीके।
- कंपनीज (प्रबंधनीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमों के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार कर्मचारियों के माध्यिक पारिश्रमिक साथ प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013

आपके निदेशको ने आगे व्यक्त किया है कि कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण

ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण, वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रदत्त वित्तीय विवरण को क्रमशः टिप्पणी सं. 11,12, 13, 14, 18 एवं 19 के हिस्से हैं।

संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों के विषय में विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदत्त वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 36 के हिस्से हैं।

फॉर्म एओसी-1 में संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों की प्रमुख विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग हैं।

दैनिक भास्कर ग्रुप की ओर से सीएसआर के लिए इंडिया प्राइड अवॉर्ड

पुरस्कार एवं सम्मान

यहाँ नीचे वर्णित विभिन्न पुरस्कार और सम्मान, रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए अच्छे कार्य का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं:

1. वर्ष 2013-14 के दौरान अपने असाधारण निर्यात निष्पादन के लिए, वृहत उद्यमों की श्रेणी में निर्यातक के रूप में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल, पूर्वी क्षेत्र (ईईपीसी) की गोल्ड ट्रॉफी।
2. वर्ष 1988 से लगातर संसाधित ऊर्जा श्रेणी में अपने असाधारण निर्यात निष्पादन के लिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केमिकल एण्ड अलाएड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (कैपेक्सिल) का उच्चतम निर्यात पुरस्कार।
3. खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी को वर्ष 2015 के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में इसके प्रयासों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया।
4. पंचपटमाली बॉक्साइट खान को प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं स्वस्थ पर्यावरणीय अभ्यासों के लिए ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) द्वारा शुरू किया गया प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार, 2015 से सम्मानित किया गया।
5. नालको की एल्यूमिना रिफाइनरी ने ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन, 2015 में 'स्वर्ण' श्रेणी के तहत् कलिंग सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया।
6. कोरापुट जिले के 655 आदिवासी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के प्रयास के लिए, नालको ने प्राथमिक शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत ओटीवी सीएसआर पुरस्कार, 2015 प्राप्त किया।
7. भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (आईआईआईई) द्वारा शुरू किया गया कार्य निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार।
8. नालको की एल्यूमिना रिफाइनरी ने ''प्रचालन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए संसाधित उद्योगों में अग्रणी'' के रूप में सीआईआई का गौरवमय बिजनेस एक्सीलेंस स्टार रेकॉग्निशन अवॉर्ड प्राप्त किया।
9. नालको के कैप्टिव पावर प्लॉट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा से 'अग्रसक्रिय जलवायु परिवर्तन' के लिए सम्मानित किया गया।
10. भुवनेश्वर द्वारा आयोजित ओड़िशा एमएसएमई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह में श्रेष्ठ मदर प्लांट अवार्ड।
11. पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर क्षेत्र के तत्वावधान में 18 वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमई एवं एमसी) सप्ताह 2015-16 के समापन समारोह में वृक्षारोपण में प्रथम पुरस्कार और शीर्ष स्तरीय मृदा प्रबंधन में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।
12. पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने डीजीएमएस द्वारा आयोजित ओड़िशा धातुमय खान सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य एवं कल्याण में प्रथम पुरस्कार एवं प्रशिक्षण और समग्र निष्पादन में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।
13. ओड़िशा पर्यावरण सम्मेलन में हरित निगम पुरस्कार।

कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कंपनी के एकल सक्षम वित्तीय विवरणों पर सी एण्ड एजी से आपकी कंपनी को 'शून्य' टिप्पणी प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कंपनी के एकीकृत वित्तीय विवरणों पर उनके द्वारा संचालित अनुपूरक लेखा परीक्षा पर भी सी एण्ड एजी ने 'शून्य' टिप्पणी दी है। ये टिप्पणियाँ इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र संलग्न है।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स एबीपी एण्ड एसोसिएट्स और मेसर्स गुहा नन्दी एण्ड कं. आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। लेखापरीखकों की रिपोर्ट में व्यक्त अवलोकन स्व-व्याख्यात्मक हैं एवं इस लिए कोई अन्य टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लागत लेखापरीक्षक

लागत लेखापरीक्षा आदेशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू है। कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों एवं सभी अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार मेसर्स तन्मय एस प्रधान एण्ड कं. सम्बलपुर को वर्ष 2015-16 के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समयावधि में निगमित मामले मंत्रालय को अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी।

मेसर्स तन्मय एस. प्रधान एण्ड कं. को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भी लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 2014 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मेसर्स सरोज राय एण्ड एसोशिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। साचिविक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और साचिविक

7 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों में से एक

लेखापरीक्षकों की योग्यता टिप्पणियों पर प्रबंधन की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट VIII** में संलग्न हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त किया है:

मेसर्स तेज राज एण्ड पाल - निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए

मेसर्स एससीएम एण्ड एसोशिएट्स - प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के लिए

मेसर्स जी.आर. कुमार एण्ड कं. - खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और पोर्ट फेसिलिटीज, विशाखापटनम के लिए

मेसर्स पी. अगरवाल एण्ड एसोशिएट्स - उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए

मेसर्स डीपीएसवी एण्ड एसोशिएट्स - पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए

मेसर्स कुम्भत एण्ड कं. - दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए

मेसर्स डी एस शुक्ला एण्ड कं - पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के लिए

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्ति

- सर्वश्री दीपंकर महंत, एस शंकररमण, प्रभात केशरी नायक, प्रो. दामोदर आचार्य एवं महेश्वर साहू 21.11.2015 से अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किए गए।
- श्री निकुंज बिहारी धल, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को 23.12.2015 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री बी.के. ठाकुर को 04.07.2016 से कंपनी का निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया।

कार्यकाल समाप्ति

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 23.12.2015 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नहीं रहे।
- श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन) 30.06.2016 को सेवा-निवृत्त हुए।

आपके निदेशकगण डॉ. निरंजन कुमार सिंह और श्री एस.सी. पाढी का आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में उनके कार्यकाल के दौरान दी गई अमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा लिपिबद्ध करना चाहते हैं।

आभार

निदेशक मंडल पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार विशेष कर खान मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओड़िशा सरकार, महानदी कोलफील्ड्स लि., भारतीय रेल, अन्य सरकारी एजेंसियों एवं केन्द्रीय लोक उद्यमों के सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, साचिविक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, बैंकर और सं.उ. साझेदारों, व्यवसाय सहायकों को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदशकगण मूल्यवान एवं सम्मानित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं, प्रतिवक्ताओं को उनके समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करते है और आनेवाले वर्षों में भी उनके साथ इसी प्रकार के पारस्परिक व्यवसाय सहयोग की कामना करते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर आपकी कंपनी को कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों तथा ट्रेड यूनियनों एवं अधिकारी संघों से प्राप्त सक्रिय सहयोग एवं समर्थन के कारण ही सफलता हासिल हुई है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 27.08.2016

नालको फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की प्रमुख धारा में लाए सुविधाओं सं वंचित बच्चों से वार्तालाप करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशकगण

सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट: 2015-16

परिशिष्ट-I

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा सहित निष्पादित की जानेवाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का परिदृश्य और सीएसआर नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम के वेब-लिंक का संदर्भ।

नालको, 'सर्वे भवन्तु सुखिन' भावना पर चलते हुए एक सामाजिक उत्तरदायी व्यवसाय उद्यम के रूप में अपने स्टेकहोल्डरों यानी पणधारियों, अपने संयंत्रों और प्रचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में सतत विकाम हासिल करने के अपने लक्ष्य पर प्रयत्नशील रहा है। सीएसआर एवं पर्यावरण सुरक्षा पर इसकी सुदृढ़ एवं नीतिपरक नीतियों के कार्यान्वयन से कंपनी उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के पथ पर बढ़ती रही है।

कंपनी वर्ष 2011-12 से सीएसआर कार्यकलापों पर अपने निवल लाभ का 2% आबंटित कर रही है एवं वर्ष 2014-15 से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अधीन निर्देशित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत निवल लाभ का 2% व्यय कर रही है। इसके सीएसआर पक्षों की आवश्यकता के आकलन एवं स्थानीय लोगों और इनके प्रतिनिधियों द्वारा की गई आवश्यकता परिकल्पना के अनुसार ये कार्यकलाप किए जाते हैं।

कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं आर्थिक स्थिति एवं सामुदायिक देखभाल में उन्नयन, ढांचागत सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहन, खेल-कूद, कला, शिल्प और संस्कृति आदि को बढ़ावा, जो इसके आर्थिक कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न नकारात्मक एवं सामाजिक पर्यावरण प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं एवं कंपनी की एक जिम्मेदार सार्वजनिक छवि को प्रतिष्ठित करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने ढांचागत सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, स्वच्छता, पेय जल सुविधा, शिक्षा के प्रचार, पर्यावरणीय स्थिरता, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपने सीएसआर कार्यकलापों पर जोर देना भी जारी रखा है।

आसपास गाँव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए, एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी के आसपास के गाँवों में वॉकहार्ड्ट फाउंडेशन के सहयोग से चार मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) परिचालित की जा रही है। इसी प्रकार, एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अंगुल में लॉयन्स क्लब, अंगुल की सहायता से तीन मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) का परिचालन चल रहा है। प्रत्येक एमएचयू गाँव के लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ, नैदानिक सुविधाएँ एवं जागरूकता सृजन सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियाँ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ प्रदान करता है। उपरोक्त के अलावा, अंगुल क्षेत्र में आसपास गाँव के लोगों के लिए, वाह्यरोगी उपचार हेतु एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स में एक ओपीडी केंद्र भी जुलाई 2014 से चलाया जा रहा है। इस केंद्र में योग्यता प्राप्त चिकित्सक, पैरा-मेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं। केंद्र के जरिए आसपास गाँव के रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 1,05,562 रोगियों को यहाँ से चिकित्सा उपलब्ध करायी गई है।

शिक्षा के प्रचार एवं आदिवासी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सीएसआर पहल के तहत् दामनजोड़ी क्षेत्र के 18 परिधीय गाँवों के 655 छात्रों को 3 आवासीय स्कूलों यथा (1) कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (KISS), भुवनेश्वर, (2) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जेपोर, (3) विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया है। केआईएसएस स्कूली शिक्षा समाप्त होने तक छात्रों के अध्ययन, आवास एवं भोजन का खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अलावा, आसपास गाँव के छात्रों को दामनजोड़ी एवं अंगुल में अवस्थित कंपनी द्वारा सहायताप्राप्त स्कूल यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर में भी शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

सरकार की ओर से शुरू की गई पहल ''बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ'' के पथ पर चलते हुए, आपकी कंपनी ने 'नालको र अलिअली झिअ' के नाम से प्रतिभावान एवं निर्धन कन्या छात्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि सहयोग के रूप में एक योजना विकसित की है। आसपास के लोगों से इस पहल के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त हुई है।

स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन, कंपनी ने निर्धारित समय के अंदर 354 शौचालयों के एमएचआरडी लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 433 शौचालयों का निर्माण किया है।

2. सीएसआर समिति की रूपरेखाः

श्री डी. महंत, स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम साहू, स्वतंत्र निदेशक

श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)

श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)

श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभः

₹ 131207.00 लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में राशि का दो प्रतिशत):

₹ 2624.00 लाख

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरणः

₹ 2716.65 लाख

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशिः

₹ 2624.00 लाख

(ख) व्यय न की गई कोई राशि,

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान किस तरह राशि व्यय की गई, का विवरण निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप चिह्नित	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है.	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम निष्पादित हुए	व्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्षक: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय, (2) अतिरिक्त खर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक समेकित व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा
01	हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम मोबाइल मेडिकल यूनिट, नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यकलापों के द्वारा जागरूकता फैलाव	अनुसूची-VII का बिन्दु सं.(i) संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखरेख को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले	165.00	58.03	74.63	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
02	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन शौचालयों का निर्माण एवं अन्य कार्यकलाप	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(i) संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्रप्रदेश का विशाखापत्तनम् जिला	500.00	160.30	200.44	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे
03	प्लांट के आसपास गाँव में एवं पुरी में नबकलेवर के दौरान सुरक्षित पेय जल प्रदान करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(i) सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट और पुरी जिले	92.41	70.98	70.98	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे
04	शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा को प्रायोजित करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(ii)- विशेष शिक्षा समेत शिक्षा को बढ़ावा देना	ओड़िशा के कोरापुट और अनुगुल जिले	1450.07	2053.42	3306.25	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे

1	2	3	4	5	6	7	8
05	शारीरिक विकलांग (पीडब्ल्यूडी) छात्रों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार प्रोत्साहन प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और निःशक्त जनों में रोजगार प्रोत्साहित व्यावसायिक कौशल विवरण एवं आजीविका प्रोत्साहित कार्यक्रम	ओड़िशा के कोरापुट और अनुगुल जिले	-	-	92.00	कंपनी द्वारा सीधे
06	अनाथों के लिए अद्भुता चिल्ड्रेन होम को सहायता देना	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (iii) महिलाओं एवं अनाथों के लिए घरों एवं हॉस्टल का निर्माण	ओड़िशा का अनुगुल जिला	55.15	55.15	55.15	नालको फाउंडेशन
07	वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरणीय स्थायित्व, भूवैज्ञानिक संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII-का बिन्दु सं. (iv) पर्यावरणीय स्थायित्व, भूवैज्ञानिक संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट एवं खुर्दा जिले	252.00	105.74	188.74	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
08	राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति की सुरक्षा में योगदान और पारंरिक कला और हस्तशिल्प का विकास	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की संरक्षा	ओड़िशा का कोरापुट जिला	10.00	10.00	35.28	कंपनी द्वारा सीधे
09	अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/ महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास/कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/केंद्रीय सरकारी कोष में योगदान	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (viii) - प्रधानमंत्री राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा गठित किसी अन्य कोष में योगदान	संपूर्ण भारत	-	-	400.00	नालको फाउंडेशन
10	आसपास के गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यकलाप	अनुसूची VII-का बिन्दु सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले	584.45	203.03	203.03	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
योगः					**2716.65**	**4626.50**	

- उपर्युक्त सीएसआर व्यय सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों का भाग है।
- नालको फाउंडेशन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अधीन एक ट्रस्ट है जिसे विशेष रूप से कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों के लिए स्थापित किया गया है।
- कुछ परियोजनाओं का निष्पादन कंपनी के परिचालित क्षेत्रों के अंदर उपयुक्त एनजीओ के सहयोग से नालको फाउंडेशन द्वारा किया गया है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी भाग में, औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ होती है, तो कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय न करने का कारण प्रदान करना होगा।

कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय किया है।

7. कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी की गई है।

हस्ता.
(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता.
(श्री दीपंकर महंत)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
नि.सा.उ. व संधारणीयता विकास समिति

परिशिष्ट-II

उद्योग संरचना एवं विकास

एल्यूमिना

धात्विक ग्रेड एल्यूमिना का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2014 के 106.07 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2015 में बढ़कर 112.31 मिलियन टन पहुँच गया, जिससे वर्ष 2015 में वर्ष दर वर्ष अनुसार लगभग 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान एल्यूमिना की वैश्विक खपत 105.72 मिलियन टन से बढ़कर 112.29 मिलियन टन पहुँच गई, जिससे वर्ष 2015 में वर्ष दर वर्ष अनुसार 6.2% की वृद्धि हुई। वर्ष 2015 के दौरान धात्विक ग्रेड एल्यूमिना के उत्पादन और खपत दोनों में चीन विश्व में अग्रणी बना रहा, जिसमें वैश्विक उत्पादन में प्रायः 50% एवं वैश्विक खपत में लगभग 55% हिस्सा है। चीन के अलावा, मध्य पूर्व देशों में भी, 2014 के 0.38 मिलियन टन से 2015 में 1.55 मिलियन टन के साथ उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नजर आई है।

चीन में स्मेल्टिंग क्षमताओं के पुनः शुरू किए जाने के कारण ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन से चीन में वर्ष 2016 में धात्विक ग्रेड एल्यूमिना की मांग बढ़ने की संभावना है। हालांकि पुनःशुरू किए जाने की गति तंग ऋण एवं नकद उपलब्धता के अधीन है, फिर भी वर्ष 2016 के द्वितीयार्ध में एल्यूमिना की मांग में नवीकृत संभावना ऊपर की ओर बढ़ती नजर आई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष 2016 में चीन की धात्विक ग्रेड एल्यूमिना की मांग 63.1 मिलियन टन पहुँच सकती है, जिससे वर्ष दर वर्ष आधार पर 3.2% वृद्धि के आसार हैं।

विश्व के शेष हिस्से में, एल्यूमिना की मांग वर्ष 2016 में 52.1 मिलियन टन पहुँचने का अनुमान है, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 2.0% वृद्धि का सूचक है। इसी तरह, वर्ष 2016 में पूरे विश्व में धात्विक ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) की मांग लगभग 115.2 मिलियन टन पहुँच सकती है जो वर्ष दर वर्ष आधार पर लगभग 2.6% वृद्धि का सूचक है।

2016 के दौरान एल्यूमिना के हाजिर मूल्य के यथा स्थिर बने रहने का अनुमान है। एमजीए मांग एवं चीनी एल्यूमिना आयात में वृद्धि से चीन को छोड़कर विश्व के शेष एल्यूमिना बाजार में वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही जितनी मामूली कमी आने की अपेक्षा की जाती है और इस वजह से एल्यूमिना का हाजिर या नगद मूल्य सुदृढ़ बना रहेगा।

एल्यूमिनियम

वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन ने वर्ष 2014 में 54.21 मिलियन टन से वर्ष 2015 में 57.52 मिलियन टन तक पहुँचते हुए वर्ष दर वर्ष अनुसार 6.1% की वृद्धि की एवं वैश्विक एल्यूमिनियम खपत में वर्ष दर वर्ष अनुसार 4.0% की बढ़ोतरी हुई जो कि वर्ष 2014 के 54.21 मिलियन टन से वर्ष 2015 में वढ़कर 56.38 मिलियन टन पहुँच गई। वर्ष 2015 के दौरान एल्यूमिनियम बाजार में लगभग 1.1 मिलियन टन का अधिशेष दर्ज किया गया। चीन विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन एवं खपतकर्ता देश निरंतर बना रहा है, 31.19 मिलियन टन के उत्पादन के साथ वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा 54% है एवं 29.11 मिलियन टन के खपत स्तर के साथ वैश्विक खपत में इसका हिस्सा 52% है। वर्ष 2015 के दौरान चीन में उत्पादन की वृद्धि लगभग 10% एवं विश्व के शेष हिस्से में 1.6% थी। इसी तरह 2015 के दौरान चीन में प्राथमिक एल्यूमिनियम की खपत मे वृद्धि 6.6% एवं शेष विश्व में 1.3% थी।

एल्यूमिनियम के लिए चीन की प्राथमिक मांग अपेक्षा से अधिक सुदृढ़ रहना ही, वर्ष 2016 के शुरुआती चरण में वैश्विक बाजार में इसके बेहतर होने के प्रमुख कारणों में से एक है। यह मूलतः चीनी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से प्रेरित पैकेजों के कार्यान्वयन से मुमकिन हुआ है। इन सहायक उपायों में शामिल है अवसंरचना एवं रिएल एस्टेट क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश। यथापि, प्राथमिक खपत पर सरकार की इन प्रेरक नीतियों का सकारात्मक प्रभाव कम होने पर, वर्ष 2016 के दौरान चीन में मांग में हुई बढ़त का धीरे-धीरे सहज होने का अनुमान है। उत्पादन मोर्चे पर, यह अपेक्षा की जाती है कि चीन के घरेलू मूल्यों में उछाल, चीनी प्राथमिक उत्पादकों को लगभग 1.47 मिलियन प्रति टन प्रति वर्ष क्षमता को धीरे-धीरे पुनः चालू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कि पूर्व में गैर लाभकारी 4 मिलियन प्रति टन प्रति वर्ष क्षमता की था एवं वर्ष 2015 के दौरान जिसकी क्षमता कम कर दी गई थी।

एल्यूमिनियम की वैश्विक कीमतें पूरे 2015-16 के दौरान अत्यधिक परिवर्तनशील रही, एलएमई की नकद कीमतों में मई'15 में अमरीकी डॉलर

1,919/मे.टन की उच्च कीमत से नवंबर'15 में अमरीकी डॉलर 1,424/मे.टन की कम कीमत के साथ उतार-चढ़ाव बना रहा। एलएमई की औसत नकद निपटान कीमत वर्ष 2015-16 के लिए अमरीकी डॉलर 1,592 प्रति मे.टन थी, यानी 2014-15 की औसत अमरीकी डॉलर 1,889 प्रति मे.टन की कीमत से लगभग 16% का ह्रास दर्ज किया गया। कई कारण जैसे कि चीन की कमजोर आर्थिक गतिविधियाँ, बड़े स्तर पर चीनी निर्यात, वैश्विक इक्विटी बाजारों में परिवर्तनशीलता, जरूरत से अधिक आपूर्ति की स्थिति जिससे वैश्विक मालसूचियों के स्तर में वृद्धि आदि एल्यूमिनियम की कीमतों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं जिससे इनकी कीमतें पूरे 2015-16 में कम रही।

एल्यूमिनियम का अनुमानित वैश्विक स्टॉक वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर लगभग 15.37 मिलियन मे.टन था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 14.64 मिलियन मे.टन की तुलना में 5% ज्यादा था।

अवसर और खतरेः

अवसर

विविध क्षेत्रों में विविध प्रकार से एल्यूमिनियम के व्यापक इस्तेमाल को देखते हुए, भारत के लिए इसे 'भविष्य की धातु' माना जाता है। विद्युत देश में लम्बे समय से एल्यूमिनियम का प्रधान खपत क्षेत्र रहा है, इसके अलावा, अब कुछ नए क्षेत्रों जैसे कि रक्षा (अर्थात् हवाई संरचनाओं के निर्माण उद्योग जो कि सैन्य हेलिकॉप्टरों), ऑटोमोबाइल (बॉडी, कम्पोनेंट) क्षेत्र आदि में भी वृद्धि की उल्लेखनीय संभावना नजर आती है। डाउनस्ट्रीम एवं मूल्य वर्धित क्षेत्र जैसे कि शीट, निष्कासन एवं कास्टिंग में भी अवसर दिख रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकताओं एवं अन्य बढ़ते उपयोगी क्षेत्रों को देखते हुए, निकट भविष्य में घरेलू बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि के आसार हैं।

कुकवेयर, बेवरेज कैन, फॉइल, एलॉय व्हील, रेलवे कोचों आदि जैसे उत्पादों में एल्यूमिनियम के लिए देश में भावी वृद्धि की संभावना नजर आती है। सतत वृद्धि एवं वन कटाई/पर्यावरणीय निम्नीकरण को सीमित करने जैसे पहलुओं पर निरंतर जोर दिए जाने के मद्देनजर घरेलू क्षेत्र में एल्यूमिनियम के बढ़ते उपयोग की प्रचुर संभावनाएँ भी स्पष्ट प्रतीत होती हैं।

खतरे

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के सामने आज ऐसी कई चुनौतियाँ हैं, जिसने इसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। एल्यूमिनियम की घटती वैश्विक कीमतों से घरेलू प्राथमिक निर्माताओं के लिए विक्रय मूल्य वसूली में कमी आई है जिससे निचले स्तर की एल्यूमिनियम कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निकटवर्ती क्षेत्रों में कम मूल्यों में प्रद्रावक की उपलब्धता जैसे कि पश्चिम एशिया में (सस्ते गैस आधारित बिजली उत्पादन के कारण) एवं चीन में (सस्ते में कोयले की उपलब्धता एवं प्रद्रावक को दी गई पावर सब्सिडी के कारण) घरेलू प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग के लिए परिस्थितियाँ और भी बदतर हुई हैं।

इसके अलावा, प्राथमिक (अपरिष्कृत) एल्यूमिनियम एवं स्क्रैप पर देश में आयात के ऊपर ज्यादा भार लागू होने के कारण भी घरेलू एल्यूमिनियम उद्योग पर जबरदस्त दबाव बढ़ा है। वित्त वर्ष 2015-16 में देश में एल्यूमिनियम की कुल खपत का मोटे तौर पर 50% हिस्सा आयात से होने का अनुमान व्यक्त किया जाता है।

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अन्य खतरे के बोध में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, एल्यूमिनियम की प्रतिस्थापन सामग्रियों विशेषकर प्लास्टिक एवं घरेलू बाजार में गौण उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है, जिससे देश में प्राथमिक कंपनियों की लाभकारिता एवं वृद्धि संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्यः-

वर्ष 2016 में एल्यूमिनियम का वैश्विक उत्पादन वर्ष दर वर्ष अनुसार 2.4% की वृद्धि के साथ 58.9 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है जबकि वैश्विक खपत वर्ष दर वर्ष अनुसार 3.5% वृद्धि के साथ वर्ष के दौरान 58.4 मिलियन टन पहुँचने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि वर्ष 2016 के दौरान चीनी मांग की बढ़त में मामूली कम होने के आसार हैं, निर्माण क्षेत्र से कम लिया जाना ही इसका मुख्य कारण रहेगा। वर्ष 2015 में, एल्यूमिनियम खपत के तहत वैश्विक बाजार में सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्र में यातायात (ऑटोमोटिव बॉडी शीट, मरीन एवं ट्रक ट्रेलर आदि), वाणिज्यिक निर्माण एवं पैकेजिंग शामिल थे। वर्ष 2016 में, उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा, एयरोस्पेस, रक्षा एवं विद्युत क्षेत्रों में भी मजबूत मांग की अपेक्षा की जाती है।

2016 में, एलएमई की कीमतें अवधि के अंत में लगभग $1,600/मे.टन पर सुदृढ़ रहने का अनुमान है। ज्यादा सुदृढ़ वैश्विक बाजार के आधार, अपरिष्कृत तेलों की अधिक कीमतें एवं अमरीकी डॉलर में नरमी इसके मुख्य कारण हैं। व्यापरियों को यह भी उम्मीद है कि आनेवाले महीनों में यू.एस. फेड दरों में बढ़ोतरी एवं यू.एस. डॉलर संचालन के बारे में बदलती प्रत्याशाओं से धातु के मूल्य प्रभावित होंगे। चीनी निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने के कारण सीएनवाई के कमजोर होने की अपेक्षा है, जिससे एलएमई पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।

वैश्विक आपूर्ति मोर्चे पर, वर्ष 2016 के दौरान ज्यादा अच्छे मूल्य की अपेक्षा की जाती है, जिससे विशेषकर चीन में पूर्व की निष्क्रिय क्षमताओं में से अधिकांश को पुनःसक्रिय कर सकते हैं। हालांकि, वर्ष के दौरान अधिकांश मामले में शुरू किए जाने की पुनः प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी, जो कि ऋण एवं नकद उपलब्धता एवं अधिमानिक विवरण टैरिफ पर विद्युत संयंत्रों के साथ समझौता परिणाम पर निर्भर है।

घरेलू दृष्टिकोणः-

भारतीय अर्थव्यवस्था 2015-16 के दौरान 7.4% की दर से बढ़ी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रही थी। निर्माण, अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है। नवीनतम आईएमएफ आकलन के अनुसार, नीति सुधार एवं निवेश में अपेक्षित वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% तक सुदृढ़ होने का अनुमान है।

एल्यूमिनियम के घरेलू उत्पादकों द्वारा नई स्मेल्टिंग परिसंपत्तियों पर उत्पादन करने के कारण, एल्यूमिनियम धातु के कुल घरेलू उत्पादन ने 2014-15 के 2.05 मिलियन टन से बढ़ते हुए 2015-16 में 2.44 मिलियन टन के साथ 2014-15 के दौरान वर्ष दर वर्ष अनुसार 19.1% वृद्धि दर्ज की। प्राथमिक धातु की घरेलू खपत में भी 2014-15 में 1.58 मिलियन टन की तुलना में 2015-16 में अनुमानित 1.98 मिलियन टन के साथ वर्ष दर वर्ष अनुसार 25.4% की तेज वृद्धि की। विद्युत, परिवहन एवं निर्माण क्षेत्रों द्वारा वर्धित क्रय के कारण ऐसा हो पाया है। भारतीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम निर्यातों में भी वर्ष 2014-15 के 0.77 मिलियन टन के मुकाबले 2015-16 में 0.88 मिलियन टन के साथ वर्ष दर वर्ष पर 15% की वृद्धि दर्ज की। यह प्रदर्शन इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर कम परिमाण में मांग एवं क्षेत्रीय अधिमूल्य कम होने के कारण भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी बाजारों में पहुँच पाने में दिनों दिन मुश्किल बढ़ती रही है।

ज्यादा उच्च क्षमता उपयोगिता हासिल करने के लिए, घरेलू एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा तेजी से उत्पादन बढ़ाए जाने के कारण 2016-17 में भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने की अपेक्षा है। समग्र दृष्टि से, देश में प्राथमिक धातु आपूर्ति की वृद्धि दर, भारत के अंदर प्राथमिक धातु के लिए मांग में होने वाली वृद्धि से संभवतः अधिक रहेगी, जिससे देश में अधिशेष बढ़ सकता है जिसके फलस्वरूप घरेलू मूल्यों में कमी आ सकती है।

घरेलू बाजार में अवसंरचना पर सरकार द्वारा ज्यादा जोर दिये जाने के फलस्वरूप यह अनुमान किया जाता है विद्युत, भवन एवं निर्माण क्षेत्रों से एल्यूमिनियम क्रय में उल्लेखनीय वृद्धि आएगी। सरकार की दूरदर्शी पहलों जैसे कि ''मेक इन इंडिया'' स्कीम, 100 ''स्मार्ट सिटीज'' कार्यक्रम, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, देशी अंतरिक्ष कार्यक्रम आदि के कारण आने वाले वर्षों में एल्यूमिनियम क्रय में तेज वृद्धि होने का अनुमान है।

जोखिम और चिंताएं

एलएमई मूल्य में उतार-चढ़ाव, निर्यात प्रीमियम में कमी, अमरीकी डॉलर में विभिन्न दर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी एवं मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में द्वितीयक उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा निरंतर चिंता का कारण बनी रही।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश शामिल है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय प्रचलन के भाग के रूप में लिया जाता है एवं निर्धारित समयों पर अलग कार्य के रूप में है।

कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा करती है एवं समय-समय पर उपचारी उपायों पर राय देती है। जोखिम कम करने के उपायों की समयावधि समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबंधन एक उचित परिमाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित कर सकें। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचान किए गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में जोखिम रजिस्टर रखते हैं जिनका कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। यदि कोई विचलन रहे तो इसे जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। अभी तक कंपनी में वर्ष के दौरान कोई जोखिम रहने का पता नहीं चला है जो कंपनी के व्यवसाय की कार्यप्रणाली के लिए संकट बन पाए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

- प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्य-प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।
- लागू लेखांकन मानकों एवं नीतियों का पालन।
- लेनदेनों को समुचित रूप से रिकॉर्ड करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की हिफाजत।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(ङ) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढांचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

कंपनी के पास अपने व्यवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा, समय-समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचा विकसित एवं कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ/पद्धतियाँ और प्रचलान स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों में जागरूकता लाना हैं ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनकी प्रभावी नियंत्रण के लिए डिजाईन बनाकर स्थापना की गई है। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं अद्यतन किया जाता है। कंपनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। 'मानक प्रचालन पद्धतियाँ और नियंत्रण' प्रणाली की समय-समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्यरत क्षेत्रों में लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखापाल फर्मों को सौपा है। आंतरिक लेखापरीक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई हैं। लेखापरीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार प्राप्त कारवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियंत्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। कंपनी यह निर्दिष्ट करती है कि कोई भी आंतरिक नियंत्रण ढांचा, चाहे कितने ही अच्छे से उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी एवं इसमें संशोधन किया जाएगा ताकि बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रगतिशील आधार पर ऐसी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रचलनात्मक निष्पादन के विषय में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

क. वित्तीय प्रचालनः

I. प्रचालन से राजस्व

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
निर्यात कारोबार	3,246.87	3,307.31	-02
घरेलू कारोबार	3,909.66	4,463.31	-12
सकल कारोबार	7,156.53	7,770.62	-08
घटाएं: उत्पाद शुल्क	453.20	508.72	-11
निवल कारोबार	6,703.33	7,261.90	-08
अन्य प्रचालन व्यय	112.67	120.91	-07
कुल	**6,816.00**	**7,382.81**	**-08**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी की रसायन बिक्री की मात्रा पिछले वर्ष के 12.25 लाख मे.टन की तुलना में 12.20 लाख मे.टन रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एल्यूमिनियम धातु की बिक्री मात्रा पिछले वर्ष के 3.26 लाख मे.टन के बदले 3.72 लाख मे.टन थी। मुख्यतः एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिना की बिक्री वसूली में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान निवल कारोबार कम रहा है। एल्यूमिनियम धातु में 18% एवं एल्यूमिना में लगभग 10% तक बिक्री वसूली में कमी आई है। हालांकि, एल्यूमिनियम धातु की बिक्री में 14% तक की उच्च मात्रा से आंशिक क्षतिपूर्ति हुई है।

II. अन्य गैर-प्रचालन आय

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
अन्य गैर-प्रचालन आय	536.57	672.64	-20

कर लाभ प्राप्त करने के लिए दीर्घमियादी परिपक्वता योजना में तबदील किए जाने के कारण अधिशेष निधि के निवेश, विशेषकर म्यूचुअल फंड निवेश (सावधि परिपक्वता योजना) से कम आय होने के कारण अन्य गैर-प्रचालन से कम आय हुई है। इसके अलावा, जमा पर अर्जित ब्याज, मार्च 2015 के दौरान विवाद के निपटारे के कारण वर्तमान वर्ष में घटित नहीं हुए विवादित बिजली प्रभार के लिए किया गया।

III. व्यय

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
खपत की गई कच्ची सामग्री	1,104.40	1,031.59	+07
विद्युत एवं ईंधन	1,864.61	1,802.24	+03
कर्मचारी लाभ व्याय	1,361.36	1,377.91	-01
स्टॉक (वृद्धि)/कमी	(8.99)	2.90	--
अन्य व्यय	1,556.58	1,462.15	+06
वित्त लागत	1.21	-	
मूल्यह्रास	424.09	413.66	+03
कुल	**6,303.26**	**6,090.45**	**+03**

- पिछले वर्ष की तुलना में कच्ची सामग्री के व्यय में वृद्धि मूलतः उच्च मात्रा में एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम दोनों के उत्पादन के कारण है।

इसके अलावा, संशोधित आईबीएम अनुदेशों के साथ बॉक्साइट के इस्तेमाल के कारण कास्टिक सोड़ा की उच्च विशिष्ट खपत की वजह से भी व्यय ज्यादा रहा है।

- विद्युत और ईंधन लागत में वृद्धि, उच्च मात्रा में एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम दोनों के उत्पादन के कारण है। इसके अलावा, बिजली प्रभार की दर में वृद्धि एवं कोयले के गठन में परिवर्तन के कारण कोयले के ज्यादा प्रभावी मूल्य ने भी व्यय को बढ़ाया है। ईंधन तेल के मूल्य में कमी से व्यय में हुई वृद्धि की आंशिक भरपाई हो पाई थी।
- पिछले वर्ष की तुलना में अन्य व्यय में वृद्धि, मुख्यतया नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) में वृद्धि, रेलवे मालभाड़ा दर में वृद्धि, खान एवं खनिज (जिला खनिज संस्था में अंशदान) विनियम, 2015 के अनुसार जिला खनिज निधि (डीएमएफ) में अंशदान एवं खान एवं खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) में अंशदान के कारण है।
- मूल्यह्रास में वृद्धि, सीपीपी में एश माउंड के जरिए रिक्त किए गए एश (राख) के उपयोग द्वारा राख के तालाब की क्षमता वृद्धि के पूंजीकरण और उपयोगी जीवनकाल के आधार पर आनुपातिक आधार पर इसके परिशोधन के कारण थी।

आय विभाजन (2015-16)

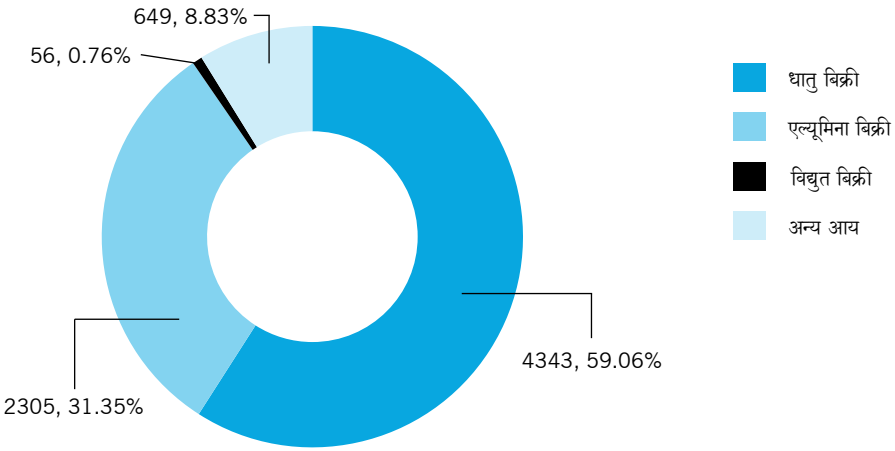

व्यय विभाजन

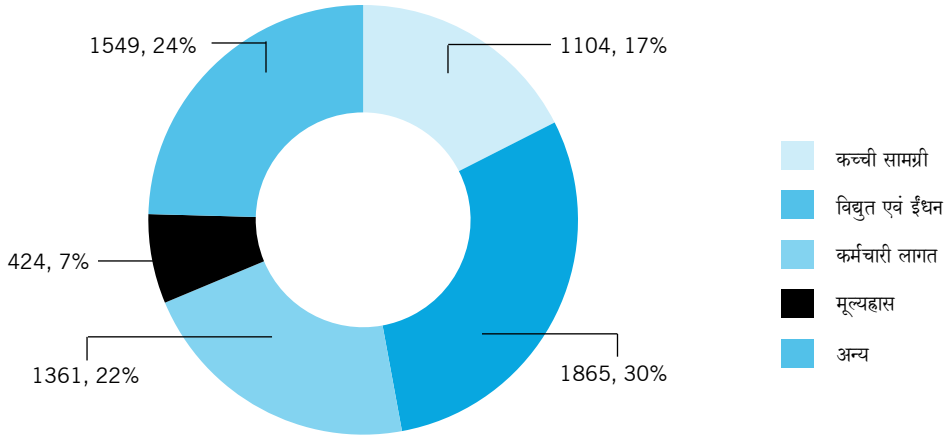

IV. आपवादिक मद

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
अन्य व्यय	--	148.42
आय	53.45	--

सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण जोखिम एवं लागत दावे के अंतिम निपटारे से वर्ष के दौरान ₹53.45 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मुकदमे निपटान से हुई आय के कारण, आय को आपवादिक मद के रूप में चिह्नित किया गया है। पिछले वर्ष के आँकड़ें, विवादित विद्युत प्रभार एवं उस पर लगने वाले ब्याज के निपटान पर प्रदत्त अतिरिक्त देयता को बट्टे खाते में डालने से संबंधित है।

V. कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर अर्जन

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
कर पूर्व लाभ	1,102.76	2,113.42
कर व्यय	371.75	791.57
कर पश्चात लाभ	731.01	1,321.85
प्रति शेयर अर्जन (₹ 5/- प्रति)	2.84	5.13

कर पश्चात लाभ में कमी के कारण प्रति शेयर अर्जन कम है।

VI. लाभांश विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
अंतरिम लाभांश (%)	25	25
अंतिम प्रस्तावित लाभांश (%)	*15	10
कुल (%)	40	35

* प्रस्तावित

निवेशकों के हित पर विस्तार करते हुए, वर्ष 2015-16 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा लाभांश का प्रस्ताव दिया गया है।

ख. वित्तीय स्थिति

I. गैर चालू

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
स्थायी आस्तियाँ			
मूर्त आस्तियाँ	6328.89	6509.21	-03
अमूर्त आस्तियाँ	138.61	136.21	+02
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	661.36	549.73	+20
गैर-चालू निवेश	811.08	1.04	--
दीर्घमियादी ऋण एवं अग्रिम	1347.55	1221.85	+10
अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	49.48	47.45	+4

- स्थायी आस्तियों का मूल्य कम हुआ है, क्योंकि वर्ष के लिए मूल्यह्रास, स्थायी आस्तियों के नए संयोजन से अधिक है।
- प्रगति पर पूंजीगत कार्य बढ़ा है जो कि मूलतः पवन ऊर्जा संयंत्र पर व्यय के कारण है।

- गैर-चालू निवेश में वृद्धि, म्यूचुअल फंड निवेश का चालू निवेश में अनुरूपी कटौती के साथ दीर्घकालीन परिपक्वता योजना में डालने के कारण है।
- दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जुटाव अग्रिम एवं उत्कल डी एण्ड ई कोल ब्लॉक के लिए पहले से दी गई राशि के भुगतान के कारण है।

II. चालू आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
चालू निवेश	66.00	950.00	-93
माल सूची	1126.97	1165.56	-03
व्यापार प्राप्य	235.21	120.82	+95
नकद एवं बैंक शेष	4933.53	4627.98	+07
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	586.67	607.54	-03
अन्य चालू आस्तियाँ	233.64	240.28	-03

- मालसूची: मालसूची में कमी मुख्यतया स्टोर्स, स्पेयर्स एवं कंज्यूमेबल्स (खपत सामग्री) में आए ह्रास के कारण है।
- व्यापार प्राप्य कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के अधीन करती है एवं इस प्रकार कोई उधारी बिक्री नहीं हुई है। व्यापार प्राप्य अधिकांशतः वर्ष के अंत की बिक्री जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वसूली नहीं की जाती, को दर्शाता है। व्यापार प्राप्य में वृद्धि मुख्यतया 31.03.2016 को वसूली नहीं हुए एल्यूमिना निर्यात के कारण है।
- नकद एवं बैंक शेष: नकद और बैंक शेष में बढ़ोतरी मूलतः प्रचालन से हुए अधिशेष के कारण है।

III. गैर-चालू देयताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	1110.09	1105.27	+01
अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	68.26	65.30	+05
दीर्घकालीन प्रावधान	223.72	242.76	-08

दीर्घकालीन प्रावधान में कमी मुख्यतया बीमांकिक मूल्यांकन के जरिए अवकाश वेतन के लिए कम दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ देयता के कारण है।

IV. चालू देयताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15	%परिवर्तन
व्यापार देय	581.38	440.18	+32
अन्य चालू देयताएँ	1350.45	1340.65	+01
अल्पकालीन प्रावधान	277.41	186.21	+49

पिछले वर्ष की तुलना में अल्पकालीन प्रावधान में वृद्धि हुई है जो कि ज्यादा प्रस्तावित अंतिम लाभांश एवं उस पर लाभांश वितरण कर के कारण है।

ख. खंड-वार सूचनाः

क्रम. सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		अनाबंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में
1	निवल बिक्री	2,305	34.39	4,348	64.87	50	0.75	6,703
2	पीबीआईटी	875	79.26	(193)	-17.48	422	38.22	1,104
3	नियोजित पूंजी #	3,089	22.04	3,820	27.25	7,109	50.71	14,018
4	आरओसीई (%) (3/2)		28.33		-5.05		5.94	7.88
5	पीबीआईटी मार्जिन (%) (2/1)		37.96		-4.44			16.47

''अनावंटनीय सामान्य'' के अन्तर्गत नियोजित पूंजी में नगद शेष और विस्तार इकाइयों के पूंजीगत कार्यों में प्रगति शामिल है।

लागत कम करने के उपाय एवं महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की विशिष्ट खपत में सुधार लाने के प्रयास।

कंपनी ने उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एवं वर्ष के दौरान लाभकारिता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे लाभों में सुधार प्राप्त हुआ है।

i) सीपीपी में कोयले एवं रिफाइनरी में ईंधन की विशिष्ट खपत में सुधार से ₹ 15 करोड़ की बचत हुई है।

ii) एमजीआर के माध्यम से सीपीपी को कोयला परिवहन बढ़ाया गया जिससे लगभग ₹ 35 करोड़ की बचत हुई है।

iii) कंपनी ने वायर-रॉड एवं रोल्ड उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय ज्यादा किया है जिनमें मार्जिन अधिक है। इससे लगभग ₹ 20-25 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ है।

iv) रणनीतिक उपाय के तहत, कंपनी ने धातु के उत्पादन को पिछले वर्ष के 3.27 लाख मे.टन के मुकाबले 3.72 लाख मे.टन तक बढ़ाया है, जिससे प्रायः ₹ 60 करोड़ का अधिक योगदान हो पाया है। कंपनी धातु की उत्पादकता को और बढ़ाने की इच्छा रखती है एवं अन्ततः मूल्यांकित क्षमता हासिल करना चाहती है, इस दृष्टि से लिंकेज एवं ई-नीलामी के जरिए कोयले की उपलब्धता और बेहतर होने का अनुमान है।

v) कंपनी ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि बाजार की मंद स्थिति में दीर्घकालीन स्थायित्व बनाए रखने के लिए लागत कम करने के कार्यकलाप काफी महत्वपूर्ण हैं एवं इसी अनुसार उपयुक्त लागत हासिल करने एवं प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए विभिन्न अल्प/मध्यमकालीन उपायों का अनुसरण कर रही है।

नियोजित लोगों की सं. सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक विकास

मानव संसाधन

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की मानवशक्ति संख्या 7100 थी जबकि पिछले वर्ष के अंतिम दिन यह संख्या 7320 थी। विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	पद	31.3.2016 की स्थिति	31.3.2015 की स्थिति
क.	कार्यपालक	1804	1866
ख.	पर्यवेक्षक	816	842
ग.	कुशल/अतिकुशल	3802	3876
घ.	अकुशल/अर्धकुशल	678	736
	कुल	**7100**	**7320**

* जीईटी/मे.टन/एसओटी/जेओटी सहित

प्रशिक्षण

हमारे संगठन में मानव संसाधन विकास सफलता का मुख्य आधार है। इस तथ्य एवं निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विविध क्षेत्रों से कार्यात्मक एवं विकासात्मक प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान की जाती है, जिसमें प्राथमिक तौर पर दक्षता से संबंधित जरूरत, द्वितीयक तौर पर संगठन की जरूरत एवं अंत में विभाग/अनुभाग की अनिवार्यता के अनुसार प्रशिक्षण जरूरी है। विशिष्ट पदों से संबंधित प्रशिक्षण आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है एवं संभावित सीमा तक कार्यक्रमों को जरूरत के अनुसार यथा उपयुक्त बनाया जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रभावकारिता मूल्यांकन भी किया गया है ताकि इससे प्राप्त लाभों का आकलन हो सके। भारत सरकार द्वारा भारत को कुशल बनाने की आकांक्षित पहल को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 के प्रशिक्षण के आँकड़ें निम्नानुसार हैं:

विवरण	व्यक्ति	मानव दिवस
कार्यपालक	2381	6153
गैर-कार्यपालक	3668	6769.5
योग	6499	12922.5
अनुबंधित मजदूर एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	1075	3017
कुल योग	**7574**	**15939.5**

निगमित योजना

नालको की अंतिम निगमित योजना 2009 में तैयार की गई थी। वर्तमान निगमित योजना के नक्शे-कदम पर ही विस्तार परियोजनाएँ अभी तक निर्देशित हुई हैं। परन्तु आर्थिक जगत में आए दो क्रमिक संकट जैसे कि बाजार के उतार-चढ़ाव एवं पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंताएं, जिनका वैश्विक व्यवसाय परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी ने भविष्य की अनिश्चितताओं के इस परिवेश में व्यवसाय के बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए, अपनी रणनीतियों पर पुनः विचार करने एवं एक लचीली और प्रतिरोधी क्षमता सम्पन्न निगमित योजना तैयार करने का निश्चय किया है जो कंपनी को वृद्धि के उच्च पथ पर ले आए। अपनी निगमित योजना को तैयार करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक विख्यात परामर्शदाता की सेवाओं को किराये पर लेने का निश्चय किया गया है। इसे 2016-17 के दौरान संभवतः निष्पादित कर लिया जाएगा।

व्यवसाय विकास

गुजरात में एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना

नालको ने गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) की खानों से बॉक्साइट की आपूर्ति के आधार पर कच्छ जिले में 0.5 मे.टन प्रति वर्ष एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाया है। कच्छ में बॉक्साईट स्रोत आकलन के विषय में जीएमडीसी के साथ बातचीत की जा रही है।

100 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र

नालको ने दो पवन ऊर्जा परियोजनाओं यथा महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. और राजस्थान में 50 मे.वा. की स्थापना हेतु जनवरी 2016 में आदेश दिया है।

सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

20 मे.वा. सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाः अपनी सौर नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करने के उद्देश्य से, नालको ने मध्यप्रदेश में 20 मे.वा. सौर पीवी ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने की योजना बनायी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश सरकार (एमपीएनआरईडी) ने सैद्धांतिक रूप से परियोजना के लिए अनुमोदन की सहमति दी है। सौर ऊर्जा विकासकर्ता के चयन के लिए कार्य-प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रूफटॉप सौर संयंत्रः कंपनी ने नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), गोठपाटणा, भुवनेश्वर में एमएनआरई सब्सिडी योजना के तहत 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर परियोजना को स्थापित करने के लिए मार्च, 2016 में कार्यादेश दिया है।

टाइटैनियम स्लैग परियोजना

नालको ने ओड़िशा के छत्रपुर में 1 लाख टन प्रति वर्ष टाइटैनियम स्लैग परियोजना के विकास हेतु जुलाई 2014 में इंडियन रेयर अर्थ लि.(आईआरईएल) के साथ संयुक्त उद्यम में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

विदेशी प्रद्रावक

नालको देश में एक ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना के लिए गवेषणा कर रही है जहाँ प्रतिस्पर्धी कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस परियोजना के लिए ईरान, ओमान एवं इंडोनेशिया को उपयुक्त गंतव्यों के रूप में चिह्नित किया गया है।

अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (नालको और इडको के बीच संयुक्त उद्यम):

नालको ने ओड़िशा में डाउनस्ट्रीम एवं अनुषंगी उद्योगों के प्रचार के लिए वर्ष 2010 में इडको के साथ अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (एएपीपीएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। नालको ने संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी को 20 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 50,000 मे.टन मोल्टेन एल्यूमिनियम की आपूर्ति की प्रतिबद्धता ली है। हाल ही में, अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (एएपीपीएल) को भारत सरकार की मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (एमआईआईयूएस) के अधीन परियोजना के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) बनाया गाया है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन (डीआईपीपी) से अनुदान पाने में परियोजना को समर्थ बनाती है।

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(एनपीसीआईएल) के साथ संयुक्त उद्यम में न्यूक्लियर पावर प्लांट

नालको ने मार्च 2012 में एनपीसीआईएल के साथ एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि. ''एनएनपीसीएल'' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। हाल ही में, भारत सरकार के द्वारा जनवरी, 2016 में लागू किए गए परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम 2015 ने संयुक्त उद्यम के माध्यम से अन्य लोक उपक्रमों के साथ एनपीसीआईएल द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया है।

कास्टिक सोडा परियोजना

नालका ने 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कास्टिक सोड़ा प्लांट के साथ 100 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट के संस्थापन के लिए 4 दिसंबर, 2015 को गुजरात अल्कलीज केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ''जीएनएसीपीएल'' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। इस संयुक्त उद्यम (जेवी) में नालको की इक्विटी 40% एवं शेष 60% जीएसीएल की होगी।

संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियाँ

उपरोक्त जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के अलावा, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।

अनुषंगी विकास

आपकी कंपनी ने अनुषंगी इकाइयों एवं एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) के विकास के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। अनुषंगी इकाइयों एवं एमएसई के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय की सार्वजनिक क्रय नीति, 2012 के अनुपालन में एल-1 + 15% मूल्य सीमा के अंदर कोट किए जाने के तहत एमएसई एवं अनुषंगी इकाइयों को क्रय अधिमान्यता देने के लिए नालको के क्रय मैन्युअल, 2011 में संशोधन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुषंगी इकाइयाँ समेत ओड़िशा की एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की अधिप्राप्ति ₹ 23,664 लाख है। एमएसई इकाइयों (ओड़िशा की बाहरी इकाइयाँ समेत) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की कुल अधिप्राप्ति ₹ 32,233 लाख है, जो नालको द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं की कुल अधिप्राप्ति का 20.45% है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए लक्ष्य ₹ 32,318 लाख रखा गया है।
- पीएलएसी उप-समिति सभा एम एण्ड आर कॉम्पलेक्स एवं एस एण्ड पी कॉम्पलेक्स में क्रमशः जुलाई, 2015 एवं फरवरी, 2016 में भी आयोजित की गई थी।

- नालको ने एमएसएमई विकास संस्था, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 से 18 दिसंबर, 2015 तक किला मैदान, कटक में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम ''एमएसएमई एक्सपो ओड़िशा-2015'' में मदर प्लांट श्रेणी में ''बेस्ट डिस्प्ले अवॉर्ड'' पाया।
- नालको ने इडको एग्जिविशन ग्राउंड, भुवनेश्वर में 8 से 14 जनवरी, 2016 तक एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार, निर्यात प्रचार एवं विपणन निदेशालय, ओड़िशा सरकार और ओड़िशा लघु उद्योग निगम, ओड़िशा द्वारा आयोजित ''ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 2016'' में ''बेस्ट मदर प्लांट'' का पुरस्कार पाया।
- जबसे कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ई-प्रोक्योरमेंट (ई-अधिप्राप्ति) प्रक्रिया अपनाई है, कंपनी की ई-अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण सहायता एवं स्वयं सहयोग द्वारा एमएसई विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने एवं सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी अनुसार, एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुल एवं एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी दोनों में क्रेता एवं विक्रेता वार्तालाप सम्मेलन एवं विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- अजा/अजजा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, अजा/अजजा उद्यमियों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम 30.7.2015 को एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स एवं 26.2.2016 को एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स में संचालित किए गए थे।
- रिफाइनरी के क्रय विभाग में 13.10.2015 को एक डिस्प्ले हॉल चालू किया गया है जहाँ एमएसई विक्रेताओं से अधिप्राप्ति हेतु लगभग 50 मदों की प्रदर्शनी की गई है।

एमएसई से नालको द्वारा की गई खरीदी

(क) इकाई का नामः निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा
नोडल अधिकारीः श्री अशोक कुमार पात्र, जीएम(सामग्री) एवं कार्यपालक निदेशक (सामग्री) प्रभारी
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर, पिन-751013
मोबाइल – 9437064434, ई-मेलः ashok.patra@nalcoindia.co.in

(ख) इकाई का नामः प्रद्रावक एण्ड पावर कॉम्प्लेक्स, अनुगुल, ओड़िशा
नोडल अधिकारीः श्री रवि नारायण महापात्र, जीएम(सामग्री)
प्रद्रावक प्लांट, नालको नगर, अनुगुल, पिन-759145

(ग) इकाई का नामः माइन्स एण्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी, ओड़िशा
नोडल अधिकारीः श्री प्रशांत कुमार षड़ंगी, जीएम(सामग्री)
रिफाइनरी प्लांट, नालको, दामनजोड़ी, पिन-763008
मोबाइल – 9437962248, ई-मेलः prasanta.sarangi@nalcoindia.co.in

(आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य
I	कुल वार्षिक अधिप्राप्ति (मूल्य में) *	1285.23 *	1576.00 *	1576.50 *
II	एमएसई (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई समेत) से खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं का कुल मूल्य	350.01	322.33	323.18
III	केवल अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं का कुल मूल्य	ला.न.	ला.न. **	1
IV	कुल खरीदी में से एमएसई (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई समेत) से खरीदी का%	27.23	20.45	20.50
V	कुल खरीदी में से केवल अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी का%	0	0	0.06
VI	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) की कुल सं.	10	10	12

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य
VII	क्या एमएसई से क्रय हेतु वार्षिक खरीदी योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ	अपलोड किया जाएगा
VIII	क्या लक्ष्य को वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है	हाँ	रिपोर्ट किया जाएगा	रिपोर्ट किया जाएगा

* इस मूल्य में स्टील व सीमेंट, कोयला एवं ईंधन जैसे कि एचएफओ, एलडीओ और एचएसडी की खरीदी शामिल नहीं है।

** ला.न. - लागू नहीं। अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई की पहचान एवं पंजीकरण डीआईसी, अनुगुल, डीआईसी, कोरापुट एवं एमएसएमई, डीआई, कटक, ओड़िशा के सहयोग से प्रक्रियाधीन है।

सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

नालको एक अग्रणी एवं अग्रसक्रिय नवरत्न पीएसयू है जिसने पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य (ईएसएच) संबंधी मसलों से निपटने के लिए सभी कदम उठाए हैं एवं अपनी सभी उत्पादन इकाइयों में ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा हरित एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए प्रतिवद्ध है। नालको की सभी उत्पादन इकाइयाँ पर्यावरण, सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य विनियमों के अधीन संबंधित विधि-विधानों की आवश्यकता के अनुसार वैध प्रचालन स्वीकृति (सीटीओ), प्राधिकरण, पर्यावरणीय अनुमति, लाइसेंस आदि के साथ संचालित हो रही हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ-14001 एवं ओएचएसएएस 18001 से प्रमाणित हैं।

निर्मित कठोर विनियमों के दैनंदिन पालन हेतु, नालको ने ईएसपी के संस्कार, जीटीसी के संस्थापन, एफटीसी के सुधार आदि पर कदम उठाया है, ताकि आने वाले वर्षों में अग्रसक्रिय रूप से निस्सरण के मानदंड को पूरा कर सके। नालको ने शून्य निस्सरण अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली अपनाई है एवं संकटजनक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु उपाय किया है। प्रदूषण रोधात्मक रणनीतियों के तौर पर नालको ने अपनी नई एवं मौजूदा परियोजनाओं में ज्यादा हरित प्रौद्योगिकियों को भी सम्मिलित किया है। अपनी सभी उत्पादन इकाइयों में नालको ने वर्षा जल संचयन को अंगीकार किया है। नालको की सभी इकाइयों में पर्यावरणीय मापदंडों पर निगरानी रखने के लिए, प्रयोगशाला की सुविधाएँ और प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध हैं।

नालको की सभी इकाइयाँ सुरक्षा अनुपालनों, जाँच-पड़ताल के दौरान अवलोकित दुर्घटनाओं, बाल-बाल बचने वाली घटनाओं, असुरक्षित गतिविधियों एवं असुरक्षित स्थितियों को रिकॉर्ड करती है। इनका विश्लेषण किया जाता है एवं उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों, ठेकेदार, कर्मियों, आगंतुकों आदि में जागरूकता फैलाने के लिए प्लांट परिसर के अपेक्षित स्थान पर आवश्यक सुरक्षा चिह्न एवं संकेत प्रदान किए जाते हैं। मानकीकृत सुरक्षा सामान जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स और अन्य विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कर्मचारियों/अनुबंधित कामगारों द्वारा कार्य के निष्पादन के समय प्रयोग किए जाते हैं।

नालको ने अपने प्र. व वि. संकुल और ख. व परि. संकुल दोनों में ही व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) प्रदान कराया है। दोनों ही ओएचसी में योग्यताप्राप्त चिकित्सकों, योग्यताप्राप्त तकनीकी कर्मचारियों के साथ सभी आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) एवं डीओएफ एण्ड बी द्वारा मान्यताप्राप्त सक्षम बाहरी स्रोत की एजेंसियों के जरिए विधियों के अनुसार नियमित अंतराल पर नालको के सभी कर्मचारियों एवं ठेकेदार कर्मियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) करायी गई। दोनों ही कॉम्प्लेक्स में कोई व्यावसायिक बीमारी परिलक्षित नहीं हुई है।

इसके अलावा, एसएचई मामलों पर जागरूकता फैलाने के लिए नालको पर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समारोहों जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस, वनमहोत्सव, रासायनिक आपदा संरक्षा दिवस, ओजोन दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, विद्युत सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह, अग्नि सुरक्षा सप्ताह, रासायनिक आपदा संरक्षा दिवस, खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह मनाता है एवं बुलेटिन, समाचार पत्र एवं वार्षिक पत्रिकाओं आदि का निरंतर प्रकाशन करवाता है। नालको की सभी इकाइयों में ''ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान'' की व्यवस्था है। इसकी प्रतिक्रिया की जाँच के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से ''मॉक ड्रिल'' किया जाता है। इनमें त्रुटियों का पता लगाने के लिए नियमित सुरक्षा जाँच, वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा, वाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षाओं, ओएचएसएएस लेखापरीक्षाओं का संचालन किया जाता है एवं सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

नालको ने अपनी सभी उत्पादन इकाइयों के आसपास हरे-भरे परिवेश के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया है।

उपरोक्त के अलावा, इसकी उत्पादन इकाइयों में इस दिशा में ली गई कुछ नई परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

- रिफाइनरी संयंत्र में जल खपत एवं भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए उड़नशील राख के निपटान हेतु हाई कॉन्सेन्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी) का प्रावधान।
- रिफाइनरी संयंत्र में कास्टिक सोड़ा की पुनः प्राप्ति के लिए एवं जल और भूमि दूषण रोकने के लिए शुष्क निपटान के सुविधार्थ रेड मड फिल्ट्रेशन यूनिट का संस्थापन।
- प्रद्रावक संयंत्र में रॉडिंग शॉप-1 के कार्यस्थल आंगन में धूल के स्तर को कम करने के लिए डि-डस्टिंग यूनिटों की स्थापना एवं शुरू किए जाने का कार्य दिसंबर 15 में पूरा किया गया।
- नालको की विभिन्न उत्पादन इकाइयों में जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर में निरीक्षित आँकड़ों को निरंतर अपलोड करने के लिए आरटीडीएएस (रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम), परिवेशी वायु निगरानी स्टेशन एवं निस्सारी निगरानी स्टेशन कार्यान्वित किए गए हैं।
- सीएचपी-II क्रशर हाउस में पलायक धूल पर नियंत्रण रखने के लिए, डीई सिस्टम की स्थापना की गई है, जो सीपीपी के इस क्षेत्र में कोयले की पलायक धूल निस्सरण को नियंत्रित कर रही है।

सतर्कता सं संबंधित विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कतिपय विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरे में ''प्रगतिशील विवरण'' हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्त हो या अन्तर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

वर्ष 2015-16 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

परिशिष्ट-III

खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	**L27203OR1981GOI000920**
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय	नालको भवन प्लॉट नं. पी1, नयापल्ली भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई-मेल आईडी	investorservice@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16
7	क्षेत्र, जिसमें कंपनी संलग्न है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बॉक्साइट खानें : औद्योगिक समूह कोड 072 एल्यूमिना परिशोधक : औद्योगिक समूह कोड 201 एल्यूमिनियम स्मेल्टर : औद्योगिक समूह कोड 242 विद्युत उत्पादन : औद्योगिक समूह कोड 351
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है / जिन्हें प्रदान करती है	1. **एल्यूमिना** • निस्तप्त एल्यूमिना • एल्यूमिना हाइड्रेट • स्पेशियल्टी एल्यूमिना एण्ड हाइड्रेट्स **2. एल्यूमिनियम** • मानक पिण्ड • सॉ शिलिकाएँ • तार छड़ें • लट्ठे • ढली पट्टियाँ • समतल वेल्ड़ित उत्पाद (कुंडलिया, चद्दरें ओर चारखानेदार चद्दरें) • टी-पिण्ड **3. बिजली**
9	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य
	ख) भारत में स्थान	क) पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी -763008, ओड़िशा ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर - 759145, अनुगुल, ओड़िशा घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल - 759122, ओड़िशा ड) पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530035, आंध्र प्रदेश च) पवन ऊर्जा संयंत्र-I : गण्डीकोटा, जिला. वाईएसआर-कडप्पा, आंध्र प्रदेश छ) पवन ऊर्जा-II : जिला. जैसलमेर, राजस्थान ज) पत्तन कार्यालय : पारादीप झ) क्षेत्रीय कार्यालयों की सं. : 04 (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) ञ) शाखा कार्यालय : 01 (बेंगलूरु) ट) स्टॉकयार्ड की संख्या : 11 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, बेंगलूरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भिवंडी, सिलवासा, बडोदरा, दिल्ली)
10	कंपनी द्वारा सेवारत बाजार	कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिनियम बाजारों में (भारत के अतिरिक्त) बांग्लादेश, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, टर्की, थाइलैंड, इंडोनेशिया, चीन, यूएई, इजराइल, ताईवान, श्रीलंका, नीदरलैंड, इटली आदि शामिल हैं। हमारी जरूरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिना बाजार (भारत के अतिरिक्त) : चीन, इजिप्ट, ईरान, यूएई, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि शामिल है।

खण्ड खः कंपनी के वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	31.3.16 को प्रदत्त पूंजी	आईएनआर (भारतीय रुपये) 1288.62 करोड़
2	कुल कारोबार	सकल कारोबार : आईएनआर 7156.53 करोड़, निवल कारोबार : आईएनआर 6703.33 करोड़
3	कर पश्चात कुल लाभ	आईएनआर 731 करोड़
4	निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय क) आईएनआर में : ख) कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में :	क) वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ***₹27.1665 करोड़*** व्यय किए गए। ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए उपरोक्त अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर **वास्तविक व्यय औसत निवल लाभ का 2.07% है।**
5	गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त के अनुसार सीएसआर पर व्यय किया गया है	*सीएसआर पर व्यय मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया है:* *क) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ* *ख) शिक्षा का प्रचार* *ग) स्वच्छता* *घ) पेयजल सुविधा* *ङ) पर्यावरणीय स्थायित्व* *च) ढांचागत विकास* *छ) खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रचार*

खण्ड गः अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी (कंपनियाँ) है?
   नहीं
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।
   लागू नहीं
3. क्या अन्य प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) (जैसे कि आपूर्तिकर्ताओं/वितरकों आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान / प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएं? (30% से कम, 30%-60%, 60% से अधिक)
   सभी व्यवसाय दायित्व प्रयास स्वयं संगठन द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं। आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि जैसे कोई अन्य प्रतिष्ठान इन प्रयासों में हिस्सा नहीं लेते हैं।

खण्ड घः व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

1. 31.3.16 तारीख को यथा अनुसार व्यवसाय दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरणः

   क) निदेशक (मा.सं.) : निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए
   निदेशक (उत्पादन) : संधारणीय विकास (एसडी) प्रयासों के लिए

   ख.1) नि.सा.उ. गतिविधियों के लिए बीआर प्रमुख का ब्यौरा :

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	02594088
2	नाम	श्री एस.सी. पाढ़ी
3	पदनाम	निदेशक (मा.सं.)
4	दूरभाष संख्या	0674-2300430
5	ई-मेल आईडी	dirhr@nalcoindia.co.in

   ख.2) स्थायी विकास के लिए बीआर प्रमुख का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआइएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	दूरभाष संख्या	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

ख.3) *सीएसआर एवं एसडी समितियों का गठन सन् 2011के दौरान किया गया था। वर्तमान समिति में 3 कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की बैठक तीन बार अर्थात् 15.05.2015, 07.07.2015 और 24.02.2016 को हुई।*

31.03.2016 को समिति के सदस्य हैं :

नाम	पदनाम	डीआईएन संख्या
श्री दीपंकर महंत	स्वतंत्र निदेशक	01583516
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र निदेशक	07346454
श्री महेश्वर साहू	स्वतंत्र निदेशक	00034051
श्री एस. सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन)	02594088
श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03618709
श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	06965313

2. सिद्धांत-वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ

नौ सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं :

सिद्धांत 1 (पी1) : *व्यवसाय का संचालन और अधिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।*

सिद्धांत 2 (पी2) : *व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान कर जो सुरक्षित हों और अपने जीवन-चक्र में स्थायी विकास में योगदान दें।*

सिद्धांत 3 (पी3) : *व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।*

सिद्धांत 4 (पी4) : *व्यवसाय सभी पक्षों के हित के अनुकूल हो एवं विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित व सीमांत (कमजोर) वर्गों के लिए हितकारी हो।*

सिद्धांत 5 (पी5) : *व्यवसाय से मानवाधिकारों को सम्मान एवं प्रोत्साहन प्राप्त हो।*

सिद्धांत 6 (पी6) : *व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।*

सिद्धांत 7 (पी7) : *व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं विनियमन नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखे।*

सिद्धांत 8 (पी8) : *व्यवसाय समावेशी व सम्पन विकास का पक्षधर हो।*

सिद्धांत 9 (पी9) : *व्यवसाय का अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ सम्बन्ध रहे और उन्हें मूल्यपरक लाभ प्रदान करने में उत्तरदायी भूमिका निभाए।*

2. क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना)

उपर्युक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) सिद्धान्तों (पी1 से पी9) के विषय में उत्तर इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या एनवीजी सिद्धांतों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ है/हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति सम्बन्धित पक्षों के विचार-विमर्श में बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें (50 शब्दों में) *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त बोर्ड निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक/अधिकारी कोई विशिष्ट समिति है जो इस नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को देखने के लिए ऑनलाइन लिंक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या सभी सम्बन्धित आंतरिक एवं वाह्य पक्षों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी में कोई आंतरिक तंत्र है जो इस नीति/नीतियों को कार्यान्वित करता है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों से सम्बन्धित कोई शिकायत निवारण तंत्र है जो नीति/नीतियों से सम्बन्धित पक्षों की शिकायतों की सुनवाई व समाधान करता है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या वाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतंत्र *लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

* *संधारणीय विकास (एसडी) नीति सभी नौ एनवीजी सिद्धांतों का समाधान करती है एवं हमारे संगठन को प्रयोज्य अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकों/ दिशानिर्देशों अर्थात् यूएनओ द्वारा गृहीत आईएसओ 26000, जीआरआई ढांचे एवं एसडी गोल्स 2030 के महत्वपूर्ण पहलुओं के सार को अभिगृहीत करती है। यह एसडी नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है। इस नीति के महत्वपूर्ण पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001, ओएचएसएएस 18001 एवं एसए 8000 के अनुरूप हमारी प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु लिए जाते हैं एवं ये प्रबंधन प्रणालियाँ आंतरिक लेखापरीक्षाओं के अलावा स्वतंत्र प्रमाणन संस्थाओं द्वारा आवधिक बाह्य लेखा परीक्षाओं के अधीन रहती हैं। वित्तीय प्रणालियाँ भी आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षा से गुजरती हैं।*

** *एसडी नीति का लिंक : www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf*

संधारणीय विकास नीति के अलावा, हमारे पास कुछ अन्य विशिष्ट नीतियाँ, कंपनी की निर्देशिका और दस्तावेज हैं जो नौ एनवीजी सिद्धांतों के सार एवं भाव को सुदृढ़ करते हैं। ये इस प्रकार हैं:

एनवीजी सिद्धांत	नीतियाँ, निर्देशिका, दस्तावेज
सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही	1. बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता 2. धोखाधड़ी रोकथाम नीति 3. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (भ्रष्टाचार विरोधी नीति) 4. सतर्कता निर्देशिका 5. विपणन दिशानिर्देश 6. क्रय निर्देशिका 7. संविदात्मक निर्देशिका 8. स्टोर्स निर्देशिका 9. अधिकार का प्रत्यायोजन 10. स्वतंत्र वाह्य निरीक्षण नीति

एनवीजी सिद्धांत	नीतियाँ, निर्देशिका, दस्तावेज
सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में संधारणीयता	व्यवसायजनित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति
सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन निर्देशिका
सिद्धांत 4: पणधारक वचनबद्धता	निगमित योजना एवं संकल्पना 2020
सिद्धांत 5: मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	एसए 8000 नीति
सिद्धांत 6: पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति
सिद्धांत 7: दायित्वशील सार्वजनिक नीति का समर्थन	निगमित योजना एवं संकल्पना 2020
सिद्धांत 8: समावेशी विकास	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति
सिद्धांत 9: मूल्यपरक ग्राहक सेवा	गुणवत्ता नीति

2(ख). क्रम सं. 1 के अन्तर्गत 2 क) में किसी सिद्धांत का उत्तर 'नही' है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें : (2 विकल्पों तक 'टिक' करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2.	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके									
3.	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है									
4.	अगले 6 महीने के अन्दर इस कार्य की योजना है									
5.	अगले 1 साल के अन्दर इस कार्य की योजना है।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

चूंकि सभी नौ एनवीजी सिद्धांतों के लिए उपर्युक्त क्रम सं. 1 में दिए गए प्रश्न का उत्तर हाँ है, अतः 2ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. व्यवसाय दायित्व (बीआर) से सम्बन्धित अभिशासन :

3.1 कंपनी के बीआर कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के अन्दर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से ज्यादा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बीआर कार्य-निष्पादन अर्थात् संगठन के सीएसआर एवं एसडी कार्यकलापों की समीक्षा एवं सलाह देने के लिए बोर्ड की समिति ने तीन बार अर्थात् 15.05.2015, 07.07.2015 और 24.02.2016 को बैठक की।

वर्ष 2015-16 के दौरान, औसतन चार महीनें में एक बार बैठक की गई।

3.2 क्या कंपनी बीआर या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

हाँ, सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवसाय संधारणीयता (बीआर) रिपोर्ट एवं वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) दिशानिर्देशों के आधार पर संधारणीय विकास (एसडी) रिपोर्ट दोनों वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, बीआर रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के अंश रूप में प्रकाशित किया गया था। इसका वेबलिंक है:

http://www.nalcoindia.com/investor/Annual-Report-2014_15.p

नवीनतम वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरई) दिशानिर्देशों अर्थात् जीआरआई जी 4 ढांचा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक विस्तृत एसडी रिपोर्ट भी प्रकाशित गई थी। इसका वेबलिंक है:

http://www.nalcoindia.com/download/Sustainable%20Development%20Report%202014-15.pdf

खण्ड ङ : सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 व्यवसाय का संचालन और अधिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए।

1.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी को सम्मिलित करती है?

नहीं।

क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी सम्मिलित करती है?

हाँ। संगठन में व्यवसाय की नैतिक आचार संहिता के प्रचार के लिए गठित नीतियाँ और दिशानिर्देश सभी पर लागू होते हैं। इसके तहत धोखाधड़ी रोकथाम नीति होती है जो किसी कर्मचारी के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या कोई बाहरी एजेंसी जिनका हमारे संगठन से व्यवसाय संबंध है, के प्रतिनिधि द्वारा की गई धोखाधड़ी या कथित धोखाधड़ी पर लागू रहती है। सामानों और सेवाओं के प्रापण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इंटिग्रिटी(विश्वसनीयता) पैक्ट का भी पालन किया जाता है। सार्वजनिक सूचना प्रकटन एवं सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (भ्रष्टाचार विरोधी नीति) भी कार्यान्वित की जाती है।

बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता, कार्यपालकों के लिए कंपनी सीडीए नियम एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए प्रमाणित स्थायी आदेश व्यापक रूप से संगठन के सभी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हैं।

1.2 विगत वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित पक्षों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा दिया गया संतोषजनक समाधान कितना प्रतिशत था?

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़ी सम्बन्धित पक्षों की 201 शिकायतें सतर्कता विभाग को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्षों से 25 शिकायतें लम्बित थी। 31.03.2016 को कुल 226 शिकायतों में से, 207 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है एवं 19 शिकायतें जाँच के विभिन्न स्तरों पर शेष हैं। कंपनी के नियमों के अनुसार, सीवीसी से प्राप्त कार्यात्मक दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित कार्य-पद्धति के आधार पर शिकायतों की विस्तृत जाँच की गई थी। जाँच-परिणाम की गंभीरता के आधार पर उचित कार्रवाई जैसे कि परामर्श पत्र जारी करना एवं हल्के/भारी दंड लगाना आदि की गई। रोकथाम सतर्कता उपाय के तौर पर, वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारों के लिए भी राय दी गई।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकों की 103 शिकायतें प्राप्त हुई थी एवं इन सबका वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है।

निवेशक संबंधी शिकायतों का विस्तृत विभाजन इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई शिकायतें	लम्बित शिकायते
स्कोर्स - सेबी	*3*	*3*	*शून्य*
स्टॉक एक्सचेंज	*5*	*5*	*शून्य*
व्यक्ति-विशेष, संस्थानों एवं अन्य	*95*	*95*	*शून्य*
कुल:	*103*	*103*	*शून्य*

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों के संबंध में, सम्बन्धित पक्षों द्वारा मांगी गई सूचना को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 01.04.2015 की तिथि को 18 लम्बित मामलों के अलावा, कुल 209 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से, 31.03.16 को स्थिति इस प्रकार है : 01 प्रश्न अन्य सार्वजनिक अधिकारी को स्थानांतरित करने समेत 184 प्रश्नों का समाधान किया गया है, 26 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है एवं शेष 17 प्रश्न जाँच के विभिन्न स्तरों पर हैं।

सिद्धांत 2: व्यवसाय केवल वे वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करे जो सुरक्षित हों और अपने जीवन-चक्र में स्थायी विकास में योगदान दे।

2.1 *आपकी 3 वस्तुओं या सेवाओं की सूची जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।*

तीन वस्तुएँ हैं: निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त धात्विक ग्रेड एल्यूमिना मानक के अनुसार उत्पादित ***निस्तप्त एल्यूमिना*** *एवं लंदन धातु बाजार (एलएमई) ग्रेड पंजीकरण के लिए अत्यावश्यक पी1020ए विनिर्देशों के समरूप तैयार* ***एल्यूमिनियम*** *की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। सीपीपी द्वारा उत्पादित* ***विद्युत*** *हमारे स्मेल्टर संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करता है एवं अधिशेष विद्युत, यदि है, की आपूर्ति ग्रिड को की जाती है।*

निविष्टियों के स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया, निविष्टियों एवं वस्तुओं के परिवहन, अपशिष्टों के निपटान आदि समेत वस्तु के जीवन चक्र में विभिन्न स्तरों पर संधारणीयता के सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन, अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, संकट पहचान एवं जोखिम आकलन, प्रबंधन कार्यक्रम, ऑन साइट आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ आदि हमारी वस्तुओं और प्रक्रियाओं के विषय में पर्यावरणीय और सामाजिक पक्षों पर ध्यान रखने के लिए यूनिटों में कार्यान्वित होती हैं।

प्रगतिशील खान बंदी योजना के अनुसार खानों में संधारणीय खनन पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं। हमारी वस्तुओं के लिए पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों अवसरों पर नीचे तालिका-क में निर्दिष्ट अनुसार ध्यान रखा जाता है:

तालिका : क

इकाई	उत्पाद	पर्यावरणीय जोखिम क्षेत्र	पर्यावरणीय चिंताएं	अवसर
एल्यूमिना परिशोधक	**निस्तप्त एल्यूमिना**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	• *उड़ती राख* • *चूना गिट्टी* • *अपशिष्ट जल* • *कास्टिक रिसाव* • *लाल कीचड़ (रेडमड)*	• *उड़ती राख का ईंटों, सीमेंट को तैयार करने, सड़क निर्माण, संगठन परिसर में निचले क्षेत्रों को भरने में उड़ती राख का उपयोग। उपयोग के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उड़ती राख के उपयोग को बढ़ाने पर बल देना।* • *उड़ती राख वाली ईंट के निर्माण में चूने की गिट्टी का उपयोग।* • *लाल कीचड़ से लौह सान्द्र एवं गैलियम का निष्कर्षण।* • *राख तालाब और लाल कीचड़ तालाब में से वापस जल का पुनर्चक्रण करके ऐश स्लरी पम्पिंग, रेड मड स्लरी निर्माण और कीचड़ की धुलाई में पुनः उपयोग।* • *पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण के लिए अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग।*
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	• वायू प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	• *भुक्त पॉटलाइनिंग का सृजन।* • *एल्यूमिनियम ड्रॉस का सृजन।* • *एफटीपी, पॉट प्रचालन से धुआं निकलना।* • *विभिन्न प्रचालन प्रक्रियाओं के दौरान बाथ सामग्री का रिसाव।* • *विभिन्न उपकरणों से अपशिष्ट तेल की उत्पत्ति।* • *ढलाई घर भट्ठियों, एनोड सिंकाई भट्ठी में एचएफओ के अपूर्ण दहन के कारण उच्च एचएफओ खपत*	• *सीमेंट उद्योग और ऊर्जा संयंत्र में भुक्त पॉटलाइनिंग का प्रयोग।* • *स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिनियम ड्रॉस के पुनर्चक्रण की व्यवस्था।* • *रिसाव रहित पॉट हुड्स का प्रयोग करके पॉटलाइन से एचएफ गैस रिसाव से बचाव। एफटीपी में शुष्क स्क्रबिंग विधि द्वारा एल्यूमिना में फ्लोराइड गैस का अवशोषण जिससे फ्लोराइन के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया हो पाती है।* • *स्वचलित शट ऑफ वाल्व का प्रावधान एवं स्पिलेज बाथ के पुनर्चक्रण की व्यवस्था।* • *बहु-विध तेल-जल सेपरेटर और अपशिष्ट तेल के सुरक्षित निकास का प्रचालन। रखरखाव व्यवहारों में सुधार।* • *ढलाई घर में स्वचलित कम्प्यूटर नियंत्रित बर्नर फायरिंग सिस्टम और एनोड सिंकाई भट्ठी में उच्च नियमन प्रणाली।*

इकाई	उत्पाद	पर्यावरणीय जोखिम क्षेत्र	पर्यावरणीय चिंताएं	अवसर
ग्रहीत विद्युत संयंत्र	विद्युत	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि प्रदूषण	• *धुंआ निकलना* • *उड़ती राख* • *अपशिष्ट जल*	• *ईंट निर्माण, सीमेंट प्लांट, सड़क निर्माण, निम्न स्तर के क्षेत्र के भूमिसुधार, परित्यक्त पत्थर की खदान, परित्यक्त कोयला खानों आदि में उड़नशील राख का प्रयोग।* • *राख स्लरी निर्माण में राख तालाव निस्तारण जल का पुनर्चक्रण।* • *बागवानी एवं पौधारोपण में एसटीपी जल का प्रयोग।*
खान	बॉक्साइट	• वायु प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • भूमि संदूषण	• *धूल* • *विस्फोटक* • *ओवरबर्डन*	• *धूल के दमन एवं बागवानी कार्यों के लिए प्रयोग हो चुके अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण।* • *खोद लिए गए क्षेत्र की पुनःभराई हेतु ओवरबर्डन सामग्री का पुनः उपयोग।* • *पौधारोपण के साथ भरे गए क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह खोद लिए हुए बंजर क्षेत्र को घने वन में रूपांतरण।* • *तालाबों में बरसाती पानी का संरक्षण एवं संचित जल का विभिन्न प्रयोगों के लिए उपयोग।* • *ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए विस्फोटन अनुक्रम में विलंब लाने हेतु एनओएनईएल का प्रयोग।*

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (ऐच्छिक)।

i) मूल्य शृंखला पर पिछले वर्ष से प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

संसाधनों के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ऊर्जा और कार्बन पर विशिष्ट खपत में उपलब्धि ***तालिका ख 1*** *एवं* ***तालिका ख 2*** *में दी गई है।*

- ***पीएटी चक्र-1 अर्थात् 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान हासिल विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) निर्दिष्ट लक्ष्य से बेहतर थी एवं वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षित अनुसार हासिल एसईसी नीचे तालिका में दी गई है:***

तालिका-ख 1

इकाई	बेसलाइन एसईसी (टीओई/टी में)	लक्षित एसईसी (टीओई/टी में)	हासिल (टीओई/टी में)	लक्षित कटौती (% में)	हासिल कटौती (% में)
एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स	5.474	5.199	5.109	5.024	6.66
एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स	0.325	0.307	0.306	5.54	5.85

- ***कुछ प्रमुख निविष्टियों की विशिष्ट खपत नीचे दी गई है:***

तालिका-ख 2

उत्पादन की विशिष्ट खपत प्रति इकाई	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि. वर्ष 2014-15)	वर्तमान वर्ष (वि.वर्ष 2015-16)
एल्यूमिना परिशोधक में एचएफओ की खपत	ली./टन	80.8	81.48	79.78
एल्यूमिना परिशोधक में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.620	0.669	0.662
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घं./टन	335	348.16	323.03
स्मेल्टर में डीसी ऊर्जा की खपत	कि.वा.घं./मे.टन	13500	13395	13453
स्मेल्टर में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./एमटी	430 + 10	431	426
शुद्ध बिजली उत्पादन पर सीपीपी में कोयले की खपत	कि.ग्रा./एमटी	0.90	0.912	0.905

ii) ग्राहकों द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

ग्राहकों द्वारा ऊर्जा, जल के प्रयोग के विषय में आँकड़ें, जानकारी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, हमारे ग्राहकों को निरंतर आधार पर विशिष्ट गुणमान सम्बन्धी आवश्यकताओं पर खरी वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं, जो उनकी तरफ से संयंत्रों का सुचारू प्रचालन सुनिश्चित करती हैं, ऐसे में ग्राहकों की कार्य-प्रक्रिया में ऊर्जा, जल और अन्य महत्वपूर्ण निविष्टियों के इष्टतम प्रयोग की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, हरित भवनों एवं प्रतिरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, एल्यूमिनियम के अन्तर्निहित गुणों के कारण संधारणीयता की दृष्टि से एल्यूमिनियम के प्रयोग की प्रचुर संभावनाएँ हैं, जो वजन में कटौती, ईंधन की कार्य-कुशलता में वृद्धि, पुनर्चक्रण आदि में सक्षम बनाती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग ऊर्जा खपत की कटौती सुनिश्चित करता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्य-पद्धतियाँ हैं?

हाँ।

बॉक्साइट और कोयले जैसी महत्वपूर्ण निविष्टियों के स्रोत के पास प्रमुख विनिर्माणी इकाइयों को स्थापित करते हुए कच्ची सामग्रियों का संधारणीय प्राप्ति स्रोत सुनिश्चित किया गया है। एल्यूमिना परिशोधक कैप्टिव बॉक्साइट खानों के बिल्कुल पास ही स्थित है एवं प्रमुख कच्ची सामग्री जैसे कि बॉक्साइट का परिवहन संयंत्र को हमारी खानों में संस्थापित केबल बेल्ट कन्वेयर तक लम्बी दूरी की एक ही उड़ान द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट की 100% आवश्यकता इस स्रोत से की जाती है। वर्ष के दौरान, हमारी बढ़ती जरूरतों एवं दीर्घमियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पोट्टांगी में लगभग 79 मिलियन टन बॉक्साइट की एक नई डिपॉजिट हमें बहुत जल्द आबंटित किए जाने की संभावना है। इससे संधारणीय बॉक्साइट उपलब्धता के मामले में कच्ची सामग्री के हमारे संरक्षण को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है।

इसी प्रकार, हमारे स्मेल्टर प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट मेसर्स एमसीएल के कोयला खानों के बिल्कुल समीप स्थित हैं, जहाँ से प्रचलित ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) के अनुसार कोयले की अधिप्राप्ति होती है एवं सड़क और रेल मार्ग द्वारा भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एक निर्दिष्ट मेरी गो राउंड (एमजीआर) कैप्टिव रेल सिस्टम भी मेसर्स एमसीएल के भरतपुर कोयला खानों एवं हमारे कैप्टिव पावर प्लॉट के बीच लगाया गया है, जिससे विद्युत संयंत्र को विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी कोयला परिवहन सुनिश्चित होता है। कोयले की उपलब्धता में कमी, यदि है, को अधिकतर कोल इण्डिया की सहायक कंपनियों द्वारा अधिसूचित एवं संचालित ई नीलामी द्वारा कोयले के क्रय के माध्यम से पूरा किया जाता है। आयातीत कोयले का भी विकल्प उपलब्ध है एवं इसे अमल में लाया जाता है, जो कि आकस्मिक आवश्यकताओं और विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर है। 200 मिलियन टन के कोयला संचय वाले उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के साथ कोयले की संधारणीय उपलब्धता में हमारी स्थिति में और भी सुधार आने की अपेक्षा की जाती है।

हमारे यूनिटों (इकाइयों) के समीप विक्रेताओं से स्रोत प्राप्ति द्वारा हमारे विक्रेता आधार को बढ़ाते हुए सभी महत्वपूर्ण निविष्टियों की संधारणीय आपूर्ति भी हम सुनिश्चित करते हैं। संधारणीय रूप में सभी निविष्ट सामग्रियों की प्राप्ति 100% प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा की जाती है। सभी थोक कच्ची सामग्रियों अर्थात, कास्टिक सोड़ा, चूना, सीटी पिच, सीपी कोक, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आदि की थोक आपूर्ति के लिए आदेश भी योग्यता मानदंड पूरा करने वाले बहु-विक्रेताओं में वितरित किया जाता है, ताकि आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार लाते हुए स्रोत प्राप्ति की संधारणीयता को बढ़ाया जा सके। हमारे खनन, परिवहन एवं निष्कर्षण कार्यकलापों में हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण रहने के कारण, पूरी कार्य-प्रक्रिया पर संधारणीयता सुनिश्चित की जाती है।

जल की प्राप्ति कंपनी द्वारा आवश्यक आधारभूत संरचना की व्यवस्थाओं के साथ इकाइयों के समीप नदी और दरिया से की जाती है।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

एक सुनिर्दिष्ट अनुषंगी विकास नीति का प्रबंध स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए किया गया है एवं स्थानीय विक्रेताओं के विकास

के लिए संगठन से सहयोग एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। हमारी इकाइयों में परिचालित एमएसएमई सरलीकरण प्रकोष्ठों से विक्रेताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तकनीकी मामलों, वाणिज्यिक नियम और शर्तों में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अनुषंगी इकाइयों की कुल संख्या 59 है। एमएसई से प्राप्त होनेवाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनी हॉल में अपेक्षित सामग्रियों एवं स्थानीय और लघु विक्रेताओं की सूचना के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ जैसे कि तकनीकी विनिर्देश, वार्षिक आवश्यकता, अंतिम क्रय आदेश में मूल्य आदि प्रदर्शित किए गए हैं। अक्तूबर '15 के दौरान एल्यूमिना परिशोधक में भी इसी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल का परिचालन किया गया था, जहाँ एमएसई विक्रेताओं से अधिप्राप्ति के लिए 50 सामानों की प्रदर्शनी की गई।

अनुषंगी इकाइयों एवं एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ऐसी इकाइयों के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं उनके लिए उपलब्ध कुछ वित्तीय प्रोत्साहन के साथ विभिन्न निविष्ट सामग्रियों एवं सेवाओं के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति 2012 के अनुपालन द्वारा क्रय मैन्युअल (निर्देशिका) में यथा उपयुक्त संशोधन किया जाता है। न्यूनतम उद्धृत मूल्य, साथ में पंद्रह प्रतिशत अर्थात् एल 1 + 15% की मूल्य सीमा में उद्धृत करने वाली एमएसई एवं अनुषंगी इकाइयों को क्रय प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुषंगी इकाइयों समेत ओड़िशा की एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति ₹236.64 करोड़ थी, जबकि एमएसई इकाइयों (ओड़िशा के बाहर की इकाइयाँ समेत) यह आँकड़ा ₹322.33 करोड़ था। एमएसई से अधिप्राप्ति वर्ष के दौरान कुल अधिप्राप्ति की 20.45% थी। वर्ष 2016-17 में इसके लिए लक्ष्य ₹323.18 करोड़ निर्धारित किया गया है।

स्थानीय एमएसई को शामिल करने एवं उनके अंशदान को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोस्ताहित करने के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष में दो सचल पीएलएसी उप-समिति बैठकें - क्रमशः जुलाई, 2015 एवं फरवरी, 2016 के दौरान एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स एवं एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स प्रत्येक में एक, आयोजित की गई।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-प्रापण के प्रचार के लिए, हमारे संगठन में कार्यान्वित ई-प्रापण प्रणाली सहारा देते हुए मार्गदर्शन देने समेत एमएसई विक्रेताओं को एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुल एवं एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी में वार्तालाप सभाओं एवं प्रशिक्षण सत्रों के जरिए सहयोग प्रदान किये गए थे। अजा/अजजा भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स में विशिष्ट कार्यक्रमों के संचालन द्वारा विक्रेता विकास क्षेत्र में भी ज्यादा बल प्रदान किया गया था। इस प्रयास के तहत लक्षित वर्ग में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित किया गया था।

विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शनियों में हमारी भागीदारी से कई विक्रेताओं को अत्यावश्यक अभिज्ञता एवं अनुप्रेरणा भी प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान हमने ऐसी प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया एवं कटक में एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ''एमएसएमई एक्सपो ओड़िशा-2015'' दिसंबर 15 प्रदर्शनी में मदर प्लांट श्रेणी में ''बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड'' से हम सम्मानित किए गए। इस कार्यकलाप में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन पर राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस क्षेत्र में हमारे इस प्रयास को एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने जनवरी, 2016 में आयोजित ''ओड़िशा एमएसएमई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016'' भुवनेश्वर में ''बेस्ट मदर प्लॉट'' पुरस्कार हमें प्रदान किया।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?

एल्यूमिनियम का एक प्राथमिक उत्पादक होने के कारण, यह प्रयास किया जाता है कि इस अनिवार्य विनिर्माण प्रक्रिया के अपशिष्टों का अधिक से अधिक पुनर्चक्रण किया जाये। स्मेल्टर की गलन भट्टियों में उत्पादित एल्यूमिनियम ड्रॉस स्वजनित मिलों में प्रसंस्कृत किया जाता है एवं बाथ सामग्री से धातु को अलग किया जाता है और प्राप्त धातु का पुनर्चक्रण किया जाता है। बाइपासिंग पॉट, पॉट हुड, पॉट काउल, अवशिष्ट धातु पैड आदि के लिए प्रयुक्त एल्यूमिनियम पच्चरों को पॉटलाइन स्क्रैप गलन भट्टी द्वारा गलाकर पुनर्चक्रण किया जाता है।

जल के सतत प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है एवं जहाँ भी संभव हो जल को पुनः प्राप्त एवं पुनःउपयोग किया जाता है। हमारी सभी उत्पादन इकाइयाँ अपने अपशिष्ट जल एवं मल-प्रवाह जल प्रबंधन के विषय में शून्य निस्सरण इकाइयाँ हैं। व्यवहृत अपशिष्ट जल का इस प्रक्रिया में पुनः

उपयोग किया जाता है एवं मल-प्रवाह जल बागवानी के कार्य में लाया जाता है। सीपीपी में राख तालाब के जल एवं परिशोधक में राख तालाब और लाल कीचड़ तालाब जल को राख पम्पिंग, लाल कीचड़ स्लरी तैयार करने एवं कीचड़ की धुलाई के लिए भी पुनर्चक्रण किया जाता है। खानों में, कैण्टीन एवं हेवी अर्थ मूविंग मशीनरियों (एचईएमएम) के परिष्करण क्षेत्र से उत्पन्न अपशिष्ट जल पूर्ण रूप से धूल दमन एवं बागवानी कार्य के लिए व्यवहृत एवं पुनः प्रयुक्त होता है। स्मेल्टर में व्यवहृत अपशिष्ट जल का प्रयोग वाहन को धोने एवं एनोड के शीतलीकरण में किया जाता है। हमारे स्मेल्टर प्लांट एवं टाउनशिप में विपरीत परासरण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल का संवर्धन एवं पुनर्चक्रण की योजना बनायी गई है। सीपीपी में, राख तालाब के उत्प्लावित जल का पुनर्चक्रण किया जाता है एवं राख निकास प्रणाली में पुनः उपयोग किया जाता है। वर्ष 2015-16 में, **सीपीपी राख तालाब से 1,49,30,800 घन मीटर जल एवं परिशोधक लाल कीचड़ तालाब से 38,13,309 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया था।** हमारे प्रचालनों में विभिन्न अपशिष्टों आदि की पुनः प्राप्ति एवं पुनः उपयोग नीचे **''तालिका ग''** में वर्णित है:

तालिका ग : अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग

इकाई	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खानें	उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ऊपरी भार का उपयोग	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल कीचड़ में से कास्टिक सोडा का पुनर्चक्रण	5.51%
	राख का उपयोग	98.67%
	राख तालाब जल का पुनर्चक्रण	93%
स्मेल्टर	एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रियागत निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	90.5%
	प्रयुक्त एनोड का पुनर्चक्रण	100%
सीपीपी	राख का उपयोग	66.52%

सिद्धांत 3: व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।

3.1 कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं :

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 7,100 मात्र है।

3.2 कृपया 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर किराये पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं:

इकाइयों, अस्पतालों एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुबंध आधार पर केवल छह व्यक्ति नियोजित किए गए। आतिथ्य, रखरखाव स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना कार्यकलापों जैसे क्षेत्रों में कार्यरत ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 9688 कामगारों को नियुक्त किया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं:

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 355 है।

3.4 कृपया निःशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं:

31.3.2016 की तिथि को नियमित नियोजन पर निःशक्त जनों की कुल संख्या 83 है।

3.5 प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?

हाँ, विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों में 29 पंजीकृत यूनियन हैं। किसी भी इकाई में बहुसंख्यक सदस्यता वाले यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया जाता हैं। कुल पाँच यूनियन है, जिनमें से चार उत्पादन इकाइयों में, प्रत्येक में एक एवं निगमित कार्यालय में एक यूनियन मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के रूप में परिचालित हैं। इन यूनियनों के अलावा, संगठन में छह कर्मचारी संघ भी परिचालित हैं।

3.6 इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है?

लगभग 99% कर्मचारी पंजीकृत यूनियन के सदस्य हैं। जहाँ तक मान्यता प्राप्त यूनियनों का संबंध है, 52% संघबद्ध कर्मचारी इन श्रमिक संघों के सदस्य हैं।

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल श्रमिकों, जबरन श्रमिकों, गैर-स्वैच्छिक श्रमिकों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लम्बित शिकायतों की संख्या बताएं।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	श्रेणी	31.03.2015 को लम्बित शिकायतों की संख्या	वि.व. 2015-16 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2016 को लम्बित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रमिक/जबरन श्रमिक/ गैर-स्वैच्छिक श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	01	01

3.8 नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था?

– **स्थायी कर्मचारियों, स्थायी महिला कर्मचारियों, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों, विसक्षम कर्मचारियों।**

उपर्युक्त प्रशिक्षण से संबंधित वस्तुस्थिति नीचे वर्णित है:

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा शक्ति	व्यक्तियों की सं. जो सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल हुए	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी	7100	2920	41.1 %
स्थायी महिला कर्मचारी	355	77	21.7 %
आउटसोर्सिंग कार्यों में ठेकेदारों द्वारा रखे गए कर्मचारियों समेत अनियमित/अस्थायी/ अनुबंधित कर्मचारी	9694	847	8.7%
विसक्षम कर्मचारी	83	10	12%

प्रतिवर्ष न्यूनतम 2.2 व्यक्ति-दिवस का प्रशिक्षण प्रत्येक स्थायी कर्मचारी के लिए विवेचित होता है एवं निर्धारित समय में कर्मचारी की सभी श्रेणियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सिद्धांत 4 : व्यवसाय सभी पक्षों के हित में हो और विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के हित में हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य संबंधित पक्षों की सुव्यवस्था की है?

हाँ। सम्बंधित पक्षों से तात्पर्य वे हैं, जिन्होंने हमारी इकाइयों या इसके आसपास के किसी स्थान पर हमारे प्रचालनों को प्रभावित किया है या वे जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं। वे आंतरिक अर्थात् संगठन के कर्मचारी या बाह्य अर्थात् ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, निवेशक, सरकार और उनके प्रतिनिधि एवं समिति, स्थानीय समुदाय, नियंत्रण प्राधिकारी, सेवा प्रदाता एवं कार्य ठेका कामगार, उद्योग संघ आदि हैं। आंतरिक एवं वाह्य संबंधित पक्षों की चिंताएँ एवं अवधारणाएँ गृहीत होती हैं एवं संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने एवं प्रत्युत्तर के लिए उपयुक्त कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु औपचारिक या अनौपचारिक संचार माध्यमों के जरिए समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है।

4.2 उपर्युक्त में से, क्या आपकी कम्पनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर पक्षों (स्टेकहोल्डरों) की पहचान की है?

हाँ। पर्यावरण प्रभाव आकलन के दौरान हमारे खानों, संयंत्रों आदि के आसपास सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आधारभूत मूल्यांकन किया गया। प्रचालन क्षेत्र जैसे कि खान, संयंत्र ऐसे स्थानों में स्थित हैं जहाँ के अधिकांश निवासी आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं संवेदनशील

सामाजिक स्तर के है। हमारी सामाजिक परिकल्पना एवं कार्य योजना आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं संवेदनशील सामाजिक वर्ग से ऐसे कमजोर पक्षों के मसलों पर जोर देती है।

4.3 सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर सम्बंधित पक्षों को नियोजित करने के लिए क्या कम्पनी ने कोई विशेष प्रयास किया है?

आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं संवेदनशील सामाजिक वर्ग के ऐसे कमजोर सम्बंधित पक्षों के लिए कुछ विशेष कदम, प्राथमिक मुद्दों में शामिल निम्नानुसार हैं:

1. *संयंत्र एवं खानों के आसपास गाँवों का अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण*
2. *कन्या शिशुओं एवं आदिवासियों पर विशेष ध्यान देते हुए गुणमान शिक्षा प्रदान*
3. *पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता*
4. *ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण*
5. *आसपास गाँवों में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण*

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5. 1 क्या कम्पनी की मानवाधिकार नीति केवल कम्पनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी शामिल करती है?

हाँ। मानवाधिकारों की नीति हमारे सभी कर्मचारियों, अनुबंधित श्रमिकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सम्मिलित करती है। विविध प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948 , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1972 आदि के अनुसार अनिवार्य मानवाधिकार अभ्यास पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कार्यान्वित होते हैं एवं आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए आवश्यक जाँच एवं मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, कार्य ठेका परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मसले जैसे कि बाल श्रमिक, जबरन एवं अनिवार्य श्रम पर यथा उपयुक्त ध्यान रखा जाता है ताकि मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन न होने पाए। निगमित कार्यालय समेत हमारी इकाइयों को एसए 8000 से प्रमाणित किया गया है।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में सम्बंधित पक्षों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषप्रद समाधान किया गया?

वर्ष के दौरान अर्थात् जनवरी 2016 में यौन उत्पीड़न से जुड़ी एक शिकायत प्राप्त हुई थी एवं प्राप्त शिकायत की जाँच-पड़ताल 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्रगति स्तर पर थी। (3.7 देखें)

सिद्धांत 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करें और उसे बनाये रखने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी शामिल करती है ?

हमारी इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001 के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाता है एवं हमारी सभी इकाइयों, कार्यालयों में निगमित पर्यावरण नीति लागू है। इकाइयों ने निगमित पर्यावरण नीति के दिशानिर्देशों से निगमित पर्यावरण उद्देश्यों को अपने प्रचालन क्षेत्रों के लिए निरूपित किया है। आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार भी 'एनआईटी' और कार्यादेशों में सम्मिलित खण्डों द्वारा नीति के दायरे में सम्मिलित हैं।

6.2 क्या कम्पनी ने वैश्विक पर्यावरण के विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ/प्रयास किया है? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक बताएं।

वैश्विक पर्यावरण के विषय जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि आदि के समाधान के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

- *दो पवन विद्युत परियोजना एक गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा. और दूसरी जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा. कार्यरत है।*

- *निगमित कार्यालय एवं टाउनशिप, भुवनेश्वर में 160 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) एवं 100 केडब्ल्यूपी क्षमता के दो रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र परिचालित हैं।*
- *दो पवन ऊर्जा परियोजनाएँः महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. एवं राजस्थान में 50.0 मे.वा. की स्थापना हेतु अधिप्रापण कार्य जनवरी'16 में लिया गया है।*
- *मध्यप्रदेश में 20 मे.वा. सौर पीवी विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना बनाई गई है।*
- *नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), गोठपटणा, भुवनेश्वर में मार्च'16 के दौरान एक 50 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर परियोजना के संस्थापन हेतु अधिप्रापण कार्य हाथ में लिया गया है।*
- *दामनजोड़ी, अनुगुल और विशाखापटनम में नालको के विभिन्न स्थानों पर रूप टॉप सौर संयंत्रों की स्थापना से सम्बंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।*

निष्पादन, हासिल एवं व्यापार (पीएटी) योजना जो कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु बाजार आधारित कार्यविधि है, के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने तीन वर्षों की अवधि अर्थात् अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान विशिष्ट ऊर्जा खपत की कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। हमारे संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता प्रयासों के जरिए एम एण्ड आर एवं एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स दोनों में ये लक्ष्य हासिल किए गए थे। विभिन्न इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण पर प्रमुख प्रयास वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

6.3 क्या कम्पनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है?

हाँ। प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है ताकि पर्यावरण के संभावी जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन हो सके और निर्दिष्ट प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाए जा सके। खान क्षेत्रों में अनुमोदित खान बन्दी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है जिसमें संधारणीय खनन कार्य शामिल है। परिस्थल विनिर्दिष्ट वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन योजना की भी उपयुक्त प्रयासों को अमल में लाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, हमारे सभी संयंत्रों अर्थात् एल्यूमिना परिशोधक, स्मेल्टर एवं सीपीपी में मुख्य व्यवसाय गतिविधियों से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा की जाती है। खानों और सभी संयंत्रों के लिए अवस्थिति - प्रभाव विश्लेषण किया जाता है एवं महत्वपूर्ण प्रभावी क्षेत्रों के लिए इन्हें कम करने के उपयुक्त उपाय अपनाए जाते हैं। इससे विभिन्न पर्यावरणीय प्रयासों को आधार मिलता है। उत्पाद के जीवनचक्र पर जोखिम की पहचान की जाती है एवं उपर्युक्त 2.1 में विस्तार से वर्णित है।

हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन के अंश के तौर पर, हम एनोड प्रभावों के दौरान स्मेल्टर में प्राथमिक एल्यूमिनियम न्यूनीकरण प्रक्रिया में उत्पादित परफ्लोरोकार्बन्स (पीएफसी) निस्सरण पर निगरानी रखते हैं। एनोड प्रभाव प्रक्रिया विकल स्थिति है, जहाँ अपर्याप्त परिमाण में एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट बाथ में घोला जाता है। इससे पॉट में वोल्टेज सामान्य प्रचालन रेंज से बढ़ जाएगा, फलस्वरूप पीएफसी; टेट्राफ्लोरोमिथेन (सीएफ4) एवं हेक्साफ्लोरोइथेन (सी2एफ6) से समाविष्ट गैस का निस्सरण होता है। स्मेल्टर प्लांट अत्याधुनिक एएलपीएसवाईएस पॉट नियामक प्रणाली से सज्जित है, जो पॉट में एल्यूमिना की यथा समय खुराक देते हुए एनोड प्रभाव की आवृत्ति एवं अवधि को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान, स्मेल्टर पॉटलाइन से पीएफसी निस्सरण का आकलन एपी (एल्यूमिनियम पेशिनी) ओवरवोल्टेज विधि से किया गया है एवं मान नीचे दिए गए हैं:

सीएफ4(किलो./टन एल)	**0.0384**
सी2एफ6 (किलो/टन एल)	**0.0046**

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से सम्बंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय रिपोर्ट दायर की गई है?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के तहत पवन ऊर्जा परियोजनाएँ ली गई हैं, क्योंकि इन परियोजनाओं से जीएचजी निस्सरण में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ हैं जो पवन ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पन्न करती हैं।

गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र-सीडीएम परियोजना

सीडीएम परियोजना गतिविधि ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त किया है जो भारत में राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) है। परियोजना गतिविधि को 'यूएनएफसीसीसी' मान्यता प्राप्त अभिहित प्रचालनीय संस्था (डीओई) द्वारा वैधता प्रदान की गई है। 'यूएनएफसीसीसी' के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। इससे अनुमान है कि प्रतिवर्ष औसतन जीएचजी धुआं निस्सरण में 85927 टन कार्बन डाई ऑक्साइड तक कमी होगी।

जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम पणधारी सलाहकारी बैठक परियोजना स्थल पर आयोजित की गई थी। परियोजना रूपरेखा दस्तावेज (पीडीडी) और परियोजना संकल्प नोट (पीसीएन) जमा किए जाने के बाद राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से 16.11.2015 को मेजवान देश से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। 'यूएनएफसीसीसी' के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रकियाधीन है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष औसतन जीएचजी धुआं निस्सरण में 83,426 टन कार्बन डाई ऑक्साइड तक कमी होगी।

6.5 क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक बताएं।

हाँ। हरित ऊर्जा उत्पादन अर्थात् पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

उपर्युक्त पवन ऊर्जा संयंत्रों के अलावा, अन्य प्रयास जो कार्यान्वित हुए:

- *सीपीपी में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रायोगिक सह प्रदर्शन संयंत्र।*
- *निगमित कार्यालय, भुवनेश्वर में 160 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र।*
- *नालको नगर टाउनशिप, भुवनेश्वर में सौर रूफ टॉप संयंत्र (100 केडब्ल्यूपी)*

नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में सूचना हमारी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

6.6 रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अंदर है?

कम्पनी की प्रचालन इकाइयों द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है। इस सूचना से संलग्न पर्यावरणीय विवरण प्रत्येक वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ)।

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किए जाए।

7.1 क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है। यदि हाँ, तो कुछ प्रमुख संघ का नाम बताएं, जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा है:

हाँ, कम्पनी, विशेषकर एल्यूमिनियम उद्योग एवं साधारणात्मक खानों, धातु एवं रसायन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती है एवं निम्नलिखित प्रतिष्ठित उद्योग संघों में सदस्यता ली है:

1. *भारतीय एल्यूमिनियम संघ*
2. *सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली*

3. *भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली*
4. *राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई*
5. *सीआईआई का टीक्यूएम विभाग*
6. *भारतीय गुणवत्ता मण्डल मंच, सिकंदराबाद*
7. *भारतीय सेरामिक सोसाइटी, कोलकाता*
8. *भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली*
9. *उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कटक*
10. *इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता*
11. *भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली*
12. *इंटरनैशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली*
13. *ओड़िशा उत्पादकता परिषद, कटक*
14. *राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, कोलकाता*
15. *अखिल भारतीय प्रबंधन संघ*
16. *अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली*

7.2 क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी/समर्थन प्राप्त किया है ? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अधिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा संरक्षण, जल, खाद्य संरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

हमारा संगठन, संधारणीय विकास के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंदर सार्वजनिक वस्तु के प्रचार के लिए उद्योगों, खानों के विकास से सम्बंधित सार्वजनिक नीतियों के समर्थन के लिए उपर्युक्त मंचों और साथ ही अन्य सामूहिक मंचों जैसे कि भारतीय एल्यूमिनियम संघ, एफआईएमआई, सीआईआई आदि का उपयोग करने के लिए प्रयासरत है। प्रमुख मुद्दे हैं:

- *भविष्य के लिए संधारणीय एवं कूटनीतिक सामग्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के प्रयोग को बढ़ाना*
- *पर्यावरणीय प्रबन्धन*
- *उड़नशील राख के उपयोग को बढ़ाने की राहें विकसित करना*
- *खनिज संरक्षण सहित विकासशील खनन अभ्यास*
- *कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य*
- *ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण*
- *जलवायु परिवर्तन कार्य योजना*
- *समावेशी विकास एवं समान वृद्धि*
- *दक्षता विकास एवं रोजगार उत्पत्ति*
- *उद्योगों की उन्नति द्वारा आर्थिक नेतृत्व*
- *कर्मचारियों की सहभागिता एवं कार्य जीवन में संतुलन*
- *नैतिक व्यवसाय अभ्यास एवं सुशासन*

सिद्धांत 8: व्यवसाय समावेशी विकास और समान उन्नति का पक्षधर हो।

8.1 क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से सम्बन्धित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो इनका विवरण दें।

हाँ। समावेशी विकास के प्रचार के लिए आसपास गाँवों में वर्ष 2015-16 के दौरान जो विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, वे हैं:

i) दामनजोड़ी में हमारी इकाइयों के आसपास गाँवों में बच्चों के लिए शिक्षा का प्रचार, औपचारिक शिक्षा को प्रायोजित करना

ii) दामनजोड़ी एवं अनुगुल में हमारी इकाइयों के आसपास गाँवों में स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ प्रदान करना

iii) स्कूलों में शौचालयों का निर्माण

iv) पेय जल आपूर्ति परियोजनाएँ

v) आधारभूत संरचना का विकास कार्य

vi) पौधारोपण कार्य

8.2 क्या संगठन की टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाह्य एनजीओ/सरकारी तंत्रों/किसी अन्य संगठन के जरिए कोई कार्यक्रम/परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है?

सीएसआर नीति के जरिए सीएसआर कार्यकलाप अर्थात् कम्पनी के पंजीकृत न्यास, नालको फाउंडेशन द्वारा या बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के आधार पर विभागीय रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं। चिह्नित परियोजनाओं के आधार पर नीति के अनुसार, प्रबंधन के पास ऐसी परियोजनाओं का भार लेने में तीन वर्षों का प्रमाणित रिकॉर्ड रखने वाले एनजीओ/विशेषीकृत एजेंसियों/संस्थानों आदि को सम्मिलित करते हुए सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित करने का विकल्प उपलब्ध है।

8.3 क्या आपने अपने प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है?

हाँ. वर्ष 2012 के दौरान नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन ओड़िशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट द्वारा संचालित किया गया था।

8.4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कम्पनी का प्रत्यक्ष सहयोग कितना है - भारतीय रुपये में राशि एवं ली गई परियोजनाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल ***₹27.1665 करोड़*** *सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय किए गए थे।*

निष्पादन के लिए ली गई परियोजनाओं के विवरण हैं:

i) दामनजोड़ी क्षेत्र के आसपास के 18 गाँवों के 655 छात्रों को तीन आवासीय विद्यालयों अर्थात् कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), भुवनेश्वर; कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन (केडीएफ), जयपुर; विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। छात्रों की शिक्षा, आवास एवं भोजन व्यवस्था से संबंधित कुल वार्षिक व्यय संगठन द्वारा वहन किया गया।

ii) सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यों के जरिए निःशुल्क औषधियाँ, नैदानिक एवं जागरूकता प्रसार समेत गाँववासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी में 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) और एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुल में 3 मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) नियोजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान दामनजोड़ी और अनुगुल के आसपास गाँवों से कुल 1,05,562 रोगियों की चिकित्सा की गई।

iii) भारत सरकार द्वारा चालू की गई स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत कोरापुट एवं अनुगुल जिले, ओड़िशा एवं विशाखापत्तनम जिला, आंध्रप्रदेश के विद्यालयों में 433 शौचालयों का निर्माण किया गया।

iv) *वर्ष 2015 में नवकलेवर के दौरान पुरी में नालको के वित्तीय सहयोग से 250 अस्थायी शौचालय बनाए गये।*

v) *वर्ष 2015 में नवकलेवर के दौरान पुरी में तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को 10 लाख जीवाणु रहित पेय जल पाउच प्रदान किए गए।*

vi) *आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक सामुदायिक उत्सव 'परब', कोरापुट के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।*

vii) *आसपास के गाँवों में पेय जल आपूर्ति एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए परियोजनाएँ निष्पादित की गई।*

viii) *हमारी इकाइयों के आसपास एवं भुवनेश्वर के चारों ओर पौधारोपण कार्य का निष्पादन किया गया।*

ix) *''बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ'' के सरकारी लक्ष्य के अनुरूप ''नालको र अलिआलि झिअ'' के रूप में प्रतिभावान एवं निर्धन कन्या छात्राओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए धनराशि के सहयोग द्वारा एक योजना कार्यान्वित की गई है।*

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में इसे बताएं।

गाँवों में ली गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समुदायों की सहभागिता को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैचारिक चरण से ही समुदाय की पूरी सहभागिता के साथ इन प्रयासों की रूपरेखा तैयार की गई है। गाँव स्तर के विकास समुदाय, निर्दिष्ट अवधि में लिए जाने वाले विकास कार्यों हेतु अपनी राय सामने रखते हैं जिसके आधार पर गाँव में समुदाय विकास प्रयासों के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं आवधिक निगरानी की जिम्मेदारी भी समिति के सदस्यों को सौंपी जाती है।

सिद्धांत 9: व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से सम्बद्ध रहे एवं दायित्वशील तरीके से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2016 को यथा ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?

31.3.2016 को यथा लम्बित ग्राहक शिकायतें, कुल ग्राहक शिकायतों अर्थात् 31.03.2015 को यथा लम्बित एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त शिकायतों का 8.7% है। ग्राहक शिकायतों पर वस्तुगत रिपोर्ट इस प्रकार है:

31.3.2015 को लम्बित शिकायतें	*1*
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त शिकायतें	*22*
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निपटायी गई शिकायतें	*21*
31.3.16 को लम्बित शिकायतें	*2*
31.3.16 को लम्बित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	*8.7%*

31.03.2016 को लम्बित दो ग्राहक शिकायतों में से एक शिकायत का समाधान 12.05.2016 को पहले ही कर लिया गया है। इस समय केवल एक ग्राहक शिकायत लम्बित है।

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा, उत्पाद के लेबल पर क्या कम्पनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं, अनिवार्य पहलू के अलावा हम उत्पाद संबंधी कोई अन्य जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं।

नियमों द्वारा निर्धारित प्रथाओं का अनुसरण करते हुए उत्पाद लेबलिंग के संबंध में हम अपेक्षाओं का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, एल्यूमिनियम धातु के मामले में उत्पाद के ग्रेड, स्टैक सं., बण्डल सं., निवल वजन की प्रदर्शनी उत्पाद लेबल पर की जाती है। रोल्ड प्रोडक्ट के मामले में, कम्पनी के नाम एवं उत्पादन इकाई और स्थान, कॉयल सं., ग्रेड, माप (मोटाई x चौड़ाई) मि.मी. में, निवल वजन (कि.ग्रा. में) जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब-स्टैक की सं. एवं शीट की कुल सं. प्रति पैकेट (केवल रोल्ड शीट के लिए) की प्रदर्शनी उत्पाद के लेबल पर की जाती है।

9.3 क्या किसी सम्बंधित पक्ष (स्टेकहोल्डर) ने गत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी - विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित है? यदि है, तो इसका विवरण दें।

नहीं।

किसी भी सम्बंधित पक्ष द्वारा गत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरूद्ध कोई अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की है।

9.4 क्या आपकी कम्पनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती हैं?

हाँ।

संधारणीय विकास नीति सम्बंधित पक्षों के लिए मूल्य सृजन को बढ़ाने हेतु आर्थिक मसलों के समाधान से सम्बंधित है एवं गुणवत्ता नीति व्यावसायिक उत्कृष्टता हासिल करने में निर्दिष्ट मार्ग के रूप में हमारे कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार लाते हुए ग्राहक की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर केन्द्रित है। विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक साधनों के जरिए प्राप्त ग्राहक प्रतिक्रिया से अपेक्षित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं जिससे हम महत्वपूर्ण कार्य-प्रक्रियाओं जैसे कि विपणन, उत्पादन, प्रकिया नियंत्रण आदि की आवधिक समीक्षा कर सकें एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए हमारे प्रयासों को योजनाबद्ध कर सकें।

हर वित्तीय वर्ष में छह महीने के आधार पर, सितंबर एवं मार्च की समाप्त अवधि के लिए ग्राहक संतुष्टि समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा से हमें ग्राहक संतुष्टि अनुक्रमणिका की गणना करने एवं ग्राहकों की धारणाओं के अभिग्रहण में मदद मिलती है। इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि हम हमारे कार्यनिष्पादन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन्हें आंतरिक रूप से निर्देश चिह्न के रूप में स्थापित कर सकें।

वर्ष 2015-16 के दौरान, अर्ध-वार्षिक ग्राहक संतुष्टि समीक्षाओं के अन्तर्गत सभी प्रतिक्रियादाताओं ने हमारे समग्र कार्यनिष्पादन को खान मंत्रालय के तहत समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित सीएसआई लक्ष्य से अधिक का दर्जा दिया है। इसके अलावा, समीक्षा का प्रत्युत्तर देने वाले एवं निर्धारित लक्ष्य से अधिक का दर्जा देने वाले ग्राहक का प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है यानी 2014-15 के 89.30% से वृद्धि 2015-16 में 90.60% पहुँच गई।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट

परिशिष्ट-IV

क) ऊर्जा संरक्षणः

i) ऊर्जा संरक्षण पर कुछ कदम एवं प्रभावः

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण पर कार्यान्वित प्रमुख पहल और उनके प्रभाव नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

क) बॉक्साइट खानें

1. 4x13 टन एयर कंडीशनर (एसी 2 एवं 4) की बाहरी इकाइयों में वायु प्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त हुए कण्डेन्सर कॉयल के प्रतिस्थापन एवं सभी 04 नग एसी की आरूढ़ व्यवस्थाओं के रूपांतरण कार्य का निष्पादन किया गया, इस सुदक्ष स्वच्छता के फलस्वरूप 3 टीओई (लगभग) की निवल वार्षिक ऊर्जा की बचत हुई।
2. 50 नग सीलिंग पंखों को 2 स्टार ऊर्जा दक्ष सीलिंग पंखों से बदला गया, जिससे 0.1 टीओई (लगभग) की निवल वार्षिक बचत हुई।

ख) एल्यूमिना रिफाइनरी

1. एसपीपी के बॉयलर # 2 में विद्यमान एयर प्रि हीटर (एपीएच) यूनिट को एक नए एपीएच से बदला गया, जिससे फ्लू गैस से दहन वायु में प्रभावी ऊष्मा स्थानांतरण हासिल करते हुए बेहतर दहन दक्षता प्राप्त हुई। इससे 2450 टीओई की ऊर्जा बचत हुई है।
2. कन्वेयर 5 ए, 5 बी एवं 6बी में मैग्ना चालित कपलिंग की स्थापना से विद्युत ऊर्जा खपत में 1.88 टीओई की कमी आई है एवं अन्य प्रचालन संबंधी फायदे जैसे कि कंपन में महत्वपूर्ण कमी, ओ एण्ड एम में सहूलियत प्राप्त हुई है।
3. डम्प स्टीम कन्डेन्सर स्टीम कंट्रोल वाल्व सफलतापूर्वक बदले गए, जिससे स्टीम यानी वाष्प निष्कासन को कम किया गया, इस प्रयास से 2912 टीओई की ऊर्जा बचत हुई।
4. 06 क्षेत्र से पुराने पीएचई प्लेट के इस्तेमाल द्वारा वाष्पीकरण क्षेत्र में प्लेट हीट एक्सचेंजर (पीएचई) में रूपांतरण सफलतापूर्वक किया गया था, जिससे तापीय ऊर्जा में लगभग 205 टीओई की बचत हुई। इस रूपातरण से एसपीपी को शीतल सोडिक संघनन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

ग) स्मेल्टर प्लांट

स्मेल्टर प्लांट में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गर्म धातु के 13500 किलोवाट घं./एमटी के निर्दिष्ट लक्ष्य की तुलना में 13453 किलोवाट घं./एमटी रही। यह सभी पॉट लाइनों में एएलपीएसवाईएस पॉट नियामक प्रणाली के प्रयोग द्वारा हासिल हुई, इससे एनोडिक समस्याएं कम करने, वेज और स्टेम बीम कम करने में मदद मिली है। आलेखित कैथोड ब्लॉक, छिद्रित एनोडों के प्रयोग और रनिंग पॉट में एनोड स्टब होल एवं पिन की लम्बाई बढ़ाने से भी ऊर्जा सुदक्षता में सुधार आया है। वर्ष के दौरान निष्पादन, हासिल एवं व्यापार चक्र 1 के तहत स्मेल्टर में कुछ अन्य परियोजनाएँ निष्पादित हुई, जैसे कि

i) टी 5 लैम्पों से टीएफल ट्यूबों को बदलना।

ii) प्लांट एवं टाउनशिप क्षेत्रों में टाइमर आधारित आलोक प्रणाली का प्रयोग।

iii) मानक मोटरों के स्थान पर ऊर्जा सुदक्ष मोटरों का प्रयोग।

इन सबसे 1515 टीओई की कुल वार्षिक ऊर्जा बचत में सहयोग मिला।

घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र

1. कूलिंग वाटर पम्प हाउस के ऑग्जिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम में एक ऊर्जा सुदक्ष 850 कि.वा. मोटर (सीमेन्स प्रस्तुत) के संस्थापन से अनुमान है कि विद्युत खपत में प्रायः 60 टीओई (लगभग) की बचत हुई।
2. ऊर्जा बचत के प्रयोजन से कॉपर चोक के बदले ऊर्जा सुदक्ष ट्यूब लाइट फिटिंग्स (2x28 वाट) एवं इलेक्ट्रॉनिक चोक का क्रय एवं संस्थापन कार्य जारी है। इस वर्ष कुल 474 नग ट्यूब लाइट फिटिंग्स एवं 693 इलेक्ट्रॉनिक चोक बदले गए हैं, जिससे 78.5 टीओई प्रतिवर्ष की बचत होगी।
3. कूलिंग टॉवर के निष्पादन में सुधार लाने के लिए, अतिरिक्त लॉकिंग व्यवस्था के साथ 4 यूनिटों को कूलिंग टॉवर पखों के निरीक्षण दरवाजे प्रदान किए गए हैं ताकि दरवाजों को बाहर निकलने से रोका जा सके। इसके अलावा, कूलिंग टावर -7 एवं 8 में क्षतिग्रस्त ड्रिफ्ट

एलिमिनेटर को बदला गया ताकि कार्य-निष्पादन में उन्नति आ सके। इन प्रयासों अर्थात् दरवाजों को बंद करने एवं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की बदली से कूलिंग टावर की कार्यकारिता में अनुमानतः 1% का सुधार आया है।

2016-17 में समापन की योजना के साथ 2015-16 के दौरान प्रस्तावित या प्रगति के अधीन ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ:

1. **एल्यूमिना रिफाइनरी:** दो नग एल्यूमिनेट लिकर पम्प अर्थात् पी-128 एवं पी-129 को ज्यादा उच्च क्षमता के ऊर्जा सुदक्ष पम्पों से प्रोन्नत किया जाएगा, जिससे विद्युत ऊर्जा खपत में कमी 8% तक होगी।

2. **प्रद्रावक:**
   - 140 पॉट में ग्राफाटाइज्ड कैथोड ब्लॉक के प्रयोग से 340.5 टीओई प्रतिवर्ष ऊर्जा बचत हुई।
   - टीएफएल लैम्पों को एलईडी लैम्पों बदलने से प्रति वर्ष 2.5 टीओई ऊर्जा की बचत हुई।

3. **सीपीपी:** ब्राह्मणी नदी से पानी निकालने में कमी लाने के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। बरसाती पानी के संचय के लिए एक तालाब का उत्खनन पहले ही कर लिया गया है। बरसाती पानी के संचय वाले तालाब में पाइप लाइन की स्थापना एवं 02 नग पम्पों को चालू किए जाने का कार्य प्रगति पर है एवं बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल से लगभग 200 घन.मी./घं. तक नदी के पानी को निकालने में कमी अर्थात् 4% कमी आएगी एवं ऊर्जा खपत में लगभग 3 टीओई प्रति वर्ष की बचत होगी।

ii) ऊर्जा के वैकिल्पक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम:

1. 100 केडब्ल्यूपी एसपीवी रूफटॉप संयंत्र: नालको नगर, भुवनेश्वर में 100 केडब्ल्यूपी एसपीवी रूफटॉप संयंत्र 25.09.2015 को आरंभ किया गया था।
2. 100 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र: दो पवन ऊर्जा परियोजनाएँ महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. एवं राजस्थान में 50.0 मे.वा. के संस्थापन हेतु वर्ष के दौरान अर्थात् जनवरी 2016 में आदेश दिया गया था।
3. 20 मे.वा. सौर पीवी ऊर्जा परियोजना: मध्य प्रदेश में एक 20 मे.वा. सौर पीवी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की योजना बनाई गई है।
4. 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र: नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), गोठपाटणा, भुवनेश्वर में एक 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर परियोजना की स्थापना के लिए मार्च 2016 के दौरान आदेश दिया गया था।
5. 10 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र: खान में प्रशासन भवन के रूफटॉप पर स्थापित करने के लिए एक 10 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना तैयार की गई है।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्मेल्टर में व्यय नीचे विस्तृत विवरण अनुसार ₹ 3348.00 लाख है:

क. ऊर्जा सुदक्ष मोटरों का क्रय एवं संस्थापन: ₹ 7.40 लाख

ख. टी-5 आलोक प्रणाली का क्रय एवं संस्थापन: ₹ 12.60 लाख

ग. पॉट में आलेखित कैथोड ब्लॉक का क्रय एवं विछाया जाना: ₹ 3328.00 लाख

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण एवं नवाचार:

क. एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी:

क्रम सं.	संशोधन का विवरण	उसके लाभ
1.	बॉशरों में प्रयुक्त प्राकृतिक फ्लॉकुलेंट गेहूँ भूसी को कृत्रिम फ्लॉकुलेंट से बदलना	उत्पादन में अनुकूलता एवं प्राकृतिक चारे, गेहूँ भूसी को यथा-उपयुक्त बदला जा सकता है।
2.	खनिजक के संयोजन से विशेष ग्रेड एल्यूमिना का उत्पादन	मूल्य वर्धित उत्पाद

ख. स्मेल्टर प्लांट, अनुगुलः

क्रम सं.	संशोधन का विवरण	उसके लाभ
1	कार्बन प्लांट के रॉडिंग शॉप-1 में तीन धूलरोधी यूनिटों की स्थापना एवं प्रारंभ	शॉप फ्लोर में धूल के स्तर में कमी जिससे यहाँ का कार्यस्थल ज्यादा पर्यावरणीय उपयोगी हो।
2	रॉडिंग शॉप-1 की क्रशिंग प्रणाली एवं बट हैण्डलिंग की धूलरोधी प्रणाली का पुनर्निर्माण।	शॉप फ्लोर की धूल में कमी, धूल की रिकवरी एवं पुनर्चक्रण जिससे कार्यकारी परिवेश में सुधार आता है, ताजे कोक की लागत में कमी आती है।
3	रॉडिंग शॉप-1 में ऑनलाइन बट वेयिंग प्रणाली	सभी बट की तुलाई, खोज-खबर रखना एवं रिकॉर्ड करना। पॉटलाइन में कार्बन खपत की मापन सुविधाएँ और पॉटलाइन में एनोड चेंज शिफ्ट साइकिल तय करने में मदद करना।
4	एनोड बेकिंग भट्टी-III में फ्लू वॉल बिल्डिंग मशीन की स्थापना	एबीएफ-II एवं III फ्लू वॉल के प्रतिस्थापन कार्य में सुविधा एवं संवृद्धि। एफटीए की उपलब्धता में उन्नति।
5	सीएच-ए के डब्ल्यूआरएम 1 एवं 2 में उत्पादित कॉइल के लिए एसएपी के साथ बार कोड उत्पाद लेबल प्रिन्टिंग प्रणाली के उत्पाद वार के तुलाई आँकडें का एकीकरण।	इस प्रणाली से एसएपी प्रणाली में भार आँकड़े/रिपोर्ट को अपलोड करते हुए विभिन्न पालियों में उत्पादित/तौले हुए डब्ल्यूआरएम कॉइल की खबर रखने में मदद मिलेगी जिससे वायर रॉड उत्पाद की निगरानी एवं प्रेषण में बहुत मदद मिलेगी।
6	सीएच-बी, आईसीएम 1 एवं 2 भट्टियों 1, 2, 3 एवं 4 में भट्टी से लपटें खत्म होने के दौरान पाइलट बर्नरों की बजाय भट्टी तापमान से भट्ठी बर्नर फायरिंग का कमांड प्राप्त करने के लिए तर्क संगत रूपांतरण।	शीतल स्टार्ट-अप एवं ज्वाला खत्म होने के कारण पिघले धातु तापमान में कमी की बजाय पाइलट बर्नर के इस्तेमाल का परिहार करते हुए भट्ठी की ज्वाला पर सुदक्ष नियंत्रण रखने में सुविधा हुई। इससे एलपीजी गैस में भारी बचत होती है।
7	रॉडिंग शॉप-1 के लिए नियंत्रण उप साधनों द्वारा लोड सेल (3.5 एमटी) के साथ पी एण्ड एफ वे स्टेशन का संस्थापन	पॉट लाइन में कार्बन की अधिक सटीक खपत प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।
8	कास्ट हाउस-ए, आईसीएम-1, होल्डिंग भट्टी सं.-1 में नई डोर एवं ड्राइव प्रणाली का संस्थापन।	ईंधन तेल में बचत।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी का विवरणः

आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी	आयात/अपग्रेड करने का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी अवशोषित हुई है	यदि पूरी अवशोषित नहीं हुई है, विन क्षेत्रों में ये नहीं घटी हैं, इसका कारण एवं भावी कार्य योजनाएं
पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्टी)- 2 में धूम उपचार केंद्र।	2012-13	हाँ	—
डीसी ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए खांचेदार एनोड के साथ पॉटलाइनों का सफल प्रचालन।	2012-13	नहीं	क्रय की जानेवाली द्वितीय स्लॉट कटिंग मशीन के चालू हो जाने के बाद प्रौद्योगिकी का संपूर्ण समावेशन होगा।
एम्पियर शक्ति की वृद्धि एवं बेहतर निष्पादन के लिए पॉटलाइन में पॉटलाइनिंग सामग्री को सेमीग्रेफाइट कैथोड से ग्राफाटाइज्ड कैथोड में अपग्रेड किया गया। सभी पॉट लाइन अगले चार से पाँच वर्षों में अपग्रेड किए जायेंगे।	2009-10	नहीं	960 में से 299 पॉट को ग्राफाटाइज्ड कैथोड से युक्त किया गया है।

आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी	आयात/अपग्रेड करने का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी अवशोषित हुई है	यदि पूरी अवशोषित नहीं हुई है, विन क्षेत्रों में ये नहीं घटी हैं, इसका कारण एवं भावी कार्य योजनाएं
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए सीएच(बी) ढेरियों, एफटीपी 7 एवं 8 ढेरियों के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)	2013-14	हाँ	—
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए चालू किए गए टाउनशिप में ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।	2013-14	हाँ	—
कार्बन संयंत्र के रॉडिंग शॉप 2 की बाथ हैण्डलिंग प्रणाली में नई बाई पास प्रणाली।	2013-14	हाँ	—
8", 9" और 10" बिलेट की ढलाई के लिए एल्यूमिनियम बिलेट ढलाई सुविधा।	2013-14	हाँ	—
डीसी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एनोड स्टब होल की गहराई बढ़ाई गई।	2013-14	हाँ	—
रॉडिंग शॉप-1 में स्वचालित बाथ ब्रेकिंग एम/सी की शुरुआत।	2013-14	हाँ	—
पॉटलाइनों के एफटीपी में छह अदद ऑनलाइन कणाकार पदार्थ (पीएम) विश्लेषक स्थापित एवं चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
स्मेल्टर संयंत्र के अंदर तीन अदद ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
बहिःस्रावी उपचार संयंत्र के आउटलेट में ऑनलाइन बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
रॉडिंग शॉप-1 में क्रश्ड बाथ संयंत्र के लिए स्वचालित एल्यूमिना मिश्रण प्रणाली।	2014-15	हाँ	—
जीएपी 1 में सी.पी. कोक ब्लेण्डिंग प्रणाली स्थापित की गई।	2014-15	हाँ	—
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निगरानी डेटा निरंतर अपलोड करने के लिए एफटीपी 1-6 ढेरियों, बेक-ओवन ढेरियों, 3 अदद नए परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों एवं बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)।	2015-16	हाँ	—
एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्टी)-1 में धूम उपचार केंद्र का संस्थापन।	2015-16	हाँ	—

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर व्यय **(₹ लाख में)**

प्रकृति	2015-16	2014-15
पूंजी	150	81
राजस्व	1,425	650
कुल	1,575	731
सकल कारोबार के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.22	0.09

ग. वर्ष 2015-16 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2014-15 के ₹3,161 करोड़ की तुलना में ₹3,008.18 करोड़ रही। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा का बहिःप्रवाह पूर्ववर्ती वर्ष के ₹202 करोड़ की तुलना में ₹205.41 करोड़ था।

कॉर्पोरेट (निगमित) अभिशासन पर रिपोर्ट

परिशिष्ट-V

अभिशासन संहिता पर धारणाएं

कॉर्पोरेट अभिशासन से तात्पर्य उन कार्यप्रणालियों, कार्यप्रक्रियाओं एवं सम्बंधों से है जिनसे संगठन के निगम को नियंत्रित, निर्देशित एवं अभिशासित किया जाता है। कॉर्पोरेट अभिशासन में वे कार्यप्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनके जरिए संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं एवं नियामक, सामाजिक एवं वाणिज्यिक पर्यावरण के संदर्भ में अनुसरण किए जाते हैं। अभिशासन की कार्यपद्धतियाँ संगठन, उनके एजेंटों एवं प्रभावित पणधारियों के कार्यों, नीतियों, प्रथाओं, रणनीतियों एवं निर्णयों का सर्वेक्षण करती हैं। सभी कार्यविधियों में नियामक मापदंडों का कठोरता से पालन एवं पारदर्शिता बनाए रखना कंपनी की विशेषता है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण नालको सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 के अधीन निर्धारित अनुसार सही अर्थों में कॉर्पोरेट अभिशासन की कार्यविधियों का पालन कर रही है। 1दिसंबर, 2015 से प्रभावी, नालको सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत इसकी अर्हताओं के अधीन है।

इसके अलावा, नालको सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का भी पालन कर रही है, जिसका अनुपालन मई, 2010 से अनिवार्य बनाया गया है।

नालको प्रबंधन संगठन के सच्चे स्वामी के रूप में शेयरधारकों के अहस्तांतरणीय अधिकारों एवं शेयरधारकों और साथ ही अन्य पणधारियों (सम्बन्धित पक्षों) के न्यासियों के रूप में उनकी भूमिका में विश्वास करता है।

कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे के लिए व्यवस्थित कार्यप्रक्रियाएँ

i) बोर्ड की उप-समिति यानी ''नैतिक एवं निगमित अभिशासन समिति'' कंपनी में कॉर्पोरेट (निगमित) अभिशासन के कार्यान्यवन का निरीक्षण करती है।

ii) नालको निर्धारित समयसीमा में निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर कर रही है।

iii) यह कंपनी में अनुपालित कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष करवा रही है।

iv) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत् नालको प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से तिमाही एवं वार्षिक आधार पर कॉर्पोरेट अभिशासन पर स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट भी डीपीई के पास जमा कर रही है। डीपीई के पास जमा की गई स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार नालको 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त कर रही है। स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक अवलोकन हेतु नालको वेबसाइट में भी अपलोड की जाती है।

v) नालको स्वैच्छिक रूप से एक पेशेवर कंपनी सचिव फर्म द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा करवाती थी एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करवाती थी। अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए साचिविक लेखापरीक्षा अनिवार्य हो गया है।

vi) सांविधिक लेखापरीक्षक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा का संचालन करते हैं एवं कॉर्पोरेट अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र जमा करते हैं, जो कि वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है।

vii) कॉर्पोरेट अभिशासन से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में सी एण्ड एजी को प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है।

कंपनी के अभिशासन की विस्तृत रूपरेखा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

1. बोर्ड में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का सर्वाधिक उपयुक्त सामंजस्य।
2. अधिकारों के उचित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु विभिन्न समितियों, सांविधिक एवं गैर सांविधिक का गठन।
3. प्रत्ययी दायित्वों के समुचित सम्पादन हेतु बोर्ड एवं बोर्ड समितियों के प्रत्येक सदस्य को यथा समय सूचना उपलब्ध कराना।
4. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सुदृढ़ प्रणाली एवं कार्य-प्रक्रिया।
5. पणधारियों (सम्बन्धित पक्षों) को प्रचालनीय, वाणिज्यिक एवं वित्तीय सूचना का समयोचित प्रकटण और प्रचार।

निम्न विस्तृत विवरण अनुसार, कुछ एक वर्णित विवरण तक को छोड़कर कंपनी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का अनुपालन करती है:

I. बोर्ड का गठन

(क) 31 मार्च, 2016 के अनुसार बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशक।

ii. दो अंशकालिक सरकारी निदेशक जो मुख्यतया भारत सरकार से मनोनीत निदेशक हैं।

iii. पाँच अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक जो भारत सरकार द्वारा 21.11.2015 से नियुक्त किए गए हैं।

बोर्ड की कुलशक्ति में गैर-कार्यपालक निदेशकों का हिस्सा 54% है एवं स्वतंत्र निदेशकों का हिस्सा बोर्ड की कुल शक्ति का 38% है। हालांकि उपर्युक्त गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, फिर भी यह कॉर्पोरेट अभिशासन पर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

(ख) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

i. डॉ. तपन कुमार चान्द को 27 जुलाई, 2015 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाया गया। 30.04.2016 को श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की सेवानिवृत्ति पर, श्री एन आर महान्ति, निदेशक (पी एण्ड टी) को 26.07.2015 तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया था।

ii. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में केवल 2 स्वतंत्र निदेशक थे। 10.07.2015 से उनके सेवाकाल समाप्त होने के बाद, बोर्ड में 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। बोर्ड में पाँच स्वतंत्र निदेशक 21.11.2015 को नियुक्त किए गए थे। कॉर्पोरेट अभिशासन पर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन अपेक्षितों के अनुपालन के लिए अभी भी बोर्ड में 3 और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने हैं।

(ग) 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक पद/समिति सदस्यता की संख्या के साथ बोर्ड में प्रत्येक सदस्य का विवरण निम्नानुसार है :

i. कार्यपालक (पूर्णकालिक) निदेशकगण

नाम, पदनाम एवं डीआईएन	बोर्ड की बैठकें		26.09.2015 को आयोजित 34वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष्य-सह-प्रबंध निदेशक 01710900 (27.07.2015 से)	7	7	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एण्ड टी) 05181575	9	8	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) 02594088	9	9	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) 03618709	9	9	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य) 06845389	9	9	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री वी.बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन) 06965313	9	9	हाँ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष्य-सह-प्रबंध निदेशक 02845138 (30.04.2015 तक)	1	1	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

ii. अंशकालिक सरकारी निदेशकगण (गैर-स्वतंत्र)

नाम, पदनाम एवं डीआईएन	बोर्ड की बैठकें		26.09.2015 को आयोजित 34वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री आर. श्रीधरन, आईएएस 05332433	9	7	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री एन.बी. धल, आईएएस 01710101 (23.12.2015 से)	4	4	उपलब्ध नहीं	01	शून्य	शून्य
डॉ. एन. के. सिंह, आईएफएस 03361541 (22.12.2015 तक)	5	3	नहीं	01	01	-

iii. अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

श्री एस. शंकरमन 07346454 (21.11.2015 से)	4	3	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री पी.के. नायक 07346756 (21.11.2015 से)	4	4	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री माहेश्वर साहू 00034051 (21.11.2015 से)	4	1	उपलब्ध नहीं	06	02	01
श्री दीपंकर महंत 01583516 (21.11.2015 से)	4	4	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्रो. दामोदर आचार्य 06817842 (21.11.2015 से)	4	4	उपलब्ध नहीं	01	01	01
श्री कैसर शमीम 03560915 (10.07.2015 तक)	2	2	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्री संजीव बत्रा 00602669 (10.07.2015 तक)	2	2	उपलब्ध नहीं	02	02	-

(घ) कोई भी निदेशक कंपनी में एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं है।

(ङ) अन्य निदेशक पद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ एवं खंड 8 कंपनियाँ शामिल नहीं हैं। बोर्ड समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता में केवल लेखापरीक्षा समिति एवं पणधारी संबंधी समिति सम्मिलित है।

(च) कंपनी की व्यवसाय रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने एवं निर्णय लेने तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए नियमित अन्तराल पर बोर्ड बैठकें होती हैं। व्यवसाय की आकस्मिकता के मामले में, परिक्रामी प्रस्तावों के माध्यम से बोर्ड का अनुमोदन किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) के समक्ष बोर्ड कंपनी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सूचीकरण विनियम की अनुसूची II के भाग ए के साथ पठित विनियम 17 में निर्धारित सूचना को बोर्ड के समक्ष रखा है।

(छ) वर्ष के दौरान 09.04.2015, 30.05.2015, 12.08.2015, 26.10.2015, 12.11.2015, 28.12.2015, 27.01.2016, 11.02.2016 और 16.03.2016 को बोर्ड की 9 बैठकें आयोजित हुई। बोर्ड की दो बैठकों के बीच की अवधि कंपनी अधिनियम एवं सूचीकरण विनियमों के अधीन प्रदत्त सर्वाधिक अवधि के अंदर रही है।

(ज) सभी बैठकों में कोरम (निर्दिष्ट संख्या) उपस्थित थी।

बोर्ड की बैठकों का विवरण एवं बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

बोर्ड बैठक सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	उपस्थित निदेशकों की सं.			
		कार्यात्मक	अंशकालिक गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	कुल
282/09.04.2015	10	6	2	2	10
283/30.05.2015	09	5	1	2	08
284/12.08.2015	08	6	2	0	08
285/26.10.2015	08	6	1	0	07
286/12.11.2015	08	6	2	0	08
287/28.12.2015	13	6	1	5	12
288/27.01.2016	13	6	1	3	10
289/11.02.2016	13	7	1*	4	12
290/16.03.2016	13	6	1*	4	11

* वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए।

II. स्वतंत्र निदेशक

(क) स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकगण हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 एवं सेबी विनियमों के विनियम 16(ख) में उल्लिखित स्वाधीनता की शर्तों को पूरा करते हैं। नालको एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके स्वतंत्र निदेशकगण भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एवं नियम और शर्तें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय की जाती हैं। साधारणतया, अधिनियम के अनुपालन के तहत स्वतंत्र निदेशक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) बोर्ड में निदेशक के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को उनकी नियुक्ति पर औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ यह पद कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका, कार्य, दायित्वों और जिम्मेदारियों को वर्णित करता है।

(ग) सभी स्वंतत्र निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि वे कंपनी अधिनियम एवं सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत वर्णित स्वाधीनता के मापदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव को अपने साथ लाते हैं एवं बोर्ड स्तर पर उपयुक्त नीति संबंधी निर्णय लेने में संगठन को सहयोग प्रदान करते हैं।

(घ) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी उनके लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन करती है। इस विषय में एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई, स्कोप, डीपीई आदि द्वारा संचालित विभिन्न परिचयीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को भी मनोनीत करती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपस्थित हुए इन परिचयीकरण कार्यक्रम का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(ङ) वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 30 मई, 2015 को आयोजित हुई थी।

(च) किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक का कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय प्रपत्र नहीं है।

(छ) स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी में स्टॉक विकल्प का अधिकार नहीं है।

III. बोर्ड की विभिन्न समितियाँ

कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों के विवेकपूर्ण मेल के साथ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित 9 समितियाँ गठित हुई हैं:

सांविधिक समितियाँ

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

ग. पणधारी संबंध समिति

घ. सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

ङ. प्रौद्योगिकी समिति (डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार)

च. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर-सांविधिक समिति

क. मानव संसाधन समिति

ख. परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

ग. नीति एवं कॉर्पोरेट अभिशासन समिति

इसके अलावा, 4 और समितियाँ हैं जहाँ कंपनी के केवल कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं। इन समितियों का विवरण इस प्रकार है:

i. निवेश समिति

ii. विक्रय हेतु निदेशकों की समिति

iii. क्रय हेतु निदेशकों की समिति

iv. शेयर अंतरण समिति

समितियों की संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

क. लेखापरीक्षा समिति

i) लेखा परीक्षा समिति की स्थापना जून, 1999 में की गई थी एवं कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन प्रावधानों के अनुरूप बनाए रखने के लिए समिति की भूमिकाओं और अधिकारों में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं।

ii) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित सं. न होने के कारण, 10.07.2015 से 27.12.2015 तक की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अपेक्षितों के अनुरूप कंपनी का गठन नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान, दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें 12.08.2015 एवं 12.11.2015 को हुई। चूंकि लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं किया गया था, अतः सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 को लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड एवं स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी दी गई, जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

iii) लेखापरीक्षा समिति वर्ष के दौरान समय-समय पर पुनर्गठित हुई। 31 मार्च, 2016 की स्थिति को गठन निम्नानुसार है:

नाम	श्रेणी	पदनाम
श्री पी के नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री दीपंकर महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री एस शंकररमन	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
प्रो. दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (पी एण्ड टी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

इसके अलावा, निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित हैं। ईडी-कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

iv) बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष के दौरान 30.05.2015, 09.07.2015, 12.08.2015, 12.11.2015 और 11.02.2016 को लेखापरीक्षा समिति की पाँच बैठकें हुई। दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों का अधिकतम अंतराल 92 दिन था।

(क) लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं इसके सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

लेखा समिति के सदस्य	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
श्री पी.के. नायक	1	1
श्री डी. महंत	1	1
डॉ. एस. शंकरमन	1	1
प्रो. डी. आचार्य	1	1
श्री एन.आर. महान्ति	3	3
श्री वी. बालसुब्रमण्यम	3	3
डॉ. एन. के. सिंह (22.12.2015 तक)	4	3
श्री कैसर शमीम (10.07.2015 तक)	2	2
श्री संजीव बत्रा (10.07.2015 तक)	2	1

v) लेखापरीक्षा समिति अपनी विवेचना के अनुसार उपयुक्त कार्यपालकों विशेषकर आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रधान, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करती है। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

vi) लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें विस्तार में नीचे वर्णित हैं :

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियाँ

- अपने संबंधित शर्तों के अंदर किसी कार्य की जाँच करना
- किसी कर्मचारी से जानकारी मांगना
- बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेना
- संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति संरक्षित करना, यदि यह आवश्यक पड़े

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल है:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखापरीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।
- लागत लेखापरीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना:
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
  - लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।

- संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।
- मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएँ।

- तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करना।
- इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफेरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता की पुनरीक्षण करना एवं निगरानी करना।
- सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन एवं तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।
- कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों समेत सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रमुख कर्मचारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- कोई महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उस पर परवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू करने से पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखापरीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।
- व्हिसल ब्लोअर प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से भेजे गए हों।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

- वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम;
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण;
- प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और
- आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें।

- व्यतिक्रम का विवरण:

  क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य पड़े, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

  ख) विनियम 32(7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

प्रारंभ में कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सूचीकरण अनुबंध के प्रावधानों के अधीन अर्हताओं के अनुरूप इसका पुनः नामकरण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति किया गया। इसमें इसकी संदर्भित शर्तों के रूप में पारिश्रमिक समिति की संदर्भित शर्तों को शामिल किया गया है। नालको एक सरकारी कंपनी होने के कारण वरिष्ठ प्रबंधन एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय को छोड़कर कुछ प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।

21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद समिति का पुनर्गठन 28.12.2015 को किया गया था। इसमें 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

नाम	श्रेणी	पद
श्री महेश्वर साहू	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस शंकरमण	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री पी के नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
प्रो. दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य

इसके अलावा, निदेशक (मा.सं.) एवं निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक

(क) पूर्णकालिक निदेशक

अनुसूची-ए कंपनी को प्रयोज्य अनुसार कंपनी अपने प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्ण-कालिक निदेशकों को निर्दिष्ट घटकों में वेतन, हितलाभ, परिलाभ एवं भत्ते तथा विविध घटकों में निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) के रूप में पारिश्रमिक देती है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के लाभ में से सीएमडी एवं अन्य निदेशकों को देय पीआरपी को अनुमोदित करती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	वर्ष 2015-16 के लिए पारिश्रमिक (₹)		कुल
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व अर्थात् वेतन, पीएफ अंशदान, पेंशन, उपदान आदि	अन्य लाभ	
डॉ. तपन कुमार चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (27.07.2015 से)	नहीं	23,40,912	34,954	23,75,866
श्री एन.आर. महान्ति निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	नहीं	40,42,929	1,11,795	41,54,724
श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.)	नहीं	39,60,599	45,321	40,05,920

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	वर्ष 2015-16 के लिए पारिश्रमिक (₹)		कुल
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व अर्थात् वेतन, पीएफ अंशदान, पेंशन, उपदान आदि	अन्य लाभ	
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)	नहीं	47,56,360	69,871	48,26,231
सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य)	नहीं	49,88,582	41,844	50,30,426
श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)	नहीं	45,97,276	62,295	46,59,571
श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (30.04.2015 तक)	नहीं	15,72,139	16,694	15,88,833

कंपनी ने 2015-16 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(ख) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने बोर्ड एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपने अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को प्रति बैठक के लिए ₹20,000/- की बैठक शुल्क का भुगतान किया है। बैठकों में उपस्थित होने के लिए अलग से किए गए व्यय की भी पूर्ति कंपनी द्वारा की जाती है।

2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

नाम	बैठक शुल्क (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री कैसर शमीम (10.07.2015 तक)	40,000	2,00,000	2,40,000
श्री संजीव बत्रा (10.07.2015 तक)	40,000	1,20,000	1, 60,000
श्री दीपंकर महंत (21.11.2015 से)	80,000	80,000	1,60,000
श्री एस शंकररमण (21.11.2015 से)	60,000	60,000	1,20,000
श्री पी. के. नायक (21.11.2015 से)	80,000	80,000	1,60,000
प्रो. दामोदर आचार्य (21.11.2015 से)	80,000	1,40,000	2,20,000
श्री महेश्वर साहू (21.11.2015 से)	20,000	40,000	60,000

*लागू कर के अधीन।

(ग) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण

31 मार्च, 2016 की तिथि के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक थे। उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था।

(घ) कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं डीपीई ने उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली निर्देशित की है। इसके अलावा, सरकारी कंपनी के बोर्ड का कार्यनिष्पादन

प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के दौरान किया जाता है। ऐसे में, निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को निदेशकों एवं बोर्ड के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के प्रावधान से मुक्त रखा गया है।

(ङ) सेवा संविदाएँ, सूचना अवधि, पृथककरण शुल्क

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकगण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार लेने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या सेवानिवर्त्तन की तिथि तक (वर्तमान में 60 वर्ष की उम्र) या भारत सरकार से आदेश मिलने तक, जो भी पहले घटे, तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

अंशकालिक सरकारी निदेशकगण खान मंत्रालय की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय का अधिकारी पद समाप्त होने पर वे बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकगण (अंशकालिक गैर-सरकारी) भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

पृथककरण शुल्क के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

ग. पणधारी संबंध समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 20 के प्रावधानों के अनुरूप पणधारी संबंध समिति का गठन किया गया था।

ii) इस समिति ने वर्ष के दौरान 30.05.2015, 12.08.2015, 12.11.2015 और 11.02.2016 को 4 बार बैठक की थी।

iii) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों को लिए जाने के बाद, 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 की स्थिति को इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

नाम	श्रेणी	पद
श्री एस. शंकररमन	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री दीपंकर महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री पी.के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

iv) श्री के. एन. रवीन्द्र, ईडी-कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

v) यह समिति मुख्य रूप से शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति आदि से सम्बन्धित शिकायतों समेत कंपनी के संरक्षाधारकों की शिकायतों पर विचार करने एवं समाधान के लिए जिम्मेदार है।

vi) मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. को सीधे या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के जरिए प्राप्त शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट नियुक्त किया गया है। शिकायतों का जल्द से जल्द संभावी समय में निवेशकों की संतुष्टि के तहत् समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाता है।

vii) वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विवरण निम्नरूप में है:

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान समाधान की गई	अंतिम शेष
शून्य	103	103	शून्य

उपर्युक्त आँकड़ों में सेबी स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त एवं समाधान की गई शिकायतें सम्मिलित हैं।

viii) निवेशकों की संतुष्टि के तहत विभिन्न प्रकार की प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विभाजन इस प्रकार है:

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की सं.
लाभांश की अप्राप्ति	61
बार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति	21
अप्राप्त स्पिल्ट एवं बोनस शेयर प्रमाणपत्र	15
ब्याज की अप्राप्ति	03
एनईसीएस सूचना स्लिप की अप्राप्ति	03
कुल	**103**

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

i) संदर्भ की निम्नलिखित शर्तों के साथ सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 21 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

- प्रचालनात्क, कार्यनीतिक एवं बाह्य पर्यावरण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं कम करने के विषय में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मंडल को सहयोग देना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बन्धित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।
- किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

ii) समिति ने वर्ष के दौरान दो बार 30.05.2015 एवं 10.02.2016 को बैठक की।

iii) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद, समिति का पुनर्गठन 28.12.2015 को किया गया था। 31 मार्च, 2016 की स्थिति को इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

नाम	श्रेणी	पद
श्री दामोदर आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस. शंकररमन	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

ङ. सीएसआर एवं संधारणीयता विकास नीति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन को अधिदेशित करती है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों एवं संधारणीयता विकास कार्यक्रमों से संबंधित विषयवस्तुओं की जाँच के लिए कंपनी ने सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति का गठन किया था।

ii) वर्ष के दौरान समिति ने तीन बार 15.05.2015, 07.07.2015 एवं 24.02.2016 को बैठक की।

iii) 5 स्वतंत्र निदेशकों के 21.11.2015 को आगमन के बाद 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 की स्थिति को इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

नाम	श्रेणी	पद
श्री डी. महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री एस. शंकररमन	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री महेश्वर साहू	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

च. प्रौद्योगिकी समिति

i) डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन अर्हताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

ii) प्रौद्योगिकी को विकसित करने एवं इसे प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए अपेक्षित नई प्रौद्योगिकियों को अर्जित करने एवं संकलित करने के लिए कंपनी के प्रयासों तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सतत शक्ति को बनाए रखने एवं स्मेल्टर, रिफाइनरी आदि से सम्बन्धित विशिष्ट खपत मानदंडों की समीक्षा करने के लिए अपने निजी आर एण्ड डी प्रयासों के आकलन हेतु समिति सर्वेक्षण करती है एवं विशेष ध्यान देती है।

iii) वर्ष के दौरान समिति ने 15.05.2015, 13.11.2015, 20.12.2015 और 26.03.2016 को चार बार बैठक की।

iv) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 को इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

नाम	श्रेणी	पद
प्रो. डी. आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री महेश्वर साहू	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (पी एण्ड टी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

छ. मानव संसाधन समिति

i) निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ कंपनी के पास एक मानव संसाधन समिति है :

क. बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विषय में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना और उनमें परिवर्तन करना।

ख. गैर-कार्यपालकों का मजदूरी ढांचा और वेतनमान एवं उनमें कोई परिवर्तन।

ग. जनशक्ति योजना के साथ संगठन की तालिका।

घ. बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत कोई अन्य विचारणीय संदर्भ।

ii) समिति ने वर्ष के दौरान तीन बार 15.05.2015, 03.11.2015 और 24.02.2016 को बैठक की।

iii) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद, 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसमें 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित सदस्य हैं:

नाम	श्रेणी	पद
श्री महेश्वर साहू	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री डी. महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (पी एण्ड टी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

झ. नीतिकरण एवं कॉर्पोरेट अभिशासन समिति

क) समिति के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) हर स्तर पर कॉर्पोरेट अभिशासन की पद्धतियाँ पालन करना एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़े सुधार के उपायों का सुझाव देना।

(ii) कंपनी की प्रतिष्ठा एवं नेकनामी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को सही निविष्टियाँ (इनपुट) प्रदान करना।

(iii) निवेशकों, संस्थानों और व्यापक रूप से जनता को वास्तविक तौर पर सही जानकारी देना।

(iv) मौजूदा एवं भावी एफआईआई एवं रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी वार्तालाप।

(v) परामर्शदाताओं/सलाहकारों के सहयोग से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।

(vi) उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी के सुविधार्थ पूरी कंपनी में आंतरिक संचरणों के मानकीकृत चैनलों का संस्थापन।

(vii) सेबी एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालनः

क) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

ख) अंतरंगी व्यवसायी विनियम

ग) सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन

घ) सतर्कता सम्बन्धित मुद्दे

ङ) व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

ख) वर्ष के दौरान समिति ने 15.05.2015 एवं 07.07.2015 को दो बार बैठक की।

ग) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद, 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 को इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

नाम	श्रेणी	पद
श्री दीपंकर महंत	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	अध्यक्ष
श्री पी. के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (पी एण्ड टी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

झ. परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति का गठन निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ नई परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों पर पूंजी व्यय की जाँच करने एवं बोर्ड को सिफारिश करने के लिए किया गया थाः

क) डीपीआर को तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों के विषय में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्ताव का अध्ययन एवं बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक ₹100 करोड़ से अधिक लागत की पूंजी परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना।

i) समिति ने वर्ष के दौरान 15.05.2015, 03.11.2015, 12.11.2015, 04.12.2015, 11.02.2016 एवं 26.03.2016 को छह बार बैठक की।

ii) 21.11.2015 को 5 स्वतंत्र निदेशकों के आगमन के बाद, 28.12.2015 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 को इसमें निम्नलिखित सदस्य हैंः

नाम	श्रेणी	पद
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यपालक अध्यक्ष	अध्यक्ष
श्री पी. के. नायक	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
प्रो. डी. आचार्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री एम. साहू	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	सदस्य
श्री एन. बी. ढल	गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (पी एण्ड टी)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वित्त)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (वाणिज्य)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	कार्यपालक गैर-स्वतंत्र	सदस्य

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति की बैठक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 15-05-2015, 03-11-2015, 12-11-2015, 14-12-2015, 11-02-2016 एवं 26-03-2016 को छह बार आयोजित हुई।

ञ. अन्य समितियाँ

i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विचारणीय विषयों के साथ कुछ नियमित कार्यकलापों का ध्यान रखने के लिए केवल कार्यकारी निदेशकों के साथ बोर्ड ने निम्नलिखित समिति का गठन किया है। वे समितियाँ हैं :

क. निवेश समिति

ख. विक्रय हेतु निदेशकों की समिति

ग. प्रापण हेतु निदेशकों की समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

ii) शेयरों के अंतरण/संचारण और अभौतिकीकरण की सुचारू कार्यप्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ईडी-कंपनी सचिव को बोर्ड द्वारा ऐसे सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तथापि, कटे/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः भौतिकीकरण के मसले में नए प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित मामले शेयर अंतरण समिति के समक्ष रखे गए हैं।

IV. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मदारियों पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीयन विनियम के नियम 25(4) और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ कार्यकारी निदेशकों या प्रबंधन कार्मिक की उपस्थिति के बिना साल में एक बार स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए:

(क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन की पूर्ण रूप में समीक्षा;

(ख) कार्यपालक निदेशकों एवं गैर-कार्यपालकों निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सम्पदा संस्था के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा;

(ग) सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच जानकारी प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का आकलन जो कि निदेशक मंडल के लिए उनके कार्यनिष्पादन को कारगर रूप से एवं यथासंगत पूरा करने के लिए जरूरी है।

स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष के दौरान एक बार 30.05.2015 को बैठक की।

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उपर्युक्त (क) और (ख) के विचारणीय विषयों में स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक एमसीए परिपत्र दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से मुक्त है।

V. साधारण निकाय बैठक

i) अंतिम तीन वार्षिक साधारण बैठक का विवरणः

वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि	समय	लाभांश भुगतान तिथि	स्थान
2012-13	27.09.2013	11.00 बजे	23.10.2013	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
2013-14	27.09.2014	11.00 बजे	15.10.2014	
2014-15	26.09.2015	11.00 बजे	19.10.2015	

ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक साधारण बैठक

दिन एवं तिथि	**शुक्रवार, 30 सितंबर, 2016**
समय	11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
लाभांश के लिए बही बंदी अवधि *	बृहस्पतिवार, 29 सितंबर, 2016 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2016 (दोनों दिन सम्मिलित)

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु 28.03.2016 को रिकॉर्ड तिथि घोषित किया था।

iii) कंपनी ने पिछले तीन वार्षिक साधारण बैठक के किसी में भी कोई विशेष रिजॉल्यूशन (प्रस्ताव) पारित नहीं किया।

iv) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

VI. संचार के साधन

i) कंपनी साधारणतया वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही परिणामों के प्रकाशन, साधारण बैठकों एवं अपनी वेबसाइट में सूचना अपलोड करने के माध्यम से शेयरधारकों को सूचित करती है। कंपनी समय-समय पर विश्लेषक बैठक एवं निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भी संस्थानिक निवेशकों के साथ संपर्क रखती है। संस्थानिक निवेशकों/विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज को भेज जाते हैं एवं कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रकाशित किए जाते हैं।

ii) कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परिणाम भारत के अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रकाशित किए जाते हैं। एनएसई के एनईएपीएस एवं बीएसई के सूचीयन केंद्र पर भी ये परिणाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपलोड किए जाते हैं।

iii) कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर एक पृथक खंड ''निवेशक सेवाएं'' हैं जहाँ हर प्रकार के शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर प्रयोगकर्ता उपयोगी एवं डाउनलोड किए जाने के रूप में उपलब्ध है।

iv) वार्षिक साधारण बैठकों में अध्यक्ष के सम्बोधन की मुद्रित प्रतिलिपि सभी शेयरधारकों को वितरीत की जाती है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाती है।

v) दावाहीन/अप्रदत्त लाभांश के लिए अनुस्मारक प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड के अनुसार शेयरधारकों के पास भेजा जाता है। अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश की सूची वर्ष-वार वेबसाइट में 'निवेशक सेवाएँ' पृष्ठ में भी उपलब्ध है।

vi) हरित पहल के उपाय के रूप में एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, कंपनी द्वारा सभी शेयरधारकों को उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद, ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी सूचना जैसे कि एनईसीएस ऋण सूचना भेजी जाती है।

VII. प्रकटन

(क) सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 23 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित पक्ष के लेनदेनों की नीति को अनुमोदित किया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

http://www.nalcoindia.com/download/NEW-RPT-NALCO.pdf

कंपनी अधिनियम और सेबी सूचीयन विनियम के अंतर्गत परिभाषित सम्बन्धित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रक्रिया एवं स्वतंत्र व असंबंधित आधार पर थे।

सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के लेखांकन मानक (एएस)-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए क्रमशः कंपनी के स्व-सक्षम वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 53 एवं टिप्पणी सं. 56 में प्रकट किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सम्बन्धित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं हुआ था।

सम्बन्धित पक्ष के लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी-2 में भी दिया गया है जो बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

(ख) आचार संहिता

कंपनी ने मॉडल व्यवसाय संचालन संहिता एवं नैतिक मूल्य ('कोड') अपनाया है, जो कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) को लागू है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को वार्षिक आधार पर कोड की पुष्टि करनी पड़ती है। यह कोड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है :

http://www.nalcoindia.com/CodeofConduct.pdf

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे उल्लिखित है :

घोषणा

''मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी को बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य कार्यपालकों) से पुष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का पालन किया है।''

हस्ताक्षर

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ग) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार

i. लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हो।

ii. कोई व्यय खर्च ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया है।

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	104.90	71.19
कुल व्यय	6303.26	6090.45
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.66	1.17

वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय व्यय रु.1.21 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष - शून्य)।

विधि द्वारा अधिदेशित, नवीकरणीय क्रय बाध्यता के कारण व्यय में हुई बढ़ोतरी के चलते ही मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान ब्याज व्यय पीसीएफसी उधार के कारण है, जो कि पिछले वर्ष नहीं किया गया था।

(घ) व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 22 के तहत प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों एवं कर्मचारियों की सतर्कता कार्यप्रणाली के लिए व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का गठन किया है। यह कर्मचारियों और निदेशकों को उत्पीड़न अत्याचार के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष उन्हें सीधे ले आती है।

यह पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nalcoindia.com/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf

कंपनी यह पुष्टि करती है कि उसने किसी भी कार्मिक को अनुपालन अधिकारी, निर्दिष्ट समिति या लेखापरीक्षा समिति के पास जाने से नहीं रोका है।

(ङ) भीतरी ट्रेडिंग से जुड़ी संहिता

कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015 के अनुसार **'अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए कार्यपद्धतियों एवं कार्य-प्रक्रियाओं की संहिता'** एवं **'अपने कर्मचारियों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को नियंत्रित करने, निगरानी रखने एवं रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता'** अंगीकार किया है। इस संहिता का उद्देश्य है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के आधार पर कंपनी की सुरक्षा के तहत भीतरी (भेदिया) ट्रेडिंग के अभ्यासों को रोका जा सके।

संहिता के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट http://www.nalcoindia.com/download/NALCO_Code_of_Conduct_new.pdf पर प्रदर्शित की गई है।

VIII. लेखापरीक्षक

मेसर्स एबीपी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल और मेसर्स गुहा नन्दी एण्ड कं., सनदी लेखापाल को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2015-16 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय शुल्क, सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के विषय में ₹20 लाख, तीन तिमाहियों के लिए प्रत्येक हेतु तिमाही सीमित समीक्षा रिपोर्ट के लिए ₹5 लाख और उस पर प्रयोज्य कर, कर लेखापरीक्षा के लिए शुल्क हेतु ₹4 लाख और उस पर प्रयोज्य कर एवं कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाणन के लिए शुल्क हेतु ₹1 लाख और उस पर प्रयोज्य कर था।

बाहरी फर्मों को आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रचालनीय प्रणालियों और यूनिट वार कार्यप्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। महाप्रबंधक स्तर के एक व्यक्ति को आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक के प्रधान के रूप में पदनामित किया गया है।

मेसर्स तन्मय एस प्रधान एण्ड कं., लागत लेखापाल को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मेसर्स सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के साचिविक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

IX. अनुपालन

क) कंपनी ने पहले के सूचीयन अनुबंध और साथ ही सेबी सूचीयन विनियमों के अन्तर्गत रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित को छोड़कर निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। कुछ प्रावधानों का अनुपालन जैसे कि बोर्ड का गठन कंपनी के नियंत्रण के बाहर है। इस विषय में गैर-अनुपालन कॉर्पोरेट अभिशासन पर तिमाही रिपोर्ट दर्ज करते समेत स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट की जाती है।

ख) लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी जमा कर रही है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है।

ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी विषयवस्तु के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई आलोचना या दंड नहीं लगाया गया था।

घ) कंपनी ने गत तीन वर्षों के दौरान सभी अध्यक्षीय दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

ङ) कंपनी को प्रयोज्य विभिन्न विधियों/नियमों/विनियमों पर ऑन-लाइन निगरानी के लिए कंपनी ने एक कानूनी फर्म के माध्यम से एक सांविधिक अनुपालन प्रबंधन प्रणाली निर्मित की है एवं उसका पालन किया है। प्रत्येक विभाग को अपने प्रयोज्य विधि क्षेत्रों पर निगरानी करने एवं निर्धारित समय में उनके अनुपालन के लिए लॉग इन पासवर्ड प्रदान किया गया है। इस मॉड्युल के चालू होने की घोषणा 1 जनवरी, 2016 को की गई थी।

च) निर्दिष्ट तिथि को कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, सहायक कंपनी से संबंधित आवश्यकताएँ प्रयोज्य नहीं हैं।

X. शेयरधारक की सूचना

(i) कंपनी का पंजीकरण विवरण

- कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : **L27203OR1981GOI000920.**
- पंजीकरण की तिथि : 7 जनवरी, 1981
- कंपनी का स्थान : भारत के ओड़िशा राज्य में पंजीकृत है।

(ii) वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय कैलेंडरः

घटनाएँ	अनंतिम तारीख
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	सम्बन्धित तिमाही के समापन के 45 दिनों के अंदर
चौथी तिमाही के परिणामों सहित वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से 60 दिनों के अंदर
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक	सितंबर, 2017 तक

(iii) लाभांश नीति

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक लाभकारी कंपनी को कर पश्चात, लाभ का न्यूनतम 20% लाभांश या प्रदत्त पूंजी का 20%, जो भी ज्यादा हो, भुगतान करना पड़ता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, लाभांश निम्नलिखित रूप में भुगतान किया गया था:

- अंतरिम लाभांश : ₹1.25 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹5 के अंकित मूल्य पर 25%)
- अंतिम लाभांश : ₹0.75 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹5 के अंकित मूल्य पर 15%)
  (35 वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, जो कि वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से 30 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।)
- वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश भुगतान की कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की गई ₹451.02 करोड़ की तुलना में ₹515.45 करोड़ (35 वीं वार्षिक साधारण बैठक में घोषणा किए जाने वाले अंतिम लाभांश सहित) है। इसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कर पश्चात् लाभ (पीएटी) का कुल लाभांश भुगतान 70.5% है।

(iv) गत 5 वर्षों के लिए लाभांश का इतिहास

वर्ष	लाभांश प्रति शेयर (₹)	कुल इक्विटी शेयर	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)	पीएटी को लाभांश का %
2010-2011	2.50*	257,72,38,512 #	257.72	24.10
2011-2012	1.00*	257,72,38,512	257.72	30.33
2012-2013	1.25*	257,72,38,512	322.15	54.34
2013-2014	1.50*	257,72,38,512	386.59	60.16
2014-2015	1.75*	257,72,38,512	451.02	34.12

* अंतरिम लाभांश सहित।

स्प्लिट एवं बोनस मुद्दे के बाद।

(v) उचन्त खाते में इक्विटी शेयर

विनियम 34(3) एवं सेबी सूचीयन विनियम की अनुसूची V भाग च के अनुसार उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

(vi) आईईपीएफ में अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का अंतरण

कंपनी उन सभी शेयरधारकों को अनुस्मारक नोटिस भेजती है जिन्होंने अपने लाभांश वारंट पर दावा या नकदीकरण नहीं किया है। अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का विवरण, खातावार कंपनी की वेबसाइट पर शेयरधारकों की सूचना के लिए अपलोड किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का अंतरण निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में किया गया था।

वित्तीय वर्ष	भुगतान का स्वरूप	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
2007-08	अंतिम लाभांश	2,83,050	08-10-2015
2008-09	अंतरिम लाभांश	6,68,036	18-02-2016

निम्नलिखित तालिका बकाया लाभांश एवं जिन तिथियों तक इन्हें शेयरधारकों द्वारा दावा किया जा सकता है, से सम्बन्धित जानकारी देती है :

वर्ष	विवरण	अप्रदत्त राशि (₹)	आईईपीएफ में अंतरित की जाएगी
2008-09	अंतिम लाभांश	2,65,220	18.09.2016
2009-10	अंतरिम लाभांश	3,45,343	18.03.2017
2009-10	अंतिम लाभांश	2,72,724	29.09.2017
2010-11	अंतरिम लाभांश	4,86,368	30.01.2018
2010-11	अंतिम लाभांश	4,73,857	28.09.2018
2011-12	अंतरिम लाभांश	10,40,452	19.03.2019
2011-12	अंतिम लाभांश	1,65,937	13.08.2019
2012-13	अंतरिम लाभांश	8,84,984	19.03.2020
2012-13	अंतिम लाभांश	5,36,013	26.09.2020
2013-14	अंतरिम लाभांश	10,61,115	24.02.2021
2013-14	अंतिम लाभांश	4,22,491	26.09.2021
2014-15	अंतरिम लाभांश	11,88,767	11.03.2022
2014-15	अंतिम लाभांश	6,09,550	25.09.2022

(vii) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीयन

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित निर्दिष्ट समय के अंदर सूचीयन अनुबंध के लघुकृत संस्करण का निष्पादन किया है।

स्टॉक एक्सचेंज में नालको शेयरों की सूचीयन स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	INE 139A01034	INE 139A01034
2016-17 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	12.04.2016	12.04.2016

वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक कस्टडी/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

(viii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बाजार मूल्य आंकड़ें

(राशि ₹ में)

माह	शेयर मूल्य (बीएसई)			शेयर मूल्य (एनएसई)		
	उच्चतम	**न्यूनतम**	**वार्षिक कारोबार**	**उच्चतम**	**न्यूनतम**	**वार्षिक कारोबार**
अप्रैल, 2015	49.05	45.00	101512	49.10	45.40	851050
मई	50.90	47.20	96277	50.90	47.10	1101972
जून	49.60	39.50	194584	49.75	39.70	1087634
जुलाई	41.45	35.25	213861	41.50	35.25	972394
अगस्त	40.20	28.00	410854	40.20	28.00	1639963
सितंबर	38.20	31.35	283219	38.35	31.30	2094497
अक्टूबर	41.45	34.65	346062	41.50	34.55	1850736
नवंबर	40.70	35.55	128003	40.70	35.50	626760
दिसंबर	44.40	37.35	168362	44.70	37.80	699103
जनवरी, 2016	41.35	33.10	204096	41.30	33.50	923548
फरवरी	35.15	29.75	155175	35.10	29.30	785900
मार्च	41.60	32.65	290700	41.70	32.75	1361904

स्रोत : बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

(ix) व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में निष्पादन

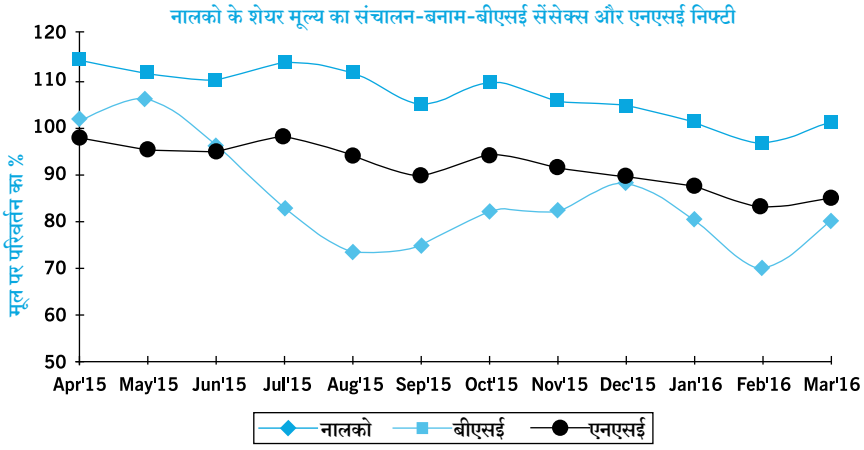

(x) शेयर पूंजी का समाधान

एक योग्यताप्राप्त पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल स्वीकृत इक्विटी शेयर पूंजी और कुल जारी एवं सूचीबद्ध इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए शेयर पूंजी लेखापरीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में कुल शेयरों की सं. एवं एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डिमैट रूप में शेयरों की सं. के अनुरूप हैं।

सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 40(9) के अनुसार, पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर छमाही प्रमाणपत्र समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को जमा किए गए थे।

XI. रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट

i) भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों क्षेत्र में, शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए सभी शेयर एवं लाभांश संबंधी प्रचालनों का ध्यान रखने के लिए नालको का शेयर रजिस्ट्री कार्य दिनांक 08.02.2016 से मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित किया गया था। रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट का विवरण अर्थात् पता, संपर्क नं., मेल आईडी नीचे दिए गए हैं :

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,

कार्वी सेलेनियम टावर बी,

प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली,

फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

हैदराबाद-500032.

फोन नं. 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814; टोल फ्री नं. 18003454001,

ई-मेल पता:

i. ratnagiri.n@karvy.com
ii. ramdas.g@karvy.com
iii. raju.sv@karvy.com
iv. rathi.govind@karvy.com

(ii) 31.03.2016 को शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	प्रमोटर्स (भारत सरकार)	1	2085782622	80.93
2.	म्यूचुअल फंड	53	14540221	0.56
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान	29	243124171	9.43
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1600	0.00
5.	विदेशी संस्थानिक निवेशक (एफआईआई)	66	24455295	0.95
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	41	30940814	1.20
6.	कॉर्पोरेट निकाय	1205	111223002	4.32
7.	भारतीय जनता	77271	59210548	2.30
8.	अन्य	5309	7960239	0.31
कुल		**83977**	**2577238512**	**100**

इक्विटी शेयरधारकों की श्रेणियाँ

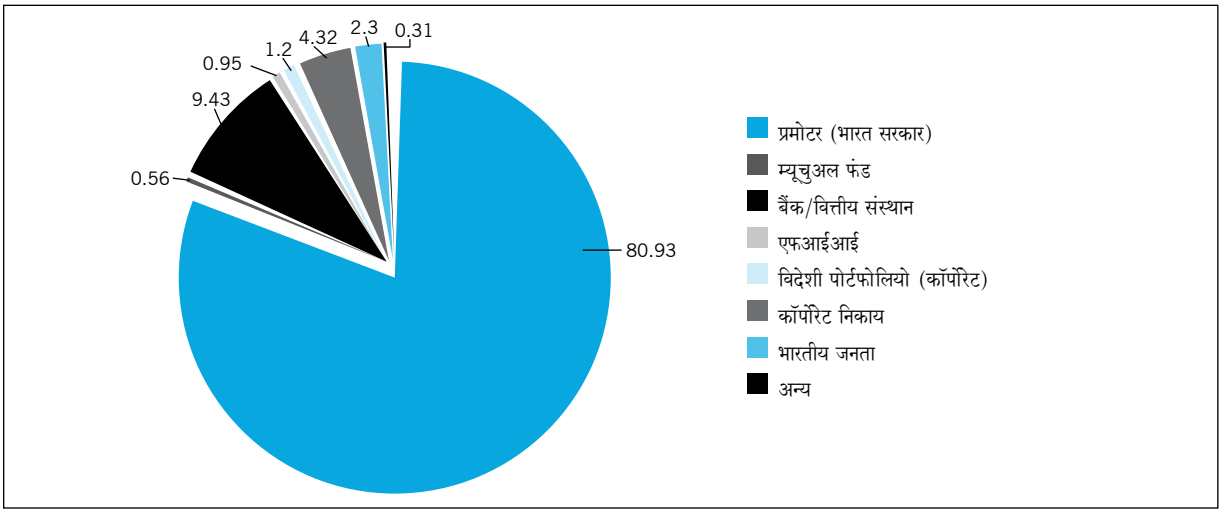

(iii) 31.03.2016 को शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का %	शेयरों की सं.	शेयर पूंजी का %
1-200	45184	53.81	4497468	0.17
201-500	19147	22.80	7346157	0.29
501-1000	9255	11.02	7723516	0.30
1001-50000	10158	12.09	42466278	1.65
50001-100000	81	0.09	6096376	0.24
100001 एवं अधिक	152	0.18	2509108717	97.36
कुल	**83977**	**100**	**2577238512**	**100**

(iv) 31.03.2016 को कंपनी के शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारक

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की सं.	धारिता का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	177316005	6.88
2.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	31602297	1.23
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	28384938	1.10
4.	रेणुका इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनैंस लि.	16418964	0.64
5.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैंस लि.	12814264	0.50

6.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	11009536	0.43
7.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस-1 ग्रोथ फंड	9987308	0.39
8.	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	9324184	0.36
9.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7139876	0.28
10.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6144500	0.24
	कुल	**310141872**	**12.03**

(v) सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनःभौतिकीकरण और नकदीकरण

नालको के शेयर व्यापार के लिए अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं। 31 मार्च, 2016 की स्थिति को कंपनी शेयर पूंजी का 99.90% अभौतिकीकृत है।

31.03.2016 की स्थिति को भौतिक रूप में एवं अभौतिकीकृत में धारित शेयरों की कुल सं.:

	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की सं.
एनएसडीएल के पास डिमैट शेयर	2525124400	97.98	54133
सीडीएसएल के पास डीमैट शेयर	49618456	1.92	25785
भौतिक रूप में शेयर	2495656	0.10	4059
कुल	**2577238512**	**100**	**83977**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 60,598 शेयरों से अन्तर्भूत 124 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 12,522 शेयरों के लिए 7 पुनः भौतिकीकरण अनुरोध की भी पुष्टि की है एवं भौतिक शेयर प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर शेयरधारकों के पास भेज दिए गए।

XII. विदेशी मुद्रा जोखिम एवं बचाव कार्यकलापों पर द्रव्य मूल्य जोखिम

इस विषयवस्तु की व्यवस्था प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अधीन पृथक रूप से की गई।

XIII. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अभिग्रहण

कंपनी पिछले कई वर्षों से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी एण्ड एजी से गैर-योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर रही है जो गैर-योग्यताप्राप्त वित्तीय विवरण प्रणाली का सूचक है।

XIV. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर जारी नहीं किया है और न ही आज की तिथि में कोई बकाया परिवर्तनीय साधन है।

XV. कंपनी के संयंत्र स्थान

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा

खान एवं रिफाइनरी
माइन्स एण्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी-763 008, जिलाः कोरापुट, ओड़िशा

पत्तन सुविधाएँ
ओर हैण्डलिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम–530 035, आंध्र प्रदेश

जैसलमेर 47.6 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र
ग्राम - लुडार्वा, कहेला, खाडेरो-की-ढाणी, तवारिया, चातरेल, डिवीजन/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान - 345001

गण्डीकोटा 50.4 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र
ग्राम-गण्डीकोटा, डिवीजन-प्रोदात्तुर, तालुका - जमालमाडुगु, जिला - कडप्पा, आंध्र प्रदेश - 516434

XVI. पत्राचार के लिए पता

ईडी - कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
ई-मेल पता: **i) knravindra@nalcoindia.co.in; ii) nkmohanty@nalcoindia.co.in**
iii) bharatsahu@nalcoindia.co.in

एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
11ए, बापूजी नगर,
भुवनेश्वर-751 009
ई-मेलः mail@caabp.com

गुहा, नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
कॉमर्स हाउस,
5 वाँ तल, कक्ष 8डी एवं ई,
2ए, गणेश चन्द्र एवेन्यू,
कोलकाता-700 013
ई-मेलः guhanandi@gmail.com

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उक्त कम्पनी के सूचीयन अनुबंध के खंड 49 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''सूचीयन विनियम'') के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा है और न ही मत प्रकाश।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने निम्नलिखित के अधीन उपर्युक्त वर्णित सूचीयन अनुबंध एवं सूचीयन विनियम के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया हैः

गैर-अनुपालनः निदेशक मंडल का गठनः

1. सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(II) के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''सूचीयन विनियम'') के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निदेशक मंडल के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, तो निदेशक मंडल का कम से कम एक तिहाई भाग स्वतंत्र निदेशकों से समाविष्ट होगा और अगर सूचीबद्ध निकाय के पास नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल का कम से कम आधा भाग स्वतंत्र निदेशकों से समाविष्ट होगा।

   समग्र वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी के पास बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

गैर-अनुपालनः लेखापरीक्षा समिति का गठनः

2. सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति बैठक में वैध कोरम (निर्दिष्ट सं.) गठित करने के लिए कम से कम दो (2) स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थित होने की जरूरत पड़ती है।

   9 जुलाई 2015 को आयोजित 96वीं (स्थगित) लेखापरीक्षा समिति बैठक में, केवल एक (1) स्वतंत्र निदेशक एवं एक (1) अंशकालिक सरकारी निदेशक उपस्थित थे। 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कम्पनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। फलस्वरूप, 12 अगस्त 2015 को आयोजित 97वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में एवं 12 नवम्बर, 2015 को आयोजित 98वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में कोई स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं थे। अतएव, समिति का गठन एवं बैठकों के लिए कोरम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, डीपीई दिशानिर्देशों एवं सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

3. सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष अवश्य ही स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।

कम्पनी के पास 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, 12 अगस्त, 2015 को समिति का पुनर्गठन सूचीयन अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था। तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

गैर-अनुपालनः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठनः

वित्तीय वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए एवं समिति का अध्यक्ष भी एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

कम्पनी के पास 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, 12 अगस्त, 2015 को समिति का पुनर्गठन प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ। तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही प्रभावकारिता या कार्यकुशलता का जिसके तहत प्रबंधन ने कम्पनी के मसलों का संचालन किया है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए बिमल कुमार चंदुका)
साझेदार
सदस्यता सं. 053714

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 08 अगस्त, 2016

फार्म नं. एओसी - 2

परिशिष्ट - VI

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (एच) एवं कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित ठेकाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछेक असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर हैं, का विवरणः

(क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **लागू नहीं**

(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**

(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधिः **लागू नहीं**

(घ) मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख विशेषताएँः **लागू नहीं**

(ड) ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्यः **लागू नहीं**

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ): **लागू नहीं**

(छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

(ज) धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ थाः **लागू नहीं**

2. भौतिक संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर नहीं हैं, का विवरणः

क. सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **मेसर्स गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि., वडोदरा, संयुक्त उद्यम कंपनी में साझेदार, जीएसीएल - नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.**

ख. संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **कास्टिक सोड़ा लाई की आपूर्ति।**

ग. संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधिः **20.04.2016 तक/उसके अंदर डिलीवरी।**

घ. मूल्य, यदि कोई है, समेत ठेकाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख विशेषताएँः **रु.35,23,60,985/- के कुल आदेश मूल्य पर रिफाइनरी संयंत्र को 11,140 डीएमटी कास्टिक सोडा लाई की आपूर्ति।**

ड. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(याँ), यदि कोई हैः **20.10.2015 को प्रदत्त शक्ति के साथ बोर्ड द्वारा गठित एक उप-समिति को प्रापण हेतु सीओडी में अनुमोदन जिसकी सूचना लेखापरीक्षण समिति को 28.05.2016 को दी गई।**

च. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **शून्य**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

फार्म नं. एमजीटी-9

परिशिष्ट - VII

वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार
2015-16 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[*कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरणः

i)	सीआईएन	:	L27203OR1981GOI000920
ii)	पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
iii)	कंपनी का नाम	:	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	:	शेयरों के तहत पब्लिक सेक्टर कम्पनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	:	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड नालको भवन, पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर-751013, वेबसाइटः www.nalcoindia.com
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	:	हाँ
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	:	मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना दूरभाषः 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814 टोल फ्री नं. 18003454001, ईमेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

II. कम्पनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

कम्पनी के कुल कारोबार के 10% या अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यावसायिक कार्यकलाप का उल्लेख किया जाएगाः-

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	एल्यूमिना	201	34.38
2	एल्यूमिनियम	242	64.79
3	पावर	351	0.83

III. नियंत्रक (होल्डिंग), सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	नियंत्रक/सहायक/सम्बद्ध	धारित शेयरों का %	प्रयोज्य धारा
1.	एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लिमिटेड 16 वाँ तल, सेंटर-1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005	सम्बद्ध	26	2(6)
2.	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. इडको टावर, जनपथ, भुवनेश्वर-751022	सम्बद्ध	49.5	2(6)
3.	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	सम्बद्ध	40	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
(क) प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**0**
(ग) राज्य सरकार (रों)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क)(1)									
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई-व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य-व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क)(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
प्रमोटर(क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1)+(क)(2)	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**0**
(ख) पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	24870212	88600	24958812	0.97	14451621	88600	14540221	0.56	(0.41)
(ख) बैंक/एफआई	35327741	0	35327741	1.37	243124171	0	243124171	9.43	8.06
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार(रों)									
(ङ) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कम्पनियाँ	189135244	1600	189136844	7.34	0	1600	1600	0.00	(7.34)
(छ) विदेशी संस्थानिक निवेशक(एफआईआई)	59553617	30200	59583817	2.31	55365909	30200	55396109	2.15	(0.16)
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
(झ) अन्य (उल्लेख करें)	32635680	0	32635680	1.27	0	0	0	0	0
उप-योग(ख)(1)	**341522494**	**120400**	**341642894**	**13.26**	**312941701**	**120400**	**313062101**	**12.15**	**(1.11)**
2. गैर-संस्थान									
(क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	102986914	17200	103004114	4.00	111205802	17200	111223002	4.32	0.32
ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जो रु.1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी रखते हैं	30609110	1613828	32222938	1.25	47109153	1571656	48680809	1.89	0.64

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो रु.1 लाख से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी रखते हैं	9124177	0	9124177	0.35	14228739	0	14228739	0.55	0.20
(ग) अन्य (उल्लेख करें)	4674967	786800	5461767	0.21	3474839	786400	4261239	0.17	(0.04)
उप-योग (ख)(2)	**147395168**	**2417828**	**149812996**	**5.81**	**176018533**	**2375256**	**178393789**	**6.92**	**1.11**
कुल पब्लिक शेयरधारिता(ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	**488917662**	**2538228**	**491455890**	**19.07**	**2574742856**	**2495656**	**2577238512**	**19.07**	**0**
(ग) जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन (अभिरक्षक) द्वारा धारित शेयर									
सकल योग(क+ख+ग)	**2574700284**	**2538228**	**2577238512**	**100**	**2574742856**	**2495656**	**2577238512**	**100**	

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों के बंधकीकृत/भारग्रस्त शेयरों का%	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर-धारिता में % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	2085782622	80.93	-	2085782622	80.93	-	0
	योग	2085782622	80.93	-	2085782622	80.93	-	0

(iii) *प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)*

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	2085782622	80.93	2085782622	80.93
2.	वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ह्रास, उल्लेख करें वृद्धि/ह्रास के कारणों का (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि):	0	0	0	0
3.	वर्ष के अंत में	2085782622	80.93	2085782622	80.93

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रमोटरों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों से भिन्न):

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (31.03.2015 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31.03.2016 को)	
	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	159266579	6.18	177316005	6.88
2.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	32254260	1.25	31602297	1.23
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	28667404	1.11	28384938	1.10
4.	प्लैटिनम एशिया फंड	22135594	0.86	0	0
5.	रेणुका इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनैंस लि.	16418964	0.64	16418964	0.64
6.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैंस लि.	12814264	0.50	12814264	0.50
7.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	10309536	0.40	11009536	0.43

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (31.03.2015 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31.03.2016 को)	
	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
8.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस-1 ग्रोथ फंड	9987308	0.39	9987308	0.39
9.	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	9324184	0.36	9324184	0.36
10.	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि.	8875000	0.34	0	0
11.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	0	0	7139876	0.28
12.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	0	0	6144500	0.24

* कम्पनी के शेयर दैनिक आधार पर ट्रेडेड होते हैं, अतः शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/ह्रास सूचित नहीं किया गया है।

(v) *निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिताः*

क्रम. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	डॉ. टी.के. चान्द, सीएमडी	शून्य	-	शून्य	-
2.	श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एण्ड टी)	5764	-	5764	-
3.	श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक(मा.सं.)	1250	-	1250	-
4.	श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्तीय)	400	-	400	-
5.	श्रीमती सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य)	1600	-	1600	-
6.	श्री वी. बालसुब्रमण्यम, निदेशक(उत्पादन)	5260	-	5260	-
7.	श्री के.एन. रवीन्द्र, कम्पनी सचिव	2260	-	2260	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उद्भूत ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता मगर भुगतान के लिए देय नहीं

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	जमाराशियों का छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
i) मूलधन राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• जोड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• घटावं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
i) मूलधन राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम							कुल राशि
		श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक 30.04.15 तक	श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी)	श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.)	श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)	श्रीमती सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य)	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)	डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक 27.07.2015 से	
1.	सकल वेतन								
	(क)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	14,26,362	41,12,953	36,87,009	47,98,792	46,78,524	43,39,746	21,00,644	2,51,44,030
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	1,62,471	41,771	3,18,911	27,439	3,51,902	3,19,825	2,75,222	14,97,541
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान में लाभ	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प								
3.	उद्यम इक्विटी								
4.	कमीशन • लाभ के % रूप में • अन्य, उल्लेख करें								
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें								
	योग (क)	**15,88,833**	**41,54,724**	**40,05,920**	**48,26,231**	**50,30,426**	**46,59,571**	**23,75,866**	**2,66,41,571**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा								

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम							
	3. स्वतंत्र निदेशकगण	श्री कैसर शमीम 10.07.15 तक	श्री संजीव बत्रा 10.07.15 तक	श्री एस. शंकरारमन	श्री पी.के. नायक	श्री एम. साहू	श्री डी. महंत	प्रो. डी. आचार्य	कुल
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	2,40,000	1,60,000	1,20,000	1,60,000	60,000	1,60,000	2,20,000	11,20,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें								
	योग (1)	**2,40,000**	**1,60,000**	**1,20,000**	**1,60,000**	**60,000**	**1,60,000**	**2,20,000**	**11,20,000**
	4. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकगण	-	-	-	-	-	-	-	-
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (2)								
	योग (ख)=(1+2)	**2,40,000**	**1,60,000**	**1,20,000**	**1,60,000**	**60,000**	**1,60,000**	**2,20,000**	**11,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक								
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा								

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	योग
			श्री के.एन. रवीन्द्र		
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान में लाभ		33,21,312 22,111		33,21,312 22,111
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	उद्यम इक्विटी				
4.	कमीशन • लाभ के % के रूप में • अन्य, उल्लेख करें				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	योग		**33,43,423**		**33,43,423**

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमनः

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित शास्ति/दंड/ शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कम्पनी					
सामासिक		शून्य			
दंड					
शमन					
ख. निदेशकगण					
सामासिक		शून्य			
दंड					
शमन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
सामासिक		शून्य			
दंड					
शमन					

फर्म नं. एमआर-3

परिशिष्ट - VIII

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर -751013 (ओड़िशा)

हमने **मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (जिसे आगे ''कम्पनी'' कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत **31 मार्च, 2016** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार मिल गया।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीवद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर की गई विवरणियों (रिटर्न) और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम में निर्दिष्ट धाराओं की सीमा में उसके तहत बने नियमों, अभी अधिसूचित नहीं;

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iv) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बने विनियम एवं उप-नियम;

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम;

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित अनुबंध, विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए:-

  क. सूचीयन अनुबंध (30 नवम्बर, 2015 तक लागू);

  ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

  ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;

  घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015;

  ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कम्पनी अधिनियम के संबंध में एवं ग्राहक से सम्बंधित); **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

ञ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)**

(vii) अन्य कानून जैसा कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो:

क. खान अधिनियम, 1952;

ख. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957;

ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986;

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923;

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारत के कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित समरूप सूचीयन अनुबंध एवं सूचीयन अनुबंध।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि का पालन किया है।

बोर्ड का गठन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
पूर्णकालिक निदेशकगण				
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	27.07.2015	-
2.	श्री अंशुमान दास	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	28.10.2009	01.05.2015
3.	श्री एन.आर. महान्ति	निदेशक (पी एवं टी)	01.02.2012	-
4.	श्री एस.सी. पाढ़ी	निदेशक (मा.सं.)	20.12.2012	-

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
5.	श्री के.सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03.01.2014	-
6.	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्य)	11.03.2014	-
7.	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	-
अंशकालिक सरकारी निदेशकगण				
1.	श्री आर. श्रीधरन	निदेशक	30.08.2013	-
2.	डॉ. निरंजन कुमार सिंह	निदेशक	12.11.2014	22.12.2015
3.	श्री एन.बी. धल	निदेशक	23.12.2015	-
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण				
1.	श्री कैसर शमीम	निदेशक	10.07.2012	09.07.2015
2.	श्री संजीव बत्रा	निदेशक	10.07.2012	09.07.2015
3.	श्री दीपंकर महंत	निदेशक	21.11.2015	-
4.	श्री एस. शंकररमण	निदेशक	21.11.2015	-
5.	श्री प्रभात केशरी नायक	निदेशक	21.11.2015	-
6.	प्रो. दामोदर आचार्य	निदेशक	21.11.2015	-
7.	श्री महेश्वर साहू	निदेशक	21.11.2015	-

वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी के बोर्ड में छह (6) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक और दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। छह पूर्णकालिक निदेशकों में से, श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 30.04.2015 को समाप्त हो गया एवं अतएव 01.05.2015 से वे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नहीं रहे। श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी) को 01.05.2015 से 26.07.2015 तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया था।

दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों में से, डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यकाल 22.12.2015 को समाप्त हो गया एवं उनके स्थान पर 23.12.2015 से श्री एन.बी. धल को नियुक्त किया गया है।

दो अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल 09.07.2015 को समाप्त हो गया एवं पाँच अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक 21.11.2015 को नियुक्त किए गए थे। अतएव, कम्पनी में 31 मार्च, 2016 की तिथि को छह (6) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं पाँच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

वर्ष के अंत में, बोर्ड का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।

गैर-अनुपालनः

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीवद्ध सरकारी कम्पनी में निदेशकों की कुल संख्या में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में रहने चाहिए।

   कम्पनी के बोर्ड में 09.07.2015 तक केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक थे एवं 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, 01.04.2015 से 20.11.2015 तक की अवधि के दौरान बोर्ड का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था।

2. सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(II) के प्रावधानों एवं भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''सूचीयन विनियम'') के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक है, निदेशक मंडल के कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे एवं जहाँ कम्पनी में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निदेशकों के गठन के विषय में भी ऐसे ही समरूप प्रावधान हैं। चूंकि कम्पनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, कम्पनी के पास आठ (8) स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए थे। वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी मे दो (2) स्वतंत्र निदेशक एवं वित्तीय वर्ष के अंत में पाँच (5) स्वतंत्र निदेशक थे।

उपर्युक्त के तहत, बोर्ड का गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (ख) एवं डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था।

तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को पहले नियुक्त करने के लिए, कम्पनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है।

बोर्ड की बैठक

वित्तीय वर्ष के दौरान, नौ (9) बोर्ड की बैठकें आयोजित हुई थी। बोर्ड की सभी बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दी गई थी। कम से कम 7 दिन अग्रिम में ही कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी एवं बैठकों से पूर्व कार्यसूची मदों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण पाने के लिए तथा बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

बोर्ड की बैठकों के सारे निर्णय सर्वसम्पत्ति से लिए गए थे एवं बैठक की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए गए थे।

बोर्ड की सांविधिक समितियाँ:

(i) लेखापरीक्षा समिति:

कम्पनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति 01.04.2015 से 09.07.2016 तक निम्नलिखित सदस्यों के साथ जारी रही।

- श्री कैसर शमीम, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - सदस्य

09 जुलाई, 2015 को दो (2) स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् श्री कैसर शमीम एवं श्री संजीव बत्रा की सेवानिवृत्ति के कारण 12 अगस्त, 2015 को आयोजित 284 वीं बोर्ड की बैठक में समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था -

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

21 नवम्बर, 2015 को बोर्ड में पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के फलस्वरूप, समिति का पुनर्गठन 26 दिसंबर, 2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था -

- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक(पी एवं टी) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान, पाँच (5) लेखापरीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी।

गैर-अनुपालनः

1. सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति बैठक में एक वैध कोरम बनाने के लिए कम से कम दो (2) स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थित रहने की आवश्यकता पड़ती है।

   9 जुलाई, 2015 को आयोजित 96 वीं (स्थगित) लेखापरीक्षा समिति की बैठक में, केवल एक (1) स्वतंत्र निदेशक एवं एक (1) अंशकालिक सरकारी निदेशक उपस्थित थे। चूंकि 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कम्पनी में कोई स्वतत्र निदेशक नहीं था, क्रमशः 12 अगस्त, 2015 एवं 12 नवम्बर, 2015 को आयोजित 97वीं एवं 98वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कोई स्वतंत्र निदेशक सम्बन्धित बैठकों में उपस्थित नहीं था। अतएव, समिति का गठन एवं बैठक के लिए कोरम कम्पनी अधिनियम, 2013 को धारा 177 के प्रावधानों, डीपीई दिशानिर्दशों एवं सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49 (III) के प्रावधानों केअनुपालन में नहीं किए गए थे।

2. **सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49 (III) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, ऐसे में 12 अगस्त, 2015 को समिति का पुनर्गठन सूचीयन अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में था।**

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः

वित्तीय वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था -

- श्री कैसर शमीम, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - सदस्य

दो (2) स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् श्री केसर शमीम एवं श्री संजीव बत्रा की 09 जुलाई, 2015 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, समिति का पुनर्गठन 12 अगस्त, 2015 को आयोजित 284वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य

पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में 21 नवंबर, 2015 को नियुक्ति के फलस्वरूप, समिति का पुनर्गठन 26 दिसंबर, 2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- श्री महेश्वर साहू, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

गैर-अनुपालनः

चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, 12 अगस्त, 2015 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

(iii) पणधारी संबंध समितिः

पणधारी संबंध समिति 01.04.2015 से 09.07.2015 तक निम्नलिखित सदस्यों के साथ जारी रही।

- श्री कैसर शमीम, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी) - सदस्य

09 जुलाई, 2015 को दो (2) स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् श्री कैसर शमीम एवं श्री संजीव बत्रा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, 12 अगस्त, 2015 को 284 वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी) - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)) - सदस्य
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) - सदस्य

21 नवंबर, 2015 को बोर्ड में पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के फलस्वरूप, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान चार (4) पणधारी संबंध समिति की बैठकें आयोजित हुई थी।

(iv) सीएसआर एवं संधारणीय विकास समितिः

सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति 01.04.2015 से 09.07.2015 तक निम्नलिखित सदस्यों के साथ जारी रही।

- श्री कैसर शमीम, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

09 जुलाई, 2015 को दो (2) स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री कैसर शमीम एवं श्री संजीव बत्रा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 12 अगस्त, 2015 को आयोजित 284वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एन.आर. महान्ति, निदेशक (पी एवं टी) - सदस्य
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

21 नवंबर, 2015 को बोर्ड में पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के फलस्वरूप, समिति का फिर से पुनर्गठन 26 दिसंबर, 2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री महेश्वर साहू, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री दीपंकर महंत, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक(मा.सं.) - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान, तीन(3) सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकें आयोजित हुई थी।

गैर-अनुपालनः

चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, 12 अगस्त, 2015 को सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था।

तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।

सीएसआर गतिविधियों में व्यय की गई राशिः

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) विनियम, 2013 एवं अधिनियम की अनुसूची-VII के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी का सीएसआर बजट ₹26.24 करोड़ था एवं वर्ष के दौरान कम्पनी की सीएसआर बाध्यता ₹26.24 करोड़ थी। तथापि, कम्पनी ने विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों पर अवधि के दौरान ₹27.17 करोड़ व्यय किया।

(v) जोखिम प्रबंधन समितिः

जोखिम प्रबंधन समिति 01.04.2015 से 09.07.2015 तक निम्नलिखित सदस्यों के साथ जारी रही।

- श्री कैसर शमीम, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

09 जुलाई, 2015 को श्री कैसर शमीम की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, 12 अगस्त, 2015 को 284वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ हुआ था-

- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

21 नवंबर, 2015 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में नियुक्ति के फलस्वरूप, 26 दिसंबर, 2015 को समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था-

- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान, दो (2) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें हुई थी।

(vi) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, 30 मई, 2015 को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित हुई थी। कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक के लिए पर्याप्त सूचना एवं कार्यसूची दी गई थी।

समिति की सभी बैठकों के लिए सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अधिकतम कम से कम 7 दिन पूर्व भेजी गई थी। समिति बैठकों के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे एवं सम्बन्धित समिति बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए गए थे।

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट की नियुक्तिः

कम्पनी के पास निजी शेयर रजिस्ट्री है। कम्पनी ने मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया था एवं इसी अनुसार कम्पनी की निजी शेयर रजिस्ट्री के कार्य प्रचालन दिनांक 08.02.2016 से आरटीए को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी रखने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं कार्य-प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दिनांक 04.12.2015 को मेसर्स गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में मेसर्स जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम एवं रूपरेखा में कास्टिक सोड़ा प्लांट की स्थापना हेतु एक नई कम्पनी स्थापित की गई है।

कृते सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
वरिष्ठ प्रबंधक
सीपीः 3770, एफसीएसः 5098

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 30.05.2016

(इस रिपोर्ट को समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न अंश माना जाएगा)

परिशिष्ट - क

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्डो का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में ससंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
वरिष्ठ साझेदार
सीपीः 3770, एफसीएसः 5098

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 30/05/2016

सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में अधिसूचित मान्य टिप्पणियाँ और प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
01.	कम्पनी के बोर्ड में 09.07.2015 तक केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक थे एवं कम्पनी के बोर्ड में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। अतएव, 01.04.2015 से 20.11.2015 की अवधि के दौरान बोर्ड का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में भी निदेशकों के गठन के विषय में समरूप प्रावधान संलग्न हैं। चूंकि कम्पनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, कम्पनी में आठ (8) स्वतंत्र निदेशकों की जरूरत थी। वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी में दो (2) स्वतंत्र निदेशक एवं वित्तीय वर्ष के अंत में पाँच (5) स्वतंत्र निदेशक थे। उपर्युक्त के तहत बोर्ड का गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधान एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं हुआ था।	कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति निदेशकों के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की शीघ्र नियुक्ति के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कम्पनी नियमित रूप से संपर्क में है।
02.	**(क)** 9 जुलाई, 2015 को आयोजित 96 वीं (स्थगित) लेखापरीक्षा समिति बैठक में, केवल एक(1) स्वतंत्र निदेशक एवं एक(1) अंशकालिक सरकारी निदेशक उपस्थित थे। चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए क्रमशः 12 अगस्त, 2015 एवं 12 नवंबर, 2015 को आयोजित 97 वीं एवं 98 वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक में कोई स्वतंत्र निदेशक संबंधित बैठकों में उपस्थित नहीं था। अतएव, समिति का गठन एवं बैठक के लिए कोरम (निर्दिष्ट संख्या) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों, डीपीई दिशानिर्देशों एवं सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के अनुपालन में नहीं थे। **(ख)** सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष अवश्य ही एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। चूंकि 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कम्पनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इस लिए 12 अगस्त, 2015 को समिति का पुनर्गठन सूचीयन अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। तथापि, 26 दिसंबर, 2015 को समितियों का पुनर्गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।	**(क)** 9 जुलाई, 2015 को आयोजित 96 वीं (स्थगित) लेखापरीक्षा समिति बैठक में, केवल एक (1) स्वतंत्र निदेशक एवं एक (1) अंशकालिक सरकारी निदेशक उपस्थित थे। अतएव, उक्त बैठक में, सूचीयन अनुबंध के संशोधित खंड 49(III) की शर्तों के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की वैध निर्दिष्ट संख्या (कोरम) उपस्थित नहीं थी। अपेक्षित कोरम की अनुपस्थिति की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी गई एवं बैठक के कार्यवृत्तों में दर्ज की गई। कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, अतएव क्रमशः 12 अगस्त, 2015 एवं 12 नवंबर, 2015 को आयोजित 97 वीं एवं 98 वीं लेखापरीक्षा समिति बैठकों के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं था। **(ख)** चूंकि कम्पनी के बोर्ड में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए उक्त अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति बैठक का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
03.	चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए 12 अगस्त, 2015 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था।	चूँकि कम्पनी के बोर्ड में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए 12.08.2015 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) वे प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था। तथापि, 21.11.2015 से कम्पनी के बोर्ड में 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 26.12.2015 को इसके पुनर्गठन के बाद इसका गठन कम्पनी अधिनियम की धारा 178(1) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।
04.	चूंकि कम्पनी में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए 12 अगस्त, 2015 को सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था।	चूंकि कम्पनी के बोर्ड में 10.07.2015 से 20.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए 12.08.2015 को सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हुआ था। तथापि, 21.11.2015 से कम्पनी के बोर्ड में 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 26.12.2015 को इसके पुनर्गठन के बाद इसका गठन कम्पनी अधिनियम की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था।

कृते नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
एवं उनकी ओर से

स्वा.

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

स्व-सक्षम वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न स्व-सक्षम वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावलियाँ, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का व्यवस्थापन शामिल है जो कंपनी की सम्पत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए; तर्क एवं आकलन देने जो यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य पेश करते हैं, और भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरूपित करने में सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। परन्तु यह मत प्रकाश करने के प्रयोजनार्थ नहीं है कि वित्तीय रिपोर्टिंग करने में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता में प्रचालित है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की औचित्य और साथ ही वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा पर राय देने के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत उक्त एकल सक्षम वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार यथा अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में 31 मार्च, 2016 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथा स्थिति एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और इसके नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अपेक्षानुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रयोज्य सीमा में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ''क'' में एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ''ख'' में एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार, प्रयोज्य सीमा में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   - क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्याँ मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
   - ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।
   - ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।
   - घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्व-सक्षम वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
   - ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
   - च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ परिशिष्ट ''ग'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
   - छ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक:
     - i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण की टिप्पणी - 20 देखें।
     - ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी।
     - iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 17 देखें।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं.087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

परिशिष्ट ''क''

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अलुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट'' के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i) (क) मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों की स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है।

(ख) कंपनी की सभी चल परिसंपत्तियों की प्रबंधन द्वारा हर वर्ष भौतिक रूप से जाँच की जाती है। हमारी राय में सत्यापन की संख्या सुसंगत है। वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थी।

स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, बहियों में दर्ज रिकॉर्ड एवं भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कंपनी द्वारा धारित 7972.31 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली भूमि एवं 8945.98 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 66.92 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 1576.10 एकड़ की पट्टे वाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, सम्बंधित प्राधिकरणों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है। कोलकाता में 6459 वर्गफीट के लिए कार्यालय स्थल के विषय में पंजीकरण औपचारिकताएँ भी पूरी नहीं हुई हैं।

ii) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, विस्तार परियोजना से संबंधित स्टॉक, तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए स्टॉक एवं मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी मालसूचियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन की संख्या सुसंगत है। भौतिक स्टॉक एवं बही रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों में कमी को लेखा बहियों में निपटाया गया है जबकि अधिशेष पर ध्यान नहीं दिया गया हैं;

iii) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं हैं;

iv) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं एवं रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), उप कर, विद्युत शुल्क एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है एवं 31 मार्च, 2016 को देय तिथि से 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, निम्नलिखित सांविधिक देयताओं को विवादिता के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है :

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा की गई राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है
बिक्री कर	बिक्री कर	147.44	31.25	आयुक्त
		181.60	53.38	अधिकरण
		80.95	3.56	उच्च न्यायालय
		409.99	**88.29**	
प्रवेश कर	प्रवेश कर	158.63	40.94	आयुक्त
		71.64	35.10	अधिकरण
		58.40	22.68	उच्च न्यायालय
		288.67	**98.72**	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	18.08	1.17	आयुक्त
		7.79	0.14	अधिकरण
		26.75	0.00	उच्च न्यायालय
		52.62	**1.31**	
सेवा कर	सेवा कर	2.25	0.00	आयुक्त
		0.10	0.02	अधिकरण
		2.35		
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	**5.25**	**0.00**	आयुक्त
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	569.80	569.80	आयुक्त
		86.64	60.40	अधिकरण
		31.92	31.92	उच्च न्यायालय
		688.36	**662.12**	
ओड़िशा स्टाम्प अधिनियम	स्टाम्प शुल्क	**204.53**	**0.00**	उच्च न्यायालय
	योगः	**1,651.77**	**850.46**	

viii) वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है।

ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव या आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है।

x) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है।

xi) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है।

xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, सम्बंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं एवं प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अपेक्षानुसार ऐसे लेनदेनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हैं।

xiv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आबंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

परिशिष्ट ''ख''

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट'' के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

1. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व वाली एवं पट्टे पर ली गई जमीन का स्पष्ट अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध है, जहाँ कहीं भी अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन किया गया है। 7972.31 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 8945.98 एकड़ की पट्टा युक्त जमीन है, जिनमें से 66.92 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 1576.10 एकड़ की पट्टे वाली जमीन के सिलसिले में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, कम्पनी को उक्त जमीन पर कार्य-प्रचालन जारी रखने की अनुमति सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है।

2. प्रबंधन द्वारा हमें सूचित अनुसार एवं कम्पनी की बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, अग्रिमों, देनदारों, दावों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर, को बट्टे खाते डालने के 35 मामले हैं, जिनकी राशि नीचे विवरण अनुसार ₹89.21 लाख है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बट्टे खाते में डालने का कारण है कि ये लम्बे समय से पड़े हुए गैर-समयोजित/गैर वसूलीकृत पुरानी शेष राशि हैं, एवं समय-बाधित हो चुकी हैं और वसूली/समायोजन की संभावना क्षीण है।

बट्टेखाते/अधित्याग का प्रकार	मामले की सं.	राशि लाख ₹ में
अग्रिम	22	21.08
देनदार	5	0.08
दावे	7	58.05
पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर	1	10.00
योग	**35**	**89.21**

3. (क) कम्पनी की बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम व्यक्त करते हैं कि तीसरे पक्ष के साथ पड़ी हुई मालसूचियों के लिए यथोचित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

   (ख) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं बहियों और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

परिशिष्ट ''ग''

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखपरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 की स्थिति को **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (''कम्पनी'') वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के स्व-सक्षम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाघड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी (''अनुदेश टिप्पणी'') एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाघड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के

लिए अपेक्षित है एवं यह कि कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है, एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक एवं उनकी ओर से

(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक
एवं पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड-I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
तिथि : 11 जुलाई, 2016

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

31.03.2016 को तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
इक्विटी और देयताएँ			
शेयरधारक की निधियाँ			
शेयर पूंजी	1	1,288.62	1,288.62
आरक्षित और अधिशेष	2	11,619.06	11,508.68
गैर-चालू देयताएँ			
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3	1,110.09	1,105.27
अन्य दीर्घमियादी देयताएँ	4	68.26	65.30
दीर्घमियादी प्रावधान	5	223.72	242.76
चालू देयताएँ			
व्यापार देय	6	581.38	440.18
अन्य चालू देयताएँ	7	1,350.45	1,340.65
अल्पमियादी प्रावधान	8	277.41	186.21
योग		**16,518.99**	**16,177.67**
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्ति			
मूर्त परिसंपत्ति	9	6,328.89	6,509.21
अमूर्त परिसंपत्ति	9	138.61	136.21
कार्यशील पूंजी	10	661.36	549.73
गैर चालू निवेश	11	811.08	1.04
दीर्घमियादी ऋण एवं अग्रिम	12	1,347.55	1,221.85
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	13	49.48	47.45
चालू परिसंपत्तियाँ			
चालू निवेश	14	66.00	950.00
मालसूचियाँ	15	1,126.97	1,165.56
व्यापार से प्राप्य	16	235.21	120.82
नकद एवं बैंक शेष	17	4,933.53	4,627.98
अल्पमियादी ऋण एवं अग्रिम	18	586.67	607.54
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	233.64	240.28
योग		**16,518.99**	**16,177.67**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ 1-53, वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन -302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं. : 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े
प्रचालन से राजस्व	22	6,816.00	7,382.81
अन्य आय	23	536.57	672.64
कुल राजस्व		**7,352.57**	**8,055.45**
व्यय:			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	24	1,104.40	1,031.59
बिजली और ईंधन	25	1,864.61	1,802.24
तैयार माल, मध्यस्थ एवं चल रहे कार्य की माल सूची में परिवर्तन	26	(8.99)	2.90
कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,361.36	1,377.91
वित्त लागत	28	1.21	-
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	29	424.09	413.66
अन्य व्यय	30	1,556.58	1,462.15
कुल व्यय		**6,303.26**	**6,090.45**
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ		1,049.31	1,965.00
असाधारण वस्तुएँ	31	(53.45)	(148.42)
कर पूर्व लाभ		1,102.76	2,113.42
कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		375.60	520.63
(2) आस्थगित कर		4.82	249.68
(3) पूर्ववर्ती वर्ष		(8.67)	21.26
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		731.01	1,321.85
प्रति शेयर आय			
(क) कर उपरांत लाभ		731.01	1,321.85
(ख) इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अंकित मूल्य ₹ 5/- प्रत्येक)		2,577,238,512	2,577,238,512
प्रति शेयर आय (₹) - मूल (क/ख)		2.84	5.13
प्रति शेयर आय (₹) - मंदित (क/ख)		2.84	5.13

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ 1-53, वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन -302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं. : 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

वर्ष 2015-16 के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	कर और असाधारण आय से पूर्व निवल लाभ		**1,102.76**		**2,113.42**
	निम्न के लिए समायोजनः				
	मूल्यह्रास और परिशोधन	424.09		413.66	
	ब्याज और वित्त खर्च	1.21		-	
	प्रावधान (निवल)	63.01		61.01	
	बट्टे खाते डाले गए स्टोर, पुर्जे, दावे आदि	11.98		13.17	
	लाभांश आय	(18.16)		(119.39)	
	ब्याज आय	(460.33)		(477.20)	
	परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.11		(0.24)	
			22.91		**(108.99)**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**1,125.67**		**2,004.43**
	निम्न के लिए समायोजनः				
	माल सूचियाँ	26.95		(1.26)	
	व्यापार एवं अन्य प्राप्य	(146.58)		199.33	
	व्यापार एवं अन्य देय	199.20		(1,190.54)	
			79.57		**(992.47)**
	प्रचालनों से सृजित नकदी		**1,205.24**		**1,011.96**
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी एवं विवादाधीन जमा शामिल हैं)		(361.40)		(491.49)
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		**843.84**		**520.47**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(545.61)		(303.14)	
	निवेशों की (खरीद)/बिक्री	73.96		294.00	
	म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	18.16		119.39	
	जमा, ऋण और अग्रिम से ब्याज आय	459.15		455.47	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**5.66**		**565.72**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	ब्याज और वित्तीय खर्च	(1.21)		-	
	अदा किए गए लाभांश कर समेत लाभांश	(542.74)		(506.50)	
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(543.95)**		**(506.50)**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क + ख + ग)**		**305.55**		**579.69**
ङ.	**नकद एवं नकद समतुल्य - प्रारंभिक शेष**		**4,627.98**		**4,048.29**
च.	**नकद एवं नकद समतुल्य - अंतिम शेष (घ + ङ)**		**4,933.53**		**4,627.98**

टिप्पणीः

क) वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत टिप्पणी 17 में नकद एवं बैंक शेष नकद प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नकद एवं नकद समतुल्य हैं। अतएव, लेखांकन मानक 3 के पैरा-42 के तहत अपेक्षित पुनर्मिलान विवरण अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) नकद और नकद समतुल्य में, ₹5.10 करोड़ का गैर-भुगतान लाभांश (पूर्ववर्ती वर्ष ₹5.00 करोड़), कम्पनी के उपयोग के लिए मुक्त रूप में उपलब्ध नहीं है।

ग) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकद बहिर्प्रवाह/आय है, जो भी मामला हो, को दर्शाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं.: 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

खंड-वार सूचना

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	रसायन		एल्यूमिनियम		गैर-आबंटित सामान्य		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व								
बाह्य बिक्री	**2,304.67**	2,559.44	**4,348.41**	4,644.25	**50.25**	58.21	**6,703.33**	7,261.90
अंतर-खंड अंतरण	**1,323.02**	1,325.48	**189.99**	163.10	**-**	-	**1,513.01**	1,488.58
कुल राजस्व	**3,627.69**	3,884.92	**4,538.40**	4,807.35	**50.25**	58.21	**8,216.34**	8,750.48
घटाएं: निकासी							**(1,513.01)**	(1,488.58)
निवल राजस्व							**6,703.33**	7,261.90
ख. परिणाम								
खंड परिणाम	**875.47**	1,094.77	**(192.57)**	581.49	**(3.97)**	(11.01)	**678.93**	1,665.25
असाधारण वस्तुएँ							**(53.45)**	(148.42)
ब्याज व्यय							**1.21**	-
ब्याज/लाभांश आय							**478.49**	596.59
आय कर							**371.75**	791.57
निवल लाभ							**731.01**	1,321.85
ग. अन्य सूचना								
खंड परिसंपत्तियाँ	**3,667.98**	3,531.75	**5,157.98**	5,371.62	**7,693.03**	7,274.30	**16,518.99**	16,177.67
खंड देयताएँ	**579.27**	467.87	**1,338.47**	1,300.00	**583.48**	507.22	**2,501.22**	2,275.09
पूंजी व्यय	**158.93**	201.39	**94.44**	110.77	**198.85**	(74.11)	**452.22**	238.05
मूल्यह्रास	**165.22**	159.17	**230.24**	224.87	**28.63**	29.62	**424.09**	413.66
गैर-नकदी व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	**13.18**	26.59	**56.17**	74.19	**0.82**	3.03	**70.17**	103.81

भौगोलिक खंड	भारत		भारत से बाहर			योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व							
बाह्य बिक्री	**3,456.46**	3,954.59	**3,246.87**	3,307.31		**6,703.33**	7,261.90
ख. अन्य सूचना							
खंड परिसंपत्तियाँ	**16,344.52**	16,101.14	**174.47**	76.53		**16,518.99**	16,177.67
पूंजी व्यय	**452.22**	238.05	**-**	-		**452.22**	238.05

टिप्पणी:

i) कम्पनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में कैल्साइन्ड एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बन्धित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

ii) भारत और भारत के बाहर दो भौगोलिक खंड हैं। चूंकि सभी उत्पादन और अन्य सुविधाएँ भारत में स्थित हैं, अतः निर्यात देनदारों को छोड़कर, खंड परिसंपत्तियों को एक ही भौगोलिक खंड अर्थात् भारत के अंतर्गत दिखाया गया है।

iii) कैल्साइन्ड एल्यूमिना के अंतर-खंड अंतरण को अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से औसत बिक्री बसूली पर परिशोधन से विशाखापत्तनम् स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) और निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया गया है। एल्यूमिनियम खंड से रसायन खंड में विद्युत के अंतरण को एल्यूमिना परिशोधन स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर विचार किया गया है।

iv) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं, जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बन्धित हैं और तर्कसंगत आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के सम्बंधित प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोगो

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्राक्कलन एवं पूर्वानुमान किए गए हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों या देयताओं या आकस्मिक देयताओं की बतायी गई राशि और/या अवधि के दौरान घोषित आय या व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम के अंतर को परिणाम निर्धारित किए जाने वाले वर्ष में स्वीकार किया जाता है।

3. परिसंपत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण

व्यवसाय के स्वरूप के आधार पर, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 माह के प्रचालन चक्र को लिया गया है। इसी अनुसार, कंपनी के प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्दिष्ट अन्य मानदंड के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू या गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4. अचल परिसंपत्तियाँ

4.1 सभी मूर्त अचल परिसंपत्तियाँ ऐतिहासिक लागत से संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणकारी क्षति, यदि कोई है, को घटाते हुए व्यक्त किया जाता है। इस लागत में, अप्रत्यक्ष व्यय एवं उधारी लागत के कारण उत्पन्न सेनवैट/वैट क्रेडिट, जहाँ कहीं भी प्रयोज्य है, को घटाकर अधिग्रहण के सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

4.2 वर्तमान मूर्त परिसंपत्तियों के जीवन काल और/या दक्षता वृद्धि के लिए इनके नवीकरण और आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को सम्बन्धित परिसंपत्तियों की लागत पर जोड़ा जाता है।

4.3 पट्टे पर दी गई भूमि सहित भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

4.4 अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन को घटाकर अधिग्रहण लागत पर व्यक्त किया जाता है।

खनन अधिकार (बॉक्साइट खानों के संबंध में भूमि, वन, वन्यजीवन आदि की पुनर्बहाली के लिए सरकारी अधिकरण को किए गए भुगतान समेत), संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्ति के लिए प्रयोगकर्ता अधिकार, ईआरपी एवं आरडीबीएमएस और अन्य सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता अधिकार, लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी (तकनीकी जानकारी अधिकार) और अनुसंधान व विकास संबंधी जानकारी को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में लिया जाता है।

4.5 ₹1 लाख प्रति इकाई से अधिक मूल्य वाली अचल परिसंपत्ति के संबंध में मशीनरी कलपुर्जों (बीमा कलपुर्जों) को अचल परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

4.6 सक्रिय उपयोग से हटायी गई एवं निपटान के लिए रखी अचल परिसंपत्ति को संदिग्ध वसूली संबंधी प्रावधान, यदि कोई है, को घटाने के बाद निवल बही मूल्य पर व्यक्त किया जाता है एवं इसके निपटान होने तक अन्य चालू परिसंपत्ति के समान माना जाता है।

4.7 विभिन्न उपयोगी जीवन से संबंधित प्लांट एवं मशीनरी के अवयवों को अलग से स्वीकार किया जाता है। ऐसी पृथक स्वीकृति के लिए प्रत्येक अवयव को घटाकर निकाला गया मूल्य ₹1 करोड़ है। बदले जाने पर उच्चतम सीमा को पार करते हैं, ऐसे विविध उपयोगी जीवन के साथ अवयव के मूल्य को पृथक अवयव के रूप में लिया जाता है।

5. मूल्यह्रास

5.1 मूर्त अचल परिसंपत्ति का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर या प्रबंधन द्वारा आकलित जीवन पर सीधी रेखा विधि, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

5.2 निम्नलिखित परिसंपत्तियों के मामले में, प्रबंधन द्वारा निर्धारित निम्नतर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास की उच्च दर ली जाती है। मूल्यह्रास एवं परिशोधन विधि, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की प्रत्येक वित्तीय वर्ष समेत आवधिक समीक्षा की जाती है:

क) बॉक्साइट खानों में अचल स्थायी संपत्तियों का जीवनकाल, उस अवधि तक सीमित है जिस अवधि तक बॉक्साइट आरक्षित संबंधित खान ब्लॉकों में उपलब्ध रहती है।

ख) सीपीपी में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं परिशोधन में वाष्प विद्युत संयंत्र का जीवनकाल क्रमशः 30 वर्ष एवं 25 वर्ष माना जाता है।

ग) एल्यूमिना परिशोधन में लाल कीचड़ तालाब एवं राख तालाब तथा आबद्ध बिद्युत संयंत्र में राख तालाब का जीवनकाल, आवधिक रूप में किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर मूल्यांकित उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर तय किया जाता है।

5.3 अचल परिसंपत्ति, जो संघटकीकरण के अधीन है, में मुख्य परिसंपत्ति, संघटकीकृत परिसंपत्ति और शेष, यदि कोई है, शामिल है। मुख्य परिसंपत्ति का जीवनकाल वही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित है अथवा तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो, जीवनकाल है। संघटकीकृत परिसंपत्तियों जिनका मूल्य ₹1 करोड़ या अधिक है, उनके जीवनकाल को तकनीकी समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जबकि शेष, यदि कोई हो, मुख्य परिसंपत्ति के जीवनकाल को पूरा करता है।

5.4 प्लांट एवं मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरण, रेलवे सुविधाएँ, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टरों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5% लिया जाता है। सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य तकनीकी प्राक्कलन के अनुसार शून्य माना जाता है।

5.5 अमूर्त परिसंपत्तियों को सीधी रेखा आधार पर निम्नानुसार परिशोधित किया जाता है :

क) अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत साफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख) खनन अधिकारों (अर्थात् एनपीवी एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान) को उपलब्ध खनन अधिकार की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। इससे सम्बंधित अन्य प्रासंगिक भुगतान को भुगतान की तिथि से 20 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ग) तकनीकी जानकारी के लिए लाइसेंस को तदनुरूपी प्रक्रिया प्लांट के पूंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष पर परिशोधित किया जाता है।

घ) समूह परियोजनाओं के लिए प्रयोगकर्ता अधिकार को प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

5.6 पत्तन सुविधाओं की जड़ित परिसंपत्तियों का, जो पत्तन प्राधिकरण से संबंधित जमीन पर संस्थापित की गई हैं, पट्टे की शेष अवधि के आधार पर परिकलित दरों पर मूल्यह्रास किया जाता है।

5.7 ₹10,000/- या कम की परिसंपत्ति का पृथक रूप से प्रयोग में लाए गए वर्ष में पूर्ण रूप में मूल्यह्रास किया जाता है।

5.8 अचल परिसंपत्ति के किसी मद से संबंधित परवर्ती व्यय का संबंधित परिसंपत्ति के संशोधित उपयोगी जीवन काल पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

5.9 जमीन पर पड़ी हुई परिसंपत्तियाँ, कंपनी के स्वामित्व में न हों, का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोग में लाए जाने की तैयार तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

5.10 मूल्य समायोजन पर मूल्यह्रास भावी रूप से प्रदान किया जाता है।

6. उधारी लागत

6.1 अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण सामान्य एवं विशिष्ट उधारी लागत तब तक उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है, जब तक अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

6.2 अन्य उधारी लागत को उस अवधि के लिए व्यय माना जाता है, जिसमें वे खर्च हुई हैं।

7. क्षति

सूचना के आंतरिक/बाह्य स्रोतों के आधार पर क्षति का कोई संकेत होने पर नकद उत्पादन इकाइयों की रखरखाव राशि प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में रखरखाव राशि के नकद उत्पादन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षीणकारी क्षति की स्थिति स्वीकार की जाती है। वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने पर क्षीणकारी क्षति पलट जाती है एवं ऐसी क्षति समाप्त हो जाती है अथवा कम हो गई है।

8. निवेश

निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं एवं निवेशित तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखने के लिए अभीष्ट नहीं हैं, को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य निवेशों को दीर्घमियादी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेशों को लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर व्यक्त किया जाता है। दीर्घमियादी निवेशों का ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी घटाव, यदि कोई है, करने के बाद लागत पर अनुरक्षित किया जाता है।

9. मालसूची

9.1 कच्चे माल, स्टोर एवं स्पेयर का मूल्यांकन जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो सेनवैट/वैट क्रेडिट घटाकर लागत पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य विधि के इस्तेमाल से किया जाता है।

9.2 बीमा स्पेयर से इतर स्टोर एवं स्पेयर जो रोककर रखा जाता है, परन्तु 5 वर्षों से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन लागत के 5% पर किया जाता है।

9.3 प्राप्त की गई मात्रा के 1% तक कोयले की कमी को सामान्य हानि माना जाता है एवं 1% से अधिक को असामान्य हानि माना जाता है।

9.4 उत्पादन में प्रयोग के लिए रखी गई सामग्री एवं अन्य आपूर्ति (गैर-गतिशील मानी गई को छोड़कर) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, यदि तैयार माल को जिनमें उनका उपयोग किया जाना है, लागत पर या अधिक पर बेचा जाता है।

9.5 एनोड बट एवं बेकार वस्तुओं को छोड़कर तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद एवं चल रहे कार्य जिसमें प्रक्रिया कबाड़ शामिल है, को लागत से कम पर एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य, श्रम के उचित साझे एवं संबंधित ऊपरी खर्च के आधार पर किया जाता है। साधारण व्यापार क्रम में, वसूले जाने योग्य निवल मूल्य बिक्री करने के लिए अपेक्षित अनुमानित लागत को घटाकर प्राप्त अनुमानित बिक्री मूल्य है।

9.6 विभिन्न प्रकार के आंतरिक रूप से तैयार कबाड़ का मूल्यांकन वसूली योग्य अनुमानित निवल मूल्य पर किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

10. सरकारी अनुदान

10.1 सरकार से प्राप्त वित्तीय अनुदान में से अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियाँ लागत पर दर्शायी जाती हैं। सहायता प्राप्त अनुदान सब्सिडी रिजर्व खाते में जमा किया जाता है। तदनुरूपी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास सब्सिडी रिजर्व पर समायोजित किया जाता हैं।

10.2 राजस्व संबंधी अनुदान को उस अवधि से संबंधित आय माना जाता है, जिससे वे संबंधित हैं।

11. विदेशी मुद्रा लेनदेन

11.1 सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया गया है।

11.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनः उल्लेख वर्ष के अंत की विनिमय दरों पर किया गया है। पुनः उल्लेख के विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

12. वायदा विनिमय संविदा

फर्म की वचनबद्धता एवं अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान लेनदेनों के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया वायदा विनिमय संविदा के तहत, विनिमय अंतर के कारण क्षति या एमटीएम (मार्किंग टू मार्केट) के कारण क्षति को लाभ एवं हानि खाता में स्वीकार किया गया है जबकि लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया है।

13. राजस्व की स्वीकृति

13.1 बिक्रीः

क) एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियमः घरेलू बाजार में बिक्री को खरीदार को सामग्री भेजने के समय स्वीकार किया जाता है। निर्यात बिक्री को लदान पत्र (बिल ऑफ लैडिंग) जारी करते समय स्वीकार किया जाता है। घरेलू बिक्री में उत्पादन शुल्क शामिल है एवं छूट और मूल्य रियायत छोड़कर है एवं मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है।

ख) नवीकरणीय विद्युतः पवन विद्युत की बिक्री संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पारेषित विद्युत के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उत्पादित सौर विद्युत, कार्यालय एवं टाउनशिप में आबद्ध प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, अतएव, आय एवं व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

ग) ताप विद्युतः सीपीपी से विद्युत की बिक्री को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचित मूल्य पर परिशोधन में ले जाने को घटाते हुए राज्य ग्रिड को आपूर्ति की गई मात्रा के आधार पर विचार किया जाता है।

13.2 प्राप्त राशि/प्रोत्साहनः

क) प्राप्य दावे उनकी वसूली की निश्चितता के आधार पर लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं।

ख) सावधि जमा पर ब्याज आय को बकाया राशि एवं लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) निर्यात प्रोत्साहन अर्थात् ड्यूटी ड्रॉ बैक और एमईआईएस को लदान पत्र / निर्यात बीजक के अनुसार शिपिंग मात्रा पर प्रोद्भवन आधार पर स्वीकार किया जाता है।

घ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) से आय को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम व्यापार दिन को स्वीकृत विद्युत विनिमय के उद्धृत मूल्यों के भारित औसत पर डिस्कॉम्स को किए गए विद्युत बिल के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ङ) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) को योजना के अनुसार प्रयोज्य दर पर बीजक युक्त मात्रा पर स्वीकार किया जाता है।

च) वसूली में अनिश्चितता रहने पर, राजस्व स्वीकृति को स्थगित रखा जाता है।

14. दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ

14.1 परिभाषित अंशदान योजनाः भविष्य निधियों एवं पेंशन योजना बाबत अंशदान जिस अवधि में निधियों में अंशदान के लिए नियत हैं, उससे संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होते हैं।

14.2 परिभाषित लाभ योजनाः उपदान, प्रोद्भूत अवकाश, दीर्घमियादी सेवा पुरस्कार, सेवा निवृत्ति चिकित्सा एवं बंदोबस्ती लाभ, एनईएफएफएआरएस स्कीम के अधीन मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारी को भावी भुगतान, सेवानिवर्त्तन पर कल्याण बाबत अंशदान (एनआरडब्ल्यूएस), हितकारी अंशदान एवं सेवानिवर्त्तन उपहार पर व्यय संबंधी देयताएँ वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती हैं एवं बीमांकिक लाभ/हानि पर विचार करने के बाद लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

14.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति पर व्यय उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष यह खर्च किया गया।

15. पूर्व अवधि/पूर्व प्रदत्त मदें

प्रत्येक मामले में ₹5 लाख तक की पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय एवं पूर्व प्रदत्त व्यय को चालू अवधि के आय/व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

16. नई परियोजनाओं पर व्यय

नई परियोजनाओं के आकलन के लिए निर्दिष्ट समय तक एवं निवेश निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ किए गए व्यय राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं। निवेश निर्णय के पश्चात् परियोजनाओं पर किए गए व्यय को चल रहे कार्य में शामिल किया जाता है एवं तत्पश्चात् पूंजीकृत किया जाता है।

17. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

अनुसंधान चरण के दौरान किया गया व्यय, ऐसे अनुसंधान से कोई अमूर्त परिसंपत्ति अर्जित न होने की स्थिति में राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

पूंजी प्रकृति से इतर विकास व्यय को प्रासंगिक आय, यदि कोई है, की व्यवस्था के बाद, जिस वर्ष में खर्च किया गया है, से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

18. असाधारण मदें

असाधारण मदें, सामान्य कार्यकलापों से लाभ या हानि के अंदर आय और व्यय की वे मदें हैं जिनका ऐसे आकार, प्रकृति या घटना के कारण प्रकटन आवश्यक समझा गया है ताकि कंपनी के निष्पादन का बेहतर स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके।

19. कर व्यय

अवधि के लिए कर व्यय, जिसमें चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं, को अवधि के लिए निवल लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

19.1 चालू कर को प्रचलित कराधान नियमों के अनुसार कर प्राधिकरणों को चुकाई जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

19.2 आस्थगित कर व्यय या लाभ को एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच अंतर होने के समय-निर्धारण अंतर पर स्वीकार किया जाता है एवं एक या अधिक तदुपुरांत अवधियों में प्रत्यावर्तन में सक्षम है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (डीटीए) को केवल विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक सुनिश्चित समर्थन यह कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगा, जिससे ऐसे डीटीए की वसूली की जा सकती है, को स्वीकार किया जाता है।

19.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है।

20. संयुक्त उद्यम

किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में ब्याज की गणना, लेखांकन मानक (एएस) 27, ''संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के तहत प्रकटन के साथ लेखांकन मानक (एएस) 13, ''निवेशों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवेश के रूप में किया जाता है।

21. संदिग्ध ऋण एवं वापसी योग्य राशि के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण एवं प्राप्य राशि के लिए प्रावधान, सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक समय के लिए वसूली नहीं होने पर किया जाता है। सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियों के मामले में, यह मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है जो कि मामले की अर्जन योग्यता पर निर्भर है।

22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

22.1 आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान को वर्तमान दायित्व रहने पर स्वीकार किया जाता है एवं संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन आवश्यक हों तथा उनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रत्येक वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाती है एवं सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

22.2 आकस्मिक प्रकृति की देयताएँ वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट की जाती है, जहाँ संभावी दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो सकता है परन्तु संभवतः जिसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ संसाधनों की आवश्यकता की संभावना बहुत कम है, वहाँ प्रकटन नहीं किया जाता है।

22.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी		
शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष ₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर)	**3,000.00**	**3,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष ₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्णतः प्रदत्त)	**1,288.62**	**1,288.62**

क) कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों में भारत सरकार के 208,57,82,622 इक्विटी शेयर (80.93%), पिछले वर्ष 208,57,82,622 इक्विटी शेयर (80.93%) है।

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की इक्विटी शेयर धारिता 17,73,16,005 (6.88%), पिछले वर्ष 18,82,51,981 (7.30%) है।

ग) इक्विटी शेयर के धारकों को समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी की साधारण बैठकों में प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं।

घ) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में 128,86,19,256 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। उक्त वर्ष में बोनस इश्यू में शेयरों को उनके प्रत्येक के अंकित मूल्य ₹10 के प्रत्येक के ₹5/- के दो इक्विटी शेयरों में विभाजित करने के बाद जारी किया गया। उक्त बोनस इश्यू के अलावा, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई इक्विटी शेयर जारी/पुनर्खरीद नहीं की है।

टिप्पणी 2 : आरक्षित निधि एवं अधिशेष

क)	**सामान्य आरक्षित निधि**				
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,503.98		10,829.90	
	घटाएं : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II के परिवर्ती प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में समायोजन	-		105.92	
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		780.00	
	अंतिम शेष		**11,503.98**		**11,503.98**
ख)	**अधिशेष**				
-	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4.34		3.69	
-	जोड़ें : वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	731.01		1,321.85	
-	घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	-		780.00	
-	घटाएं : अंतरिम लाभांश #	322.16		322.16	
-	घटाएं : अंतरिम लाभांश पर कर	65.58		64.41	
-	घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश #	193.29		128.86	
-	घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	39.35		25.77	
-	घटाएं : वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश पर अवकल कर (अधिशुल्क एवं उप कर)	0.47			
	अंतिम शेष		**114.50**		**4.34**
ग)	**अन्य आरक्षित**				
	सब्सिडी आरक्षित				
-	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.36		0.24	
-	जोड़ें : प्राप्त सब्सिडी	0.24		0.37	
-	घटाएं : मूल्यह्रास में अंतरित	0.02		0.25	
	अंतिम शेष		**0.58**		0.36
	योग :		**11,619.06**		**11,508.68**

टिप्पणी-49 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 3 : आस्थगित कर देयताएं (निवल)				
आस्थगित कर देयताएं :				
बही और आयकर के बीच मूल्यह्रास में अंतर		**1,288.37**		**1274.58**
घटाएं: आस्थगित कर संपत्तियां				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ख की अस्वीकृति	2.81		8.32	
सेवानिवृत्ति पर लाभ व्यय	89.95		93.88	
संदिग्ध ऋण, दावों एवं अन्य के लिए प्रावधान	85.52		67.11	
अंतिम शेष		**178.28**		**169.31**
योग :		**1,110.09**		**1,105.27**
टिप्पणी 4 : अन्य दीर्घमियादी देयताएँ				
व्यापार देय राशियाँ		**16.30**		**19.82**
अन्य देयताएँ				
पूंजी व्यय के लिए देय	1.58		3.07	
अन्य	50.38		42.41	
उप योग :		**51.96**		**45.48**
योग :		**68.26**		**65.30**
टिप्पणी 5 : दीर्घमियादी प्रावधान				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
अवकाश नकदीकरण	181.62		214.08	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	6.07		6.57	
बंदोबस्ती लाभ	2.37		5.39	
लम्बी सेवा के लिए पुरस्कार	7.67		6.69	
एनईएफएफआरएस	7.31		10.03	
सेवानिवृत्ति उपहार	6.20			
हितकारी निधि	2.56			
सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	9.92			
योग :		**223.72**		**242.76**
टिप्पणी 6 : व्यापार देय राशियाँ				
व्यापार देय राशियाँ				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम #		1.26		2.85
अन्य		580.12		437.33
योग :		**581.38**		**440.18**

टिप्पणी - 48 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 7 : अन्य चालू देयताएँ					
कर्मचारी लाभ देय			125.99		160.09
सांविधिक एवं अन्य बकाये					
बिजली शुल्क		20.92		13.43	
जल प्रभार एवं उस पर ब्याज #		663.56		537.71	
आय कर (टीडीएस एवं टीसीएस)		14.90		13.66	
अन्य		17.17		23.44	
	उप योग :		716.55		588.24
पूंजी व्यय के लिए लेनदार					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम # #		0.86		0.20	
अन्य		311.40		361.78	
	उप योग :		312.26		361.98
ग्राहक क्रेडिट शेष एवं ग्राहक से अग्रिम			121.61		151.74
नवीकरणीय क्रय दायित्व # # #			25.99		18.43
अन्य देय राशियाँ			42.95		55.17
अदत्त लाभांश			5.10		5.00
योग :			**1,350.45**		**1,340.65**

टिप्पणी - 47 का संदर्भ लें
टिप्पणी - 48 का संदर्भ लें
टिप्पणी - 37 का संदर्भ लें

टिप्पणी 8 : अल्पमियादी प्रावधान					
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :					
उपदान		8.60		2.05	
अवकाश नकदीकरण		15.73		15.36	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ		0.23		0.25	
बंदोबस्ती लाभ		0.37		0.60	
लम्बी सेवा पुरस्कार		0.63		2.08	
एनईएफएफएआरएस		13.90		10.20	
सेवानिवृत्ति उपहार		0.72		-	
हितकारी निधि		1.38		-	
सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		3.21		-	
	उप योग :		**44.77**		**30.54**
अन्य :					
संपत्ति कर के लिए प्रावधान		-		1.04	
लाभांश के लिए प्रावधान		193.29		128.86	
लाभांश पर कर प्रावधान		39.35		25.77	
	उप योग :		**232.64**		**155.67**
योग :			**277.41**		**186.21**

टिप्पणी 9 : अचल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	कटौती	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ										
भूमि										
पूर्ण स्वामित्व वाली	71.33		-	71.33	-	-	-	-	71.33	71.33
पट्टे वाली	12.80	10.97	-	23.77	2.58	5.38	-	7.96	15.81	10.22
भवन	1,084.41	42.95	-	1,127.36	536.79	36.67	-	573.46	553.90	547.62
रेलवे साइडिंग	110.65	12.57	-	123.22	69.55	4.53	-	74.08	49.14	41.10
संयंत्र एवं उपकरण	13,563.99	158.54	(29.88)	13,692.65	7,806.17	345.83	(24.02)	8,127.98	5,564.67	5,757.82
फर्नीचर एवं फिक्सचर	32.51	2.99	(0.30)	35.20	26.01	2.04	(0.29)	27.76	7.44	6.50
वाहन	46.20	0.35	(0.60)	45.95	33.76	2.97	(0.54)	36.19	9.76	12.44
कार्यालय उपकरण	50.01	3.60	(1.58)	52.03	42.14	4.48	(1.58)	45.04	6.99	7.87
विविध उपकरण	126.77	5.15	(0.97)	130.95	72.46	9.58	(0.94)	81.10	49.85	54.31
योग :	**15,098.67**	**237.12**	**(33.33)**	**15,302.46**	**8,589.46**	**411.48**	**(27.37)**	**8,973.57**	**6,328.89**	**6,509.21**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
साफ्टवेयर	14.68	1.66	-	16.34	11.87	1.56	-	13.43	2.91	2.81
खनन अधिकार	138.67	13.39	-	152.06	30.95	7.34	-	38.29	113.77	107.72
प्रयोगकर्ता अधिकार (समूह परियोजनाएँ)	17.98	-	-	17.98	2.55	1.81	-	4.36	13.62	15.43
लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी	14.70	-	-	14.70	4.45	1.94	-	6.39	8.31	10.25
कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ:	**186.03**	**15.05**	**-**	**201.08**	**49.82**	**12.65**	**-**	**62.47**	**138.61**	**136.21**
कुल योग	**15,284.70**	**252.17**	**(33.33)**	**15,503.54**	**8,639.28**	**424.13**	**(27.37)**	**9,036.04**	**6,467.50**	**6,645.42**
कुल योग (पिछले वर्ष)	**14,858.13**	**428.09**	**(1.52)**	**15,284.70**	**8,066.19**	**574.48**	**(1.39)**	**8,639.28**	**6,645.42**	**6,791.94**

टिप्पणी :

1. संचयी हानि प्रावधान में भवनों एवं संरचनाओं में संचयी मूल्यह्रास के ₹4.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.94 करोड़) शामिल है।
2. संचयी हानि प्रावधान में संयंत्र एवं उपकरणों में संचयी मूल्यह्रास के ₹28.6 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.40 करोड़) शामिल है।
3. हानि प्रावधान में भवनों एवं संरचनाओं में मूल्यह्रास के ₹(0.55) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(0.55) करोड़) शामिल है।
4. हानि प्रावधान में संयंत्र एवं उपकरणों में मूल्यह्रास के ₹(2.80) करोड़ (पिछले वर्ष ₹(2.80) करोड़) शामिल है।
5. सकल ब्लॉक में कंपनी की गैर-स्वामित्ववाली जमीन पर पड़ी परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पूंजी व्यय शामिल है।
   क) भवन - ₹6.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.32 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹6.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.32 करोड़)
   ख) रेलवे साइडिंग - ₹4.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.45 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹4.45 करोड़ (पिछले वर्ष 4.45 करोड़)
   ग) संयंत्र और उपकरण - ₹16.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹16.18 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹16.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹16.18 करोड़)
6. 66.92 एकड़ भूमि को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा अर्जित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के लिए अधिकारपत्र का निष्पादन किया गया है। पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए रूपांतरण प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों के साथ आरंभ कर दी गई है।
7. पट्टे वाली जमीन में 1576.10 एकड़ की जमीन शामिल है, जिसके लिए पट्टा संबंधी अनुबंध का निष्पादन किया जाना है। तथापि, उक्त जमीन पर अपने प्रचालनों के निष्पादन के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को अनुमति दी गई है।
8. कोलकाता में ₹5.50 करोड़ मूल्य के कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से खरीदे गए 6459 वर्गफीट कार्यालय परिसर के संबंध में पंजीकरण की औपचारिकताएँ प्रगति पर है।
9. भूमि में परिशोधन की 43.75 एकड़ भूमि शामिल है जिसके अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 10 : चालू पूंजीगत कार्य				
लागत पर चालू पूंजीगत कार्य	561.80		478.90	
घटाएं : संदिग्ध वसूली	0.79		-	
उप योग :		**561.01**		478.90
मार्गस्थ सहित निर्माण सामग्री (लागत पर)		**43.55**		47.49
आबंटन होने तक निर्माण के दौरान व्यय (टिप्पणी 10.1)		**56.80**		23.34
योग :		**661.36**		**549.73**
टिप्पणी 10.1				
निर्माण के दौरान व्यय				
लम्बित आबंटन (प्रारंभिक शेष)		**23.34**		**65.66**
जोड़ें : वर्ष के दौरान व्यय				
तकनीकी परामर्श शुल्क एवं जानकारी	0.14		(0.08)	
प्रारंभ करना एवं चालू करना	8.06		-	
अन्य व्यय	5.05		1.13	
मूल्यह्रास	0.02		0.10	
	13.27		**1.15**	
घटाएं : वर्ष के दौरान आय				
परीक्षण प्रचालन से आय	4.40		-	
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**8.87**		**1.15**
कुल व्यय		**32.21**		**66.81**
घटाएं : अचल परिसंपत्तियों को आबंटित		10.16		8.72
घटाएं : दावे में/(से) अंतरित #		(34.75)		34.75
आगे ले जाया गया शेष		**56.80**		**23.34**

टिप्पणी सं. 44 देखें

टिप्पणी 11 : गैर-चालू निवेश

व्यापार निवेश और अनुद्धृत	इकाई की सं. '000 में		इकाई की सं. '000 में	
इक्विटी निवेश				
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लि. में इक्विटी शेयर		0.03		0.03
एक्सेल सर्विसेस लि. में इक्विटी शेयर		*		*
संयुक्त उद्यमों में निवेश (टिप्पणी 36 का संदर्भ लें)				
इनके इक्विटी शेयर (₹10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
अंगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	990	0.99	990	0.99
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.	26	0.02	26	0.02
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	40	0.04	-	-
अन्य निवेश एवं उद्धृत (टिप्पणी 11.1 का संदर्भ लें)		810.00		-
योग :		**811.08**		**1.04**
अनुद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		1.08		1.04

* राशि एक लाख रुपए से कम है

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 11.1 : अन्य निवेश एवं उद्धृत **(तुलनपत्र की तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ दीर्घमियादी निवेश)**	इकाई **'000 में**		इकाई **'000 में**	
(₹10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-22	50,000	50.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-24	50,000	50.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-27	30,000	30.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-28	50,000	50.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-31	40,000	40.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-32	35,000	35.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-34	25,000	25.00		
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-35	50,000	50.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	20,000	20.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XII	40,000	40.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XIII	40,000	40.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- I	25,000	25.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-III	75,000	75.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	25,000	25.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VI	50,000	50.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VIII	35,000	35.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-IX	100,000	100.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	10,000	10.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-XI	60,000	60.00		
योग		**810.00**		**-**
उद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		810.00		-
उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य की एकीकृत राशि		943.28		-

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 12 : दीर्घमियादी ऋण एवं अग्रिम					
पूंजी अग्रिम					
असुरक्षित, अच्छा माना गया #		386.87		255.28	
संदिग्ध		0.50		0.50	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.50		0.50	
	उप योग :		**386.87**		**255.28**
अन्य ऋण एवं अग्रिम					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		61.80		65.29	
असुरक्षित, अच्छा माना गया		14.96		28.58	
	उप योग :		**76.76**		**93.87**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया			**0.21**		**0.27**
जमा (अविवादित, असुरक्षित, अच्छा माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास, आदि		15.65		15.49	
अन्य सरकारी प्राधिकारीगण		1.32		1.44	
अन्य		6.98		4.98	
		23.95		**21.91**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, अच्छा माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पत्तन न्यास, आदि		221.05		204.66	
आयकर प्राधिकारी ##		638.71		645.86	
		859.76		**850.52**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, संदिग्ध माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पत्तन न्यास, आदि		0.43		0.43	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.43		0.43	
		-		-	
	उप योग :		**883.71**		**872.43**
	योग :		**1,347.55**		**1,221.85**

गुजरात राज्य में जीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट की आपूर्ति के साथ एल्यूमिना परिशोधन एवं एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना हेतु एक नई परियोजना के लिए बोली लगाते समय अग्रिम भुगतान बाबत गुजरात खनिज विकास निगम लि. (जीएमडीसी)) को कंपनी द्वारा अदा की गई ₹151 करोड़ की राशि शामिल है।

टिप्पणी : 46 का संदर्भ लें।

टिप्पणी 13 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
दीर्घमियादी व्यापार प्राप्य					
व्यापार प्राप्य (संदिग्ध)		37.11		37.11	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		37.11		37.11	
	उप योग :		-		-
प्रोद्भूत ब्याज					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		37.42		36.47	
असुरक्षित, अच्छा माना गया		11.93		10.89	
	उप योग :		**49.35**		47.36
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		0.13		0.09	
	उप योग :		**0.13**		**0.09**
	योग :		**49.48**		**47.45**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 14 : चालू निवेश	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
(तुलनपत्र की तारीख से 12 महीने से कम परिपक्वता के साथ दीर्घमियादी निवेश) ***(₹10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)***				
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - V			45,000	45.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - VIII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - X			20,000	20.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - XII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - XIII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - I			25,000	25.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - III			75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - IV			25,000	25.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - VI			50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - VIII			35,000	35.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - IX			100,000	100.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - X			10,000	10.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - XI			60,000	60.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-20			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-22			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-24			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-27			30,000	30.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-28			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-31			40,000	40.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-32			35,000	35.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-34			25,000	25.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-35			50,000	50.00
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 14			5,000	5.00
म्यूचुअल फंड में निवेश				
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना-लाभांश-एलएफ-डीडी ***(अंकित मूल्य प्रत्येक ₹1002.6483 प्रत्येक)***	110	11.00		
केनरा रोबेको लिक्विड प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य प्रत्येक ₹1005.5000 प्रत्येक)***	109	11.00		
आईडीबीआई लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹1001.8202 प्रत्येक)***	110	11.00		
एसबीआई पीएलएफ - प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹1003.2500 प्रत्येक)***	110	11.00		
यूनियन केबीसी लिक्विड फंड दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹1000.6506 प्रत्येक)***	110	11.00		
यूटीआई मनी मार्केट फंड ***(अंकित मूल्य ₹1003.3854 प्रत्येक)***	110	11.00		
योग		**66.00**		**950.00**
उद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		66.00		950.00
उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य की एकीकृत राशि		66.04		1,021.06

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 15 : मालसूचियाँ					
कच्चे माल		79.30		98.06	
जोड़ें : मार्गस्थ		33.78		19.99	
	उप योग :	113.08		118.05	
घटाएं : संदिग्ध प्रावधान		0.07		-	
			113.01		**118.05**
चल रहे कार्य		216.50		202.22	
मध्यवर्ती उत्पाद		103.24		108.01	
तैयार माल		136.37		136.90	
			456.11		**447.13**
भंडार और कल पुर्जे		389.40		448.76	
जोड़ें : मार्गस्थ		12.28		21.19	
	उप योग :	401.68		469.95	
घटाएं : संदिग्ध प्रावधान		0.80		-	
			400.88		**469.95**
कोयला और ईंधन तेल		133.80		128.47	
जोड़ें : मार्गस्थ		23.17		1.96	
			156.97		**130.43**
	योग :		**1,126.97**		**1,165.56**
टिप्पणी 16 : व्यापार प्राप्य					
असुरक्षित, अच्छा माना गया					
– देय तिथि से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया		23.79		12.37	
– अन्य		211.42		108.45	
	योग		**235.21**		**120.82**
टिप्पणी 17 : नकद एवं बैंक शेष					
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष					
चालू खाते में		28.30		3.68	
स्टाम्प सहित नकद हाथ में		0.13		0.14	
	उप योग :		**28.43**		**3.82**
अन्य बैंक शेष					
अदत्त लाभांश खाता*		5.10		5.00	
3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा		4,900.00		4,619.16	
	उप योग :		**4,905.10**		**4,624.16**
	योग :		**4,933.53**		**4,627.98**

* वर्तमान वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा के लिए देय राशि (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 18 : अल्पमियादी ऋण एवं अग्रिम					
अन्य ऋण एवं अग्रिम					
सुरक्षित, अच्छा माना गया					
- कर्मचारियों को ऋण		**16.99**		**17.17**	
- अन्य को ऋण		0.11		0.08	
	उप योग		**17.10**		**17.25**
असुरक्षित, अच्छा माना गया					
- कर्मचारियों को ऋण		17.04		19.27	
- कर्मचारियों को अग्रिम		23.88		23.14	
- विक्रेताओं को अग्रिम		319.40		286.47	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		15.62		15.95	
- सेनवैट क्रेडिट प्राप्य		170.77		200.73	
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		2.55		4.14	
- पूर्वप्रदत्त व्यय		4.17		3.89	
- अन्य		16.14		36.70	
	उप योग		**569.57**		**590.29**
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया					
- कर्मचारियों को अग्रिम		38.84		31.20	
- विक्रेताओं को अग्रिम		2.44		2.39	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		133.05		87.69	
- सेनवैट क्रेडिट प्राप्य		3.99			
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		7.74		3.48	
- अन्य		2.90		2.67	
		188.96		127.43	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		188.96		127.43	
	उप योग		-		-
	योग :		**586.67**		**607.54**
टिप्पणी 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ					
प्रोद्भूत ब्याज					
असुरक्षित, अच्छा माना गया					
बैंक जमा		169.75		173.14	
कर्मचारियों को ऋण		2.17		0.60	
अन्य ऋण एवं अग्रिम		0.64		0.44	
		172.56		174.18	
सुरक्षित, अच्छा माना गया					
कर्मचारियों को ऋण		6.74		5.97	
	उप योग		**179.30**		**180.15**
निर्यात प्रोत्साहन दावे			**27.44**		**23.82**
नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन			**5.67**		**4.82**
हस्तगत सोने का तमगा			**0.06**		**0.06**
गैर व्यापार प्राप्य					
असुरक्षित, अच्छा माना गया		1.34		0.73	
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया		0.32		0.44	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.32		0.44	
	उप योग		**1.34**		**0.73**
बीमा दावे		11.22		11.96	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		6.40		6.45	
	उप योग		**4.82**		**5.51**
कबाड़ एवं अव्यवहार्य सामग्री		14.80		25.08	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.21		0.41	
	उप योग		**14.59**		**24.67**
निपटान की प्रतीक्षा में अचल परिसंपत्तियाँ		4.95		4.91	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		4.53		4.39	
	उप योग		**0.42**		**0.52**
	योग :		**233.64**		**240.28**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 20 : निम्न के लिए प्रदान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ		
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :		
1. बिक्री कर	411.52	445.60
2. उत्पाद शुल्क	102.05	83.35
3. सीमा शुल्क	5.77	5.77
4. सेवा कर	2.35	2.26
5. आय कर	688.36	1,079.37
6. प्रवेश कर एवं सड़क कर	288.67	214.46
7. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	43.49	43.83
8. स्टाम्प ड्यूटी	205.97	211.64
9. खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.30	90.05
10. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी एवं संबंधित मांग	93.10	106.04
11. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता एवं अन्य के दावे	159.41	163.27
12. कर्मचारी राज्य बीमा	0.32	0.32
13. भविष्य निधि आयुक्त	-	0.05
योग :	**2,137.31**	**2,446.01**

कंपनी के संबंध में दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है, में निम्न शामिल है :

क. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी अपीलीय प्राधिकरणों में मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम नहीं पड़ेगा।

ख. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी 21 : पूंजी एवं अन्य वचनबद्धताएँ

क) पूंजी वचनबद्धताएँ		
पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जो प्रदान नहीं की गई है, अभी उनका निष्पादन किया जाना है।	685.71	207.54
ख) अन्य वचनबद्धताएँ		
कंपनी भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अन्तर्गत रियायती शुल्क दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है, इससे योजना के तहत मात्रात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए ₹6.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.90 करोड़) के शुल्क की वचत हुई।	41.68	53.41
योग :	**727.39**	260.95

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 22 : प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री				
(i) निर्यात :				
एल्यूमिना	2,198.27		2,470.22	
एल्यूमिनियम	1,048.60		837.09	
	3,246.87		3,307.31	
(ii) घरेलू :				
एल्यूमिना	119.92		100.42	
एल्यूमिनियम	3,734.23		4,299.86	
बिजली	55.51		63.03	
	3,909.66		4,463.31	
कारोबार (सकल)	**7,156.53**		**7,770.62**	
(iii) घटाएं : उत्पाद शुल्क				
एल्यूमिना	13.52		11.20	
एल्यूमिनियम	439.68		497.52	
	453.20		**508.72**	
कारोबार (निवल)		**6,703.33**		**7,261.90**
अन्य प्रचालन राजस्व				
(i) निर्यात प्रोत्साहन				
एल्यूमिना	43.78		64.81	
एल्यूमिनियम	38.52		14.60	
	82.30		79.41	
(ii) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन	30.37		34.94	
(iii) स्वयं निर्मित वस्तुओं आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूंजीकृत	-		6.56	
उप योग :		**112.67**		**120.91**
योग		**6,816.00**		**7,382.81**
टिप्पणी 23 : अन्य आय				
निम्न पर ब्याज आय :				
बैंक जमा *	435.73		455.95	
कर्मचारियों को ऋण	9.97		11.27	
आय कर वापसी	13.86		9.55	
अन्य	0.77		0.43	
उप योग :		**460.33**		**477.20**
निवेशों पर आय :				
निम्न पर निवल लाभ/(हानि)				
लाभांश योजना निवेश	5.19		18.77	
दीर्घमियादी निवेश	12.97		100.62	
उप योग :		**18.16**		**119.39**
विदेशी मुद्रा रूपांतरण और लेनदेनों पर निवल लाभ / (हानि)		**5.98**		**13.40**
सामान्य कबाड़ आय		**6.52**		**22.95**
विविध आय		**44.28**		**40.05**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		**1.30**		**(0.35)**
योग :		**536.57**		**672.64**

* स्रोत पर आयकर कटौती ₹43.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹46.29 करोड़) शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े			पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		
टिप्पणी 24 : खपत की गई सामग्री का मूल्य						
कच्चे माल	**मात्रा (मे.टन)**			**मात्रा (मे.टन)**		
कास्टिक सोड़ा	207,312	585.26		190,491	536.39	
सी.पी. कोक	145,387	302.64		124,310	282.48	
सी.टी. पिच	34,395	94.97		29,075	109.98	
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	6,760	50.69		5,597	39.31	
चूना	54,127	41.03		50,231	36.83	
अन्य		29.81			26.60	
योग :			**1,104.40**			**1,031.59**
टिप्पणी 25 : विद्युत एवं ईंधन						
कोयला		1,285.27			1,052.61	
ईंधन तेल		398.22			612.84	
अपने उत्पादन पर शुल्क		172.68			121.50	
विद्युत क्रय		1.89			2.14	
विद्युत प्रसारण प्रभार		6.55			5.74	
उप योग :		1,864.61			1,794.83	
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-			7.41	
योग :			1,864.61			1,802.24
टिप्पणी 26 : तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद एवं चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन						
तैयार माल						
प्रारंभिक स्टॉक	**मूल**	**उत्पाद शुल्क सम्मिलित***		**मूल**	**उत्पाद शुल्क सम्मिलित**	
बॉक्साइट	4.83	-		8.62	-	
रसायन	94.32	4.87		97.84	1.90	
एल्यूमिनियम	28.53	4.35		21.79	3.20	
	127.68	9.22		128.25	5.10	
घटाएं: अंतिम स्टॉक						
बॉक्साइट	7.73	-		4.83	-	
रसायन	93.81	6.06		94.32	4.87	
एल्यूमिनियम	25.98	2.79		28.53	4.35	
	127.52	8.85		127.68	9.22	
(अनुवृद्धि)/कमी	0.16	0.37	**0.53**	0.57	(4.12)	**(3.55)**
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (क)			**0.53**			**(3.55)**
मध्यवर्ती उत्पाद						
प्रारंभिक स्टॉक						
एनोड	103.49			114.50		
अन्य	4.52			4.03		
	108.01			118.53		
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
एनोड	96.08			103.49		
अन्य	7.17			4.52		
	103.25			108.01		
(अनुवृद्धि)/कमी	4.76		**4.76**	10.52		**10.52**
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (ख)			**4.76**			**10.52**
चल रहे कार्य						
प्रारंभिक स्टॉक	202.22			198.15		
घटाएं: अंतिम स्टॉक	216.50			202.22		
(अनुवृद्धि)/कमी	(14.28)		**(14.28)**	(4.07)		**(4.07)**
परीक्षण प्रचालन से अंतरण			-			-
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (ग)			**(14.28)**			**(4.07)**
योग (क+ख+ग) :			**(8.99)**			**2.90**

* उत्पाद शुल्क में प्लांट एवं स्टॉकयार्ड में रखा गया स्टॉक शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन और मजदूरी	1,104.55		1130.86	
भविष्य, पेंशन एवं उपदान निधि के लिए अंशदान	189.10		177.71	
कर्मचारी कल्याण व्यय	67.71		69.34	
योग :		1,361.36		1,377.91

ऊपर टिप्पणी 27 में सम्मिलित दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ दायित्व (एएस-15 के अनुसार)

	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	एनईएफ एफएआर योजना	लम्बी सेवा पुरस्कार	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	नालको सेवा निवर्त्तन उपहार
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि :									
दायित्व का वर्तमान मूल्य	**298.02**	**197.34**	**6.30**	**2.74**	**21.21**	**8.30**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	293.76	*229.44*	*6.82*	*5.98*	*20.22*	*8.77*			
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**289.43**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**			
	291.71	–	–	–	–	–			
निधिबद्ध स्थिति [अधिक/(कम)]	**(8.59)**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**			
	(2.05)	–	–	–	–	–			
स्वीकृत निवल देयता	**8.59**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**			
	2.05	–	–	–	–	–			
लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत राशि :									
वर्तमान सेवा मूल्य	**28.46**	**62.38**	**–**	**5.37**	**–**	**0.51**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	26.97	*59.26*	–	–	–	*0.52*			
ब्याज मूल्य	**22.58**	**13.37**	**0.40**	**0.46**	**–**	**0.63**			
	20.96	*13.41*	*0.47*	*0.63*	–	*0.69*			
योजना परिसंपत्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	**23.33**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**			
	22.23	–	–	–	–	–			
निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(19.12)**	**16.74**	**2.57**	**(8.61)**	**0.99**	**0.12**			
	(18.26)	*20.46*	*1.81*	*(2.23)*	*0.66*	*0.38*			
स्वीकृत व्यय	**8.59**	**92.49**	**2.97**	**(2.78)**	**0.99**	**1.26**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	7.44	*93.13*	*2.28*	*(1.60)*	*0.66*	*1.59*			
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल देयता में उतार-चढ़ाव :									
प्रारंभिक निवल देयता	**2.05**	**229.44**	**6.82**	**5.98**	**20.22**	**8.77**	–	–	–
	(5.39)	*198.78*	*7.30*	*8.05*	*19.56*	*9.99*			
स्वीकृत व्यय	**8.59**	**92.49**	**2.97**	**(2.78)**	**0.99**	**1.26**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	7.44	*93.13*	*2.28*	*(1.60)*	*0.66*	*1.59*			
अदत्त लाभ	**–**	**124.59**	**3.49**	**0.46**	**–**	**1.73**			
	–	*62.47*	*2.76*	*0.47*	–	*2.81*			
अंशदान	**2.05**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**			
	–	–	–	–	–	–			
अंतिम निवल देयता	**8.59**	**197.34**	**6.30**	**2.74**	**21.21**	**8.30**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	2.05	*229.44*	*6.82*	*5.98*	*20.22*	*8.77*			

टिप्पणी :

1. इटैलिक्स में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।
2. उपदान रोजगार उपरांत निधिबद्ध निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।
3. अन्य लाभ गैर-निधिबद्ध निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय जारी...		
क. बीमांकिक अनुमान		
मृत्यु दर सारणी	*आईएएलएम-(2006-08) यूएलटी*	*आईएएलएम-(2006-08) यूएलटी*
छूट दर	8.00%	8.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (रिटर्न)	8.00%	8.00%
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवा निवर्त्तन की उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों को बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति विवेचना, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सम्बंधित कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा योजना परिसंपत्ति की अपेक्षित वापसी का निर्धारण कई लागू कारकों विशेषकर धारित परिसंपत्तियों के संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन के आकलित जोखिम एवं योजना परिसंपत्तियों से मूल वापसी को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ख. योजना परिसंपत्तियों का निवेश विवरण

	₹ करोड़ में	%	₹ करोड़ में	%
बीमाकर्ता व्यवस्थित निधि	289.33	99.97%	291.62	99.97%
अन्य	0.10	0.03%	0.09	0.03%
योग :	**289.43**	**100.00%**	**291.71**	**100.00%**
ग. योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक प्रतिफल (रिटर्न)	**₹18.74 करोड़**		**₹34.39 करोड़**	

घ. विभिन्न परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार हैं

(i) **भविष्य निधि** : कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है। जहाँ निवेश पर वापसी कम होने या किसी अन्य कारण से ट्रस्ट घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ रहता है, वहाँ इस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) **पेंशन निधि** : कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

(iii) **उपदान** : उपदान का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹10,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(iv) **सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ** : ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(v) **बंदोबस्ती लाभ** : सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना का विकल्प लिए हैं, तो टीए का अंतरण अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को स्वीकार्य है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(vi) **लम्बी सेवा का पुरस्कार** : जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं डीए के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(vii) **एनईएफएफएआरएस** : अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्त्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(viii) **अवकाश नकदीकरण** : संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमन्य है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ix) **नालको हितकारी निधि योजना** : कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी।

(x) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना** : कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी।

(xi) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजना** : कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 28 : वित्त लागत					
ब्याज व्यय					
अल्पमियादी ऋण पर ब्याज		1.21		-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ)/हानि					
ब्याज लागत में समायोजन		-		-	
योग :			**1.21**		**-**
टिप्पणी 29: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय					
वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास		423.60		414.02	
घटाएं : पूंजी खाता में अंतरित		0.02		0.10	
घटाएं : सब्सिडी आरक्षित से अंतरित		0.02		0.26	
	उप योग		**423.56**		**413.66**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			**0.53**		**-**
योग :			**424.09**		**413.66**
टिप्पणी 30 : अन्य व्यय					
मरम्मत एवं रखरखाव					
भवन की मरम्मत		44.98		33.83	
प्लांट एवं मशीनरी की मरम्मत		127.84		138.39	
अन्य की मरम्मत		18.83		20.70	
	उप योग		**191.65**		**192.92**
भण्डार एवं कलपुर्जे आदि की खपत					
भण्डार एवं कलपुर्जे*		280.86		299.07	
उपभोग्य वस्तुएं		113.66		120.77	
	उप योग		**394.52**		**419.84**
अन्य निर्माण संबंधी व्यय :					
रायल्टी एवं उपकर		93.14		90.53	
जल शुल्क		24.18		24.13	
डीएमएफ एवं एनएमईटी में अंशदान#		36.31		-	
अन्य		62.64		48.56	
	उप योग		**216.27**		**163.22**
माल भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय					
आवक सामग्री		97.30		77.59	
जावक सामग्री		155.50		123.96	
	उप योग		**252.80**		**201.55**
किराया			**3.52**		**3.38**
दर एवं कर			**2.76**		**5.53**
बीमा			**8.75**		**8.13**
लेखापरीक्षकों को भुगतान :					
लेखापरीक्षकों के रूप में		0.20		0.20	
कराधान विषयवस्तुओं के लिए		0.04		0.04	
कंपनी की कानूनी विषयवस्तुओं के लिए		0.16		0.16	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.14		0.13	
	उप योग		**0.54**		**0.53**
लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान			**0.02**		**0.04**
सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय			**90.31**		**84.69**
नि.सा.उ. व्यय			**27.17**		**19.31**
विविध					
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		104.90		71.19	
विवादित सरकारी देय एवं अन्य पर ब्याज		140.22		166.75	
बिक्री एवं वितरण व्यय		26.82		20.02	
मालसूची, दावों आदि को बट्टे खाते में डालना		11.98		13.17	
प्रावधान		63.01		61.01	
अन्य		19.15		20.71	
	उप योग		**366.08**		**352.85**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			**2.19**		**10.16**
योग :			**1,556.58**		**1,462.15**

* मरम्मत एवं रखरखाव में सम्मिलित नहीं

टिप्पणी सं. 40 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 31 : असाधारण मदें				
विद्युत एवं ईंधन व्यय		-		(0.74)
अन्य व्यय/आय *		(53.45)		(147.68)
योग :		(53.45)		(148.42)

* वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि में आय की प्रकृति के विवरण के लिए टिप्पणी 41 का संदर्भ लें। पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़ों में ₹253.21 करोड़ के विवादित बिजली पर ब्याज के संबंध में पुनरांकित देयता एवं पिछले वर्षों से संबंधित ₹105.53 करोड़ के लिए टी एण्ड टी क्षति बाबत दावों की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 32 : विदेशी मुद्रा पर किया गया व्यय				
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	10.53		5.24	
अन्य व्यय	0.39		1.14	
योग :		**10.92**		**6.38**

टिप्पणी 33 : विदेशी मुद्रा में आय				
एफओबी आधार पर परिकलित वस्तुओं का निर्यात	2,953.17		3,159.48	
अन्य आय (प्रेषण राशि दावा)	1.56		1.23	
असाधारण मदें	53.45		-	
योग :		**3,008.18**		**3,160.71**

टिप्पणी 34 : सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल	107.02		114.78	
कोयला	40.14		107.89	
घटक और कलपुर्जे	52.44		76.00	
पूंजी वस्तुएँ	35.03		5.11	
योग :		**234.63**		**303.78**

टिप्पणी 35 : वर्ष के दौरान प्रयुक्त कच्चे माल, कलपुर्जे और घटकों का मूल्य	मूल्य	%	मूल्य	%
क) कच्चे माल :				
आयातित	124.30	11.25	139.22	13.50
देशी	980.10	88.75	892.37	86.50
योग :	**1,104.40**	**100.00**	**1,031.59**	**100.00**
ख) कलपुर्जे और घटक :				
आयातित	62.61	15.87	102.95	24.52
देशी	331.91	84.13	316.89	75.48
योग :	**394.52**	**100.00**	**419.84**	**100.00**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : संयुक्त उद्यम

लेखांकन मानक-27 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :

क) नाम, निगमन के देश एवं स्वामित्व हित का विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन के देश	स्वामित्व का अनुपात	
		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.	भारत	26.00%	26.00%
ii) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	भारत	49.50%	49.50%
iii) जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	भारत	40.00%	–

टिप्पणी : जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. का गठन 04.12.2015 को हुआ था।

ख) लेखा के अनुसार संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी की एकीकृत राशि निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.		
इक्विटी एवं देयताएँ		
शेयरधारक निधि	0.01	0.01
गैर चालू देयताएँ	-	-
चालू देयताएँ	*	*
परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू परिसंपत्तियाँ	-	-
चालू परिसंपत्तियाँ	0.01	0.01
आय	*	*
व्यय	*	*
ii) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.		
इक्विटी एवं देयताएँ		
शेयरधारक निधि	1.16	1.12
सहायक अनुदान	8.68	
गैर चालू देयताएँ	1.21	-
चालू देयताएँ	0.04	0.01
परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू परिसंपत्तियाँ	0.53	0.28
चालू परिसंपत्तियाँ	10.56	0.85
आय	0.07	0.08
व्यय	0.01	0.01
iii) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.		
इक्विटी एवं देयताएँ		
शेयरधारक निधि	0.02	-
गैर चालू देयताएँ	-	-
चालू देयताएँ	0.29	-
परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू परिसंपत्तियाँ	0.28	-
चालू परिसंपत्तियाँ	0.04	-
आय	-	-
व्यय	0.02	-

* राशि एक लाख से कम है

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(ग) सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-I), भाग "बी" : सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के नाम		संयुक्त उद्यम	
	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.[1]	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.[1]	जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.[1]
1. अद्यतन तिथि का लेखापरीक्षित तुलनपत्र	31.03.2016	31.03.2016*	31.03.2016
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			
नहीं।	26,000	990,000	40,000
सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	260,000	9,900,000	400,000
धारिता के विस्तार का %	26.00%	49.50%	40.00%
3. विवरण कि कैसे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है	**टिप्पणी 2**	**टिप्पणी 2**	**टिप्पणी 2**
4. कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-	-	-
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता पर निवल मूल्य (₹)	144,485	11,629,048	245,200
6. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
i. समेकन में विवेचित	1,700	422,186	(154,800)
ii. समेकन में विवेचित नहीं	-	-	-

1. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका कार्य-प्रचालन शुरू किया जाना है
2. संयुक्त उद्यम अनुबंध के अनुसार वोटिंग अधिकार

* वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. के लेखे इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, मगर अभी लेखापरीक्षित किए जाने हैं।

टिप्पणी सं. 37 : नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)

ओड़िशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी का अपनी कुल खपत का 3% (पिछले वर्ष 6.5%) विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने का दायित्व है जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 0.5% (पिछले वर्ष 0.25%), गैर-सौर नवीकरणीय स्रोत से 2.5% (पिछले वर्ष 1.8%) एवं सह-उत्पादन से 0% (पिछले वर्ष 4.45%) सम्मिलित है।

क) कंपनी ने वर्तमान वर्ष एवं पिछले वर्षों के आंशिक दायित्व के लिए भी अपने गैर-सौर दायित्व को पवन ऊर्जा उत्पादन से पूरा किया है। ₹1,500 (पिछले वर्ष ₹1,500) प्रति आरईसी की दर से मूल्यांकित 18,297 (पिछले वर्ष 28,080) अदद गैर-सौर आरईसी बाबत ₹2.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.21 करोड़) की राशि के संचित गैर-सौर दायित्व के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) सौर नवीकरणीय स्रोत के विषय में कंपनी ने अपेक्षित मात्रा में विद्युत पैदा करने का दायित्व पूरा न कर पाने का कारण ₹3,500 (पिछले वर्ष ₹3,500) प्रति आरईसी की दर से मूल्यांकित 66,413 (पिछले वर्ष 40,637) अदद सौर आरईसी बाबत ₹23.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.22 करोड़) की देयता संचित की है। इसके लिए देयता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 38 : निष्पादन संबंधी भुगतान

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए कार्यपालकों के निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) पर निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप, इस खाते पर पिछले वर्षों में प्रदान की गई ₹26.60 करोड़ की अतिरिक्त देयता को पुनरांकित किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए पीआरपी की अनुमानित देयता में कमी मुख्यतया भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के स्पष्टीकरण के अनुसार अधिशेष निधि से आय पर विचार किए बिना, कर पूर्व लाभ के निर्धारण के कारण है।

टिप्पणी सं. 39: बॉक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण

बॉक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण (1315.264 हेक्टेयर के लिए उत्तर एवं मध्य ब्लॉक और 528.262 हेक्टेयर के लिए दक्षिण ब्लॉक) 31.3.2020 तक स्वीकृत किया गया है। पट्टे के नवीकरण के लिए, कंपनी ने क्रमशः ₹6.11 करोड़ एवं ₹1.00 करोड़ का स्टाम्प शुल्क चुकाया है, जो पूंजीकृत हुआ है, क्योंकि पट्टे वाली जमीन का अंश अपने पट्टे के संबंधित जीवनकाल में परिशोधित किया जाएगा। ओड़िशा सरकार द्वारा की गई मांग के लिए आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट राशि उपर्युक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर इसी अनुसार कम हो गई है।

टिप्पणी सं. 40 : डीएमएफ एवं एनएमईटी में अंशदान

खान एवं खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुरूप एवं खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अंशदान) नियम, 2015 एवं इसके अन्तर्गत गठित खान एवं खनिज (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास में अंशदान) नियम, 2015 के अनुसार तथा 17 सितंबर, 2015 को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार 12 जनवरी, 2015 से प्रभावी कंपनी अपने रॉयल्टी व्यय के क्रमशः 30% और 2% की समतुल्य राशि जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसी अनुसार, ₹34.04 करोड़ एवं ₹2.27 करोड़ (पिछली अवधि के लिए ₹6.10 करोड़ एवं ₹0.41 करोड़ समेत) को वर्तमान वर्ष में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है एवं क्रमशः डीएमएफ एवं एनएमईटी को देय अंशदान के लिए देयता के रूप में लिया गया है।

टिप्पणी सं. 41 : अपवादिक मद

कंपनी ने मेसर्स पीक केमिकल्स से कास्टिक सोड़ा की आपूर्ति न किए जाने के कारण उन पर जोखिम एवं लागत दावे के अंतिम निपटारे के रूप में ₹53.45 करोड़ (अमरीकी डॉलर 8.05 मिलियन) की राशि प्राप्त की है। इस आय को अपवादिक मद के रूप में स्वीकार किया गया है।

टिप्पणी सं. 42 : आईसीडीएस का प्रभाव

सीबीडीटी द्वारा जारी एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रभावी किए गए आय कर अभिकलन एवं प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) को कर व्यय की गणना के प्रयोजन के लिए विवेचित किया गया है। तथापि, आईसीडीएस के आरंभ किए जाने पर कंपनी की कर देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी सं. 43 : नि.सा.उ. व्यय

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी का नि.सा.उ. ₹26.24 करोड़ है, जिसके लिए कम्पनी ने विभिन्न नि.सा.उ. कार्यकलापों पर ₹27.17 करोड़ व्यय किया है।

टिप्पणी सं. 44 : कोयला खानों का आबंटन

i) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने नालको को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉक का आबंटन किया है एवं 11 सितंबर, 2015 को कम्पनी के पक्ष में आबंटन आदेश को निष्पादित करने के लिए मनोनीत अधिकारी को निर्देश दिया है।

ii) उक्त उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉकों के विषय में, भारत सरकार द्वारा एवं नालको के बीच आबंटन अनुबंध का निष्पादन किया गया है। आबंटन अनुबंध के अनुसार, कम्पनी ने ₹8.21 करोड़ की निर्दिष्ट राशि एवं ₹18.11 करोड़ की अग्रिम राशि की पहली किस्त (50%) का भुगतान भारत सरकार को किया है। इन्हें पूंजी अग्रिम के रूप में विवेचित किया गया है।

iii) कम्पनी उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉकों में खनन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक पट्टे वाली एवं पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया में है एवं अभी तक जमीन के अधिग्रहण के लिए ओड़िशा औद्योगिक विभाग निगम को एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों को ₹91.57 करोड़ का भुगतान किया है। अधिकार पत्र एवं स्वामित्व अभी कम्पनी को पारित किया जाना है, तब तक भुगतान की गई राशि को पूंजी अग्रिम के रूप में लिया गया है।

iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार डिएलोकेशन अवधि के दौरान पूर्व डिएलोकेशन की तारीख तक एवं उसके बाद व्यय की गई ₹34.75 करोड़ समेत कोयला ब्लॉक के विकास हेतु निर्दिष्ट तिथि तक व्यय की गई ₹39.34 करोड़ की राशि को चल रहे पूंजी कार्य के अंतर्गत निर्माण के दौरान व्यय में सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी सं. 45 : पट्टे

क) कम्पनी ओड़िशा सरकार द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में खनन कार्यकलापों का प्रचालन कर रही है। पट्टे के संबंध में, कम्पनी ने एनपीवी एवं अन्य संबंधित दावों का भुगतान किया है जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है एवं कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर परिशोधित किया गया है।

ख) खनन पट्टा कम्पनी द्वारा अधिगृहीत भूमि पर सतही किराए एवं अनिवार्य किराए के भुगतान के अधीन है। कम्पनी ने सतही एवं अनिवार्य किराये के रूप में ₹0.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.26 करोड़) व्यय किया है, जो लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित हुआ है।

ग) कम्पनी अपना पत्तन कार्य-परिचालन विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से लीज पर ली गई भूमि पर करती है। पट्टे किराए पर चुकायी गई ₹2.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.53 करोड़) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

टिप्पणी सं. 46 : आयकर प्राधिकारी के पास जमा

कम्पनी ने हालांकि विवादित आवेदन पर भी आयकर प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई मांग का भुगतान किया है। विवादित मांग की कुल राशि ₹702.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹653.48 करोड़) है जिसे आयकर अधिकारी के पास बतौर जमा के रूप में लिया गया है। ₹52.14 करोड़ की विवादित मांग आकलित वर्ष 2003-04 एवं 2006-07 से संबंधित है एवं माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित है। ₹649.92 करोड़ की शेष विवादित मांग आकलित वर्ष 2005-06 एवं आकलित वर्ष 2007-08 से आकलित वर्ष 2013-14 से संबंधित है एवं सीआईटी (अपील) या आयकर अपीलेट न्यायाधिकरण के पास विचारणीय है।

टिप्पणी सं. 47 : जल प्रभार पर ब्याज के लिए देयता

जलसंसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार जिनका सरकारी जल स्रोतों पर क्षेत्रीय अधिकार पड़ता है, ने कम्पनी पर उड़ीसा सिंचाई नियम, 1961 के अनुसार जल प्रभार के लिए एवं अदत्त जल प्रभार पर ब्याज के लिए दावा किया है। कम्पनी ने जल प्रभार का देय चुका दिया है, परन्तु ब्याज का भुगतान, हालांकि प्रदान कर दिया गया है, निपटारे के लिए लम्बित है।

टिप्पणी सं. 48 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i)	बकाया मूलधन	2.12	3.05
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलम्ब (जो भुगतान किया गया, मगर वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी ऐसी तारीख तक देय जब तक उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 49 : वर्ष के लिए लाभांश

कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के लिए ₹5/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.25 (पिछले वर्ष ₹1.25) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है एवं वर्ष के लिए ₹0.75 (पिछले वर्ष ₹0.50) प्रति इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित अंतिम लाभांश के लिए देयता प्रदान किया है। वर्ष के लिए लाभांश की कुल राशि ₹515.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹451.02 करोड़) है, जो कि आगामी वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

टिप्पणी सं. 50 : लेखांकन नीति/प्रक्रिया में परिवर्तन

नालको कर्मचारी हितकारी योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना एवं नालको सेवानिवर्त्तन उपहार योजना की बाबत अंशदान पर कर्मचारी लाभ व्यय अभी तक कम्पनी द्वारा वास्तविक अंशदान पर स्वीकार किया गया था। अतएव, उपर्युक्त मदों को दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ के रूप में विवेचित किया गया है एवं बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएँ प्रदान की गई हैं। यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो वर्ष के लिए लाभ ₹23.99 करोड़ बढ़ गया होता।

टिप्पणी सं. 51 : शेयरों की वापस खरीद

निदेशक मंडल ने 25 मई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में ₹44/- प्रति शेयर के मूल्य पर कम्पनी के 64,43,09,628 इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं, की वापस खरीद को अनुमोदित किया है, जो कि पोस्टल बैलट द्वारा विशेष प्रस्ताव के रूप में कम्पनी के शेयरधारकों के अनुमोदन एवं सभी अन्य लागू सांविधिक अनुमोदनों के अधीन हैं।

टिप्पणी सं. 52 : पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनःवर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए, जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, पुनःवर्गीकृत या पुनः व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 53 : संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

53.1 संबंधित पक्ष

क) संयुक्त उद्यम

क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि.

ख) एनपीसीआईएल-नालको पावर कं. लि.

ग) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.

ख) संयुक्त उद्यम कम्पनी में सह-उद्यमकर्ता/निवेशक

क) गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

i) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	श्री अंशुमान दास (30.04.2015 तक)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	डॉ. तपन कुमार चान्द (27.07.2015 से)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ग)	श्री एन. आर. महान्ति	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
(घ)	श्री एस. सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन)
(ङ)	श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)
(च)	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्य)
(छ)	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)

ii) अन्य

(क)	श्री के. एन. रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक-कम्पनी सचिव

घ) अंशकालिक सरकारी निदेशकः (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) डॉ. एन.के. सिंह, आईएफएस (22.12.2015 तक)
(ख) श्री आर. श्रीधरन, आईएएस
(ग) श्री एन. बी. धल, आईएएस (23.12.2015 से)

ङ) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः

(क) श्री कैसर शमीम (09.07.2015 तक)
(ख) श्री संजीव बत्रा (09.07.2015 तक)
(ग) श्री एस. शंकररमन (21.11.2015 से)
(घ) श्री प्रभात केशरी नायक (21.11.2015 से)
(ङ) श्री माहेश्वर साहू (21.11.2015 से)
(च) श्री दीपंकर महंत (21.11.2015 से)
(छ) प्रो. दामोदर आचार्य (21.11.2015 से)

53.2 संबंधित पक्ष के लेनदेनः

क) वर्ष के दौरान कम्पनी ने संयुक्त उद्यम/सह-उद्यमकर्ता के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	लेनदेन की प्रकृति	वर्तमान वर्ष ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष ₹ करोड़ में
1	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	इक्विटी अंशदान	0.04	-
2	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	अग्रिम	0.23	-
3	गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	कच्चे माल का क्रय	27.70	-

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वेतन	2.78	2.25
2	भविष्य निधि में अंशदान	0.17	0.18
3	चिकित्सा लाभ	0.02	0.03
4	अन्य लाभ	0.03	0.04
	योग	3.00	2.50

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिमः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के अंत में बकाया	0.06	0.10
2	वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.10	0.20

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

समेकित वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (इसके पश्चात् ''कम्पनी'' के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्यक जानकारी (इसके पश्चात् ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कम्पनी (लेखा) नियमावलियाँ, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं समेत समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। कम्पनी के निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित कंपनियों के उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का व्यवस्थापन शामिल है, जो संबंधित कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए, तर्क एवं आकलन देने जो यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो, जो उपर्युक्त अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किए गए हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि समेकित वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे जालसाजी या चूक के कारण से हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरुपित करने में सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, परन्तु यह मत प्रकाश करने के प्रयोजनार्थ नहीं है कि वित्तीय रिपोर्टिंग करने में कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता में प्रचालित हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की उचितता और साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अनुच्छेद की अन्य विषयवस्तुओं के उप-अनुच्छेद(क) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत् उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अपेक्षानुसार यथा अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के समरूप में 31 मार्च, 2016 की स्थिति को कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के मामलों की समेकित स्थिति एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और इसके समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विषयवस्तु

क) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी की निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को ₹0.03 करोड़ की आनुपातिक कुल परिसंपत्ति, वर्ष के लिए ₹* करोड़ का आनुपातिक कुल राजस्व एवं ₹0.04 करोड़ का आनुपातिक निवल नकद प्रवाह दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में विवेचित है। समेकित वित्तीय विवरण में, संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है, के विषय में, समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की भागीदारी वाली ₹0.02 करोड़ की निवल हानि शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित इस संस्थाओं के बारे में सम्मिलित राशियों और प्रकटन से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्थाओं से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। (* एक लाख से कम राशि)।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का नाम	परिसंपत्ति	आय	निवल लाभ/(हानि)	निवल नकद प्रवाह
जीएसीएल-नालको अल्कालीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.	0.02	0.00	(0.02)	0.04
एनपीसीआईएल-नालको पावर कं.लि.	0.01	*	*	*

ख) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी की संस्था अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को ₹9.84 करोड़ की कुल आनुपातिक परिसंपत्ति, उस तिथि को वर्ष के लिए समाप्त ₹0.07 करोड़ का कुल आनुपातिक राजस्व एवं ₹9.72 करोड़ का आनुपातिक निवल नकद प्रवाह दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित है। समेकित वित्तीय विवरण में, संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्था, जिनके वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है, के विषय में, समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की भागीदारी वाले ₹0.04 करोड़ का निवल लाभ शामिल है। ये वित्तीय वितरण गैर लेखापरीक्षित हैं एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्था के बारे में सम्मिलित राशियों और प्रकटन से संबंधित हैं एवं अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्था से संबंधित है, पूर्णतया ऐसे गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त विषयवस्तुओं के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को रूपांतिरत नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षितों पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार, हम प्रयोज्य सीमा में, रिपोर्ट करते हैं, कि:

   क. हमने वो सभी जानकारी एवं व्याख्याएँ मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित यथोचित लेखाबहियों का रखरखाव किया गया है।

   ग. इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ संबंधित लेखा बहियों की अनुरूपता में हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कम्पनी पर लागू नहीं है एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं गैर-लेखापरीक्षित संस्था के विषय में प्रबंधन प्रमाणपत्र के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कम्पनियों के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2016 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं किया गया है।

च. कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के विषय में, परिशिष्ट ''क'' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

i) समेकित वित्तीय विवरण, कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 20 का संदर्भ लें।

ii) कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास व्युत्पन्न संविदाएँ समेत दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं जिसके लिए पहले से ही भौतिक क्षतियाँ थी।

iii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कम्पनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कम्पनियों द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 17 का संदर्भ लें।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखपरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (इसके पश्चात ''कम्पनी'' के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो उस तिथि को भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के संबंधित निदेशक मंडल एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वित करने एवं बनाए रखना जो संबंधित कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी (''अनुदेश टिप्पणी'') एवं लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखासाक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किया है एवं अन्य लेखापरीक्षकों के नीचे अनुच्छेद की अन्य विषयवस्तु में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बंध में हैं जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित है एवं कि कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाली मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण, चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

अन्य विषयवस्तु

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालन प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अन्तर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहाँ तक कम्पनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित 2 (दो) संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, का संबंध है, भारत में निगमित ऐसी कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है एवं जहाँ तक कम्पनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित 1 (एक) संस्था, जो भारत में निगमित कम्पनी है, का संबंध है, प्रबंधन की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 315104E

(सीए निरंजन अग्रवाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 087939

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन – 302039E

(डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

स्थान : भुवनेश्वर
तिथि : 28 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैं ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड और इसकी सहयोगी कम्पनी एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखपरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए की है परंतु इसकी सहयोगी कम्पनी अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, इसकी सहयोगी कम्पनी जीएसीएल - नालको अल्कलीज केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन पर अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) लागू होती है। अतएव, सी एण्ड एजी ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है और न ही इस कम्पनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड-I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
तिथि : 12 जुलाई, 2016

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

31.03.2016 को समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
इक्विटी और देयताएँ			
शेयरधारक की निधियाँ			
शेयर पूंजी	1	1,288.62	1,288.62
आरक्षित और अधिशेष	2	11,627.88	11,508.80
गैर-चालू देयताएँ			
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3	1,110.09	1,105.27
अन्य दीर्घमियादी देयताएँ	4	69.47	65.30
दीर्घमियादी प्रावधान	5	223.72	242.76
चालू देयताएँ			
व्यापार देय	6	581.38	440.18
अन्य चालू देयताएँ	7	1,350.77	1,340.65
अल्पमियादी प्रावधान	8	277.43	186.22
योग		**16,529.36**	**16,177.80**
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्ति			
मूर्त परिसंपत्ति	9	6,328.90	6,509.21
अमूर्त परिसंपत्ति	9	138.61	136.21
कार्यशील पूंजी	10	662.14	550.01
गैर चालू निवेश	11	810.03	0.03
दीर्घमियादी ऋण एवं अग्रिम	12	1,347.55	1,221.85
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	13	49.48	47.45
चालू परिसंपत्तियाँ			
चालू निवेश	14	66.00	950.00
मालसूचियाँ	15	1,126.97	1,165.56
व्यापार से प्राप्य	16	235.21	120.82
नकद एवं बैंक शेष	17	4,944.11	4,628.79
अल्पमियादी ऋण एवं अग्रिम	18	586.68	607.54
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	233.68	240.33
योग		**16,529.36**	**16,177.80**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ 1-56, वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं. : 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े
प्रचालन से राजस्व	22	6,816.00	7,382.81
अन्य आय	23	536.64	672.72
कुल राजस्व		**7,352.64**	**8,055.53**
व्ययः			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	24	1,104.40	1,031.59
बिजली और ईंधन	25	1,864.61	1,802.24
तैयार माल, मध्यस्थ एवं चल रहे कार्य की माल सूची में परिवर्तन	26	(8.99)	2.90
कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,361.37	1,377.91
वित्त लागत	28	1.21	-
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	29	424.09	413.66
अन्य व्यय	30	1,556.60	1,462.16
कुल व्यय		**6,303.29**	**6,090.46**
असाधारण वस्तुएँ और कर पूर्व लाभ		1,049.35	1,965.07
असाधारण वस्तुएँ	31	(53.45)	(148.42)
कर पूर्व लाभ		1,102.80	2,113.49
कर व्ययः			
(1) वर्तमान कर		375.62	520.65
(2) आस्थगित कर		4.82	249.68
(3) पूर्ववर्ती वर्ष		(8.67)	21.26
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		731.03	1,321.90
प्रति शेयर आय			
(क) कर उपरांत लाभ		731.03	1,321.90
(ख) इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अंकित मूल्य ₹5/- प्रत्येक)		2,577,238,512	2,577,238,512
प्रति शेयर आय (₹) - मूल (क/ख)		2.84	5.13
प्रति शेयर आय (₹) - मंदित (क/ख)		2.84	5.13

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ 1-56, वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं. : 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

वर्ष 2015-16 के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	कर और असाधारण आय से पूर्व निवल लाभ		**1,102.80**		**2,113.49**
	निम्न के लिए समायोजनः				
	मूल्यह्रास और परिशोधन	424.09		413.66	
	ब्याज और वित्त खर्च	1.21		-	
	प्रावधान (निवल)	63.01		61.01	
	बट्टे खाते डाले गए स्टोर, पुर्जे, दावे आदि	11.98		13.17	
	लाभांश आय	(18.16)		(119.39)	
	ब्याज आय	(460.40)		(477.28)	
	परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.11		(0.24)	
			22.84		**(109.07)**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**1,125.64**		**2,004.42**
	निम्न के लिए समायोजनः				
	माल सूचियाँ	26.95		(1.26)	
	व्यापार एवं अन्य प्राप्य	(146.59)		199.33	
	व्यापार एवं अन्य देय	200.72		(1,190.54)	
			81.08		**(992.47)**
	प्रचालनों से सृजित नकदी		**1,206.72**		**1,011.95**
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी एवं विवादाधीन जमा शामिल हैं)		(361.41)		(491.50)
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		**845.31**		**520.45**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(546.12)		(303.26)	
	निवेशों की (खरीद)/बिक्री	73.96		294.00	
	म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	18.16		119.39	
	जमा, ऋण और अग्रिम से ब्याज आय	459.24		455.55	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**5.24**		**565.68**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई	0.04			
	अनुदान प्राप्त हुआ	8.68			
	ब्याज और वित्तीय खर्च	(1.21)		-	
	अदा किए गए लाभांश कर समेत लाभांश	(542.74)		(506.50)	
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(535.23)**		**(506.50)**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क + ख + ग)**		**315.32**		**579.63**
ङ.	**नकद एवं नकद समतुल्य - प्रारंभिक शेष**		**4,628.79**		**4,049.16**
च.	**नकद एवं नकद समतुल्य - अंतिम शेष (घ + ङ)**		**4,944.11**		**4,628.79**

टिप्पणी:

क) वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत टिप्पणी 17 में नकद एवं बैंक शेष नकद प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नकद एवं नकद समतुल्य हैं। अतएव, लेखांकन मानक 3 के पैरा-42 के तहत अपेक्षित पुनर्मिलान विवरण अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) नकद और नकद समतुल्य में, ₹5.10 करोड़ का गैर-भुगतान लाभांश (पूर्ववर्ती वर्ष ₹5.00 करोड़), कम्पनी के उपयोग के लिए मुक्त रूप में उपलब्ध नहीं है।

ग) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकद बहिर्प्रवाह/आय है, जो भी मामला हो, को दर्शाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के एन रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एबीपी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 315104E

(सीए. निरंजन अग्रवाला)
साझेदार (एम.नं. : 087939)

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन - 302039E

(डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम.नं. : 051221)

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

खंड-वार सूचना

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	रसायन		एल्यूमिनियम		गैर-आबंटित सामान्य		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व								
बाह्य बिक्री	**2,304.67**	2,559.44	**4,348.41**	4,644.25	**50.25**	58.21	**6,703.33**	7,261.90
अंतर-खंड अंतरण	**1,323.02**	1,325.48	**189.99**	163.10	**-**	-	**1,513.01**	1,488.58
कुल राजस्व	**3,627.69**	3,884.92	**4,538.40**	4,807.35	**50.25**	58.21	**8,216.34**	8,750.48
घटाएं: निकासी							**(1,513.01)**	(1,488.58)
निवल राजस्व							**6,703.33**	7,261.90
ख. परिणाम								
खंड परिणाम	**875.47**	1,094.77	**(192.57)**	581.49	**(3.93)**	(10.94)	**678.97**	1,665.32
असाधारण वस्तुएँ							**(53.45)**	(148.42)
ब्याज व्यय							**1.21**	-
ब्याज/लाभांश आय							**478.49**	596.59
आय कर							**371.77**	791.59
निवल लाभ							**731.03**	1,321.90
ग. अन्य सूचना								
खंड परिसंपत्तियाँ	**3,667.98**	3,531.75	**5,157.98**	5,371.62	**7,703.40**	7,274.43	**16,529.36**	16,177.80
खंड देयताएँ	**579.27**	467.87	**1,338.47**	1,300.00	**585.03**	507.23	**2,502.77**	2,275.10
पूंजी व्यय	**158.93**	201.39	**94.44**	110.77	**199.64**	(73.83)	**453.01**	238.33
मूल्यह्रास	**165.22**	159.17	**230.24**	224.87	**28.63**	29.62	**424.09**	413.66
गैर-नकदी व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	**13.18**	26.59	**56.17**	74.19	**0.82**	3.03	**70.17**	103.81

भौगोलिक खंड	भारत		भारत से बाहर			योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व							
बाह्य बिक्री	**3,456.46**	3,954.59	**3,246.87**	3,307.31		**6,703.33**	7,261.90
ख. अन्य सूचना							
खंड परिसंपत्तियाँ	**16,354.89**	16,101.27	**174.47**	76.53		**16,529.36**	16,177.80
पूंजी व्यय	**453.01**	238.33	**-**	-		**453.01**	238.33

टिप्पणी:

i) कम्पनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य सम्बन्धित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

ii) भारत और भारत के बाहर दो भौगोलिक खंड हैं। चूंकि सभी उत्पादन और अन्य सुविधाएँ भारत में स्थित हैं, अतः निर्यात देनदारों को छोड़कर, खंड परिसंपत्तियों को एक ही भौगोलिक खंड अर्थात् भारत के अंतर्गत दिखाया गया है।

iii) निस्तप्त एल्यूमिना के अंतर-खंड अंतरण को अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से औसत बिक्री बसूली पर परिशोधन से विशाखापत्तनम् स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) और निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया गया है। एल्यूमिनियम खंड से रसायन खंड में विद्युत के अंतरण को एल्यूमिना परिशोधन स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर विचार किया गया है।

iv) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बन्धित हैं और तर्कसंगत आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख" : सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के नाम	संयुक्त उद्यम		
	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.[1]	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.[1]	जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1. अद्यतन तिथि का लेखापरीक्षित तुलनपत्र	31.03.2016	31.03.2016*	31.03.2016
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			
नहीं।	26,000	990,000	40,000
सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	260,000	9,900,000	400,000
धारिता के विस्तार का %	26.00%	49.50%	40.00%
3. विवरण कि कैसे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है	**टिप्पणी 2**	**टिप्पणी 2**	**टिप्पणी 2**
4. कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-	-	-
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता पर निवल मूल्य (₹)	144,485	11,629,048	245,200
6. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
i. समेकन में विवेचित	1,700	422,186	(154,800)
ii. समेकन में विवेचित नहीं	-	-	-

1. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका कार्य-प्रचालन शुरू किया जाना है
2. संयुक्त उद्यम अनुबंध के अनुसार वोटिंग अधिकार

* वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. के लेखे इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, मगर अभी लेखापरीक्षित किए जाने हैं।

(सीएस. के. एन. रवीन्द्र)
कार्यपालक निदेशक-
कंपनी सचिव

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : **भुवनेश्वर**
दिनांक : **28 मई, 2016**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर मूल लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्राक्कलन एवं पूर्वानुमान किए गए हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों या देयताओं या आकस्मिक देयताओं की बतायी गई राशि और/या अवधि के दौरान घोषित आय या व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम के अंतर को परिणाम निर्धारित किए जाने वाले वर्ष में स्वीकार किया जाता है।

3. परिसंपत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण

व्यवसाय के स्वरूप के आधार पर, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 माह के प्रचालन चक्र को लिया गया है। इसी अनुसार, कंपनी के प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्दिष्ट अन्य मानदंड के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू या गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4. अचल परिसंपत्तियाँ

4.1 सभी मूर्त अचल परिसंपत्तियाँ मूल लागत से संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणकारी क्षति, यदि कोई है, को घटाते हुए व्यक्त किया जाता है। इस लागत में, अप्रत्यक्ष व्यय एवं उधारी लागत के कारण उत्पन्न सेनवैट/वैट क्रेडिट, जहाँ कहीं भी प्रयोज्य है, को घटाकर अधिग्रहण के सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

4.2 वर्तमान मूर्त परिसंपत्तियों के जीवन काल और/या दक्षता वृद्धि के लिए इनके नवीकरण और आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को सम्बंधित परिसंपत्तियों की लागत पर जोड़ा जाता है।

4.3 पट्टे पर दी गई भूमि सहित भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

4.4 अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन को घटाकर अधिग्रहण लागत पर व्यक्त किया जाता है।

खनन अधिकार (बॉक्साइट खानों के संबंध में भूमि, वन, वन्यजीवन आदि की पुनर्बहाली के लिए सरकारी अधिकरण को किए गए भुगतान समेत), संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्ति के लिए प्रयोगकर्ता अधिकार, ईआरपी एवं आरडीबीएमएस और अन्य सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता अधिकार, लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी (तकनीकी जानकारी अधिकार) और अनुसंधान व विकास संबंधी जानकारी को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में लिया जाता है।

4.5 ₹ 1 लाख प्रति इकाई से अधिक मूल्य वाली अचल परिसंपत्ति के संबंध में मशीनरी कलपुर्जों (बीमा कलपुर्जों) को अचल परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

4.6 सक्रिय उपयोग से हटायी गई एवं निपटान के लिए रखी अचल परिसंपत्ति को संदिग्ध वसूली संबंधी प्रावधान, यदि कोई है, को घटाने के बाद निवल बही मूल्य पर व्यक्त किया जाता है एवं इसके निपटान होने तक अन्य चालू परिसंपत्ति के समान माना जाता है।

4.7 विभिन्न उपयोगी जीवन से संबंधित प्लांट एवं मशीनरी के अवयवों को अलग से स्वीकार किया जाता है। ऐसी पृथक स्वीकृति के लिए प्रत्येक अवयव को घटाकर निकाला गया मूल्य ₹ 1 करोड़ है। बदले जाने पर उच्चतम सीमा को पार करते हैं, ऐसे विविध उपयोगी जीवन के साथ अवयव के मूल्य को पृथक अवयव के रूप में लिया जाता है।

5. मूल्यह्रास

5.1 मूर्त अचल परिसंपत्ति का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर या प्रबंधन द्वारा आकलित जीवन पर सीधी रेखा विधि, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

5.2 निम्नलिखित परिसंपत्तियों के मामले में, प्रबंधन द्वारा निर्धारित निम्नतर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास की उच्च दर ली जाती है। मूल्यह्रास एवं परिशोधन विधि, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की प्रत्येक वित्तीय वर्ष समेत आवधिक समीक्षा की जाती है:

क) बॉक्साइट खानों में अचल स्थायी संपत्तियों का जीवनकाल, उस अवधि तक सीमित है जिस अवधि तक बॉक्साइट आरक्षित संबंधित खान ब्लॉकों में उपलब्ध रहती है।

ख) सीपीपी में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं परिशोधन में वाष्प विद्युत संयंत्र का जीवनकाल क्रमशः 30 वर्ष एवं 25 वर्ष माना जाता है।

ग) एल्यूमिना परिशोधन में लाल कीचड़ तालाब एवं राख तालाब तथा आबद्ध विद्युत संयंत्र में राख तालाब का जीवनकाल, आवधिक रूप में किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर मूल्यांकित उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर तय किया जाता है।

5.3 अचल परिसंपत्ति, जो संघटकीकरण के अधीन है, में मुख्य परिसंपत्ति, संघटकीकृत परिसंपत्ति और शेष, यदि कोई है, शामिल है। मुख्य परिसंपत्ति का जीवनकाल वही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित है अथवा तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो, जीवनकाल है। संघटकीकृत परिसंपत्तियों जिनका मूल्य ₹ 1 करोड़ या अधिक है, उनके जीवनकाल को तकनीकी समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जबकि शेष, यदि कोई हो, मुख्य परिसंपत्ति के जीवनकाल को पूरा करता है।

5.4 प्लांट एवं मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरण, रेलवे सुविधाएँ, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टरों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5% लिया जाता है। सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य तकनीकी प्राक्कलन के अनुसार शून्य माना जाता है।

5.5 अमूर्त परिसंपत्तियों को सीधी रेखा आधार पर निम्नानुसार परिशोधित किया जाता है :

क) अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत साफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख) खनन अधिकारों (अर्थात् एनपीवी एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान) को उपलब्ध खनन अधिकार की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। इससे सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक भुगतान को भुगतान की तिथि से 20 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ग) तकनीकी जानकारी के लिए लाइसेंस को तदनुरूपी प्रक्रिया प्लांट के पूंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष पर परिशोधित किया जाता है।

घ) समूह परियोजनाओं के लिए प्रयोगकर्ता अधिकार को प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

5.6 पत्तन सुविधाओं की जड़ित परिसंपत्तियों का जो पत्तन प्राधिकरण से संबंधित जमीन पर संस्थापित की गई हैं, पट्टे की शेष अवधि के आधार पर परिकलित दरों पर मूल्यह्रास किया जाता है।

5.7 ₹ 10,000/- या कम की परिसंपत्ति का पृथक रूप से प्रयोग में लाए गए वर्ष में पूर्ण रूप में मूल्यह्रास किया जाता है।

5.8 अचल परिसंपत्ति के किसी मद से संबंधित परवर्ती व्यय का संबंधित परिसंपत्ति के संशोधित उपयोगी जीवन काल पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

5.9 जमीन पर पड़ी हुई परिसंपत्तियाँ, कंपनी के स्वामित्व में न हों, का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोग में लाए जाने की तैयार तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

5.10 मूल्य समायोजन पर मूल्यह्रास भावी रूप से प्रदान किया जाता है।

6. उधारी लागत

6.1 अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण सामान्य एवं विशिष्ट उधारी लागत तब तक उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है, जब तक अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

6.2 अन्य उधारी लागत को उस अवधि के लिए व्यय माना जाता है, जिसमें वे खर्च हुई हैं।

7. क्षति

सूचना के आंतरिक/बाह्य स्रोतों के आधार पर क्षति का कोई संकेत होने पर नकद उत्पादन इकाइयों की रखरखाव राशि की प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में रखरखाव राशि के नकद उत्पादन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षीणकारी क्षति की स्थिति स्वीकार की जाती है। वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने पर क्षीणकारी क्षति पलट जाती है एवं ऐसी क्षति समाप्त हो जाती है अथवा कम हो गई है।

8. निवेश

निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं एवं निवेशित तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखने के लिए अभीष्ट नहीं हैं, को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य निवेशों को दीर्घमियादी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेशों को लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर व्यक्त किया जाता है। दीर्घमियादी निवेशों का ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी घटाव, यदि कोई है, करने के बाद लागत पर अनुरक्षित किया जाता है।

9. मालसूची

9.1 कच्चे सामान, स्टोर एवं स्पेयर का मूल्यांकन जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो सेनवैट/वैट क्रेडिट घटाकर लागत पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य विधि के इस्तेमाल से किया जाता है।

9.2 बीमा स्पेयर से इतर स्टोर एवं स्पेयर जो रोककर रखा जाता है, परन्तु 5 वर्षों से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन लागत के 5% पर किया जाता है।

9.3 प्राप्त की गई मात्रा के 1% तक कोयले की कमी को सामान्य हानि माना जाता है एवं 1% से अधिक को असामान्य हानि माना जाता है।

9.4 उत्पादन में प्रयोग के लिए रखी गई सामग्री एवं अन्य आपूर्ति (गैर-गतिशील मानी गई को छोड़कर) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, यदि तैयार माल को जिनमें उनका उपयोग किया जाना है, लागत पर या अधिक पर बेचा जाता है।

9.5 एनोड बट एवं रद्दी को छोड़कर तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद एवं चल रहे कार्य जिसमें प्रक्रिया कबाड़ शामिल है, को लागत से कम पर एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य, श्रम के उचित साझे एवं संबंधित ऊपरी खर्च के आधार पर किया जाता है। साधारण व्यापार क्रम में, वसूले जाने योग्य निवल मूल्य बिक्री करने के लिए अपेक्षित अनुमानित लागत को घटाकर प्राप्त अनुमानित बिक्री मूल्य है।

9.6 विभिन्न प्रकार के आंतरिक रूप से तैयार कबाड़ का मूल्यांकन वसूली योग्य अनुमानित निवल मूल्य पर किया जाता है।

10. सरकारी अनुदान

10.1 सरकार से प्राप्त वित्तीय अनुदान में से अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियाँ लागत पर दर्शायी जाती हैं। सहायता प्राप्त अनुदान सब्सिडी रिजर्व खाते में जमा किया जाता है। तदनुरूपी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास सब्सिडी रिजर्व पर समायोजित किया जाता हैं।

10.2 राजस्व संबंधी अनुदान को उस अवधि से संबंधित आय माना जाता है, जिससे वे संबंधित हैं।

11. विदेशी मुद्रा लेनदेन

11.1 सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया गया है।

11.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनः उल्लेख वर्ष के अंत की विनिमय दरों पर किया गया है। पुनः उल्लेख के विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

12. वायदा विनिमय संविदा

फर्म की वचनबद्धता एवं अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान लेनदेनों के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया वायदा विनिमय संविदा के तहत, विनिमय अंतर के कारण क्षति या एमटीएम (मार्क्ड टू मार्केट) के कारण क्षति को लाभ एवं हानि खाता में स्वीकार किया गया है जबकि लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया है।

13. राजस्व की स्वीकृति

13.1 बिक्रीः

क) एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियमः घरेलू बाजार में बिक्री को खरीदार को सामग्री भेजने के समय स्वीकार किया जाता है। निर्यात बिक्री को लदान पत्र (बिल ऑफ लैडिंग) जारी करते समय स्वीकार किया जाता है। घरेलू बिक्री में उत्पादन शुल्क शामिल है एवं छूट और मूल्य रियायत छोड़कर है एवं मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है।

ख) नवीकरणीय विद्युतः पवन विद्युत की बिक्री संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पारेषित विद्युत के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उत्पादित सौर विद्युत, कार्यालय एवं टाउनशिप में ग्रहीत प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, अतएव, आय एवं व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

ग) ताप विद्युतः सीपीपी से विद्युत की बिक्री को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचित मूल्य पर परिशोधन में ले जाने को घटाते हुए राज्य ग्रिड को आपूर्ति की गई मात्रा के आधार पर विचार किया जाता है।

13.2 प्राप्त राशि/प्रोत्साहनः

क) प्राप्य दावे उनकी वसूली की निश्चितता के आधार पर लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं।

ख) सावधि जमा पर ब्याज आय को बकाया राशि एवं लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) निर्यात प्रोत्साहन अर्थात् ड्यूटी ड्रॉ बैक और एमईआईएस को लदान पत्र / निर्यात बीजक के अनुसार शिपिंग मात्रा पर प्रोद्भवन आधार पर स्वीकार किया जाता है।

घ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) से आय को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम व्यापार दिन को स्वीकृत विद्युत विनिमय के उद्धृत मूल्यों के भारित औसत पर डिस्कॉम्स को किए गए विद्युत बिल के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ङ) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) को योजना के अनुसार प्रयोज्य दर पर बीजक युक्त मात्रा पर स्वीकार किया जाता है।

च) वसूली में अनिश्चितता रहने पर, राजस्व स्वीकृति को स्थगित रखा जाता है।

14. दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ

14.1 परिभाषित अंशदान योजनाः भविष्य निधियों एवं पेंशन योजना बाबत अंशदान जिस अवधि में निधियों में अंशदान के लिए नियत हैं, उससे संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होते हैं।

14.2 परिभाषित लाभ योजनाः उपदान, प्रोद्भूत अवकाश, दीर्घमियादी सेवा पुरस्कार, सेवा निवृत्ति चिकित्सा एवं बंदोबस्ती लाभ, एनईएफएफएआरएस स्कीम के अधीन मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारी को भावी भुगतान, सेवानिवर्त्तन पर कल्याण बाबत अंशदान (एनआरडब्ल्यूएस), हितकारी अंशदान एवं सेवानिवर्त्तन उपहार पर व्यय संबंधी देयताएँ वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती हैं एवं बीमांकिक लाभ/हानि पर विचार करने के बाद लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

14.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति पर व्यय उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष यह खर्च किया गया।

15. पूर्व अवधि/पूर्व प्रदत्त मदें

प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख तक की पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय एवं पूर्व प्रदत्त व्यय को चालू अवधि के आय/व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

16. नई परियोजनाओं पर व्यय

नई परियोजनाओं के आकलन के लिए निर्दिष्ट समय तक एवं निवेश निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ किए गए व्यय राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं। निवेश निर्णय के पश्चात् परियोजनाओं पर किए गए व्यय को चल रहे कार्य में शामिल किया जाता है एवं तत्पश्चात् पूंजीकृत किया जाता है।

17. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

अनुसंधान चरण के दौरान किया गया व्यय, ऐसे अनुसंधान से कोई अमूर्त परिसंपत्ति अर्जित न होने की स्थिति में राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

पूंजी प्रकृति से इतर विकास व्यय को प्रासंगिक आय, यदि कोई है, की व्यवस्था के बाद, जिस वर्ष में खर्च किया गया है, से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

18. असाधारण मदें

असाधारण मदें, सामान्य कार्यकलापों से लाभ या हानि के अंदर आय और व्यय की वे मदें हैं जिनका ऐसे आकार, प्रकृति या घटना के कारण प्रकटन आवश्यक समझा गया है ताकि कंपनी के निष्पादन का बेहतर स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके।

19. कर व्यय

अवधि के लिए कर व्यय, जिसमें चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं, को अवधि के लिए निवल लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

19.1 चालू कर को प्रचलित कराधान नियमों के अनुसार कर प्राधिकरणों को चुकाई जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

19.2 आस्थगित कर व्यय या लाभ को एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच अंतर होने के समय-निर्धारण अंतर पर स्वीकार किया जाता है एवं एक या अधिक तदुपुरांत अवधियों में प्रत्यावर्तन में सक्षम है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (डीटीए) को केवल विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक सुनिश्चित समर्थन कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगा जिससे ऐसे डीटीए की वसूली की जा सकती है, को स्वीकार किया जाता है।

19.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है।

20. संयुक्त उद्यम

किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में ब्याज की गणना, लेखांकन मानक (एएस) 27, ''संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के तहत प्रकटन के साथ लेखांकन मानक (एएस) 13, ''निवेशों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवेश के रूप में किया जाता है।

21. संदिग्ध ऋण एवं वापसी योग्य राशि के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण एवं प्राप्य राशि के लिए प्रावधान, सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक समय के लिए वसूली नहीं होने पर किया जाता है। सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियों के मामले में, यह मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है जो कि मामले की अर्जन योग्यता पर निर्भर है।

22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

22.1 आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान को वर्तमान दायित्व रहने पर स्वीकार किया जाता है एवं संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन आवश्यक हों तथा उनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रत्येक वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाती है एवं सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

22.2 आकस्मिक प्रकृति की देयताएँ वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट की जाती है, जहाँ संभावी दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो सकता है परन्तु संभवतः जिसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ संसाधनों की आवश्यकता की संभावना बहुत कम है, वहाँ प्रकटन नहीं किया जाता है।

22.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी		
शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर)	**3,000.00**	**3,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्णतः प्रदत्त)	**1288.62**	**1288.62**

क) कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों में भारत सरकार के 208,57,82,622 इक्विटी शेयर (80.93%), पिछले वर्ष 208,57,82,622 इक्विटी शेयर (80.93%) है।

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की इक्विटी शेयर धारिता 17,73,16,005 (6.88%), पिछले वर्ष 18,82,51,981 (7.30%) है।

ग) इक्विटी शेयर के धारकों को समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी की साधारण बैठकों में प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं।

घ) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में 128,86,19,256 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। उक्त वर्ष में बोनस इश्यू में शेयरों को उनके प्रत्येक के अंकित मूल्य ₹ 10 के प्रत्येक के ₹ 5/- के दो इक्विटी शेयरों में विभाजित करने के बाद जारी किया गया। उक्त बोनस इश्यू के अलावा, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई इक्विटी शेयर जारी/पुनर्खरीद नहीं की है।

टिप्पणी 2 : आरक्षित निधि एवं अधिशेष

क)	**सामान्य आरक्षित निधि**				
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,503.98		10,829.90	
	घटाएं : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II के परिवर्ती प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में समायोजन	-		105.92	
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-		780.00	
	अंतिम शेष		**11,503.98**		**11,503.98**
ख)	**अधिशेष**				
	- वर्ष के प्रारंभ में शेष	4.46		3.76	
	- जोड़ें : वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	731.03		1,321.90	
	- घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	-		780.00	
	- घटाएं : अंतरिम लाभांश #	322.16		322.16	
	- घटाएं : अंतरिम लाभांश पर कर	65.58		64.41	
	- घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश #	193.29		128.86	
	- घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	39.35		25.77	
	- घटाएं : वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश पर अवकल कर (अधिशुल्क एवं उप कर)	0.47			
	अंतिम शेष		**114.64**		**4.46**
ग)	**अन्य आरक्षित**				
	सब्सिडी आरक्षित				
	- पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.36		0.24	
	- जोड़ें : प्राप्त सब्सिडी	0.24		0.37	
	- जोड़ें : प्राप्त सहायक अनुदान	8.68		-	
	- घटाएं : मूल्यह्रास में अंतरित	0.02		0.25	
	अंतिम शेष		9.26		0.36
	योग :		**11,627.88**		**11,508.80**

टिप्पणी-49 का संदर्भ लें

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 3 : आस्थगित कर देयताएं (निवल)				
आस्थगित कर देयताएं :				
बही और आयकर के बीच मूल्यह्रास में अंतर		**1,288.37**		**1274.58**
घटाएं: आस्थगित कर संपत्तियां				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ख के अन्तर्गत अस्वीकृतियाँ	2.81		8.32	
सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय	89.95		93.88	
संदिग्ध ऋण, दावों एवं अन्य के लिए प्रावधान	85.52		67.11	
अंतिम शेष		**178.28**		**169.31**
योग :		**1,110.09**		**1,105.27**
टिप्पणी 4 : अन्य दीर्घमियादी देयताएँ				
व्यापार देय राशियाँ		**16.30**		**19.82**
अन्य देयताएँ				
पूंजी व्यय के लिए देय	1.58		3.07	
अन्य	51.59		42.41	
उप योग :		**53.17**		**45.48**
योग :		**69.47**		**65.30**
टिप्पणी 5 : दीर्घमियादी प्रावधान				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
अवकाश नकदीकरण	181.62		214.08	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	6.07		6.57	
बंदोबस्ती लाभ	2.37		5.39	
लम्बी सेवा के लिए पुरस्कार	7.67		6.69	
एनईएफएफएआरएस	7.31		10.03	
सेवानिवृत्ति उपहार	6.20			
हितकारी निधि	2.56			
सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	9.92			
योग :		**223.72**		**242.76**
टिप्पणी 6 : व्यापार देय राशियाँ				
व्यापार देय राशियाँ				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम #		1.26		2.85
अन्य		580.12		437.33
योग :		**581.38**		**440.18**

टिप्पणी - 48 का संदर्भ लें

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 7 : अन्य चालू देयताएँ					
कर्मचारी लाभ देय			125.99		160.09
सांविधिक एवं अन्य बकाये					
बिजली शुल्क		20.92		13.43	
जल प्रभार एवं उस पर ब्याज #		663.56		537.71	
आय कर (टीडीएस एवं टीसीएस)		14.92		13.66	
अन्य		17.17		23.44	
	उप योग :		**716.57**		**588.24**
पूंजी व्यय के लिए लेनदार					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम # #		0.86		0.20	
अन्य		311.40		361.78	
	उप योग :		**312.26**		**361.98**
ग्राहक क्रेडिट शेष एवं ग्राहकों से अग्रिम			121.61		151.74
नवीकरणीय क्रय दायित्व # # #			25.99		18.43
अन्य देय राशियाँ			43.25		55.17
अदत्त लाभांश			5.10		5.00
	योग :		1,350.77		1,340.65

टिप्पणी - 47 का संदर्भ लें
टिप्पणी - 48 का संदर्भ लें
टिप्पणी - 37 का संदर्भ लें

टिप्पणी 8 : अल्पमियादी प्रावधान					
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :					
उपदान		8.60		2.05	
अवकाश नकदीकरण		15.73		15.36	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ		0.23		0.25	
बंदोबस्ती लाभ		0.37		0.60	
लम्बी सेवा पुरस्कार		0.63		2.08	
एनईएफएफएआरएस		13.90		10.20	
सेवानिवृत्ति उपहार		0.72			
हितकारी निधि		1.38			
सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		3.21		-	
	उप योग :		**44.77**		**30.54**
अन्य :					
संपत्ति कर के लिए प्रावधान		-		1.04	
आयकर के लिए प्रावधान		0.02		0.01	
लाभांश के लिए प्रावधान		193.29		128.86	
लाभांश पर कर प्रावधान		39.35		25.77	
	उप योग :		**232.66**		**155.68**
	योग :		**277.43**		**186.22**

टिप्पणी 9 : अचल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	कटौती	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ										
भूमि										
पूर्ण स्वामित्व वाली	71.33		-	71.33	-	-	-	-	71.33	71.33
पट्टे वाली	12.80	10.97	-	23.77	2.58	5.38	-	7.96	15.81	10.22
भवन	1,084.41	42.95	-	1,127.36	536.79	36.67	-	573.46	553.90	547.62
रेलवे साइडिंग	110.65	12.57	-	123.22	69.55	4.53	-	74.08	49.14	41.10
संयंत्र एवं उपकरण	13,563.99	158.54	(29.88)	13,692.65	7,806.17	345.83	(24.02)	8,127.98	5,564.67	5,757.82
फर्नीचर एवं फिक्सचर	32.51	3.00	(0.30)	35.21	26.01	2.04	(0.29)	27.76	7.45	6.50
वाहन	46.20	0.35	(0.60)	45.95	33.76	2.97	(0.54)	36.19	9.76	12.44
कार्यालय उपकरण	50.01	3.60	(1.58)	52.03	42.14	4.48	(1.58)	45.04	6.99	7.87
विविध उपकरण	126.77	5.15	(0.97)	130.95	72.46	9.58	(0.94)	81.10	49.85	54.31
योग :	**15,098.67**	**237.13**	**(33.33)**	**15,302.47**	**8,589.46**	**411.48**	**(27.37)**	**8,973.57**	**6,328.90**	**6,509.21**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
साफ्टवेयर	14.68	1.66	-	16.34	11.87	1.56	-	13.43	2.91	2.81
खनन अधिकार	138.67	13.39	-	152.06	30.95	7.34	-	38.29	113.77	107.72
प्रयोगकर्ता अधिकार (समूह परियोजनाएँ)	17.98	-	-	17.98	2.55	1.81	-	4.36	13.62	15.43
लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी	14.70	-	-	14.70	4.45	1.94	-	6.39	8.31	10.25
कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ:	**186.03**	**15.05**	**-**	**201.08**	**49.82**	**12.65**	**-**	**62.47**	**138.61**	**136.21**
कुल योग	**15,284.70**	**252.18**	**(33.33)**	**15,503.55**	**8,639.28**	**424.13**	**(27.37)**	**9,036.04**	**6,467.51**	**6,645.42**
कुल योग (पिछले वर्ष)	**14,858.13**	**428.09**	**(1.52)**	**15,284.70**	**8,066.19**	**574.48**	**(1.39)**	**8,639.28**	**6,645.42**	**6,791.94**

टिप्पणी :

1. संचयी हानि प्रावधान में भवनों एवं संरचनाओं में संचयी मूल्यह्रास के ₹ 4.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.94 करोड़) शामिल है।
2. संचयी हानि प्रावधान में संयंत्र एवं उपकरणों में संचयी मूल्यह्रास के ₹ 28.6 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.40 करोड़) शामिल है।
3. हानि प्रावधान में भवनों एवं संरचनाओं में मूल्यह्रास के ₹ (0.55) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (0.55) करोड़) शामिल है।
4. हानि प्रावधान में संयंत्र एवं उपकरणों में मूल्यह्रास के ₹ (2.80) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (2.80) करोड़) शामिल है।
5. सकल ब्लॉक में कंपनी की गैर-स्वामित्ववाली जमीन पर पड़ी परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पूंजी व्यय शामिल है।
   क) भवन - ₹ 6.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.32 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹ 6.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.32 करोड़)
   ख) रेलवे साइडिंग - ₹ 4.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.45 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹ 4.45 करोड़ (पिछले वर्ष 4.45 करोड़)
   ग) संयंत्र और उपकरण - ₹ 16.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16.18 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹ 16.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16.18 करोड़)
6. 66.92 एकड़ भूमि को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा अर्जित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के लिए अधिकारपत्र का निष्पादन किया गया है। पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि की औद्योगिक इस्तेमाल के लिए रूपांतरण प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों के साथ आरंभ कर दी गई है।
7. पट्टे वाली जमीन में 1576.10 एकड़ की जमीन शामिल है, जिसके लिए पट्टा संबंधी अनुबंध का निष्पादन किया जाना है। तथापि, उक्त जमीन पर अपने प्रचालनों के निष्पादन के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को अनुमति दी गई है।
8. कोलकाता में ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से खरीदे गए 6459 वर्गफीट कार्यालय परिसर के संबंध में पंजीकरण की औपचारिकताएँ प्रगति पर है।
9. भूमि में परिशोधन की 43.75 एकड़ भूमि शामिल है जिसके अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 10 : चालू पूंजीगत कार्य				
लागत पर चालू पूंजीगत कार्य	561.80		478.90	
घटाएं : संदिग्ध वसूली	0.79		-	
उप योग :		**561.01**		**478.90**
मार्गस्थ सहित निर्माण सामग्री (लागत पर)		43.55		47.49
आबंटन होने तक निर्माण के दौरान व्यय (टिप्पणी 10.1)		57.58		23.62
योग :		**662.14**		**550.01**
टिप्पणी 10.1				
निर्माण के दौरान व्यय				
लम्बित आबंटन (प्रारंभिक शेष)		**23.62**		**65.66**
जोड़ें : वर्ष के दौरान व्यय				
तकनीकी परामर्श शुल्क एवं जानकारी	0.14		(0.08)	
प्रारंभ करना एवं चालू करना	8.06		-	
अन्य व्यय	5.55		1.41	
मूल्यह्रास	0.02		0.10	
	13.77		**1.43**	
घटाएं : वर्ष के दौरान आय				
परीक्षण प्रचालन से आय	4.40		-	
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**9.37**		**1.43**
कुल व्यय		**32.99**		**67.09**
घटाएं : अचल परिसंपत्तियों को आबंटित		10.16		8.72
घटाएं : दावे में/(से) अंतरित #		(34.75)		34.75
आगे ले जाया गया शेष		**57.58**		**23.62**

टिप्पणी सं. 44 देखें

टिप्पणी 11 : गैर-चालू निवेश

व्यापार निवेश और अनुद्धृत	इकाई की सं. '000 में		इकाई की सं. '000 में	
इक्विटी निवेश				
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लि. में इक्विटी शेयर		0.03		0.03
एक्सेल सर्विसेस लि. में इक्विटी शेयर		*		*
अन्य निवेश एवं उद्धृत (टिप्पणी 11.1 का संदर्भ लें)		810.00		-
योग :		**810.03**		**0.03**
अनुद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		0.03		0.03

* राशि एक लाख रुपए से कम है

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 11.1 : अन्य निवेश एवं उद्धृत **(तुलनपत्र की तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ दीर्घमियादी निवेश)** **(₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)**	इकाई '000 में		इकाई '000 में
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-22	50,000	50.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-24	50,000	50.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-27	30,000	30.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-28	50,000	50.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-31	40,000	40.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-32	35,000	35.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-34	25,000	25.00	
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज-ए-35	50,000	50.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	20,000	20.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XII	40,000	40.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII- XIII	40,000	40.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- I	25,000	25.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-III	75,000	75.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	25,000	25.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VI	50,000	50.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX- VIII	35,000	35.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-IX	100,000	100.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	10,000	10.00	
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX-XI	60,000	60.00	
योग		**810.00**	**-**
उद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		810.00	-
उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य की एकीकृत राशि		943.28	-

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 12 : दीर्घमियादी ऋण एवं अग्रिम					
पूंजी अग्रिम					
असुरक्षित, अच्छा माना गया #		386.87		255.28	
संदिग्ध		0.50		0.50	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.50		0.50	
	उप योग :		**386.87**		**255.28**
अन्य ऋण एवं अग्रिम					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		61.80		65.29	
असुरक्षित, अच्छा माना गया		14.96		28.58	
	उप योग :		**76.76**		**93.87**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया			**0.21**		**0.27**
जमा (अविवादित, असुरक्षित, अच्छा माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास, आदि		15.65		15.49	
अन्य सरकारी प्राधिकारीगण		1.32		1.44	
अन्य		6.98		4.98	
		23.95		21.91	
जमा (विवादित, असुरक्षित, अच्छा माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पत्तन न्यास, आदि		221.05		204.66	
आयकर प्राधिकारी ##		638.71		645.86	
		859.76		**850.52**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, संदिग्ध माना गया)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पत्तन न्यास, आदि		0.43		0.43	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.43		0.43	
		-		-	
	उप योग :		**883.71**		**872.43**
	योग :		**1,347.55**		**1221.85**

गुजरात राज्य में जीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट की आपूर्ति के साथ एल्यूमिना परिशोधन एवं एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना हेतु एक नई परियोजना के लिए बोली लगाते समय अग्रिम भुगतान बाबत गुजरात खनिज विकास निगम लि. (जीएमडीसी)) को कंपनी द्वारा अदा की गई ₹ 151 करोड़ की राशि शामिल है।

टिप्पणी : 46 का संदर्भ लें।

टिप्पणी 13 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
दीर्घमियादी व्यापार प्राप्य					
व्यापार प्राप्य (संदिग्ध)		37.11		37.11	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		37.11		37.11	
	उप योग :		-		-
प्रोद्भूत ब्याज					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		37.42		36.47	
असुरक्षित, अच्छा माना गया		11.93		10.89	
	उप योग :		**49.35**		**47.36**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना गया		0.13		0.09	
	उप योग :		**0.13**		**0.09**
	योग :		49.48		47.45

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 14 : चालू निवेश	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
(तुलनपत्र की तिथि से 12 महीने से कम परिपक्वता के साथ दीर्घमियादी निवेश) ***(₹ 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)***				
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - V			45,000	45.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - VIII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - X			20,000	20.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - XII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान - XIII			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - I			25,000	25.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - III			75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - IV			25,000	25.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - VI			50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - VIII			35,000	35.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - IX			100,000	100.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - X			10,000	10.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान - XI			60,000	60.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-20			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-22			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-24			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-27			30,000	30.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-28			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-31			40,000	40.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-32			35,000	35.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-34			25,000	25.00
एसबीआई एसडीएफएस-366 दिन-सीरीज ए-35			50,000	50.00
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 14			5,000	5.00
म्यूचुअल फंड में निवेश				
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना-लाभांश-एलएफ-डीडी ***(अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 1002.6483 प्रत्येक)***	110	11.00		
केनरा रोबेको लिक्विड प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 1005.5000 प्रत्येक)***	109	11.00		
आईडीबीआई लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹ 1001.8202 प्रत्येक)***	110	11.00		
एसबीआई पीएलएफ - प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹ 1003.2500 प्रत्येक)***	110	11.00		
यूनियन केबीसी लिक्विड फंड दैनिक लाभांश ***(अंकित मूल्य ₹ 1000.6506 प्रत्येक)***	110	11.00		
यूटीआई मनी मार्केट फंड ***(अंकित मूल्य ₹ 1003.3854 प्रत्येक)***	110	11.00		
योग		**66.00**		**950.00**
उद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि		66.00		950.00
उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य की एकीकृत राशि		66.04		1,021.06

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 15 : मालसूचियाँ					
कच्चे माल		79.30		98.06	
जोड़ें : मार्गस्थ		33.78		19.99	
	उप योग :	113.08		118.05	
घटाएं : संदिग्ध प्रावधान		0.07		-	
			113.01		**118.05**
चल रहे कार्य		216.50		202.22	
मध्यवर्ती उत्पाद		103.24		108.01	
तैयार माल		136.37		136.90	
			456.11		**447.13**
भंडार और कल पुर्जे		389.40		448.76	
जोड़ें : मार्गस्थ		12.28		21.19	
	उप योग :	401.68		469.95	
घटाएं : संदिग्ध प्रावधान		0.80		-	
			400.88		**469.95**
कोयला और ईंधन तेल		133.80		128.47	
जोड़ें : मार्गस्थ		23.17		1.96	
			156.97		**130.43**
	योग :		**1,126.97**		**1,165.56**

टिप्पणी 16 : व्यापार प्राप्य

असुरक्षित, अच्छा माना गया					
– देय तिथि से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया		23.79		12.37	
– अन्य		211.42		108.45	
	योग		**235.21**		**120.82**

टिप्पणी 17 : नकद एवं बैंक शेष

नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष					
चालू खाते में		38.17		3.69	
स्टाम्प सहित नकद हाथ में		0.13		0.14	
	उप योग :		**38.30**		**3.83**
अन्य बैंक शेष					
अदत्त लाभांश खाता*		5.10		5.00	
3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा		4,900.71		4,619.96	
	उप योग :		**4,905.81**		**4,624.96**
	योग :		**4,944.11**		**4,628.79**

* वर्तमान वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा के लिए देय राशि (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 18 : अल्पमियादी ऋण एवं अग्रिम				
अन्य ऋण एवं अग्रिम				
सुरक्षित, अच्छा माना गया				
- कर्मचारियों को ऋण	16.99		17.17	
- अन्य को ऋण	0.11		0.08	
उप योग		**17.10**		**17.25**
असुरक्षित, अच्छा माना गया				
- कर्मचारियों को ऋण	17.04		19.27	
- कर्मचारियों को अग्रिम	23.88		23.14	
- विक्रेताओं को अग्रिम	319.40		286.47	
- वैट क्रेडिट प्राप्य	15.62		15.95	
- सेनवैट क्रेडिट प्राप्य	170.77		200.73	
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	2.55		4.14	
- पूर्वप्रदत्त व्यय	4.18		3.89	
- अन्य	16.14		36.70	
उप योग		**569.58**		**590.29**
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया				
- कर्मचारियों को अग्रिम	38.84		31.20	
- विक्रेताओं को अग्रिम	2.44		2.39	
- वैट क्रेडिट प्राप्य	133.05		87.69	
- सेनवैट क्रेडिट प्राप्य	3.99			
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	7.74		3.48	
- अन्य	2.90		2.67	
	188.96		127.43	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	188.96		127.43	
उप योग		-		-
योग :		**586.68**		**607.54**
टिप्पणी 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
प्रोद्भूत ब्याज				
असुरक्षित, अच्छा माना गया				
बैंक जमा	169.79		173.19	
कर्मचारियों को ऋण	2.17		0.60	
अन्य ऋण एवं अग्रिम	0.64		0.44	
	172.60		174.23	
सुरक्षित, अच्छा माना गया				
कर्मचारियों को ऋण	6.74		5.97	
उप योग		**179.34**		**180.20**
निर्यात प्रोत्साहन दावे		**27.44**		**23.82**
नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन		**5.67**		**4.82**
हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ		**0.06**		**0.06**
गैर व्यापार प्राप्य				
असुरक्षित, अच्छा माना गया	1.34		0.73	
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	0.32		0.44	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	0.32		0.44	
उप योग		**1.34**		**0.73**
बीमा दावे	11.22		11.96	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	6.40		6.45	
उप योग		**4.82**		**5.51**
कबाड़ एवं अव्यवहार्य सामग्री	14.80		25.08	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	0.21		0.41	
उप योग		**14.59**		**24.67**
निपटान की प्रतीक्षा में अचल परिसंपत्तियाँ	4.95		4.91	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	4.53		4.39	
उप योग		**0.42**		**0.52**
योग :		**233.68**		**240.33**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 20 : निम्न के लिए प्रदान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ		
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :		
1. बिक्री कर	411.52	445.60
2. उत्पाद शुल्क	102.05	83.35
3. सीमा शुल्क	5.77	5.77
4. सेवा कर	2.35	2.26
5. आय कर	688.36	1,079.37
6. प्रवेश कर एवं सड़क कर	288.67	214.46
7. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	43.49	43.83
8. स्टाम्प ड्यूटी	205.97	211.64
9. खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.30	90.05
10. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी एवं संबंधित मांग	93.10	106.04
11. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता एवं अन्य के दावे	159.41	163.27
12. कर्मचारी राज्य बीमा	0.32	0.32
13. भविष्य निधि आयुक्त	-	0.05
योग :	**2,137.31**	**2,446.01**

कंपनी के संबंध में दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है, में शामिल हैं:

क. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी अपीलीय प्राधिकरणों में मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम नहीं पड़ेगा।

ख. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी 21 : पूंजी एवं अन्य वचनबद्धताएँ

क) पूंजी वचनबद्धताएँ		
पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जो प्रदान नहीं की गई है, अभी उनका निष्पादन किया जाना है।	685.71	207.54
ख) अन्य वचनबद्धताएँ		
कंपनी ने भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अन्तर्गत रियायती शुल्क दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है, इससे योजना के तहत मात्रात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए ₹6.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.90 करोड़) के शुल्क की बचत हुई।	41.68	53.41
योग :	**727.39**	**260.95**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 22 : प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री				
(i) निर्यात :				
एल्यूमिना	2,198.27		2,470.22	
एल्यूमिनियम	1,048.60		837.09	
	3,246.87		3,307.31	
(ii) घरेलू :				
एल्यूमिना	119.92		100.42	
एल्यूमिनियम	3,734.23		4,299.86	
बिजली	55.51		63.03	
	3,909.66		4,463.31	
कारोबार (सकल)	**7,156.53**		**7,770.62**	
(iii) घटाएं : उत्पाद शुल्क				
एल्यूमिना	13.52		11.20	
एल्यूमिनियम	439.68		497.52	
कारोबार (निवल)	**453.20**		**508.72**	
		6,703.33		**7,261.90**
अन्य प्रचालन राजस्व				
(i) निर्यात प्रोत्साहन				
एल्यूमिना	43.78		64.81	
एल्यूमिनियम	38.52		14.60	
	82.30		79.41	
(ii) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन	30.37		34.94	
(iii) आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूंजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ	-		6.56	
उप योग :		**112.67**		**120.91**
योग		**6,816.00**		**7,382.81**
टिप्पणी 23 : अन्य आय				
निम्न पर ब्याज आय :				
बैंक जमा *	435.80		456.03	
कर्मचारियों को ऋण	9.97		11.27	
आय कर वापसी	13.86		9.55	
अन्य	0.77		0.43	
उप योग :		**460.40**		**477.28**
निवेशों पर आय :				
निम्न पर निवल लाभ/(हानि)				
लाभांश योजना निवेश	5.19		18.77	
दीर्घमियादी निवेश	12.97		100.62	
उप योग :		**18.16**		**119.39**
विदेशी मुद्रा रूपांतरण और लेनदेनों पर निवल लाभ / (हानि)		**5.98**		**13.40**
सामान्य कबाड़ आय		**6.52**		**22.95**
विविध आय		**44.28**		**40.05**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		**1.30**		**(0.35)**
योग :		**536.64**		**672.72**

* स्रोत पर आयकर कटौती ₹ 43.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.29 करोड़) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े			पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		
टिप्पणी 24 : खपत की गई सामग्री का मूल्य						
कच्चे माल	**मात्रा (मे.टन)**			**मात्रा (मे.टन)**		
कास्टिक सोड़ा	207,312	585.26		190,491	536.39	
सी.पी. कोक	145,387	302.64		124,310	282.48	
सी.टी. पिच	34,395	94.97		29,075	109.98	
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	6,760	50.69		5,597	39.31	
चूना	54,127	41.03		50,231	36.83	
अन्य		29.81			26.60	
योग :			**1,104.40**			**1,031.59**
टिप्पणी 25 : विद्युत एवं ईंधन						
कोयला		1,285.27			1,052.61	
ईंधन तेल		398.22			612.84	
अपने उत्पादन पर शुल्क		172.68			121.50	
विद्युत क्रय		1.89			2.14	
विद्युत प्रसारण प्रभार		6.55			5.74	
उप योग :		1,864.61			1,794.83	
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-			7.41	
योग :			**1,864.61**			**1,802.24**
टिप्पणी 26 : तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद एवं चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन						
तैयार माल						
प्रारंभिक स्टॉक	**मूल**	**उत्पाद शुल्क सम्मिलित***		**मूल**	**उत्पाद शुल्क सम्मिलित**	
बॉक्साइट	4.83	-		8.62	-	
रसायन	94.32	4.87		97.84	1.90	
एल्यूमिनियम	28.53	4.35		21.79	3.20	
	127.68	9.22		128.25	5.10	
घटाएं: अंतिम स्टॉक						
बॉक्साइट	7.73	-		4.83	-	
रसायन	93.81	6.06		94.32	4.87	
एल्यूमिनियम	25.98	2.79		28.53	4.35	
	127.52	8.85		127.68	9.22	
(अनुवृद्धि)/कमी	0.16	0.37	**0.53**	0.57	(4.12)	**(3.55)**
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (क)			**0.53**			**(3.55)**
मध्यवर्ती उत्पाद						
प्रारंभिक स्टॉक						
एनोड	103.49			114.50		
अन्य	4.52			4.03		
	108.01			118.53		
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
एनोड	96.08			103.49		
अन्य	7.17			4.52		
	103.25			108.01		
(अनुवृद्धि)/कमी	4.76		**4.76**	10.52		**10.52**
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (ख)			**4.76**			**10.52**
चल रहे कार्य						
प्रारंभिक स्टॉक	202.22			198.15		
घटाएं: अंतिम स्टॉक	216.50			202.22		
(अनुवृद्धि)/कमी	(14.28)		**(14.28)**	(4.07)		**(4.07)**
परीक्षण प्रचालन से अंतरण			**-**			**-**
निवल (अनुवृद्धि)/कमी - (ग)			**(14.28)**			**(4.07)**
योग (क+ख+ग) :			**(8.99)**			**2.90**

* उत्पाद शुल्क में प्लांट एवं स्टॉकयार्ड में रखा गया स्टॉक शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन और मजदूरी	1,104.56		1130.86	
भविष्य, पेंशन एवं उपदान निधि के लिए अंशदान	189.10		177.71	
कर्मचारी कल्याण व्यय	67.71		69.34	
योग :		**1,361.37**		**1,377.91**

ऊपर टिप्पणी 27 में सम्मिलित दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ दायित्व (एएस-15 के अनुसार)

	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	एनईएफ एफएआर योजना	लम्बी सेवा पुरस्कार	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	नालको सेवा निवर्त्तन उपहार
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि :									
दायित्व का वर्तमान मूल्य	**298.02**	**197.34**	**6.30**	**2.74**	**21.21**	**8.30**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	293.76	*229.44*	*6.82*	*5.98*	*20.22*	*8.77*			
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**289.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	291.71	-	-	-	-	-			
निधिबद्ध स्थिति [अधिक/(कम)]	**(8.59)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	(2.05)	-	-	-	-	-			
स्वीकृत निवल देयता	**8.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	2.05	-	-	-	-	-			
लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत राशिः									
वर्तमान सेवा मूल्य	**28.46**	**62.38**	**-**	**5.37**	**-**	**0.51**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	26.97	*59.26*	-	-	-	*0.52*			
ब्याज मूल्य	**22.58**	**13.37**	**0.40**	**0.46**	**-**	**0.63**			
	20.96	*13.41*	*0.47*	*0.63*	-	*0.69*			
योजना परिसंपत्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	**23.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	22.23	-	-	-	-	-			
निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(19.12)**	**16.74**	**2.57**	**(8.61)**	**0.99**	**0.12**			
	(18.26)	*20.46*	*1.81*	*(2.23)*	*0.66*	*0.38*			
स्वीकृत व्यय	**8.59**	**92.49**	**2.97**	**(2.78)**	**0.99**	**1.26**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	7.44	*93.13*	*2.28*	*(1.60)*	*0.66*	*1.59*			
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल देयता में उतार-चढ़ाव :									
प्रारंभिक निवल देयता	**2.05**	**229.44**	**6.82**	**5.98**	**20.22**	**8.77**	**-**	**-**	**-**
	(5.39)	*198.78*	*7.30*	*8.05*	*19.56*	*9.99*			
स्वीकृत व्यय	**8.59**	**92.49**	**2.97**	**(2.78)**	**0.99**	**1.26**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	7.44	*93.13*	*2.28*	*(1.60)*	*0.66*	*1.59*			
अदत्त लाभ	**-**	**124.59**	**3.49**	**0.46**	**-**	**1.73**			
	-	*62.47*	*2.76*	*0.47*	-	*2.81*			
अंशदान	**2.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
	-	-	-	-	-	-			
अंतिम निवल देयता	**8.59**	**197.34**	**6.30**	**2.74**	**21.21**	**8.30**	**3.94**	**13.13**	**6.92**
	2.05	*229.44*	*6.82*	*5.98*	*20.22*	*8.77*			

टिप्पणी :

1. इटैलिक्स में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।
2. उपदान रोजगार उपरांत निधिबद्ध निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।
3. अन्य लाभ गैर-निधिबद्ध निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय जारी...		
क. बीमांकिक अनुमान		
मृत्यु दर सारणी	*आईएएलएम-(2006-08) यूएलटी*	*आईएएलएम-(2006-08) यूएलटी*
छूट दर	8.00%	8.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (रिटर्न)	8.00%	8.00%
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवा निवर्त्तन की उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों को बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति विवेचना, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सम्बन्धित कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा योजना परिसंपत्ति की अपेक्षित वापसी का निर्धारण कई लागू कारकों विशेषकर धारित परिसंपत्तियों के संघटन, परिसंपत्ति प्रबंधन के आकलित जोखिम एवं योजना परिसंपत्तियों से मूल वापसी को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ख. योजना परिसंपत्तियों का निवेश विवरण

	₹ करोड़ में	%	₹ करोड़ में	%
बीमाकर्ता व्यवस्थित निधि	289.33	99.97%	291.62	99.97%
अन्य	0.10	0.03%	0.09	0.03%
योग :	**289.43**	**100.00%**	**291.71**	**100.00%**
ग. योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक प्रतिफल (रिटर्न)	**₹18.74 करोड़**		**₹34.39 करोड़**	

घ. विभिन्न परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार हैं

(i) **भविष्य निधि** : कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है। जहाँ निवेश पर वापसी कम होने या किसी अन्य कारण से ट्रस्ट घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ रहता है, वहाँ इस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) **पेंशन निधि** : कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सम्बंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

(iii) **उपदान** : उपदान का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹10,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(iv) **सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ** : ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(v) **बंदोबस्ती लाभ** : सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना का विकल्प लिए हैं, तो टीए का अंतरण अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को स्वीकार्य है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्याकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(vi) **लम्बी सेवा का पुरस्कार** : जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं डीए के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(vii) **एनईएफएफआरएस** : अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्त्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(viii) **अवकाश नकदीकरण** : संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमन्य है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ix) **नालको हितकारी निधि योजना** : कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी।

(x) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना** : कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी।

(xi) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजना** : कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 28 : वित्त लागत				
ब्याज व्यय				
अल्पमियादी ऋण पर ब्याज	1.21		-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ)/हानि				
ब्याज लागत में समायोजन	-		-	
योग :		**1.21**		**-**

टिप्पणी 29: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	423.60		414.02	
घटाएं : पूंजी खाता में अंतरित	0.02		0.10	
घटाएं : सब्सिडी आरक्षित से अंतरित	0.02		0.26	
उप योग		**423.56**		**413.66**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		**0.53**		**-**
योग :		**424.09**		**413.66**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
टिप्पणी 30 : अन्य व्यय					
मरम्मत एवं रखरखाव					
भवन की मरम्मत		44.98		33.83	
प्लांट एवं मशीनरी की मरम्मत		127.84		138.39	
अन्य की मरम्मत		18.83		20.70	
	उप योग		**191.65**		**192.92**
भण्डार एवं कलपुर्जे आदि की खपत					
भण्डार एवं कलपुर्जे*		280.86		299.07	
उपभोग्य वस्तुएं		113.66		120.77	
	उप योग		**394.52**		**419.84**
अन्य निर्माण संबंधी व्यय :					
रायल्टी एवं उपकर		93.14		90.53	
जल शुल्क		24.18		24.13	
डीएमएफ एवं एनएमईटी में अंशदान#		36.31		-	
अन्य		62.64		48.56	
	उप योग		**216.27**		**163.22**
माल भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय					
आवक सामग्री		97.30		77.59	
जावक सामग्री		155.50		123.96	
	उप योग		**252.80**		**201.55**
किराया			**3.52**		**3.38**
दर एवं कर			**2.76**		**5.53**
बीमा			**8.75**		**8.13**
लेखापरीक्षकों को भुगतान :					
लेखापरीक्षकों के रूप में		0.20		0.20	
कराधान विषयवस्तुओं के लिए		0.04		0.04	
कंपनी की कानूनी विषयवस्तुओं के लिए		0.16		0.16	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.14		0.13	
	उप योग		**0.54**		**0.53**
लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान			**0.02**		**0.04**
सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय			**90.31**		**84.69**
नि.सा.उ. व्यय			**27.17**		**19.31**
विविध					
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		104.91		71.20	
विवादित सरकारी देय एवं अन्य पर ब्याज		140.22		166.75	
बिक्री एवं वितरण व्यय		26.82		20.02	
मालसूची, दावों आदि को बट्टे खाते में डालना		11.98		13.17	
प्रावधान		63.01		61.01	
अन्य		19.16		20.71	
	उप योग		**366.10**		**352.86**
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			**2.19**		**10.16**
योग :			**1,556.60**		**1,462.16**

* मरम्मत एवं रखरखाव में सम्मिलित नहीं

टिप्पणी सं. 40 का संदर्भ लें

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंकड़े
टिप्पणी 31 : असाधारण मदें		
विद्युत एवं ईंधन व्यय	-	(0.74)
अन्य व्यय/आय *	(53.45)	(147.68)
योग :	**(53.45)**	**(148.42)**

* वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि में आय की प्रकृति के विवरण के लिए टिप्पणी 41 का संदर्भ लें। पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़ों में ₹253.21 करोड़ के विवादित बिजली पर ब्याज के संबंध में पुनरांकित देयता एवं पिछले वर्षों से सम्बन्धित ₹105.53 करोड़ के लिए टी एण्ड टी क्षति बाबत दावों की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 32 : विदेशी मुद्रा पर किया गया व्यय				
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	10.53		5.24	
अन्य व्यय	0.39		1.14	
योग :		**10.92**		**6.38**
टिप्पणी 33 : विदेशी मुद्रा में आय				
एफओबी आधार पर परिकलित वस्तुओं का निर्यात	2,953.17		3,159.48	
अन्य आय (प्रेषण राशि दावा)	1.56		1.23	
असाधारण मदें	53.45		-	
योग :		**3,008.18**		**3,160.71**
टिप्पणी 34 : सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल	107.02		114.78	
कोयला	40.14		107.89	
घटक और कलपुर्जे	52.44		76.00	
पूंजी वस्तुएँ	35.03		5.11	
योग :		**234.63**		**303.78**

टिप्पणी 35 : वर्ष के दौरान प्रयुक्त कच्चे माल, कलपुर्जे और घटकों का मूल्य

	मूल्य	%	मूल्य	%
क) कच्चे माल :				
आयातित	124.30	11.25	139.22	13.50
देशी	980.10	88.75	892.37	86.50
योग :	**1,104.40**	**100.00**	**1,031.59**	**100.00**
ख) कलपुर्जे और घटक :				
आयातित	62.61	15.87	102.95	24.52
देशी	331.91	84.13	316.89	75.48
योग :	**394.52**	**100.00**	**419.84**	**100.00**

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : संयुक्त उद्यम

लेखांकन मानक-27 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :

क) नाम, निगमन के देश एवं स्वामित्व हित का विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम		निगमन के देश	स्वामित्व का अनुपात	
			वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i)	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.	भारत	26.00%	26.00%
ii)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	भारत	49.50%	49.50%
iii)	जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	भारत	40.00%	-

टिप्पणी : जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. का गठन 04.12.2015 को हुआ था।

ख) लेखा के अनुसार संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी की एकीकृत राशि निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i)	**एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.**		
	इक्विटी एवं देयताएँ		
	शेयरधारक निधि	0.01	0.01
	गैर-चालू देयताएँ	-	-
	चालू देयताएँ	*	*
	परिसंपत्तियाँ		
	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	-	-
	चालू परिसंपत्तियों	0.01	0.01
	आय	*	*
	व्यय	*	*
ii)	**अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.**		
	इक्विटी एवं देयताएँ		
	शेयरधारक निधि	1.16	1.12
	सहायक अनुदान	8.68	
	गैर-चालू देयताएँ	1.21	-
	चालू देयताएँ	0.04	0.01
	परिसंपत्तियाँ		
	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	0.53	0.28
	चालू परिसंपत्तियाँ	10.56	0.85
	आय	0.07	0.08
	व्यय	0.01	0.01
iii)	**जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.**		
	इक्विटी एवं देयताएँ		
	शेयरधारक निधि	0.02	-
	गैर-चालू देयताएँ	-	-
	चालू देयताएँ	0.29	-
	परिसंपत्तियाँ		
	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	0.28	-
	चालू परिसंपत्तियाँ	0.04	-
	आय	-	-
	व्यय	0.02	-

* राशि एक लाख से कम है

टिप्पणी सं. 37 : नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)

ओड़िशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी का अपनी कुल खपत का 3% (पिछले वर्ष 6.5%) विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने का दायित्व है जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 0.5% (पिछले वर्ष 0.25%), गैर-सौर नवीकरणीय स्रोत से 2.5% (पिछले वर्ष 1.8%) एवं सह-उत्पादन से 0% (पिछले वर्ष 4.45%) सम्मिलित है।

क) कंपनी ने वर्तमान वर्ष एवं पिछले वर्षों के आंशिक दायित्व के लिए भी अपने गैर-सौर दायित्व को पवन ऊर्जा उत्पादन से पूरा किया है। ₹ 1,500 (पिछले वर्ष ₹ 1,500) प्रति आरईसी की दर से मूल्यांकित 18,297 (पिछले वर्ष 28,080) अदद गैर-सौर आरईसी बाबत ₹ 2.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.21 करोड़) की राशि के संचित गैर-सौर दायित्व के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) सौर नवीकरणीय स्रोत के विषय में कंपनी ने अपेक्षित मात्रा में विद्युत पैदा करने का दायित्व पूरा न कर पाने के कारण ₹ 3,500 (पिछले वर्ष ₹ 3,500) प्रति आरईसी की दर से मूल्यांकित 66,413 (पिछले वर्ष 40,637) अदद सौर आरईसी बाबत ₹ 23.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.22 करोड़) की देयता संचित की है। इसके लिए देयता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 38 : निष्पादन संबंधी भुगतान

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए कार्यपालकों के निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) पर निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप, इस खाते पर पिछले वर्षों में प्रदान की गई ₹ 26.60 करोड़ की अतिरिक्त देयता को पुनरांकित किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए पीआरपी की अनुमानित देयता में कमी मुख्यतया भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के स्पष्टीकरण के अनुसार अधिशेष निधि से आय पर विचार किए बिना, कर पूर्व लाभ के निर्धारण के कारण है।

टिप्पणी सं. 39: बॉक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण

बॉक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण (1315.264 हेक्टेयर के लिए उत्तर एवं मध्य ब्लॉक और 528.262 हेक्टेयर के लिए दक्षिण ब्लॉक) 31.3.2020 तक स्वीकृत किया गया है। पट्टे के नवीकरण के लिए, कंपनी ने क्रमशः ₹ 6.11 करोड़ एवं ₹ 1.00 करोड़ का स्टाम्प शुल्क चुकाया है, जो पूंजीकृत हुआ है, क्योंकि पट्टे वाली जमीन का अंश अपने पट्टे के संबंधित जीवनकाल में परिशोधित किया जाएगा। ओड़िशा सरकार द्वारा की गई मांग के लिए आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट राशि उपर्युक्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर इसी अनुसार कम हो गई है।

टिप्पणी सं. 40 : डीएमएफ एवं एनएमईटी में अंशदान

खान एवं खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुरूप एवं खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अंशदान) नियम, 2015 एवं इसके अन्तर्गत गठित खान एवं खनिज (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास में अंशदान) नियम, 2015 के अनुसार तथा 17 सितंबर, 2015 को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार 12 जनवरी, 2015 से प्रभावी कंपनी अपने रॉयल्टी व्यय के क्रमशः 30% और 2% की समतुल्य राशि जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसी अनुसार, ₹ 34.04 करोड़ एवं ₹ 2.27 करोड़ (पिछली अवधि के लिए ₹ 6.10 करोड़ एवं ₹ 0.41 करोड़ समेत) को वर्तमान वर्ष में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है एवं क्रमशः डीएमएफ एवं एनएमईटी को देय अंशदान के लिए देयता के रूप में लिया गया है।

टिप्पणी सं. 41 : अपवादिक मद

कंपनी ने मेसर्स पीक केमिकल्स से कास्टिक सोड़ा की आपूर्ति न किए जाने के कारण उन पर जोखिम एवं लागत दावे के अंतिम निपटारे के रूप में ₹ 53.45 करोड़ (अमरीकी डॉलर 8.05 मिलियन) की राशि प्राप्त की है। इस आय को अपवादिक मद के रूप में स्वीकार किया गया है।

टिप्पणी सं. 42 : आईसीडीएस का प्रभाव

सीबीडीटी द्वारा जारी एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रभावी किए गए आय कर अभिकलन एवं प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) को कर व्यय की गणना के प्रयोजन के लिए विवेचित किया गया है। तथापि, आईसीडीएस के आरंभ किए जाने पर कंपनी की कर देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी सं. 43 : नि.सा.उ. व्यय

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी का नि.सा.उ. ₹26.24 करोड़ है, जिसके लिए कम्पनी ने विभिन्न नि.सा.उ. कार्यकलापों पर ₹27.17 करोड़ व्यय किया है।

टिप्पणी सं. 44 : कोयला खानों का आबंटन

i) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने नालको को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉक का आबंटन किया है एवं 11 सितंबर, 2015 को कम्पनी के पक्ष में आबंटन आदेश को निष्पादित करने के लिए मनोनीत अधिकारी को निर्देश दिया है।

ii) उक्त उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉकों के विषय में, भारत सरकार द्वारा एवं नालको के बीच आबंटन अनुबंध का निष्पादन किया गया है। आबंटन अनुबंध के अनुसार, कम्पनी ने ₹8.21 करोड़ की निर्दिष्ट राशि एवं ₹18.11 करोड़ की अग्रिम राशि की पहली किस्त (50%) का भुगतान भारत सरकार को किया है। इन्हें पूंजी अग्रिम के रूप में विवेचित किया गया है।

iii) कम्पनी उत्कल डी एण्ड ई कोयला ब्लॉकों में खनन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक पट्टे वाली एवं पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया में है एवं अभी तक जमीन के अधिग्रहण के लिए ओड़िशा औद्योगिक विभाग निगम को एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों को ₹91.57 करोड़ का भुगतान किया है। अधिकार पत्र एवं स्वामित्व अभी कम्पनी को पारित किया जाना है, तब तक भुगतान की गई राशि को पूंजी अग्रिम के रूप में लिया गया है।

iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार डिएलोकेशन अवधि के दौरान पूर्व डिएलोकेशन की तिथि तक एवं उसके बाद व्यय की गई ₹34.75 करोड़ समेत कोयला ब्लॉक के विकास हेतु निर्दिष्ट तिथि तक व्यय की गई ₹39.34 करोड़ की राशि को चल रहे पूंजी कार्य के अंतर्गत निर्माण के दौरान व्यय में सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी सं. 45 : पट्टे

क) कम्पनी ओड़िशा सरकार द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में खनन कार्यकलापों का प्रचालन कर रही है। पट्टे के संबंध में, कम्पनी ने एनपीवी एवं अन्य संबंधित दावों का भुगतान किया है जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है एवं कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर परिशोधित किया गया है।

ख) खनन पट्टा कम्पनी द्वारा अधिगृहीत भूमि पर सतही किराए एवं अनिवार्य किराए के भुगतान के अधीन है। कम्पनी ने सतही एवं अनिवार्य किराये के रूप में ₹0.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.26 करोड़) व्यय किया है, जो लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित हुआ है।

ग) कम्पनी अपना पत्तन कार्य-परिचालन विजैग पत्तन न्यास से लीज पर ली गई भूमि पर करती है। पट्टे किराए पर चुकायी गई ₹2.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.53 करोड़) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

टिप्पणी सं. 46 : आयकर प्राधिकारी के पास जमा

कम्पनी ने हालांकि विवादित आवेदन पर भी आयकर प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई मांग का भुगतान किया है। विवादित मांग की कुल राशि ₹702.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹653.48 करोड़) है जिसे आयकर अधिकारी के पास बतौर जमा के रूप में लिया गया है। ₹52.14 करोड़ की विवादित मांग आकलित वर्ष 2003-04 एवं 2006-07 से संबंधित है एवं माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित है। ₹649.92 करोड़ की शेष विवादित मांग आकलित वर्ष 2005-06 एवं आकलित वर्ष 2007-08 से आकलित वर्ष 2013-14 से संबंधित है एवं सीआईटी (अपील) या आयकर अपीलेट न्यायाधिकरण के पास विचारणीय है।

टिप्पणी सं. 47 : जल प्रभार पर ब्याज के लिए देयता

जलसंसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार जिनका सरकारी जल स्रोतों पर क्षेत्रीय अधिकार पड़ता है, ने कम्पनी पर ओड़िशा सिंचाई नियम, 1961 के अनुसार जल प्रभार के लिए एवं अदत्त जल प्रभार पर ब्याज के लिए दावा किया है। कम्पनी ने जल प्रभार का देय चुका दिया है, परन्तु ब्याज का भुगतान, हालांकि प्रदान कर दिया गया है, निपटारे के लिए लम्बित है।

टिप्पणी सं. 48 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i)	बकाया मूलधन	2.12	3.05
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलम्ब (जो भुगतान किया गया, मगर वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी ऐसी तिथि तक देय जब तक उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 49 : वर्ष के लिए लाभांश

कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के लिए ₹5/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.25 (पिछले वर्ष ₹1.25) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है एवं वर्ष के लिए ₹0.75 (पिछले वर्ष ₹0.50) प्रति इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित अंतिम लाभांश के लिए देयता प्रदान किया है। वर्ष के लिए लाभांश की कुल राशि ₹515.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹451.02 करोड़) है, जो कि आगामी वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

टिप्पणी सं. 50 : लेखांकन नीति/प्रक्रिया में परिवर्तन

नालको कर्मचारी हितकारी योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना एवं नालको सेवानिवर्त्तन उपहार योजना बाबत अंशदान पर कर्मचारी लाभ व्यय अभी तक कम्पनी द्वारा वास्तविक अंशदान पर स्वीकार किया गया था। अतएव, उपर्युक्त मदों को दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ के रूप में विवेचित किया गया है एवं बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएँ प्रदान की गई हैं। यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो वर्ष के लिए लाभ ₹23.99 करोड़ बढ़ गया होता।

टिप्पणी सं. 51 : संयुक्त उद्यमों का पहली बार समेकन

पहली बार समेकित वित्तीय विवरण अर्थात् 31.03.2016 को तुलनपत्र, वर्ष 2015-16 के लिए लाभ एवं हानि का विवरण और वर्ष 2015-16 के लिए नकद प्रवाह विवरण प्रस्तुत किए गए। एएस 21 के अनुसार, प्रथम अवसर पर समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए, परन्तु पिछली अवधि के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तथापि, बेहतर प्रस्तुतीकरण एवं तुलना के लिए, पिछले वर्ष के आंकड़ों को संयुक्त उद्यमों के लेखे से तैयार किया गया है।

टिप्पणी सं. 52 : संयुक्त उद्यमों के लेखे

संयुक्त उद्यम (जेवी) कम्पनियों के लेखे के आधार पर वर्ष 2015-16 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। मेसर्स एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लिमिटेड और जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि. के खातों की लेखापरीक्षा की गई है जबकि अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. के खाते बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, मगर लेखापरीक्षा की जानी है। तथापि, समेकित वित्तीय विवरण का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पणी सं. 53 : संयुक्त उद्यमों की आनुपातिक वित्तियों के सार

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम कम्पनी का नाम	31.03.2016 को परिसंपत्ति	वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व	वर्ष 2015-16 के लिए लाभ/(हानि)	वर्ष 2015-16 के दौरान निवल नकद प्रवाह
एनपीसीआईएल-नालको पावर कम्पनी लि.	0.01	*	*	*
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि.	9.84	0.07	0.04	9.72
जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.	0.02	-	(0.02)	0.04

* राशि एक लाख से कम है।

टिप्पणी सं. 54 : पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनःवर्गीकृत या पुनःव्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 55 : शेयरों की वापस खरीद

निदेशक मंडल ने 25 मई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में ₹44/- प्रति शेयर के मूल्य पर कम्पनी के 64,43,09,628 इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं, की वापस खरीद को अनुमोदित किया है, जो कि पोस्टल बैलट द्वारा विशेष प्रस्ताव के रूप में कम्पनी के शेयरधारकों के अनुमोदन एवं सभी अन्य लागू सांविधिक अनुमोदनों के अधीन हैं।

टिप्पणी सं. 56 : संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

56.1 संबंधित पक्ष

क) संयुक्त उद्यम

क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि.
ख) एनपीसीआईएल-नालको पावर कं. लि.
ग) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.

ख) संयुक्त उद्यम कम्पनी में सह-उद्यमकर्ता/निवेशक

क) गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

i) पूर्णकालिक निदेशक

(क) श्री अंशुमान दास (30.04.2015 तक)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख) डॉ. तपन कुमार चान्द (27.07.2015 से)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ग) श्री एन. आर. महान्ति	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
(घ) श्री एस. सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन)
(ङ) श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)
(च) सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्य)
(छ) श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)

ii) अन्य

(क) श्री के. एन. रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक-कम्पनी सचिव

घ) अंशकालिक सरकारी निदेशकः (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) डॉ. एन.के. सिंह, आईएफएस (22.12.2015 तक)
(ख) श्री आर. श्रीधरन, आईएएस
(ग) श्री एन. बी. ढल, आईएएस (23.12.2015 से)

ङ) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः

(क) श्री कैसर शमीम (09.07.2015 तक)
(ख) श्री संजीव बत्रा (09.07.2015 तक)
(ग) श्री एस. शंकररमन (21.11.2015 से)
(घ) श्री प्रभात केशरी नायक (21.11.2015 से)
(ङ) श्री महेश्वर साहू (21.11.2015 से)
(च) श्री दीपंकर महंत (21.11.2015 से)
(छ) प्रो. दामोदर आचार्य (21.11.2015 से)

56.2 संबंधित पक्ष के लेनदेनः

क) वर्ष के दौरान कम्पनी ने संयुक्त उद्यम/सह-उद्यमकर्ता के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	लेनदेन की प्रकृति	वर्तमान वर्ष ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष ₹ करोड़ में
1	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	इक्विटी अंशदान	0.04	-
2	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	अग्रिम	0.23	-
3	गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.	कच्चे माल का क्रय	27.70	-

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वेतन	2.78	2.25
2	भविष्य निधि में अंशदान	0.17	0.18
3	चिकित्सा लाभ	0.02	0.03
4	अन्य लाभ	0.03	0.04
	योग	3.00	2.50

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिमः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के अंत में बकाया	0.06	0.10
2	वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.10	0.20

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में - वास्तविक

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1	**उत्पादन**					
	बॉक्साइट	63,40,142	57,39,120	62,92,677	54,19,391	50,02,626
	एल्यूमिना हाईड्रेट	19,53,000	18,51,000	19,25,000	18,02,000	16,87,000
	एल्यूमिनियम	3,72,183	3,27,070	3,16,492	4,03,384	4,13,089
	विद्युत (निवल)	5,841	5,131	4,989	6,076	6,200
	पवन ऊर्जा	156	175	144	14	-
2	**निर्यात बिक्री :**					
	एल्यूमिना	11,74,224	11,84,595	13,09,473	9,44,117	7,92,552
	एल्यूमिनियम	94,671	60,752	1,01,243	1,44,161	98,399
3	**घरेलू बिक्री:**					
	एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य रसायन	45,702	40,048	33,288	40,605	50,253
	एल्यूमिनियम	2,77,753	2,65,328	2,18,420	2,58,941	3,17,517
	विद्युत (निवल)	31	28	27	26	16
	पवन ऊर्जा	156	175	144	14	-

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में - वित्तीय (₹ करोड़ में)

क्र .सं.	विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
क	**आय का विवरण:**					
1	निर्यात	3,247	3,307	3,719	3,410	2,569
2	देशीय बिक्री	3,910	4,464	3,305	3,837	4,358
3	सकल बिक्री (1+2)	7,157	7,771	7,024	7,247	6,927
4	घटाएं : उत्पाद शुल्क	454	509	375	438	427
5	निवल बिक्री (3 - 4)	6,703	7,262	6,649	6,809	6,500
6	अन्य आय :					
7	प्रचालन	113	121	132	107	112
8	गैर-प्रचालन	537	673	558	511	542
9	प्रचालन व्यय	5,879	5,677	5,847	6,010	5,467
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	937	1,706	934	906	1,145
11	अपवादिक मद	(54)	(148)	49	-	22
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व (ईबीआईडीटी) आय (10+8 -11)	1,528	2,527	1,443	1,417	1,665
13	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	1	-	-	7	1
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व (ईबीडीटी) आय (12-13)	1,527	2,527	1,443	1,410	1,664
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	424	414	525	505	467
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	1,103	2,113	918	905	1,198
17	कर के लिए प्रावधान	372	791	276	312	348
18	निवल लाभ (पीएटी) (16 - 17)	731	1,322	642	593	850
ख	**तुलनपत्र :**					
19	इक्विटी पूंजी	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
20	आरक्षित एवं अधिशेष	11,618	11,508	10,834	10,644	10,426
21	निवल मूल्य (19+20)	12,907	12,797	12,122	11,933	11,715
22	ऋण	-	-	-	-	-
23	निवल अचल परिसंपत्ति	6,468	6,645	6,792	6,629	6,612
24	कार्यकरी पूंजी	5,625	5,501	3,949	3,411	4,193
25	नियोजित पूंजी (23+24)	12,093	12,146	10,741	10,040	10,805
ग	**अनुपात :**					
26	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	13.98	23.50	14.05	13.31	17.62
27	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	10.91	18.21	9.65	8.71	13.07
28	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (रिटर्न) (आरओसीई) (%) (18/25*100)	6.04	10.89	5.98	5.91	7.86
29	निवल मूल्य पर प्रतिफल (रिटर्न) (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	5.66	10.33	5.29	4.97	7.25
घ	**अन्य:**					
30	₹ 5 प्रत्येक का बही मूल्य प्रति शेयर (₹ में)	50.08	49.65	47.04	46.30	45.46
31	आय प्रति शेयर (₹ में)	2.84	5.13	2.49	2.30	3.30
32	लाभांश प्रति शेयर (₹ में)	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00

वर्ष 2015-16 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का मिलान

(₹ करोड़ में, क्रम सं. 11 एवं 12 को छोड़कर)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चार तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखा परीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सकल कारोबार	1583.31	1892.89	1723.79	1956.54	7156.53	7156.53	-
	घटाएं: उत्पाद शुल्क	113.21	112.49	107.82	119.68	453.20	453.20	-
	निवल बिक्री	1470.10	1780.40	1615.97	1836.86	6703.33	6703.33	-
2	अन्य आय	151.93	160.71	143.32	193.28	649.24	649.24	-
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1268.75	1475.79	1498.93	1635.70	5879.17	5879.17	-
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	99.01	107.27	104.60	113.21	424.09	424.09	-
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	254.27	358.05	155.76	281.23	1049.31	1049.31	-
6	अपवादिक मदें	-	-	(53.45)	0.00	-53.45	-53.45	-
7	कर पूर्व लाभ	254.27	358.05	209.21	281.23	1102.76	1102.76	-
8	कर के लिए प्रावधान	90.83	131.91	75.72	73.29	371.75	371.75	-
9	निवल लाभ (पीएटी)	163.44	226.14	133.49	207.94	731.01	731.01	-
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	-
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.63	0.88	0.52	0.81	2.84	2.84	-
12	गैर-प्रमोटर शेयरधारिता का कुल योग : शेयरों की संख्या	491,455,890	491,455,890	491,455,890	491,455,890	491,455,890	491,455,890	
	शेयरधारिता का प्रतिशत	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	

नालको की विभिन्न उत्पादन इकाइयाँ, उनके स्थान और संस्थापित क्षमताएँ

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रति वर्ष
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	22,75,000 टन प्रति वर्ष
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापत्तनम्	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात/कास्टिक सोड़ा लाई का आयात)
6.	पवन ऊर्जा	गण्डीकोटा, आं.प्र.	50.4 मेगावाट
		जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट

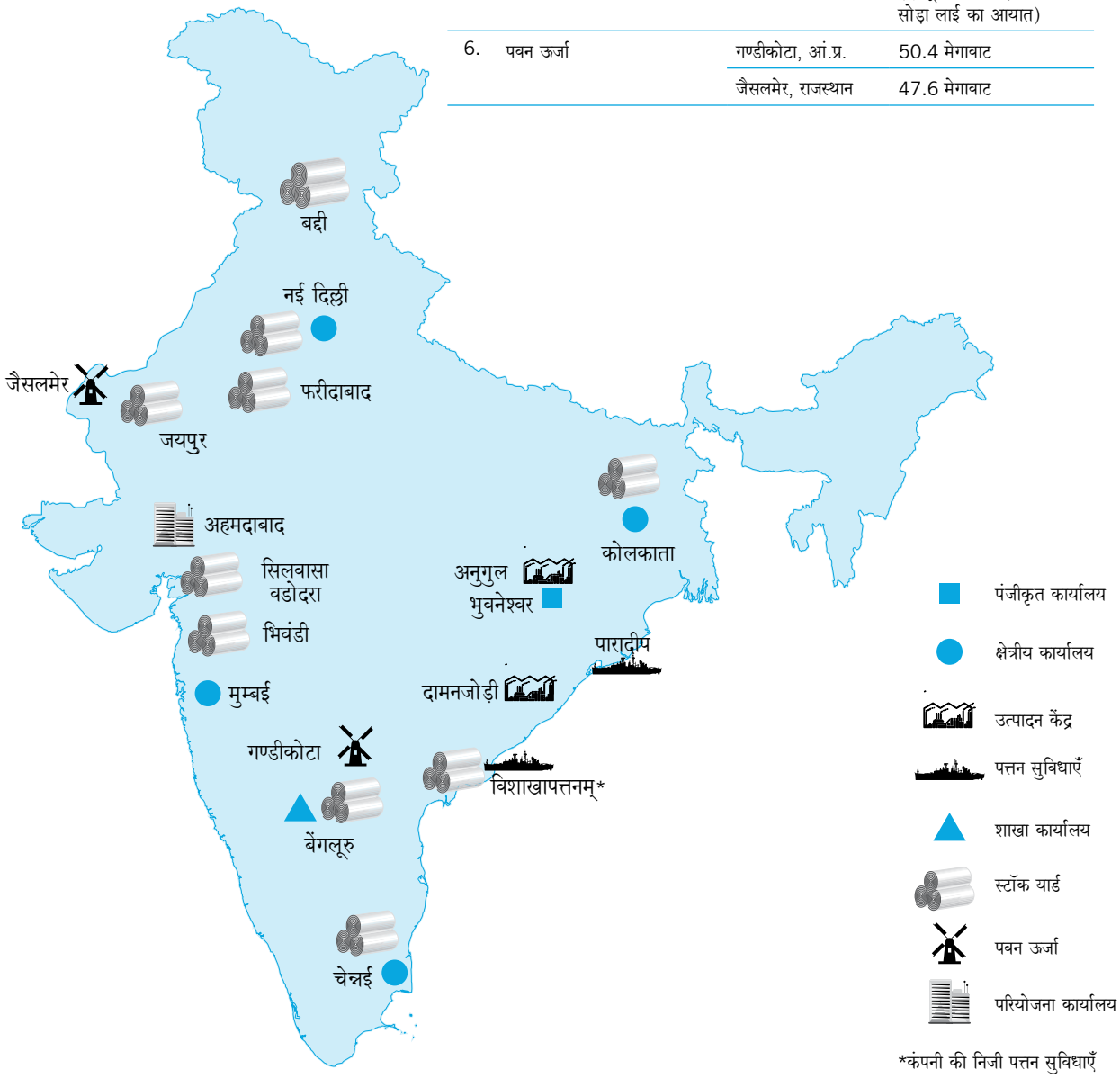

*कंपनी की निजी पत्तन सुविधाएँ

कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय

नालको भवन
प्लॉट नम्बर - पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013 (ओड़िशा)
दूरभाष : 0674-2301988 से 2301999
फैक्स : 0674-2300550/2300470/
2300521/2300640

इकाइयाँ

1. खान एवं परिशोधक
खान एवं परिशोधन संकुल
दामनजोड़ी - 763 008
जिला : कोरापुट (ओड़िशा)
दूरभाष : 06853-254515/254550/254251
फैक्स : 06853-254361/254214

2. ग्रहीत विद्युत संयंत्र
जिला : अनुगुल (ओड़िशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764-220158
फैक्स : 06764-220646

3. प्रद्रावक संयंत्र
नालको नगर - 759 145
जिला : अनुगुल (ओड़िशा)
दूरभाष : 06764-220110
फैक्स : 06764-220738/220206

पत्तन सुविधाएं

विशाखापत्तनम्
ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने,
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2561433/2561435
फैक्स : 0891-2561598
ई-मेल : gmport@nalcoindia.co.in

पारादीप (पत्तन कार्यालय)
''वी'' प्वाइंट
बड़पड़िया
पारादीप - 751 142
दूरभाष : 06722-221286
फैक्स : 06722-221286
ई-मेल : nalco_paradeep@nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र
प्रथम तल, जे के मिलेनियम सेंटर
46-डी, चौरंगी रोड़, कोलकाता - 700 071
दूरभाष : 033-662244510-34
फैक्स : 033-22810393/22878936
ई-मेल : rmeast@nalcoindia.co.in

2. पश्चिमी क्षेत्र
215, टी.वी. इंडस्ट्रियल एस्टेट
एस.के. अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030
दूरभाष : 022-24939288/89
फैक्स : 022-24950500
ई-मेल : bbsinghbabu@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र
कोर - 4, 5वीं मंजिल, साउथ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092
दूरभाष : 011-22010793-94, 22010801
फैक्स : 011-22010800/22010790/792
ई-मेल : pradyumna.pradhan@nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र
3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई,
तेयनमपेट, चेन्नई - 600 018
दूरभाष : 044-24344162/24349157
फैक्स : 044-24343495
ई-मेल : rmsouth@nalcoindia.co.in

स्टॉक यार्ड

बेंगलूरु
भूतल, जल भवन, सं. 5 एवं 6, फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेज,
बीटीएम लेआउट, बनरघट्टा मेन रोड़, बेंगलूरु - 560 029
दूरभाष : 080-26637297/26637083/
26637084
फैक्स : 080-26530148
ई-मेल : nalbir@nalcoindia.co.in

भंडार परिसर

1. भिवंडी
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड, गोदाम नम्बर 42/57,
इंडियन कार्पोरेशन कम्पाउंड, मनकोली नाका, मुंबई नासिक
रोड़, ठाणे, महाराष्ट्र, भिवंडी - 421 302,
दूरभाष : 02522-320047

2. कोलकाता
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूएच,
1-सोनापुर रोड़, कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल,
दूरभाष : 033-24506840

3. बेंगलूरु
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा मेसर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वेयर हाउस नम्बर 3, व्हाइटफील्ड रोड़,
बेंगलूरु - 560 066, कर्नाटक
दूरभाष : 080-28451327/28
फैक्स : 080-28451329

4. जयपुर
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
सेंट्रल वेयरहाउस, एसपी-1296, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया
टोंक रोड़, जयपुर - 302 022, राजस्थान
दूरभाष : 0141-2770226
फैक्स : 0141-2770817

5. सिलवासा
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड,
गोदाम : शालीमार एंटरप्राइजेज कॉर्पोरेशन
80/4, दयात फालिया रोड़, अमली (पिपरिया),
सिलवासा - 396 230 (संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली)
दूरभाष : 0260-2641436

6. फरीदाबाद
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड, इंडिया गैरेज इक्विपमेंट,
प्लॉट नं. 51, सेक्टर-6
फरीदाबाद, हरियाणा - 121 003
दूरभाष : 0129-4102430

7. विशाखापत्तनम्
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएँ
पत्तन एरिया, विशाखापत्तनम् - 530 035
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2721032

8. बद्दी
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
ग्राम : धरमपुर, पी.ओ. : बद्दी, तहसील: नालागढ़,
जिला : सोलन - 173205, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष : 0179-5657895

9. चेन्नई
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड,
नाफेड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, पोन्नियम्मनमेडु पोस्ट,
माधवरम, चेन्नई - 600 010, तमिलनाडु,
दूरभाष : 044-25530310/320/327/433

10. वडोदरा
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
गोदाम नं. 1सी/2, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
रानोली फ्लाईओवर के निकट, कराचिया, वडोदरा,
गुजरात - 391350
दूरभाष : 0265-2240101

11. नई दिल्ली
द्वारा बॉमर लॉरी एण्ड कं. लि.
अपोलो फ्लेज इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.
खसरा नम्बर 93, गाँव - बमनोली,
पो.ओ.: धुलसिरस, नई दिल्ली-110077
दूरभाष : 011-65356735

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस मैंडेट फॉर्म

(कृपया सूचना को बड़े अक्षरों में भरें। जहां कहीं भी यह लागू हो, कृपया सही का निशान लगाएं)

1. पंजीकृत फोलियो संख्या :

2. प्रथम शेयरधारक का नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री_____

_____

3. प्रथम शेयरधारक का पता: _____

_____

_____

_____ पिन कोड

4. बैंक का विवरण:

बैंक का नाम

शाखा

पता

शाखा कोड (चेक की एमआईसीआर पट्टी पर दर्शाया गया 9 अंकों का एमआईसीआर कोड):

(कृपया विधिवत रद्द किया हुआ आपके बैंक का खाली चेक या चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

खाते का प्रकार

एसबी ☐ सीए ☐ सीसी ☐

खाता संख्या

5. जिस तारीख से मैंडेट लागू होना चाहिए:

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं पूर्ण हैं। सूचनाओं के अपूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेनदेन में विलंब हो जाता है या प्रभावी नहीं होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अगर मेरे खाते के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता है तो मैं एनईसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूँगा।

स्थान :

दिनांक :

_____

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

नोट : अगर शेयरधारक खाली चेक की स्व-सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नहीं है, तो इस मामले में नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लाकर जमा करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर :

दिनांक :

_____

बैंक के अधिकृत कार्मिक का हस्ताक्षर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013, भारत
दूरभाष : 0674-2300677 / 2301988-99, www.nalcoindia.com

इस पृष्ठ को साभिप्राय रिक्त रखा गया है।

वैश्विक विस्तार

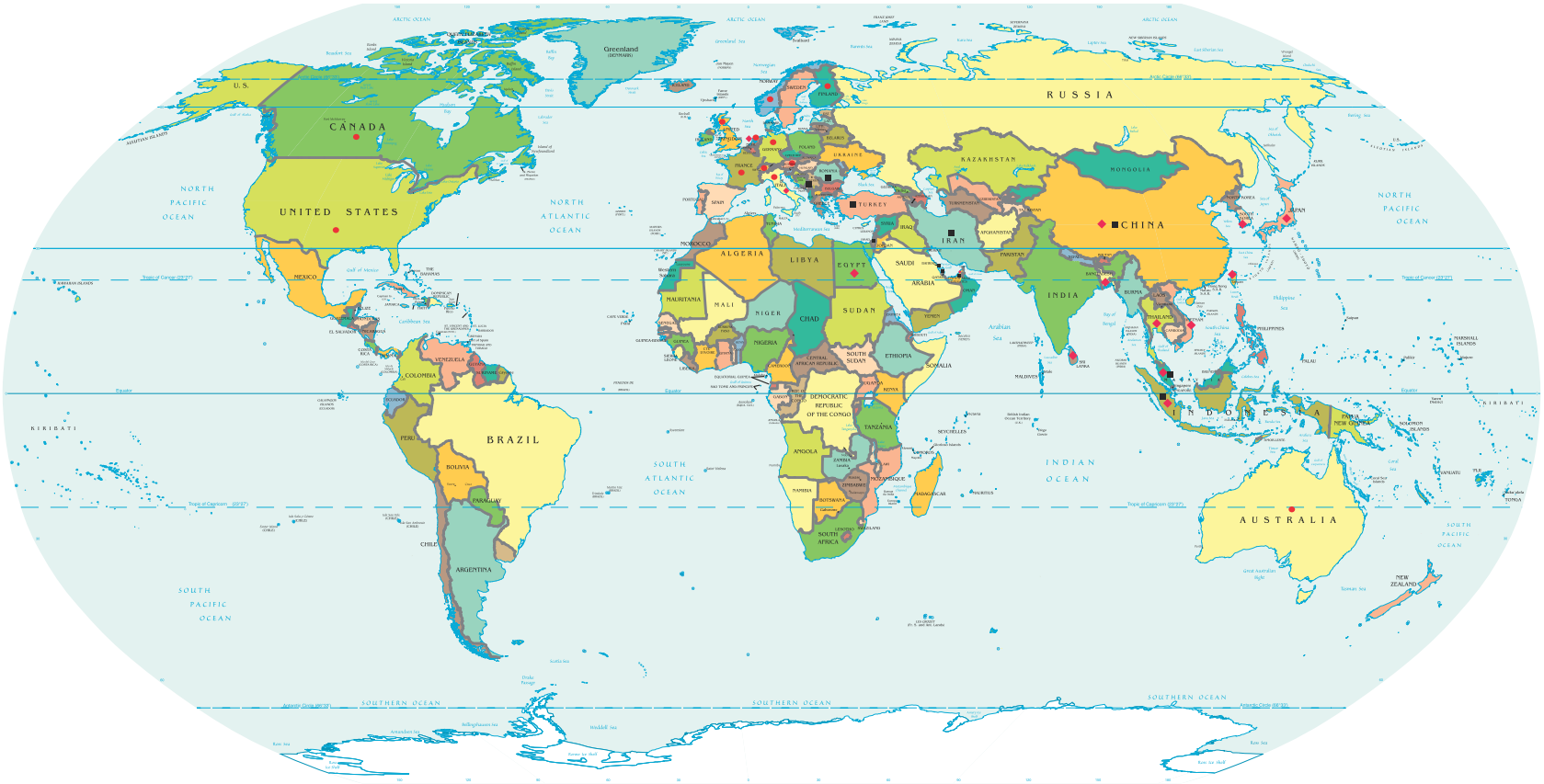

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

हमारे नए व्यवसाय मॉडल

Designed & Produced by 'SOBHAGYA'/ Thomson Press

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम
(भारत सरकार)
www.nalcoindia.com
CIN - L27203OR1981GOI000920